

बोर सेवा मन्दिर
दिल्ली



४४७७

क्रम संख्या

काल नं.

संपाद

२५०.५ फिब्रुअरी

सत्याग्रह-मीमांसा

लेखक

श्री रंगनाथ दिवाकर



अनुवादक

श्री बाबूराव जोशी

१९४६

सत्ता साहित्य मंडल

नई दिल्ली

प्रकाशक :

मार्टेंड उपाध्याय, मंत्री,
सस्ता साहित्य मरुदल.
नई दिल्ली

पहली बार : १९४६

मूल्य

साढ़े तीन रुपए

सुदूरक :

बालकृष्ण एम० ए०,
युगान्तर प्रकाशन लिमिटेड,
मोरी गेट, दिल्ली

विषय-सूची

भूमिका	पाँच
प्रस्तावना	आठ
प्रास्ताविक विचार	दस
१ सत्याग्रह : शब्द और अर्थ	१
२ सत्याग्रह का पूर्व हितिहास	६
३ सत्याग्रह की उत्पत्ति	१४
४ सत्याग्रह की मौलिकता	२६
५ सत्याग्रह का अधिष्ठान	३२
६ सत्याग्रही का दण्डिकोण	४२
७ जीवनपथ और सामाजिक शस्त्र	४६
८ सत्याग्रह की व्यापकता	६४
९ सत्याग्रह के विविध रूप	७४
१० हिन्दुस्तान में सामूहिक सत्याग्रह	७६
११ संगठन एवं शोषण	८८
१२ सत्याग्रह के लिए अनुशासन	९०१
१३ सत्याग्रह तन्त्र	९०७
१४ युद्ध का नैतिक पर्याय	९२१
१५ सत्याग्रह का भविष्य	९४०
१६ गांधीजी के व्यक्तिगत और कौटुम्बिक सत्याग्रह	९४६

१७ गांधीजी के सत्याग्रह आनंदोलन	१४८
१८ दूसरे लोगों के द्वारा किये गये सत्याग्रह	१६२
१९ कुछ ऐतिहासिक उदाहरण	२१७
२० रौलट पेक्ट सत्याग्रह	२२५
२१ अहिंसात्मक असहयोग	२३१
२२ स्वराज्य के लिये सविनय क्रान्ति भंग	२४९
२३ क्रान्ति-भंग का पुनरुत्थान	२५३
२४ व्यक्तिगत सत्याग्रह	२६३
२५ 'भारत छोड़ो' आनंदोलन	२७०
परिशिष्ट	२७८

— — —

भूमिका

महाराजी ने बहुत लिखा है और विविध विषयों पर लिखा है। उस सब को देखकर साधारण आदमी चक्कर में पढ़ जाता है। उनका जीवन मानो सत्य के प्रयोग की एक लम्बी शृङ्खला ही है। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम 'सत्य के प्रयोग' रखा है। यह उपर्युक्त नाम उनके जीवन की ही स्थिति को अभिव्यक्त करता है। उनके इस लेखन में सत्य के इन प्रयोगों के परिणाम और प्रक्रिया ही निहित हैं। गांधीजी द्वारा निर्मित साहित्य बहुत है। यद्यपि खास-खास विषयों पर उनके लेखों और पत्रों का संकलन करके उन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित किया जा चुका है। फिर भी यदि पाठक किसी विशेष विषय पर उनके लेखों तो बड़ी जल्दी किसी निर्धारित स्थान पर संचित रूप में उनका मिलना बहुत कठिन है। इसका कारण यह है कि अपने दर्शन पर उन्होंने कोई क्रमबद्ध शास्त्रीय पाठ्य पुस्तक लिखने का प्रयत्न नहीं किया। अतः यह आवश्यक है कि जिन्होंने गांधीजी के दर्शन का केवल अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने का भी प्रयत्न किया है, वे जीवन-योगी साधक उस दर्शन के विविध पहलुओं पर तथा दूसरे विशेष विषयों पर पाठ्य पुस्तकों लिखें। गांधीजी का सारा दर्शन सत्य और अहिंसा पर अधिहित है। सत्याग्रह गतिशील रूप में सत्य है जिसमें नाममात्र के लिए भी हिंसा का स्थान नहीं है। वास्तव में तो अहिंसा सत्य का एक पहलू है। घर के क्लोटे-मोटे प्रक्षों को हम करने के लिए उन्होंने जिस प्रकार सत्याग्रह का आश्रय लिया उसी प्रकार हिन्दुस्तान की आजादी के लिए भी उसीका आश्रय लिया। उन्होंने अपनिग्रह रूप से तथा असंक्षय लोगों के साथ भी सत्याग्रह किया है। उन्होंने जिस प्रकार सत्याग्रह करने का आदेश पुक अचिकि को दिया उसी प्रकार अनेक समूहों को भी दिया। किन्हीं-किन्हीं प्रसंगों पर तो उसकी

सफलता अनुपम और आश्रयजनक हुई है। एक बहुत बड़े पैमाने पर किया गया सत्याग्रह सशक्त युद्ध की अपेक्षा कहुं गुना ज्यादा अच्छा और अधेष्ठ तथा सम्पूर्ण और सर्वांगीण पर्याय सिद्ध हो, यह उसका उद्देश्य है। दो पक्षों के झगड़े को मिटाने के हिसक तरीके और इस तरीके में मूलभूत फक्कं यह है कि सत्याग्रह के तरीके में सत्याग्रही अपने कर्तव्य-पालन का सतत विचार रखकर उसके लिए जितनी भी मुसीबतें आती हैं उन्हें उठाने के लिए तैयार रहता है; लेकिन अपने विपक्षी को थोड़ा-सा भी कष्ट देना नहीं चाहता। वह दोष को द्वेष से नहीं प्रेम से जीतना चाहता है। लड़ाई का परिणाम चाहे कुछ ही सत्याग्रही विपक्षी के मन में कड़वाहट नहीं रहने देता। सत्याग्रही के लिए मानसिक और नैतिक शिक्षा तथा अभ्यास की आवश्यकता है। शरीर और मन के आरोग्य की भी जरूरत है। सशक्त सेनाओं के सैनिक के लिए शारीरिक शिक्षा और उसके साथ ही थोड़ी-सी मानसिक शिक्षा की जो जरूरत रहती है उससे थोड़ी-सी भी कम जरूरत सत्याग्रही के लिए नहीं होती। सत्याग्रह का एक स्वतन्त्र तन्त्र है और उसकी अपनी स्वतन्त्र युद्ध-प्रणाली है। सत्याग्रह ने अबतक अपने आस-पास ऐसी अनेक घटनाओं का निर्माण कर लिया है और उनको संसार के सामने रखा है। इससे मानव-समाज के इतिहास में उन घटनाओं को एक चमकता हुआ प्रसिद्ध स्थान प्राप्त हो गया है और इसीलिए सत्याग्रह एक अत्यन्त आकर्षक एवं मनोरंजक अध्ययन का विषय बन गया है। इस विषय पर श्री० आर० आर० दिवाकर ने पाठ्य पुस्तक जैसी एक पुस्तक लिखकर बहुत बड़ी सेवा की है। उन्होंने इस विषय का प्रतिपादन केवल पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर ही नहीं बल्कि जीवन की प्रयोगशाला में व्यावहारिक आचरण के नियमित पाठ पढ़कर भी किया है। श्री० आर० आर० दिवाकर की मूल पुस्तक की भूमिका भाई किशोरलाल मराठवाला ने लिखी है। श्री किशोरलाल भाई गांधी तत्त्वज्ञान का अत्यन्त सूक्ष्म और तीव्र अध्ययन करने वालों में से हैं। गांधीजी के

[सात]

साहचर्य और निकटता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के शब्दों को जो अधिकार प्राप्त हो जाता है उसपर ध्यान दिये बिना नहीं रहा जा सकता। मुझे आशा है कि पुस्तक को केवल ज्ञानासा और कौटुम्ब से पढ़ने वाले पाठक ही नहीं किन्तु गांधी-जीवन-पद्धति का ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले जितने जीवन-ग्रन्थी विचारक और विद्यार्थी हैं वे भी इसे पढ़ेंगे।

सदाकत आश्रम

३-१-१९४६

}

—राजेन्द्रप्रसाद

प्रस्तावना

करीब-करीब विगत ४० वर्षों में सत्याग्रह के नाम से सब परिचित हो गये हैं। वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चेत्रों में सभी अन्यायों का प्रतिकार करने का एक तरीका है। सत्य और प्रेम उसके अधिकार हैं। सत्याग्रह का अर्थ है अहिंसात्मक प्रत्यक्ष प्रतिकार। सन् १९०६ में दिल्ली अफ्रीका में सत्याग्रह-संग्राम के समय उसकी पहिले-पहल शुरूआत हुई। उसने टालस्टोर्य जैसे बड़े-बड़े विचारकों का ध्यान आकर्षित कर लिया। हिन्दुस्तान में राष्ट्रव्यापी यैमाने पर उसका प्रयोग देखकर इस बात पर विचार करने वाले प्रत्येक मनुष्य का ध्यान उसके ऊपर केन्द्रित हो गया है कि मनुष्यों के आपसी झगड़े किस प्रकार शान्ति के साथ निपटाये जा सकते हैं।

सत्याग्रह के प्रारम्भ, इतिहास, तत्त्वप्रणाली और तन्त्र का संचित कृत्तान्त देने का यह एक अल्प प्रबल्लन है। सत्याग्रह-शास्त्र की शुरूआत और उसके विकास का श्रेय गांधीजी को होने के कारण इस दृत्तान्त में उसका प्रमुख स्थान होना स्वाभाविक ही है। जिस प्रकार सत्याग्रह के इतिहास में गांधीजी का अटल स्थान है उसी प्रकार जीवन-सिद्धान्त के रूप में सत्याग्रह का सविस्तर वर्णन किये बिना यह वर्णन सार्थक या पूरा नहीं होगा। उस तत्त्व-प्रणाली में से ही इस सत्याग्रह-पद्धति का विकास हुआ है।

यह स्वीकार करना चाहिए कि अभी सत्याग्रह-शास्त्र प्रगति ही कर रहा है। उसके प्रयोगा अभी जीवित हैं और वे उसके विकास में मदद कर रहे हैं। इस प्रकार की प्रगत अवस्था में रहने वाले किसी भी शास्त्र का विवेचन परिपूर्ण और निर्वाचिक नहीं हो सकता। लेकिन आज सत्याग्रह-पद्धति एक ऐसी अवस्था में पहुँच गई है कि उसका

[नौ]

वृत्तान्त लोगों की आवश्यकता पूरी करके उसके लिए उपयोगी हो सकेगा ।

मैंने इस वृत्तान्त को, जहाँ तक हो, संबोध में देने का प्रयत्न किया है; अतः सत्याग्रह-संग्राम का वर्णन करते हुए केवल महत्वपूर्ण घटनाओं का ही निर्देश किया है । मैसूर, ब्रावण्यकोर तथा कुछ अन्य रियासतों के सत्याग्रह की जानकारी देने की भी मेरी इच्छा थी, लेकिन समय पर तरसम्बन्धी आवश्यक जानकारी प्राप्त न हो सकने के कारण मुझे यह विचार छोड़ देना पड़ा ।

समय-समय पर जिन मित्रों ने मुझे उपयुक्त सुझाव देकर मेरे काम में मदद की है उनका तथा उन ग्रन्थों के लेखकों का मुझे आभार मानना चाहिए, जिनका परिशीलन मैंने इस विषय का अध्ययन करते हुए किया ।

यह कह देना भी अप्रस्तुत न होगा कि इस विषय का सूक्ष्म निरीक्षक होने के कारण लेखक ने स्वयं हिन्दूस्तान और खासकर कर्नाटक के अनेक सत्याग्रहों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है ।

नई दिल्ली
१-४-४६ }

—रंगनाथ दिवाकर

प्रास्ताविक विचार

इस पुस्तक में मेरे मित्र रंगदाव दिवाकर ने संचेप में लिखा किया है कि सत्याग्रह की शक्ति ने अपने वर्तमान हिन्दुस्तानी स्वरूप में किस प्रकार गांधीजी के हृदय में जन्म लिया और वह विगत चालीस-पैंतालीस वर्षों में—पहिले इंडिया अफ्रीका में और बाद में हिन्दुस्तान में—उनके जीवन के साथ विकसित होती गई। इसी ग्रन्थ में इसी विकास के इतिहास का निरूपण किया गया है। इसमें उन्होंने सत्याग्रह-सिद्धांत एवं उसके प्रकारों का विस्तृत विवेचन किया है। अतः उन्हीं बातों की दुबारा चर्चा करके मैं पाठकों का समय नहीं लेना चाहता। यहां तो मैं पाठकों के सामने इस विषय में अपने स्वतन्त्र एवं पूरक विचार ही रख रहा हूँ।

सत्याग्रह की अवध्या करते हुए गांधीजी ने उसे 'आत्मबल' 'आध्यात्मिक या अहिंसक शक्ति', अथवा परमेश्वर पर अनन्य एवं हृष्टा रखने से प्राप्त सामर्थ्य कहकर उसके स्वरूप का वर्णन किया है। गांधीजी के मतानुसार अहिंसा की सफलता के लिए परमेश्वर पर अनन्य शक्ता रखना अनिवार्य है। वे कहते हैं—

“सत्याग्रही की अहिंसा में रट निष्ठा होनी चाहिए। परमेश्वर पर अनन्य शक्ता रखे बिना इस प्रकार की निष्ठा कायम नहीं रह सकती। सत्याग्रही के लिए ईश्वर के बल और अनुग्रह के अतिरिक्त किसी अन्य शक्ति की सहायता नहीं हो सकती। इनेष्ट, क्रोध, भय एवं प्रतिकार-वृत्ति को मन में लगाकर भी स्थान न देकर मृत्यु का आलिंगन करने के धैर्य के बिना परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता।”

(हरिजन, १८-६-१९३८)

गांधी-सेवा संघ में बोलते हुए भी उन्होंने कहा है—

[दस]

[अध्यात्म]

“सत्याग्रही के हृदय में आवन्य अद्वा होनी चाहिए; क्योंकि उसकी एकमात्र सामर्थ्य है—परमेश्वर पर अचल अद्वा। इस अद्वा के बिना वह सत्याग्रह किस प्रकार कर सकता है ?” “न तो तनिक-सी चूंचपड़ किये और न मन में गुस्सा ही लाए सब प्रकार के कष्ट सहन करने का धैर्य केवल मानवी प्रयत्नों के बल पर प्राप्त करना असम्भव है। वह तो परमेश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। बल्कि परमेश्वर की कृपा ही सत्याग्रही का बल है। जो मनुष्य उस अनन्त शक्ति पर अपनी सारी चिन्ताओं का भार ढाक सकता है उसीके लिए कहा जा सकता है कि उसकी हँस्तर पर अटल अद्वा है !”

(हरिजन, १३-८-३६ और ३-६-३६)

यदि हन शब्दों का कोई और भी ज्यादा सुलासा चाहे तो गांधीजी कहेंगे—“परमेश्वर का अर्थ है सत्य अथवा सत्य ही परमेश्वर है !” अथवा “प्रेम और अहिंसा ही परमेश्वर का स्वरूप है। उसमें द्वेष और युद्ध की सम्भावना नहीं !” “आत्मबल अथवा आध्यात्मिक शक्ति पाश्वांशी शक्ति से बिलकुल भिन्न है !” वे यह भी कहेंगे—“परमेश्वर सब के अन्तःकरण में है। उसकी सक्षिप्ति में भय का कोई कारण नहीं !” “परमेश्वर की सर्वव्यापकता के ज्ञान का अर्थ है भूतमात्र से—अपने विरोधियों और गुणों से, भी—प्रेम !” प्रेमस्वरूप हँस्तर पर अटल अद्वा रखने का अर्थ है सारे मानवों के साथ समान प्रेम। (उपर्युक्त सारे अवतरण ऊपर बताये हुए हरिजन के अङ्कों से लिये गये हैं)

जबतक साधारण मनुष्य की बुद्धि किसी विशेष तत्वज्ञान या साम्प्रदायिक वाद को मजबूती से ग्रहण नहीं कर लेती तबतक उसे—फिर वह चाहे किसी देश या धर्म का हो—उपर्युक्त बातें स्पष्ट और पर्याप्त प्रतीत होती हैं। उसे परमेश्वर, आत्मा, आत्मबल, पशुबल, अहिंसा, द्वेष हस्तादि शब्दों का अर्थ सरलता से समझ में आने जैसा लगता है। जिस प्रकार वह मीठे और कबड्डी, प्यास और भूख, मिलता

[चारह]

और शत्रुता का अर्थ और उसका भेद साफ़-साफ़ समझता है उसी प्रकार उपर्युक्त शब्दों के अर्थ और उनके भेद भी उसकी समझ में आने जैसे लगते हैं। और जिस अर्थ में वह इन शब्दों को समझता है उसी अर्थ में उसे गांधीजी के विवेचन से नित्य जीवन के लिए उपयोगी मार्ग-दर्शन भी प्राप्त होता है। साधारण्य प्रसङ्गों पर वह अपनी विवेक-बुद्धि पर विश्वास रखकर अपने जीवन की नीति बना लेता है।

लेकिन जब एक बार मनुष्य तत्त्वज्ञान के बादों और ताकिंक चर्चाओं में फँस जाता है तो उससे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। किर तो उसके लिए साधारण्य से शब्द का अर्थ और रहस्य अगम्य हो जाता है। कितने ही बहुं से मेरा वह मत हो गया है कि हमारे तथा अन्य देशों में तत्त्वज्ञान जिस दिशा में जा रहे हैं वह मूलतः ही गलत है। इसमें विभिन्न पन्थ और उपपन्थों ने विचारों की स्पष्टता के स्थान पर अस्पष्टता ही बढ़ाई है।

नतीजा वह हुआ है कि बहुत-से विद्वान् यह समझते हैं कि गांधीजी का सत्याग्रह का सन्देश और अहिंसा, सत्य, परमेश्वर, आत्मबल आदि की व्याख्या समझना बहुत कठिन है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि गांधीजी या तो एक रहस्यपूर्ण और दूसरों की पकड़ में न आ सकने वाली भाषा का जान-कूसकर तथा योजनापूर्वक प्रयोग करते हैं अथवा उनका विवेचन ऊटपटांग और अस्पष्ट है। मेरा अपना विचार यह है कि हमें गांधीजी और उनका संदेश दुर्बोध लगने का कारण यह है कि उस विषय को देखने की हमारी पद्धति ही गलत है। जिस विषय का परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यन्त सरल और प्रत्यक्ष प्रयोग की ही आवश्यकता है और जिसे प्रत्यक्ष आचरण से ही अनुभव किया जा सकता है वह विषय केवल तात्त्विक वाद-विवाद से एक सीमा के बाद कभी नहीं जाना जा सकता। जिसने कभी मिठाई का स्वाद नहीं लिया बादि उसके सामने मिठाई की निश्चित एवं शास्त्रगुद व्याख्या की गई

तो भी वह कभी नहीं जान सकेगा कि किसी पदार्थ की मिठास कैसी होती है। और गुण और शब्दर की मिठास का अन्तर मालूम करना तो उससे भी ज्यादा असम्भवनीय होगा। और यदि कोई दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक भी मिठाई का प्रत्यक्ष स्वाद लिए बिना ही मिठास का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे तो जो ज्ञान मिठाई का स्वाद लेने वाले एक छोटे-से बच्चे को होता है वह उस बचे वैज्ञानिक को भी नहीं हो सकता।

केवल तार्किक पद्धति से तत्त्व-विचार करने की आदत का यह परिणाम हुआ है कि संसार में तकँवाद निर्माण करने में कुशल जितने विद्वान् हैं उतने ही तत्त्वज्ञान के पंथ बन गये हैं। आत्मा, परमात्मा आदि सब मिथ्या हैं; इन सब में केवल एक प्रकृति तत्त्व ही है, जिनका यह निश्चित विचार है कि वे लोग एक सिरे पर हैं तो दूसरे सिरे पर वे लोग हैं जो यह प्रतिपादन करते हैं कि प्रकृति जैसी कोई चीज नहीं है। केवल एक युद्ध-सानातन आत्मतत्त्व ही है। पहिले मत के लोगों की दृष्टि से अहिंसात्मक सत्याग्रह-ध्यवहार-त्रुदि से लाभ-हानि का विचार करके निश्चित की गई एक प्रकार की यूद्ध-रचना युद्ध-नीति अथवा पैतरा है। हिन्दुस्तान की परिस्थिति में भले ही उसका अवलम्बन कीजिये; लेकिन उसकी निर्धारक धार्मिक, आध्यारिमिक महिमा मत गाते रहिये। दूसरे मत वालों का कहना इससे बिलकुल उल्लंघन है। वे कहते हैं कि आधिभौतिक जैसी कोई शक्ति ही नहीं है। शक्ति तो केवल आत्मा की आध-रिमिक ही है। दोर का भयङ्कर शरीर-बल, पृथम बम की विनाशक शक्ति और उसके आविष्कारक की बौद्धिक कुशलता भी उतनी ही आध्यारिमिक शक्ति है जितनी सुकरात, ईसा, प्रह्लाद या गोष्ठीजी के अहिंसात्मक प्रतिकार और अद्वेषभाव से कष्ट-सहन करने में दिखाई देने वाले धैर्य-बल में है। अतः आधिभौतिक या पशुबल और आध्यारिमिक या आत्मबल जैसे भेद करने का कोई कारण नहीं है। दोनों पथों का अन्तिम निष्कर्ष एक ही है। वह यह कि तात्त्विक दृष्टि से

[चौदह]

पश्युवध (हिंसा) तथा सत्याग्रह-वक्त (अहिंसा) में अच्छे-तुरे का भेद नहीं किया जा सकता । व्याख्यारिक इष्ट से किस समय किस नीति का अवलोकन ठीक होगा, इसका विचार करके जो ठीक मालूम हो वही लिखित करना चाहिये । दोनों ही यह अनुभव करते हैं कि हिन्दुस्तान की वर्तमान परिस्थिति में सत्याग्रह का मार्ग ही व्याख्यारिक है । लेकिन गांधीजी सत्याग्रह की जिस विश्वापकता का और उसे सुष्ठुपि का नियम आदि कहकर उसको माहात्म्य कहते हैं, वह व्यर्थ है ।

विद्यापीठ के अनेक पढ़वीघारी नवयुवकों ने भेरे वास आकार कहा है—“गांधीजी के लेखों में बार-बार ईंश्वर के उखलेख तथा उठते-बैठते सत्य-अहिंसा के मन्त्रज्ञाप से हमारा जी उब गया है । बद्द हो अब यह परमेश्वर-पुराण और अहिंसा-माहात्म्य ।”

दूसरों और मुझे कुछ ऐसे प्रौढ़ वेदान्ती भी मिले हैं जो गांधीजी की ईंश्वरपरायण वृत्ति का तो आदर करते हैं लेकिन साथ ही उन्हें गांधीजी के अज्ञान पर तरस भी आता है । वे कहते हैं—“यह कहना होगा कि गांधीजी को आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है । आत्मा तो हिंसा-अहिंसा दोनों के परे है । सत्यासत्य और अहिंसा-हिंसा आदि द्वन्द्व आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते । यदि वे आत्मज्ञान प्राप्त करके निरहंकार अवस्था प्राप्त कर लें तो वे हिंसा-अहिंसा के बाद में नहीं उलझेंगे । समय आने पर सारे संसार का भी संहार करने की शक्ति उनको प्राप्त हो जायगी । वे उस काम को निर्विकार रूप से कर सकेंगे । ऐसा हो जाय तो भारतमाता का अमर्याद पुरुषार्थ जो आज अहिंसा के बन्धन में ज़कड़ा हुआ है मुक्त हो जायगा और वे बड़े-बड़े कार्य कर सकेंगे ।”

इन दोनों छोरों के बीच धर्म और तत्त्वज्ञान के ऐसे बहुत-से पंडित हैं जिन्हें यह प्रतीत होता है कि गांधीजी हिंसा का जो अत्यन्त निषेध करते हैं, वह धर्म और तत्त्वज्ञान के अनुकूल नहीं है । भिन्न-भिन्न धर्म-पन्थों के अनुयायियों के बीच तो मानो इस विषय में स्पर्शी ही हो

[पंक्ति]

रही है। इसमें कितने ही बौद्ध और जैन पंचितों का भी समावेश होता है। प्रत्येक यह सिद्ध करके दिखाता प्रतीत होता है कि उसके पन्थ में हिंसा का सर्वथा निषेध नहीं है। बलिक उस पन्थों ने तो वह भी स्वीकार किया है कि कुछ प्रसंगों के कपर हिंसा पवित्र और धार्मिक कर्तव्य हो जाता है।

इस पांडित्यपूर्ण चर्चा को सुनकर तो ऐसे साधारण व्यक्ति भी अम में पढ़ जाते हैं जिनको पहिले गांधीजी के उपदेशों के विषय में कोई शंका नहीं थी।

ऐसी स्थिति में सत्याग्रह-तत्त्व के सम्बन्ध में किस प्रकार विचार करना ठीक होगा?

यहां मैं अपने विचार रखता हूँ। मेरे विचारों की उल्कानित में अनेक धार्मिक और तात्त्विक संस्कारों का हाथ है। लेकिन आज मेरी निष्ठा किसी विशेष धर्मपंथ अथवा दर्शन से चिपटी हुई नहीं है और न वह किसी भी शास्त्र के शब्द-प्रभाषण ही भानती है। लेकिन कुछ हितिहास-प्रसिद्ध सत्याग्रही, कुछ मेरे अपने परिचित सत्याग्रही और मेरा अपना थोड़ा-बहुत अनुभव, इन सबके आधार पर मैं यह दृढ़ दिने का प्रयत्न करूँगा कि सत्याग्रही की निष्ठा के मूल में किस प्रकार का धैर्य और बल काम करता है।

इससे मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में दो विशेष प्रकार के बलों के बीज रहते हैं। मैं एक को नीतिबल और दूसरे को तेजोबल कहूँगा।

इनमें नीतिबल का स्वरूप इस प्रकार है—मनुष्य को तरह-तरह के ऐहिक जाग तथा मानसिक एवं ऐनिक सुखों की इच्छा रहती है और उन्हें प्राप्त करने के लिए वह रात-दिन प्रबल किया करता है। लेकिन उसे अपने पर संयम रखने की एक ऐसी शक्ति प्राप्त रहती है

[सोलह]

जिससे वे प्रथम एक नियत मर्यादा के अन्दर रह सकें। यदि वह शक्ति अच्छी तरह बढ़ जाय तो वह हमें उस सुख की परवाह न करने का बल देती है जो कि उस नियंत्रित मर्यादा को छोड़े जिन प्राप्ति होना सम्भव नहीं होता। अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में तथा बड़े-बड़े प्रलोभनों के बारे में भी न होने का मनोबल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। वह अपनी सुखेच्छा पर उस समय तक संयम रख सकता है जबतक कि वह यह नहीं समझता कि किसी भिन्न प्रकार की विचार-धारा या संगति के बारे होकर उस मर्यादा को तोड़ने में कोई हर्ज़ नहीं है। इस प्रकार अपने ऐहिक जाग्र और सुख को किसी विशेष मर्यादित मार्ग से ही प्राप्त करने की स्वनियमन शक्ति ही मनुष्य का नीतिबल है। मनुष्य की जंगली अथवा सुधरी हुई सभ्यता से अथवा उसकी आर्थिक समृद्धि या दरिद्रता से अथवा उसके वैज्ञानिक या साहित्यिक विकास से इस बल की प्रगति का अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है। उसका मनुष्य की तार्किक शक्ति अथवा शास्त्रीय पांडित्य से भी हमेशा सम्बन्ध नहीं रहता है। अपना सुख-प्राप्ति का मर्यादा-मार्ग या तो वह स्वयं ही नियंत्रित कर जेता है अथवा वह उसे उसके जीवन पर संस्कार डालने वाले व्यक्ति या समाज की ओर से प्राप्त होता है। हो सकता है कि यह बल किसी अत्यन्त बुद्धिमान्, राजनीतिज्ञ, विद्वान् शास्त्री अथवा बड़े वैज्ञानिक में बहुत कम भी हो और किसी जंगली या अशिक्षित के अन्दर भरपूर भी हो। किसी छोटे-से किलोर यात्रक में बहुत अधिक हो सकता है और उसके पिता या पितामह में बहुत कम भी हो सकता है। अकाल, युद्ध, महामारी, भयकर दरिद्रता आदि विषम परिस्थितियों में नीतिबल ठेठ नीचे की सतह पर पहुँचता हुआ दिखाई देगा; लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसे इस बल की जानकारी न हो। यथापि साधारणतः यह बल घर्म और तत्त्व-ज्ञान से सम्बद्ध दिखाई देता है। तथापि उससे इसका अविच्छेद सम्बन्ध नहीं है। उसे इस बल को छीण करने वाले अथवा इसकी अवहेलना

[उच्चीस]

न उसकी तनिक भी खिलता करता है और न वोक को ही हाथ लगाता है। यह है नीतिविहीन तेजोबल का काम। जिस व्यक्ति का केवल तेजोबल ही आप्रत हो जाता है उसे यह तो मालूम होता है कि उसका ध्येय क्या है और उसे प्राप्त करने का निश्चय भी वह रखता है; लेकिन साधन के सम्बन्ध में वह ज्ञापरवाह रहता है। उदाहरणार्थ, जिस शक्ति से हिटलर ने एक पीढ़ी के अन्दर ही जर्मनी को एक बलवान राष्ट्र बना दिया वह नीति निरपेक्ष तेजोबल का ही एक प्रकार थी और इसी प्रकार के तेजोबल से चर्चिल, स्टालिन तथा रुजवेल्ट ने मिश्रराष्ट्रों की हार को जो बिलकुल नजदीक आ गई थी दूर भगा दिया और धुरी-राष्ट्रों को पराजित कर दिया। हमारे देश में भी एक और ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बनाये रखने के इद निश्चय में जो सामर्थ्य दिखाई देता है उसमें तथा दूसरी ओर राष्ट्रीय महासभा के स्वराज्य के निश्चय में जो सामर्थ्य दिखाई देता है उसमें दो तेजोबलों का ही गजप्राह-विग्रह चालू है। तेजोबल के इन सब मिश्न-मिश्न उदाहरणों में हिटलर, चर्चिल, रुजवेल्ट, स्टालिन या ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रतिनिधियों की शक्ति को कोई सत्याग्रह-बल नहीं कह सकता। लेकिन कॉर्प्रेस की सामर्थ्य को सत्याग्रह-बल कहते हैं। कम-से-कम कॉर्प्रेस के नेता—अर्थात् गोधीजी के प्रयत्न और उद्देश्य के लिये तो ऐसा कहने में कोई हड्ड नहीं है। ऐसा क्यों है? दोनों में क्या अन्तर है?

हिटलर या चर्चिल एवं उनकी काम्पनी का साधन की शुद्धता-अशुद्धता के सम्बन्ध में कोई आप्रह नहीं है। यदि यह प्रतीत हो कि किसी साधन में विजय प्राप्त करने की शक्ति है तो वह उनके लिए सही है। उन साधनों का प्रयोग करने में नीति-अनीति का प्रश्न उन्हें स्पष्ट नहीं करता और हम जानते ही हैं कि संसार में धन तथा बल से श्रेष्ठ अमेरिका जैसे प्रजातन्त्रीय राष्ट्र ने विजय प्राप्त करने के लिए ऐसे महा भयंकर अस्याचार किये जो पहिले इतिहास में कभी देखे नहीं गये हैं। इन राष्ट्रों का अपना तेजोबल तथा इनके द्वारा बनाये हुए

[चीस]

एटम बम का तेजोबल नैतिक अधिष्ठान की इहि से एक ही कोटि के—
अर्थात् नीतिशून्य—हैं। दोनों के पीछे किसी प्रकार का नैतिक नियन्त्रण
नहीं है। यही कोई तेजोबल और सत्याग्रह में अन्तर है।

हमारा जीवन व मार्ग शुद्ध हो। सबसे हमारा व्यवहार, न्याय,
मित्रता तथा सहायता-दृढ़ि से पूर्ण हो; संचेप में यह कि हमारी दृढ़ि
व्यवहार में भलापन-आहिसा-आनी चाहिये। मनुव्यमात्र में इस प्रकार
की जो अन्तस्थ प्रेरणा रहती है उसका नियन्त्रण स्वीकार करने की
झटपटाहट कभी भी उपर्युक्त राष्ट्रों को नहीं दिखाई दी। नीतिबल पर
उनकी अद्वा नहीं थी। उन्हें यह प्रतीत नहीं होता था कि नीतिबल ही
सत्य का मूल अधिष्ठान है। और उनको ऐसा प्रतीत नहीं होता था, तभी
तो नीति-अनीति के किसी भी विधि-निषेध का ल्याज न करते हुए उनके
हाथ जो साधन पड़ गया और जो मार्ग उन्हें सूक्ष्म पड़ा उसका
अवलम्बन उन्होंने किया। आखिर उनके तेजोबल का पर्यावरण
एटम बम में हुआ।

जो तेजोबल मनुष्य के नीतिबल से बेमेल है वह आसुरी (हिंसा)
सम्पत्ति है। यदि यही तेजोबल नीतिबल के साथ पूरी तरह मेल खा
जाय तो वह है सत्याग्रह (अहिसा-रामराज्य दैवी सम्पत्ति)। किसी प्रवृत्ति
का ध्येय उदात्त और न्यायपूर्ण भी हो सकता है। उस ध्येय को प्राप्त
करने के लिए कार्यकर्ता में अजेय इच्छाशक्ति-तेजोबल भी हो सकता
है। फिर भी केवल इतने से ही उस प्रवृत्ति को सत्याग्रह नहीं कहा जा
सकता। कारण यह है कि सत्याग्रह के लिए सद्वहेतु के साधन-साध्य
अहिंसक दृढ़ि से तथा ऐसे किसी भी साधन का उपयोग न करने का
संयम बल भी होना चाहिए जो अहिंसक व्यवहार से बेमेल हो। ऐसा
होने पर ही उसे सत्याग्रह कह सकेंगे।

प्रथेक मनुष्य के हृदय में सत्याग्रह के बीज हैं। वे बीज हैं अपने
ध्येय से लिल भर भी न ढिगने वाले और अजेय जाग्रत या सुसंज्ञोबल

[सत्रह]

करने की शिक्षा देने वाले भी कुछ अमृतांशु और ज्ञान-मार्ग संसार में हैं।

यहाँ सुनके इस नीतिबल के आदि स्वरूप या मूल कारण के सम्बन्ध में विवेचन नहीं कहना है। एक विश्वित सीमा-तक उस शक्ति के बह जाने पर साधारण समझदार शक्ति को उसमें छिपी हुई जिस मनोवृत्ति की ठोक-ठीक जानकारी होने लगती है उसके स्वरूप पर विचार करना ही पर्याप्त होगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन अच्छा हो और अपने आस-पास के संसार से भी हमारा सम्बन्ध वैसे ही भलेपन का हो। संसेप में इस मनोवृत्ति की इच्छा होती है—‘भले बनें और भला करें’। यदि विस्तारपूर्वक कहना हो तो कह सकते हैं कि हमारे जीवन और कार्यपद्धति में शुद्धता हो, सब से मैत्री हो और सब के सहायक बनने की इच्छा भी हो। यदि गाथीजो के शब्दों में कहना हो तो यह मनुष्य के हृदय में रहने वाली अहिंसा वृत्ति है।

प्राणिमात्र में यह इच्छा रहती है कि वह सुखी हो। इसके साथ ही मनुष्य के हृदय में यह दूसरी इच्छा होती है कि हम भले बनें और भला करें। ये दोनों इच्छाएँ प्रवृत्तिप्रेरक हैं। इनमें भलेपन की इच्छा में से जो प्रवृत्ति पैदा होती है वह सुखेच्छा पर नियन्त्रण रख सकती है। सुखेच्छा की अपेक्षा यह जितनी प्रबल होती है उस शक्ति का नीति-बल उतना ही अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है; क्योंकि भलेपन की इच्छा से ही नीतिबल को पोषण मिलता है। भलेपन की इच्छा न रखने वाला मनुष्य नहीं होता। इसलिये जिसमें नीतिबल नहीं, वह भी मनुष्य नहीं। लेकिन भलेपन की मन्दिरा-तीव्रता के अनुसार ही नीतिबल की कार्यशीलता सुस्थ या तेज होती है।

प्रथेक मनुष्य के हृदय में रहने वाली दूसरी शक्ति है उसका तेजोबल। यह शक्ति हमेशा व्यक्त या जाग्रत नहीं रहती, यह तो सुप्त रहती है। लेकिन ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता जिसमें यह शक्ति न

[अठारह]

हो। जब किसी मनुष्य में यह तेजबल जाग्रत हो जाता है तब उसके हाथ से आसाधारण काम हो जाते हैं और उसमें अपार आत्म-बलिदान करने का साहम हो जाता है। वह आगा-पीछा देखे बिना अपने सारे ऐहिक मुखों को लिलाऊंचि दे सकता है, मौका पढ़ने पर अपने आसजन, आज-सम्पत्ति और प्राणों को भी होम कर सकता है और आने वाली यातनाओं को सहन कर सकता है। वह शक्ति जब अपना पूर्ण सामर्थ्य प्रकट करती है तब भय का नैसर्गिक भाव भी मिट जाता है और अनुभव होने लगता है कि हमारे जीवन का एक विशिष्ट हेतु है; उसके लिए हमें अपना सारा जीवन लगा देने की इच्छा उत्पन्न होती है। मुप्तावस्था से प्रवृत्तिशील अवस्था में तेजोबल का जो रूपान्तर होता है उसमें से ही सारी क्रान्तियों का निर्माण होता है। फिर वह क्रान्ति धार्मिक, राजनीतिक या और किसी प्रकार की ही क्यों न हो। यह तेजोबल पहिले किस द्यक्षि में जाग्रत होगा और कब तथा किस प्रकार प्रकट होगा, इसका कोई नियम दिखाई नहीं देता। किसी आकृत्मिक कारण से तथा जिस द्यक्षि के सम्बन्ध में कोई ख्याल नहीं कर सकता उसमें भी वह जाग्रत हो सकता है। आगे चलकर यह तेजोबल अग्नि अथवा संक्रामक रोग की भाँति फैलने वाला बनकर बहुत-से मनुष्यों को—सारे समाज को—अपने बेरे में ले लेता है और जिसे उत्थका स्पर्श होता है वे उसके साधन बनकर उसके प्रचारक बन जाते हैं। इस बल से जो द्यक्षि और समाज जाग्रत बनता है उसमें वह अजेय निश्चय बल उत्पन्न कर देता है।

लेकिन यह अनुभव नहीं हुआ है कि इस तेजोबल तथा पूर्वोक्त शीतिबल में हमेशा एकस्वरता रहती है। नीतिबल के प्रायः शीश होने पर भी जाग्रत तेजोबल के अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं। मान लीजिये कि एक भोटर द्वाहवर मोटर चला रहा है, उसे मालूम है कि उसे कहाँ जाना है और उस स्थान की ओर वह तेजी से अपनी गाड़ी चला रहा है। रास्ते में किसीको घटका लगे या दुर्घटना हो तो वह

[लेईस]

उसको नुकसान उठाना पड़ेगा । उपवास-सत्याग्रह में वह बात बिलकुल नहीं है । तो फिर यही समझना चाहिए कि इस शब्द का प्रयोग भी एक विचित्र अलाक्षार के रूप में ही किया गया है । यह सम्भव है कि जिसके विरुद्ध उपवास-सत्याग्रह का अवलम्बन किया जाय वह उससे कठिनाई में पड़ जाता होगा । इससे उसे गुस्सा भी आ सकता है । यदि उपवास करने वाला अपने विरोधी की अपेक्षा ज्यादा लोकप्रिय हो और उसका पक्ष न्यायपूर्ण एवं निरुत्तर कर देने वाला हो तो विरोधी को ज्यादा ही गुस्सा आएगा । यदि सत्याग्रही की माँग तर्कशुद्ध और न्यायपूर्ण हो और जिन लोगों के मत की अपेक्षा विरोधी भी पूरी तरह नहीं कर सकता हो, यदि उन लोगों के मन में उसकी माँग से सहानुभूति हो तो बहुत सम्भव है कि उस विरोधी की स्थिति दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक पेंचीदा होती जायगी । विरोधी इस कठिनाई में पड़ जाता है कि एक ओर तो वह सत्याग्रही की माँग मंजूर नहीं करना चाहता और दूसरी ओर उसकी मृत्यु से उत्पन्न संकट का सामना करने की ताक़त भी उसमें नहीं होती । उसकी हँड़वा रहती है कि सत्याग्रही की माँग भी टाक्क दी जाय और अपनी बदनामी भी न हो । ऐसी स्थिति में यदि वह उपवास-सत्याग्रह को ‘ज़बरदस्ती’ कहे तो इसमें क्या आश्र्य ? लेकिन इस ‘ज़बरदस्ती’ को विरोधी द्वारा प्रयुक्त एक अपशब्द ही समझना चाहिए ।

एक कहावत है ‘अपनी नाक कटवाकर दूसरे का अपशकुन करना’ । वहे जिह्वा विरोधी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है । खार्ड लिनलिथगो को उपवासोन्मुख गांधीजी के सम्बन्ध में यही लगा होगा । उन्होंने समझा कि सरकार को मात देने के लिए गांधीजी आरम्भत्या करने के लिए ही तैयार हो जायगे । लेकिन यदि सुदब्सुद कहों का स्वागत करना ‘ज़बरदस्ती’ या ‘अनैतिक घमकी’ है तो फिर कहना होगा कि सत्याग्रह के सारे प्रकार इसी कोटि के हैं । क्योंकि ‘सत्याग्रह’ शब्द में तो अपने भ्येय के लिए स्वर्य कह अंगीकार करना प्रवीत ही

[चौथीसं.]

रहता है। जिसमें कुछ प्राप्त न हो ऐसा सत्याग्रह सम्मव ही नहीं है। उसी ध्येय को प्राप्त करने के लिए हिंसात्मक मार्ग की अपेक्षा सत्याग्रह अहिंसा का मार्ग है। प्रतिपक्षी के साथ हेठल-भावना रखकर तथा उसे कष्ट देकर जो कुछ प्राप्त किया जाता है उसीको उसके प्रति सद्भावना रखकर तथा स्वयं कष्ट उठाकर प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। 'क्षबरदस्ती' और 'आनेतिक अमकी' में स्वयं कष्ट उठाने तथा प्रतिपक्षी के साथ अहिंसक शृणि से स्वचहार करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। उसमें तो उसे उसे हेठल-शब्दों से छोट पहुँचाने और अनेक तरह से तुकसान पहुँचाने की वृत्ति होती है।

तो फिर वह समझने के लिए कि राजकोट के उपवास-सत्याग्रह में 'क्षबरदस्ती' करने जैसी बया बात थी, उसकी भूमिका समझ लेनी चाहिए।

इस उपवास के पहिले सरदार बहुभाई पटेल के नेतृत्व में राजकोठ दरबार तथा प्रजा में कुछ महीनों से सत्याग्रह-आन्दोलन चल रहा था। उसके परिणामस्वरूप राजकोठ के ठाकुरसाहब तथा सरदार पटेल के बीच एक समझौते का ठहराव हुआ। लेकिन ठाकुरसाहब ने उसी समय उस समझौते को ढुकरा दिया। असः गांधीजी बीच में पढ़े और उन्होंने ठाकुरसाहब तथा उनके सलाहकारों से उस समझौते को प्रामाणिकतापूर्वक पालन करवाने के लिए प्रयत्न किया। उनका प्रयत्न सफल नहीं हुआ। तब ठाकुरसाहब की विवेक-बुद्धि जाग्रत करने के लिए कहिए था। उनके उपर नैतिक दबाव डालने के लिए कहिए, गांधीजी ने उपवास करने का निश्चय किया।

कोई भी व्यक्ति यह अपेक्षा करेगा कि एक बार शुद्ध सत्याग्रह का मार्ग स्वीकार कर लेने के बाद उसके स्वाभाविक रूप से अन्त होने तक वह सत्याग्रह चालू रहेगा। इस अवसर पर तीन प्रकार से उसका अन्त सम्भव था—या तो ठाकुरसाहब समझौते का पालन करें या गांधीजी के प्राण जांप, या दोनों पक्षों की सम्मति से एक दूसरा समझौता हो।

[इत्यतीत]

तथा वह नीतिवल जो उसके अनुकूल आवरण की शक्य रखने वाली भक्तेपन को बृत्ति से पैदा होता है। यदि अपने अन्त करण में स्थित इस दुहोरे बल की पहिचान हमें हो गई तो फिर गांधीजी के—‘परमेश्वर यानी सत्य, अहिंसा, प्रेम, सत्याग्रह यानी आत्मबल’ आदि धर्म की परिभाषा में किया हुआ निरूपण और उसपर बार-बार जोर देने का कारण समझना हमारे लिए कठिन न होगा।

X

X

X

जिन भिन्न भिन्न प्रकारों से सत्याग्रह की सामर्थ्यक की जाती है उनका निरूपण श्री दिवाकरजी ने अनेक उदाहरण देकर इस पुस्तक में किया है। प्रस्तावना में उन सब की फिर से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। उनमें से केवल उपवास-सत्याग्रह के सम्बन्ध में ही मैं थोड़ी चर्चा करूँगा क्योंकि उसके सम्बन्ध में लोगों में काफी गलतफहमी है। उपवास एक प्रकार की जबरदस्ती ही है—यह कहकर उसकी टीका की जाती है। गांधीजी के जीवन में उपर्याक्षमक सत्याग्रह के कितने ही प्रसरण आ चुके हैं। इन इतिहास-प्रसिद्ध उपवासों में एक ‘राजकौट का उपवास-सत्याग्रह’ भी था। बाह्य दृष्टि से वह उपवास सी फीसदी सफल हुआ था। लेकिन उसकी संफलता का लाभ भिलते-भिलते ही गांधीजी ने उस सत्याग्रह के सम्बन्ध में कहा कि “वह सत्याग्रह एक प्रकार की जबरदस्ती” ही था। इस स्थीकृति से उपवास सत्याग्रह के आलोचकों का महाघाती ने मानो खुद ही समर्थन कर दिया। गांधीजी ने अपने ही कार्य का निषेच करके उसकी संफलता के लाभ को भी स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। इसमें गांधीजी के विरोधियों को खासकर उन लोगों को जिनका उपवास-सत्याग्रह पर विश्वास नहीं है यह प्रतीत हुआ कि इसके बाद गांधीजी उपर्याक्षम-सत्याग्रह के शब्द को कभी नहीं उठाएँगे। उन्होंने यह सोचकर शायद सतोष की सौंस ली होगी कि यह मुसीबत तो टक्की। लेकिन गांधीजी ने फिर १९४६ में आगामी महज की जेल में तीन सप्ताह के

[बाईस]

उपवास की विषया की । उस समय वाहसराय (ज्ञाहै लिनलिथगो) ने गांधीजी को ४ फरवरी, १९४३ को एक पत्र भेजा । उसमें उन्होंने “अब आप कोई सरकर रास्ता निकालना चाहते हैं” इस प्रकार का अंग कहकर आगे कहा था—

“राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपवास का आश्रय लेना एक प्रकार की अनैतिक घमकी (Blackmail) होने के कारण हिंसा ही है । नैतिक दृष्टि से उसका समर्थन नहीं किया जा सकता । मैंने जब आपके पुराने लेख पढ़े तब मैं समझा कि पहिले आपका भी यही मत होगा ।”

यहां अनैतिक घमकी का प्रयोग अंग्रेजी शब्द Blackmail के भाव को व्यक्त करने के लिए किया गया है । इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है—किसी गुस्से वाले को प्रकट करने की या कूटे आरोप लगाकर बदनाम करने की घमकी देकर पैसे मार लेना । यह बात तो स्पष्ट है कि गांधीजी का उद्देश्य उपवास के द्वारा न तो सरकार से पैसे मारना था और न किसी गुस्से वाले को प्रकट ही करना था और उनके ऊपर घमकी देने का आरोप लगाना भी निराधार था । जो कुछ आरोप थे वे तो पहिले ही दोनों पक्षों पर प्रकट कर दिये गये थे । और उन्हें इस बात की मांग की गई थी कि गांधीजी पर जो आरोप लगाये गये हैं उनकी सुन्ति जांच हो । इससे स्पष्ट है कि वाहसराय ने Blackmail शब्द का प्रयोग वास्तविक अर्थ की दृष्टि से नहीं किन्तु आज़क़ारिक ढंग से ही किया था । इस आज़क़ारिक अर्थ के अनुसार तो यदि कोई वह अपनी सास या पति के दुर्घटनाक के विरोध में रोप और अच्छा कोड दे तो वह उसे भी कहेंगे कि वह अनैतिक घमकी देती है या ‘हिंसा’ करती है ।

इसी सिलसिले में एक-दूसरे शब्द ‘ज़बरदस्ती’ (Coercion) का प्रयोग किया गया है । इसका अर्थ है—किसी मनुष्य को वह डर दिखाकर काम कराना कि यदि उसने फलाँ-फलाँ काम नहीं किये तो

[सत्तार्हस]

कुछ भी हो, भलेपन के विवरण से सत्ता कभी भी पूरी तरह नहीं छूट सकती और जिस समय सत्ता का प्रभाव पराकारा पर पहुँचता हुआ सा दिखाई देता है उसी समय कहीं-न-कहीं अनपेहित दिशा से एकाएक भलेपन की शक्ति प्रकट हो जाती है। अन्य शक्तियों की भाँति भलेपन की शक्ति का उद्गम भी अत्यन्त सूख्म होता है। जैसे-जैसे वह बढ़ती जाती है वैसे-वैसे उसमें वेग आता जाता है और अन्त में जबरदस्त भूकम्प के घटके की भाँति भलेपन के शक्तिशाली घटके से सत्ता के आधार पर खड़ा रहने वाला संसार ढह जाता है। भले ही सत्ता का संगठन बिलकुल योजनावद और अबरतन (Uptodate) हो तो भी वह नये स्वरूप में प्रकट होने वाले भलेपन की ताकत के सामने टिक नहीं पाता। जैसे कोई ग्रह एक सूर्य की कक्षा में से निकल जाने का प्रयत्न करता है और इतने में ही वह दूसरे सूर्य की कक्षा में चला जाता है और परियामस्वरूप भस्म हो जाता है या उसके आस-पास धूमते रहने की नीबत उस ग्रह पर आती है, वही स्थिति सत्तावल की भी है। इसी घटना को इतिहास में 'क्रान्ति' और धर्मग्रन्थों में 'धर्म का पुनःस्थापन' कहते हैं। लेकिन इस भलेपन की शक्ति में अनेक बार एक विचित्र दुरुश्य-सा दिखाई देता है। एक नई सभ्यता को जन्म देकर और अपने पैरों पर खड़े होने तक उसका पोषण करके भलेपन की शक्ति पुनः सुसंस्थी काम करने लगती है। परियाम यह होता है कि नये युग में एक बार फिर सत्ता की उपासना प्रारम्भ होती हुई दिखाई देती है।

इस प्रकार सत्ता और भलेपन का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न कालखण्डों में कम-ज्यादा सुसंवादी दिखाई देता है और प्रत्येक की जो उत्तिर्घातना दिखाई देती है वही मानव इतिहास है।

हमारे समय में 'आधुनिक सभ्यता' ने कितनी मजिल तय कर ली है और प्रत्येक चरण उसका प्रवाह कितनी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, यह बात हम प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं। सत्ता का चल फिर एक बार

{ महार्थ }

बेतहाशा बहु गया है। उसे प्रतिकार का भय नहीं रहा है, उसे नीति-अनीति की परवाह नहीं है और अपनी अच्छी-खुरी^१ सारी इच्छाएँ वह संसार पर छाद देना चाहता है। बीच-बीच मे उसकी भाषा उपर-उपर से तो ढीक खगली है; लेकिन अन्त में उसके बोलने का हेतु यही रहता है कि संसार के सारे दुर्बल, परतन्त्र और छोटे राष्ट्र उसकी इच्छानुसार खले या मिटने के लिए तैयार हो जायें।

इस 'आधुनिक सम्यता' को बोहे कम-से-कम किसीका ढर मालूम होता है तो वह है हिन्दुस्तान। लेकिन आश्यद्य यह है कि सत्याग्रह की शक्ति ने फिर एक बार अत्यन्त छोटे स्थान में ही जन्म लेने का निश्चय कर लिया है। केवल हठना ही नहीं कि अपनी जन्मभूमि के रूप में उसने हिन्दुस्तान को पसन्द किया है, बल्कि उसमें भी एक साधारण ग्रेणी के साधारण हिन्दू को उसने पसन्द किया है।

सत्याग्रह के इस नये अवतार में उसने अपने जनक (महात्मा गांधी) के नेतृत्व में जो कुछ काम किया उसीका संक्षिप्त वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। वह काम केवल काल की दृष्टि से ही नवीन नहीं है बल्कि रचना और प्रकार की विविधता की दृष्टि से भी नवीन है।

यह शक्ति कभी निष्कल नहीं हो सकती। वह इस देश मे एक नवयुग का आरम्भ स्थान तो हो ही गई है और शायद वह एक नई संसारव्यापी संस्कृति और सम्यता का भी आरम्भ-स्थान हो जाय। लेकिन यह भी असम्भव नहीं है कि नवभारत भी भलेपन के मार्ग को एक और लोडकर सत्ता के मार्ग पर जाने को प्रवृत्त हो जाय।

यदि केवल इतिहास की पुनरावृत्ति भी होनी है तो भी कालान्तर में ऐसा परिणाम निकलना अपरिहार्य ही मालूम होता है। लेकिन यदि यह परिणाम निकलना अपरिहार्य है तो सत्याग्रह-शक्ति का बाहर-बाहर जन्म लेना भी अपरिहार्य है और शायद उस समय गांधीजी से भी अधिक निम्न सामाजिक लार से सत्याग्रह का पुर्वज्ञम हो।

[सर्वीका]

सौकिन उनमें से किसीके भी होने के पूर्व गांधीजी ने कहा—“अविचार से मैंने गलत रास्ता पकड़ दिया ।”

वह गङ्कती यह थी कि उन्होंने सत्याग्रह के हवियार के साथ-ही-साथ एक और हवियार चला दिया था। वह हवियार या सर्वोच्च सरकार को जलदी ही कीच में ढाककर ठाकुरसाहब से उनके समझौते को पालन करवाने का दबाव ढालने के लिए दौड़-धूप करना।

गांधीजी ने सर्वोच्च सरकार से जो प्रार्थना की, वह स्वीकार कर ली गई। लाड़ लिनलियगो बीच में पढ़े और परिणामस्वरूप फेडाल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर को इसमें पंच बनाया गया। उन्होंने सरदार बलभट्टाई घटेज के पक्ष में—प्रजा के पक्ष में—फैसला दिया। अब ठाकुरसाहब के लिए समझौते को ढुकराने का कोई रास्ता नहीं रहा। यदि वे पंच-फैसले को ढुकरा देते तो सर्वोच्च सरकार (वह ईमानदारी से काम करने वेसा मानें तो) उनसे उस निर्णय को स्वीकार करवाने के लिए जरूरत पड़ने पर सख्ती करके भी उनसे बैसा करवाती।

इस प्रकार यह उपवास-सत्याग्रह की नहीं बल्कि सर्वोच्च सरकार की विजय थी। फिर वह सर्वोच्च सरकार की दण्डशक्ति की ही विजय थी। इस प्रकार इस उपवास में जबरदस्ती के तत्व ने प्रबोचन किया।

यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि गांधीजी के लिए वैधानिक रीति से सर्वोच्च सरकार से प्रार्थना करके प्रजा पर होने वाले अस्याचारों को दूर करने का रास्ता खुला था तो जबतक वह बन्द नहीं हुआ तबतक उपवास-सत्याग्रह का अपरोक्ष मार्ग स्वीकार करना कहाँ तक ठीक था? दूसरी ओर यहा यह प्रश्न भी उपस्थित होता है कि जब उपवास के अपरोक्ष मार्ग को अवलम्बन करने योग्य वरिस्थिति पूरी तरह निर्माण हो जुकी थी तब फिर उन्होंने बाहसराय को बीच में क्यों ढाला?

इस प्रकार दोनों ओर से गांधीजी का यह उपवास-सत्याग्रह के तत्व से छेमेज हो गया। इस विसगति के उत्पाद होते ही उसी समय

[छम्बीस]

उन्होंने पश्चात्ताप किया और उसके प्रत्यक्ष प्रभाव के हृप में उन्होंने उसकी विजय के फल को स्थीकार करने से हृष्कार कर दिया।

गौधीजी की विशेषता अपने द्वारा सोजे हुए नवीन तत्त्व (सत्याग्रह) का अचूक उपयोग करने में नहीं है, बल्कि अपनी मलती स्थीकार करके मिली हुई सफलता को ढुकरा देने और अपने दोषों का परिमार्जन करने में है। उनकी भूल का इतना ही अर्थ है कि कठिन प्रसंगों पर अहिंसा के मार्ग को एक और छोड़ देने का मोह मनुष्य में हो जाता है। इस प्रकार का मोह मानव जीवन का एक भाग ही है। इद सत्याग्रही भी एक-आध बार पथभ्रष्ट हो सकता है। तथापि उसे अहिंसा के मार्ग पर फिर चलने का प्रयत्न सतत करना चाहिए।

सत्याग्रह के भविष्य के सम्बन्ध में दिवाकरजी ने एक स्वतन्त्र अध्याय लिखा है। मैं उनसे सहमत हूँ। किर भी यहां अपने तरीके से उस विषय का योग्य विवेचन करता हूँ।

सत्याग्रह की शक्ति मानव संस्कृति जितनी ही प्राचीन है। संस्कृति के उदयकाल से ही उसका विकास होता चला आ रहा है। जैसा कि मैंने ऊपर का है सत्ता (हिंसा) और भलेपन (अहिंसा), शैतान (आसुरी मन्त्रिति) और ईश्वर (दैवी सम्पत्ति) के घ्येय हमेशा अलग-अलग नहीं होते। लेकिन अनेक बार उस शक्ति का व्यापार परस्पर एक स्वर से नहीं चलता। अतः उद्देश्य एक होने पर भी उसमें अनेक बार परस्पर विरोध पैदा हो जाता है। सत्ता आक्षमणशील है; अतः उसके भलेपन से दूर चले जाने की बहुत सम्भावना रहती है। और भलेपन में उसपर हमेशा नियन्त्रण रखने की सामर्थ्य दिखाई नहीं देती। कई बार सत्ता पर नियन्त्रण रखने के लिए भक्तापन कुछ प्रयत्न करता है और वह वही रुक जाता है। इससे सत्ता को जबरदस्त वेग से आगे बढ़ते रहने का और उत्तरोत्तर अपना प्रभाव बढ़ाते रहने का भौका बारबार मिलता है।

[इकाईस]

पकड़ लेता है। यह केवल शासन-कार्य में ही नहीं होता बल्कि सब जगह होता है। “छोड़ो बाजे छम-छम, विद्या आवे भम-भम।” यह कल सक हमारे शिक्षा-शास्त्र का भी सिद्धान्त था न? और यह नहीं कह सकते कि अब भी उसके क्षयर हमारी अद्वा नहीं रही है। कई प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री यह अनुभव करते हैं कि बालक की बुद्धि और चारित्य को सुधारने के लिए ‘सजा’ देने का मार्ग बालक से प्रेरण करके, सतत प्रयत्न करके अनुकूल वातावरण का निर्माण करके, उसकी बौद्धिक और नैतिक उत्तमता करने के दण्ड-भय की अपेक्षा अधिक कार्यसाधक है। धर्म का बोध देने में भी हम इसी पद्धति का अवलम्बन करते हुए देखते हैं। इस लोक में धर्मगुहाओं द्वारा दण्ड दिलाकर अथवा परलोक में भयंकर सजा देने वाले परमेश्वर का नाम रखकर हम ढांट-धमक के रास्ते से ही अहिंसा का प्रयत्न करते हैं। जहाँ अहिंसा के उपासकों द्वारा प्रस्तापित धर्म ही हिसा पर अद्वा रखने के कारण छिप गया है वहाँ मानवी जीवन में यदि दूसरी प्रवृत्तियाँ भी उसी पद्धति से चलाई जाय तो इसमें आश्रय की क्या बात है?

यदि अहिंसा का कार्य वैयक्तिक स्वरूप का, अधूरा और निरुत्साह से चलता हुआ दिखाई दे तो इसमें मुझे विकल्प शंका नहीं कि उसमें अहिंसा के उपासकों की ही शिखिलता है। कई बार निष्क्रियता को ही अहिंसा समझ लिया गया है। और निष्क्रियता को हमेशा व्यक्तिवाद ही माफिक आता है। इसीलिए अहिंसा को भी व्यक्तिनिष्ठ मान लिया गया है। यह मान लिया गया है कि उसके आधार पर संगठन नहीं किया जा सकता। उल्टे यह माना जाता है कि ऐसे प्रबलों से तो अहिंसा-मार्ग भ्रष्ट होता है। इसी धारणा से अहिंसा को आचरण में लाने का प्रत्यक्ष प्रयत्न और उसे पूर्णता तक पहुंचाने के प्रयत्न लगाके सिद्ध हो गये हैं। लेकिन जहाँ इस प्रकार के प्रयत्न व्यवस्थित रूप से तथा दृढ़ अद्वा के साथ किये गये हैं वहाँ समाज का कल्याण हुआ है। उदाहरणार्थ, जबतक हृसाई मिशनरियों ने अपने

[बत्तीस]

काम में राजनैतिक आदि अन्य उद्देश्य और हिंसक शक्ति का आधार नहीं लिया तबतक उन्होंने जो-जो प्रवृत्तियाँ चलाईं उनकेद्वा रा, यह कहा जा सकता, है कि उन्होंने मानव जाति की काफी सेवा की और उसमें अहिंसक संगठन का अच्छा परिचय दिया ।

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सक्रिय और सगड़ित रूप में अहिंसा का आधारण करने का कार्यक्रम पहिले पहल हँसाहूँ धर्म ने पेश किया । गांधीजी ने उसकी पुनर्रचना करके हिन्दुस्तान के लिए उस योजना के एक विशेष भाग को व्यापक स्वरूप दिया । उसका नाम है “रघनामक कार्यक्रम” । इस कार्यक्रम का ध्येय है मनुष्य की प्रकृति-प्रदृढ़ अहिंसा-कृति को बढ़ाने के लिए अनुकूल परिवर्तियों का नियन्त्रण करना और उसमें इतनी शक्ति भर देना कि वह हिंसक प्रवृत्तियों का नियन्त्रण कर सके । दरिद्रता, अज्ञान, रोग, सभीणता, विषमता, ससार को नरक बना देने वाली प्रकृति या प्रकट गुलामों को निमूल करने का प्रयत्न युगों से हो रहा है । उस काम की याकी को ठीक रास्ते पर लाना ही रघनामक कार्यक्रम का ध्येय है ।

यदि आस्तिक लोग इतना ही कह कि परमश्वर तो केवल स्वर्ग में रहता है, उसका इस भूतल से कोइ सम्बन्ध नहीं है, तो नास्तिक लोग उनसे बादविवाद नहीं करेंगे । इससे डहट यदि नास्तिक यह स्वाकार कर ले तो कि मनुष्य म अहिंसा (भलेपन) के प्रति ऊकाव मूलभूत है और मन की हिंसात्मक प्रवृत्ति की अपेक्षा वह ज्यादा कीमती देन है तो किर आस्तिकों को कुछ और कहना नहीं है । अनन्तकाल तक परमेश्वर के अस्तित्व और स्वरूप पर व्यथ धार्मिक और तात्त्विक बादविवाद करते रहने की अपेक्षा भलेपन (अहिंसा) का बलवान प्रभाव ससार में फैलाने का दृष्टि से भलेपन (अहिंसा) के सगड़न और प्रगति के लिए यदि सब एक हो सकें तो जैसे जैसे यह कार्य पूर्णता तक पहुँचेगा वैस-वैसे हँसवर पर अद्वा या अशद्वा का प्रश्न अपने आप हँस होता जायगा । आस्तिकों का परमेश्वर भलेपन का ही

[उन्नीस]

केवल मनोराज्य खड़ा करने की ज़िहार में मैं यह बाबिलोन भर्ही कर रहा हूँ। संसार में समय-समय पर भलेपन की शक्ति पीछे क्यों रह जाती है। सत्ता को अपना प्रभाव समझाना फैलाने का मौका क्यों मिल जाता है? और उससे उसके साथ ही संसार के नाश होने का मौका क्यों उत्पन्न हो जाता है। सत्ता (हिंसा) तो केवल प्रचलण संगठन के बल पर सामुदायिक रूप में अपना काम दिखाती है परन्तु भक्षापन (अहिंसा) अवसर व्यक्तिगत एवं अव्यवस्थित रूप से तथा मर्यादित ऐश्र में ही अपना काम दिखाती है; ऐसा क्यों? इन दो प्रकार की शक्तियों में क्या निसर्गतः ही ऐसे गुण-धर्म हैं जिनसे यह क्रम अपरिहार्य है। या इसका हासना ही अर्थ है कि अभी मनुष्य का पूरा विकास नहीं हुआ है? मैं इन प्रश्नों पर विचार कर रहा हूँ।

कुछ लोग मनुष्य यह अनुभव करते हैं कि हिंसा का थोड़ा-बहुत प्रयोग किये बिना खासकर बढ़े पैमाने पर संगठन और व्यवस्था करना और उसे टिकाना सम्भव नहीं होता। अतः अहिंसा को अपना कार्य छोटे-छोटे चेत्रों में दिखाकर ही संतोष मान लेना चाहिए। उनका मत है कि कोई भी संगठन हिंसा के बिना संभव नहीं है। अतः छोटे संगठन भी तात्त्विक दृष्टि से उचित नहीं हैं। लेकिन इसे मानवी दुर्बलता को दी हुई थोड़ी-सी कूट ही मानना चाहिए।

यदि यह प्रकृति का ही नियम है तो मैं नन्द्रतापूर्वक यही कहूँगा कि अहिंसा एक व्यक्तिगत गुण ही बन सकता है। उसके लिए संगठित होना समव नहीं है और इसीलिए अपनी शक्ति के बल पर सरे संसार को एकत्र करने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। यदि यही नियम है तो फिर समाज वो अहिंसा का बहुत थोड़ा उपयोग है। क्योंकि तब तो समाज की दृष्टि से शैतान और परमेश्वर में शैतान को ही बढ़ापन का स्थान देना पड़ेगा। अपने स्वार्थ के लिए वह अपने बड़े भाई (परमेश्वर) को ठगता रहे और उसे ज्यों-त्यों करके पेट भरने जायक अज्ञ-बज्ज दे दे तो बस। इस पृथ्वी पर 'रामराज्य' या 'धर्मराज्य' अथवा 'ईश्वर का

[तीस]

राज्य' स्थापित होने की मानवी मन की अमर आशा केरल आकाश-
कुमुम ही समझना चाहिए। यह हवा का महत हवा में ही रहना
चाहिए।

लेकिन मुझे निश्चय नहीं होता कि यही प्रकृति का नियम है। यदि
आजकल के इतिहास का यही सार हो और यदि कुछ आगामी पीढ़ियों
तक भी यही अनुभव होता रहे तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि
वह कोई अचल नियम है। मैं तो उस इतिहास का उतना ही अर्थ
समझता हूँ कि वह मनुष्य के अधूरे प्रयत्नों का एक विवरण है।
अधिक-से-अधिक अलड्डुस हक्सले के शब्दों में कहा जा सकता है कि
मनुष्य ने अभी साध्य-साधन समन्वय के सिद्धान्त को नहीं समझा है।
अब भी वह यही अनुभव करता है कि दूषित साधनों से निर्दोष या
उच्च साध्य प्राप्त किया जा सकता है। एक मूर्ख ग्रामीण का यह टड़
पुंच प्रामाणिक विश्वास होता है कि यदि देवी को बकरे की बलि दे दी
गई या भंगी को मारते-मारते बेंगे कर दिया गया तो महामारी का
प्रकोप शान्त हो जाता है। उपर्युक्त विश्वास भी इसी प्रकार का है।
लेकिन जबतक यह लोकभ्रम (फिर चाहे वह मूर्खतापूर्ण हो चाहे
निराधार हो) कायम है तबतक यह सब ऐसा ही होता रहेगा। युद्धों
को रोकने के लिए और शान्ति, न्याय, समता व सर्वसाधारण
वैभवशाली जगत् निर्माण करने के लिए फिर से नवीन युद्ध करने की
योजना का प्रयोग मनुष्य-जाति ने इससे पहिले किया है और आगे
भी करेगी। फौजी, व्यापारिक तथा हसी प्रकार के अन्य साम्राज्यों
की स्थापना करना और कानून एवं सूच्यवस्था के नाम पर भयंकर
कृत्य करते रहना—ये सब बातें पहिले हो जुकी हैं और आगे भी होती
रहेगी। कारण यह है कि अब भी लोगों के सामने यह स्पष्ट नहीं
हुआ है कि सदुरेष्य और (उसे प्राप्त करने के सम्मार्ग में अस्यावश्यक
सांख्य होना ही चाहिये। अतः हँसी तन्त्र के बजाय शैतान के तन्त्र
को ही पूर्णता पर पहुँचाने का सरल दिखाई देने वाला रास्ता मनुष्य

[चैरीस]

रुपक है और उस स्वरूप में उसका अक्षित्व पृथ्वी पर दिखाई देने जगेगा । जिस प्रकार स्वर्ण में उसकी इच्छा अवाक्षर रूप से पूर्ण होती है (ऐसा आखिंक लोग मानते हैं) उसी प्रकार वह इस संसार में भी निष्कश्ट होकर ज्यास हो रहा है, वह मनुष्य को पर यह प्रश्न ही नहीं रहेगा कि परमेश्वर है या नहीं है ।

हिंसा को रोकने और अहिंसा की शक्ति प्रकट करने—इन दोनों बातों में ही सत्याग्रह का तेज़ प्रकट होता है । निष्कियता की निद्रा में रहते हुए या हिंसा की उपासना करते हुए मनुष्य अपना ध्येय भूल जाता है । जब विस्मृति का ऐसा अन्धेरा फैला हुआ होता है तब किसी भी समय उसे जाग्रत करने वाली और मार्ग दिखाने वाली सत्याग्रह की तेजस्वी ज्योति प्रकाशक प्रदीप हो जाती है । जब जहाँसभि के शब्दों में सुविचारनुसार फेर-फार करके मैं कहूँगा कि—जब दूर घटक जगत से सत्याग्रह की ज्योति न दिखाई दे और उसकी सृष्टि लीक हो जाय तब किर वह पुनः प्रकट होगी और अधिक प्रकृत तेजोवश से युक्त होकर मनुष्य को फिर से प्रेरणा देगी ।

जब-जब मनुष्य सक्ता या निष्कियता के चंगुल में फैल जायगा तब-तब सत्याग्रह बार-बार प्रकट होगा ।

यदि मृत्यु ने सत्याग्रही ध्यक्ति को अदरण कर दिया और दीर्घ काल ने उसे ढक रखा तो भी सत्याग्रह की ज्योति मनुष्य के मन की गोष्ठ करती रहेगी और वह दोष कभी भी व्यर्थ नहीं जायगी ।

और सत्याग्रह जो भक्तापन-अहिंसा-आस करेगा वह मनुष्य के मन में स्थित भलेपन की नैसर्गिक वृत्ति को विहेष अनुकूल रूप में स्पष्ट और पोषक दिखाई देगा ।

मेरे मन में अहिंसा-विषयक जो इह अद्वा है उसका स्वरूप इसी प्रकार है ।

—किशोरलाल घ० मशरूलवाला

: १ :

सत्याग्रह : शब्द और अर्थ

सत्याग्रह मूलतः संस्कृत शब्द है। वह एक सामाजिक शब्द है जो 'सत्य' और 'आग्रह' से मिलकर बना है। उसका अर्थ है सत्य पर ढटे रहना, सत्य को मजबूती से पकड़े रहना, सत्य का आग्रह करना।

सत्य 'सत्' से बना है। सत् का अर्थ है—होता या वह जिसका अस्तित्व है। सत्य का अर्थ है—जो है उसके अनुसार। अतः जिसका अस्तित्व है, उसके अनुरूप जो बात है, प्रत्यक्ष जो वस्तुस्थिति है उसका यथार्थ ज्ञान। वेदों में सत्य के अनुरूप कृति के लिए—ठीक काम के लिए एक खास शब्द है। वह है 'ऋत्'। सत्य का अर्थ है वस्तुस्थिति का ज्ञान और 'ऋत्' का अर्थ है सत्यानुरूप व्यवहार। वैदिक ऋषि इस बात को जोर देकर कहते हैं कि सत्य और ऋत् दोनों साथ-साथ रहने चाहिए।

इस छोटे-से सामाजिक शब्द—सत्याग्रह—की उत्पत्ति सुनने लायक है। सन् १९०६ में गांधीजी ने दिल्ली अफ्रीका में वहाँ के काले कानूनों का विरोध करने के लिए हिन्दुस्तानियों के जिस आनंदोलन का नेतृत्व किया उसे शुरू-शुरू में 'पेसिव और रेक्रिस्टेन्स' (निष्क्रिय प्रतिरोध) कहा गया। अतः पहिले पहल गांधीजी ने भी इसी शब्द का प्रयोग किया था। क्योंकि इस शब्द को वहाँ के हिन्दुस्तानी एकाएक समझ नहीं

सकते थे और न टीक-टीक हस्तेमाल ही कर सकते थे। यह शब्द भी अंग्रेजी था। अतः गांधीजी को इसमें शर्म मालूम हुई। लेकिन इससे भी ज्यादा महस्त की बात यह थी कि गांधीजी अनुभव करने लगे कि उन्होंने जिस आनंदोलन को प्रारंभ किया है वह निःशर्म प्रतिकार के साधारण अर्थ से मूलतः निच है। गांधीजी को इसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं सूझा। अतः उन्होंने 'इन्हियन ओपीनियन' में घोषणा की कि इसके लिए जो अच्छा शब्द सुझावेगा उसे इनाम दिया जायगा। परिणामस्वरूप कर्ह ज्ञागों के सुझाव आये। श्री मगनजाल गांधी ने 'सत्याग्रह' शब्द सुझाया। सदाग्रह का अर्थ है अच्छे काम में निष्ठा। गांधीजी को इससे पूरा संतोष नहीं हुआ। पूरे अर्थ को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से उन्होंने संशोधन करके उसका नाम 'सत्याग्रह' रख दिया। इसका अर्थ है सत्य की शक्ति, सत्य व प्रेम से उत्पन्न होने वाली शक्ति अर्थात् अहिंसा। गांधीजी के मतानुसार सत्य और अहिंसा अथवा प्रेम दोनों एक रूप हैं। सब धर्मों की तरह हिन्दू धर्म में भी सत्य और सत्याचरण को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। संस्कृत तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओं के माहित्य में सत्य की खोज बहुत सुपरिचित विषय है; लेकिन सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं पाया जाता। राम, धर्मराज, हरिश्चन्द्र, भीम तथा अन्य महान् व्यक्तियों को सम्मोधन करने के लिए सत्यवत्, सत्यनिष्ठ, सत्यवन्त, सत्यसंघ आदि शब्दों का बार-बार प्रयोग किया है लेकिन गांधीजी को व्यापक, नवीन और विशेष अर्थ अभिष्ठ था। उसे व्यक्त करने के लिए यह सत्याग्रह शब्द बहुत उपयुक्त रहा।

शब्दों का भी एक स्वतन्त्र जीवन होता है। ऊंचे पहाड़ पर छोटा-सा उद्गम रखनेवाली बड़ी नदी की भाँति शब्दों का अर्थ भी जैसे-जैसे वे प्रयोग में आते हैं विशाल और गहरा बनता जाता है। गांधीजी का कथन है कि दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के समय किसी छोटे-से

अज्ञात नवजात शिशु की मांति पृक नये सिद्धान्त का जन्म हुआ। वह इतना ही उन्हें मालूम था। लेकिन गांधीजी सत्याग्रह के तरीके को जैसे-जैसे आगे बढ़ाते गये वैसे-वैसे सत्याग्रह शब्द अर्थ और विवेचना की दृष्टि से अधिक-अधिक समृद्ध होता गया। छोटे-से बीज से आज वह एक विशाल वृक्ष बन गया है और काम चक्रांत हलाज से एक रामबाण दबा बन गया है। सर्वाङ्गीण जीवन की अखण्ड विचारधारा के अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। शब्द वही है लेकिन गांधीजी के प्रगतिशील जीवन के साथ और उनके द्वारा किये गये सत्य के भिन्न-भिन्न उपयुक्त प्रयोगों के साथ उसका अर्थ भी विकसित होता गया है।

‘सत्याग्रह’ का प्रयोग निशास्त्र प्रतिकार के पर्यावाची शब्द के रूप में प्रारंभ हुआ। अब भी निःशस्त्र प्रतिकार शब्द प्रचलित है लेकिन सत्याग्रह की अपेक्षा एकदम भिन्न अर्थ में। इसमें कोई सम्बद्ध नहीं कि दिल्ली अफ्रीका के भारतवासियों ने जो आनंदोलन किया उसका तारकालिक दिल्लांत स्वरूप हिंसक सशास्त्र प्रतिकार से भिन्न था। वह करीब-करीब ‘निष्क्रिय प्रतिकार’ जैसा ही था। लेकिन वहीं दोनों का साम्य समाप्त हो जाता है। गांधीजी का मार्ग, सैद्धान्तिक भूमिका तथा तन्त्र सब कुछ साधारण निशास्त्र प्रतिकार से भिन्न थे। इसीलिए गांधीजी को नये शब्द की आवश्यकता हुई। सत्याग्रह के कोष से निःशस्त्र प्रतिरोध भी निकाला नहीं जा सकता। लेकिन उसके स्थान पर ‘सविनय कानून भेंग’ शब्द ज्यादा पसन्द किया जाता है और सविनयता पर अर्थात् अहिंसा पर जोर दिया जाता है।

धैतिहासिक दृष्टि से पाश्चात्य लोगों ने निःशस्त्र प्रतिकार का जो अर्थ लगाया है और हम भी उसका जो अर्थ लगाते हैं वह यह है कि वह कमज़ोर और निःशस्त्र लोगों का हथियार है। उसमें सैद्धान्तिक दृष्टि से हिंसा का स्वाग नहीं होता बल्कि इसलिए कि शास्त्रों के अभाव में निःशस्त्र प्रतिकार के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यदि शब्द

हाथ लग जाय या उसके प्रयोग से सफलता की पूरी आशा हो जाय तो शास्त्रों का भी अवलम्बन किया जा सकता है। अथवा निःशब्द और सत्याग्रह प्रतिकार दोनों का प्रयोग एकसाथ किया जा सकता है। निःशब्द प्रतिकार में किसी विशेष कार्य के लिए शत्रु को परेशान करने और उसपर पूरा दबाव डालने की कल्पना निहित है। उसमें प्रेम के लिए कहीं भी स्थान नहीं है। वह पूरा और अविश्वास पर टिका हुआ है। अतः उसका उपयोग आत्मीय लोगों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। उसमें रचनात्मक प्रवृत्ति के लिए स्थान नहीं है। निःशब्द-प्रतिकार कोई जीवन-सिद्धान्त नहीं माना जाता।

आदर्श सत्याग्रह इससे भिन्न है। सत्य के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह की आधार-शिला है। उसमें प्रत्येक अवस्था और स्वरूप में हिंसा का त्याग किया जाता है। धन और जन को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी हिंसक कृति से सत्याग्रह का सम्बन्ध नहीं हो सकता। शत्रु को मटियामेट करने की भावना सत्याग्रह में नहीं है। बल्कि सहानुभूति संयम व कष्ट-सहन के द्वारा उसका भूत-परिवर्तन करना और उसे अपने पौर में मिलाने का भाव उसमें निहित है। यथापि सत्याग्रह सरे अन्यायों का तिरस्कार करता है और उनसे किसी भी तरह समझौता करने के लिए तैयार नहीं रहता तथापि अन्याय करनेवाले को अपनी और स्वीचने के लिए उसके पास प्रेम के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। मनुष्य की मूलभूत सद्प्रवृत्ति पर उसका भारी विश्वास होता है। अपने निकटतम तथा प्रिय व्यक्ति के विरुद्ध भी सत्याग्रह शास्त्र का प्रयोग किया जा सकता है। प्रेमपूर्वक ही सत्याग्रह का अवलम्बन किया जाता है और जिसके प्रति प्रेम होता है उसके लिए ही सत्याग्रही में हृद दर्जे के कष्ट सहने की तैयारी होती है। जब प्रत्यक्ष लबाई नहीं होती तब सत्याग्रही त्याग और सेवा की भावना से अपने को रचनात्मक कामों में लगा देता है।

आजकल सत्याग्रह शब्द का प्रयोग दोनों अर्थों में किया जाता है।

एक तो वह तत्प्रश्नाकी और लैलिक मूल्य जो गांधीजी व उनके निकटतम अनुयायियों के जीवनक्रम का आधार बन गये हैं। दूसरा व्यक्तिगत व सामूहिक रूप में अन्याय के प्रतिकार का वह मार्ग जिसे गांधीजी ने पहिले दलित अफ्रीका में प्रारंभ किया और बाद में जिसे हिन्दुस्तान में आगे बढ़ाया। इनमें से पहिली प्रकार के लिए अनुशासन का मानदण्ड स्वभावतः ही ज्यादा ढंचा रहता है। सत्याग्रह के सिद्धांतों और रीति-नीति पर सत्याग्रही की पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। अन्याय का प्रतिकार करने के लिए एक हथियार के तौर पर जो लोग सत्याग्रह का अवलम्बन करते हैं उनके लिए उसकी कम-से-कम शर्त यही है कि सत्य उनके पक्ष में अवश्य हो सिद्धान्त या धर्म के रूप में नहीं तो कम-से-कम व्यवहार नीति के रूप में तो उन्हें अहिंसा का पालन करना चाहिए। दूसरे सब उपाय कर देखना चाहिए और जनसत भी अपने पक्ष में बना लेना चाहिए। जब सामूहिक सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है तब इस बात की जरूरत नहीं रहती कि समूह का प्रत्येक व्यक्ति सत्याग्रह के सिद्धान्तों को पूरी तरह हजम कर ले। यदि नेता सत्याग्रह की आत्मा में घुल मिल गया हो, जनता नेता के कहने में हो और उनमें धन जन पर आधात लैने वाले अत्याचारी कामों से दूर रहने का संयम हो तो काफी है। कई दफा एक दूसरे प्रकार में 'सत्याग्रह' जैसे व्यापक शब्द के बजाय स्विनिय प्रतिकार का प्रयोग करना ज्यादा सार्थक होता है।

इस प्रकार यह एक जीवन-मार्ग है। और जो सत्य की साधना करना चाहता है वह सर्वग्राही प्रेमभाव से हर समय उसका पछा पकड़े रहता है। उस प्रेमभाव को वह अपनी अखण्ड निष्ठाम सेवा के द्वारा ब्यक्त करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए मृत्यु को भी खुशी-खुशी गले लगा लेता है। परन्तु अपने मन, वाणी और कर्म से संसार के किसी भी प्राणी को कट नहीं देता।

सत्याग्रह का एक और अर्थ किया जाता है और वह है गांधीजी द्वारा प्रचारित अन्याय विरोध का अहिंसात्मक प्रत्यय प्रतिकार। उसका स्पष्टीकरण आगे किया जायगा।

: २ :

सत्याग्रह का पूर्व इतिहास

सत्याग्रह का पूर्व इतिहास बताने के पहिले पाठकों को यह दिखाना आवश्यक है कि इस पुस्तक के लिखने का प्रधान उद्देश्य एक सामाजिक शास्त्र के रूप में सत्याग्रह की उपयोगिता सिद्ध करना है। व्यक्तिगत सत्याग्रही बहुत से हो गये हैं। पुराणों, आख्यायिकाओं तथा जीवनचरित्रों में उनका घर्षण है। अनेक आध्यात्मिक और धार्मिक उपदेशकों ने धार्मिक जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों या छोटे छोटे समूहों के लिए जीवनमार्ग के रूप में सत्याग्रह पर जोर दिया है। लेकिन निश्चयपूर्वक यह बात कहने का श्रेय गांधीजी को ही है कि केवल अहिंसा के द्वारा ही 'सत्य की साधना हो सकती है और अलग-अलग समूहों और राष्ट्रों के विरोध का अन्त रखने के लिए भी हस मार्ग का अवलम्बन किया जा सकता है। 'दीदान आफ इनिंयन फ्रीडम' नामक पुस्तक के लेखक ने बिलकुल ठीक ही कहा है कि—“इक्के दुके व्यक्तियों के लिए ही नहीं बल्कि समूहों और समूहों राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय मरणों का अन्त करने के लिए सत्याग्रह या अहिंसात्मक प्रतिकार को शास्त्र की भाँति काम में लाने का मार्ग विस्तार कर विचार-जगत् को गांधीजी ने शायद सबसे ज्यादा महत्व की देन दी है।” प्राचीनकाळ में सामूहिक रूप में सविनय प्रतिकार के उदाहरण शायद ही मिलेंगे। अगर भूल-चूक में कोई उदाहरण मिल भी जाय तो उस आंदोलन की पद्धति के मूलभूत सिद्धान्तों में गांधीजी

जैसी स्थष्ट और सुसंगत विचारधारा किसी भी नेता की दिखाई नहीं देती। उस मार्ग को किसीने शास्त्र या विज्ञान और कला के दर्जे तक पहुँचाने का प्रयत्न भी नहीं किया। फिर गांधीजी के तन्त्र में उपवास का जो स्थान है वह तो अद्वितीय ही है। अबतक सत्याग्रह के सम्बन्ध में जो छुँछली कहपनाएँ बातावरण में घूम रही थीं उन्हें मूर्त रूप देने का काम तो मानो गांधीजी के लिए ही सुरक्षित था। अहिंसात्मक युद्ध के अचूक तन्त्र को उपस्थित करने का काम तो एक उन्हींने किया है। मानवी घटनाओं के द्वेर में से उन्होंने लोहे का एक जंग लगा दुकड़ा डाढ़ा लिया और उसीको चमकदार फौलाक बना दिया। और आज उस शब्द में ऐसी गजब की शक्ति समा गई है कि वह इस खूबी से अन्याय का प्रतिकार कर सकता है कि जो शब्द चलाता है उसका और जिसके लिलाफ वह चलाया जाता है उसका भी हित साधन करता है और साथ ही अन्यायी को बोर्ड नुकसान नहीं पहुँचाता।

सत्याग्रह के पूर्व हितिहास पर प्रकाश डालने के पूर्व उसके प्रमुख सिद्धान्तों का संक्षेप में वर्णन करना आवश्यक है।

सत्याग्रह प्रेम का—सबके प्रति प्रेम का—सिद्धान्त है। वह दूसरों को आत्मीयता की दृष्टि से देखता है। 'हम करें सो कानून' के वह विलुप्त दूसरे सिरे पर है। सत्याग्रही के लिए प्राणीमात्र एक-से हैं। दूसरों के साथ भी वह अपने जैसा ही व्यवहार करता है। दूसरोंमें वह अपना ही न्यक्तित्व देखता है। सत्याग्रही केवल प्रेम अथवा अहिंसा के द्वारा ही सत्य की साधना करता है। सेवा और स्वाग के द्वारा वह सबका हित साधन करने का प्रयत्न करता है। जो प्रेम पर अधिहित है। वह उसका जीवन घर्म ही है। यदि किसीने उसका रास्ता रोक दिया अथवा उसके कर्तव्य में बाधा डाली अथवा उससे असंगत जीवन अवशीत करने का प्रयत्न किया तो उसके प्रतिकार के लिए दूसरों को कष देने के बजाय वह सुद उसे डढ़ा लेता है। सत्य के लिए वह अपने

प्राणों की भी बाजी लगा देता है। यदि उसे अपने विपथगामी भाइयों के आक्रमण से मृत्यु का सामना करना पड़ा तो वह उसे आत्मा की शरीर पर विजय समझता है। असत्य के सामने सिर झुकाने के बजाय वह शरीर-त्याग करके आत्मा को मुक्ति प्रदान कर देगा। राज्य-प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा का खून करने से मनुष्य को क्या लाभ? वह मानता है कि प्रेम के द्वारा सत्य-साधना करने के लिए शरीर एक साधन मात्र है। सत्य या अहिंसा के मार्ग से वह तनिक भी विचलित नहीं होता। चाहे कैसी ही यातनाएं सहना पड़े उसके हृदय में विरोधियों के लिए थोड़ी-सी भी कटु भावना को स्थान नहीं भिजता।

सत्याग्रही आत्माओं के साथ अपने शारीरिक बल से न तो लड़ता है न विरोध ही करता है। बलिक वह सब कुछ हँसते-हँसते सहन करता है। इतना ही नहीं मौका पड़ने पर उसके हाथों मरना भी पसंद करता है। शक्ति होते हुए भी उसमें बदला लेने की भावना नहीं होती। उसका इस अनितम निष्ठा पर आधार रहता है कि महज मेरे कष्ट सहन से ही विरोधी का अज्ञान स्वार्थ और साहस कृट जायगा। विरोधी को उसकी गलती अनुभव कराने का एक भी उपाय वह बाकी नहीं खोड़ता। लेकिन इसके साथ विरोधी के द्वारा किया गया अपमान और कष्ट-सहन भी जारी रहता है। और ऐसा करते हुए विरोधी के प्रति उसके हृदय में अजहद सद्भाव रहता है।

सत्याग्रह जग और जीवन देखने की एक वृत्ति है। वह कोई इक्की-दुक्की कृति या कृतियों की माला नहीं है, बलिक जीवन की एक रचना है। वह एक प्रेरणा है जो जीवन धारण करती है, उसे प्रगति-शील बनाती है और जो भिज-भिज उत्पादक कार्यों और निर्माणों के रूप में अभिष्यक्त होती है और विकासशील शक्तियों से सुखंगत जीवन व्यतीत करती है। जीवन की और देखने की यह वृत्ति सत्याग्रही को सत्य को फैलाने और व्याय को अवाधित रखने के लिए

प्रवृत्त करती है। केवल युक्तियुक्ति और नैतिक मूल्य ही उसके जीवन की कसीटी होती है।

सत्याग्रही किसीको शान्तिभाव से नहीं देखता। हर शख्स उसके लिए मित्र, साथी और भाई होता है। मनुष्य की सहज सद्ग्रहणता पर उसका अटल विश्वास होता है और वह मानता है कि मेरे मानव बन्धुओं की नीतिभ्रष्टता हमेशा कायम रहने वाली नहीं है। सत्याग्रही अन्याय का प्रतिकार शारीरिक बल से नहीं करता। वह तो उसे धैर्य से हँसाया रहकर सहन करता है और इस प्रकार अन्यायी के हृदय को स्पर्श करने की कोशिश करता है। वह अन्याय और अन्यायी दोनों में बड़ा अन्तर मानता है। दुःख और कष्ट की मिटाने का प्रयत्न करते हुए वह अन्यायी को अन्याय का अनुभव कराने का प्रयत्न करता है। वह विरोधी के भी मन में अपने नैतिक बचाव का भाव जाग्रत करता है। वह विरोधियों को भी यह अनुभव करा देता है कि उसके मन में उनके लिए प्रेम और आदर है और वह उन्हें तकलीफ पहुँचाना नहीं चाहता। सत्याग्रही के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि वह अन्यायी को तुकसान पहुँचाते हुए अन्याय का अन्त किस प्रकार करे। स्वयं कष्ट उठाकर और विरोधी को उसकी शारीरिक सुरक्षा का आश्वासन देता है और इस तरह उसे अपने अन्यायपूर्ण ध्यवहार पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। इस प्रकार उसका आकर्षण विरोधी के मन पर होता है और अन्याय को जड़ से ही उत्थाने की कोशिश करता है।

अनुभवी सत्याग्रही के ये मुख्य गुण धर्म हैं। यदि सभी लोगों में सामूहिक रूप से ऐसा ध्यवहार किया जाय तो सत्याग्रह के व्यक्तिगत गुण सामाजिक शक्ति में परिवर्त हो जाते हैं। यदि हम प्राचीन काल पर इष्टि ढालें तो साधु-सन्तों में व्यक्तिगत सत्याग्रह के बहुत-से उदाहरण मिलते हैं। लेकिन बुद्धिपूर्वक एक सामाजिक-शक्ति के रूप में सत्याग्रह के अवलम्बन करने के उदाहरण शायद ही मिलेंगे। वके-वके

साझे-सन्तों और धर्मोपदेशकों ने ही अपने निजी जीवन में इस प्रवृत्ति का अवलम्बन किया था। लेकिन धार्मिकता की छाप लगे हुए उनके जीवन से जन-साधारण का नाता टूट गया था। सम्पत्ति, सत्ता, महस्व-कांडा, स्वामित्वभाव और शासन आदि बातों से युक्त राजनीति तथा व्यापार-धन्धे से उनमें से बहुत-से आदमी अलिंप रहते थे और समाज से अलग रहकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसलिए धर्म, राजनीति, वेदान्त और व्यवहार का एक-दूसरे से कोई सम्बन्ध ही नहीं रह गया था। इसीसे धार्मिक जीवन में कुछ तथा दैनिक व्यवहार में कुछ, व्यक्तिगत जीवन में कुछ और राष्ट्रीय या सामाजिक जीवन में कुछ, व्यक्तिगत जीवन में कुछ और राजनीतिक जीवन में कुछ इस प्रकार के हुतफों नैतिकमूल्य समाज में प्रचलित हो गये। जीवन के एक चेत्र में जो सद्गुण था वही दूसरे चेत्र में दुरुण माना जाने लगा। व्यक्तिगत और निजी जीवन में सत्य एक गुण माना जाने लगा। परन्तु राजनीति और राजनीतिकता में वह नुकसान का सौदा हो बैठा। निजी जीवन में किसीका खून करना पाप माना गया तो देश-भक्ति के नाम पर युद्ध में उसीकी जयजयकार होने लगी। जो सम्भवता, भलमनसाहत, स्पष्ट-वादिता पारिवारिक जीवन में सद्गुण कहे जाते हैं उन्हींपर अन्तर्राष्ट्रीय अथवा भिन्न-भिन्न समूह के पारस्परिक व्यवहार के समय मालायकी का सिफा लगने लगा। इस दुमुखी नीति को भिटा देना गांधीजी के जीवन का उद्देश्य है। वे जो यह कहते हैं कि मैं राजनीति को आध्यात्मिक बनाना चाहता हूँ तो उसका यही अर्थ है। वे चाहते हैं कि एकमात्र सत्य की कसौटी पर कसकर ही सब बातों का मोक्ष ठहराया जाय और उस सत्य की स्थापना कष्टसहनयुक्त प्रेम की भित्ति के ऊपर हो।

भिन्न-भिन्न राष्ट्रों की कहानियां व पौराणिक कथाओं में सत्याग्रह के अनेक उदाहरण पाये जाते हैं। कष्टसहन के मार्ग का अवलम्बन करने वाले बहुत-से व्यक्ति पहिले हो गये हैं। और उनमें आत्मरक्षा के लिए सविनय प्रतिकार करने के उदाहरण अबादा हैं। वे आध्यात्मिक

जीवन का अवश्यकत्व करके ऐहिक सुखों के प्रति उदासीन हो गये थे। उनमें से बहुत-से लोगों ने जीवन के अन्य शर्णों को छोड़ दिया था। कह दिये जाने पर उन्होंने प्रतिकार के अपने-अपने स्वतन्त्र मार्ग प्राप्त कर लिये थे। इस विषय के अनेक मजेदार उदाहरण हैं। परन्तु यदि उन्हें देने खांगे तो एक स्वतन्त्र अन्य ही बन जायगा। लेकिन जिन व्यक्तियों ने गांधीजी के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाला उनके एक-दो उदाहरण दे देना बस होगा।

प्रह्लाद और हरिश्चन्द्र के दो उदाहरण हम ज़ेरोंगे। बचपन में ही गांधीजी के हृदय पर इन दोनों का सिफ्का जम गया था। उन्होंने अपने भाषणों में बार-बार प्रह्लाद का उल्लेख किया है और अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हरिश्चन्द्र नाटक का उनपर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है।

प्रह्लाद एक छोटा-सा ईश्वर-भक्त बालक था। उसका पिता नास्तिक था। ईश्वर के अस्तित्व को न मानने के कारण उसने अपने बेटे से कहा कि तुम हैश्वर का नाम भत लो। लेकिन बेटे ने नाम लेना नहीं छोड़ा। तब पिता उसे तरह-तरह के कह देने लगा। मारपीट, यन्त्रणा तथा दूसरे प्रकार आजमाये गये लेकिन बेटा टस-से-मस नहीं हुआ। जितना ज्यादा उसे कह दिया जाता था वह उतना ही ज्यादा हृदता से हैश्वर का नाम लेता था। वह हमेशा हैश्वर से प्रार्थना करता था कि प्रभो इनको अपने अस्तित्व का परिचय कराओ। अन्त में प्राप का घड़ा भर गया। हैश्वर ने अवतार लिया और वह उस निर्देश पिता को दयड़ देने लगा। बेटे ने बीच में पड़कर पिता को छुड़ाया, फिर तो बाप भी बेटे की ही भाँति हैश्वर-भक्त बन गया।

राजा हरिश्चन्द्र की कथा हस्से भी अधिक हृदय-स्पर्शी है। उसने एक बार स्वप्न में विश्वामित्र ऋषि को अपना राज्य दान कर दिया। दूसरे दिन राजा अपने कुछ लोगों से स्वप्न की बात कह रहा था कि हृतने में ही विश्वामित्र ऋषि वहां आ पहुँचे और कहा—‘जाओ मेरा

राज्य ! राजा हृतका सत्यनिष्ठ था कि उसने अपना सारा राज्य उन्हें दे द्वाला और अपनी पत्नी व बच्चे के साथ केवल शरीर पर पहिने हुए कपड़ों को सेकर ही निकल पड़ा । राजा के कष्ट और कसौटी की शुरुआत हुई । परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी । लेकिन राजा के पास तो कुछ बचा नहीं था । उसने रानी से दासी का काम करने के लिए कहा और सबंध काशी-राज के यहाँ नौकर हो गया । इसके बाद उस राजपरिवार ने प्रसवाता से अनेक यातनाएं सहन की और ऐसी अनेक घटनाएं घटीं जिसमें उनकी अत्यधिक सत्य-निष्ठा का परिचय मिला । अन्त में काशी-राज की आङ्गा से हरिश्चन्द्र अपनी रानी का सिर काटने ही बाला था कि विश्वामित्र प्रकट हुए । हरिश्चन्द्र का हाथ जहाँ-का-तहाँ पकड़ कर कहने लगे—“हे राजा, तुम्हारे बराबर सत्यनिष्ठ श्रिभुवन में कोई नहीं है । मनुष्यमात्र में अकेला तू ही सत्यवादी है ।” नाटक देखने के बाद गांधीजी ने मन में कहा कि सब लोग राजा हरिश्चन्द्र की तरह क्यों नहीं हो जाते ।

यदि हम ऐतिहासिक काल की ओर दृष्टि ढालते हैं तो हमें बुद्ध और महावीर दिखाई देते हैं । इन दोनों ही ने धार्मिक सिद्धान्त के रूप में अहिंसा की शिक्षा दी है । इसके बाद आते हैं महात्मा ईसा । सुकरात भी हैं । हाफिज और सरमद नामक महान् सूफी संतों के नाम भी हम सुनते हैं । नन्दनानार, तुकाराम, कनकदास को तो हम जानते ही हैं । इन सबके जीवन में सत्याग्रही वृत्ति के स्वरूप उदाहरण मिलते हैं । कष्ट देने वालों के प्रति किसी भी प्रकार की कटूता न दिखा कर सुकरात ने विष का प्याला पी लिया था । अथेन्स के नवयुवकों को बहकाने का हृजाम उसके ऊपर लगाया गया था । तुकाराम को तो उनके निकट के लोगों ने ही तरह-तरह से कष्ट दिये । लेकिन उन्होंने उनके सिलाफ चूँ तक नहीं किया । पृक्नाथ के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उनपर लोगों ने बीस बार थूका; लेकिन प्रत्येक बार बिना कोध किये ही वह वापिस नदी पर जाकर स्नान कर आते थे ।

अन्त में थूकने वाले थक गये और २१ वीं बार उन्हें किसीने न लेका। जब असूत होने के कारण कनकदास को उषपी देवालय के गम्भैर्य में प्रवेश नहीं करने दिया गया तो मन्दिर के एक किनारे पर बैठकर भगवान् का भजन करने लगे। कहा जाता है कि एक दिन भगवान् ने कनकदास की ओर अपना सु'ह फेरा तो पुजारी यह देखकर चकित हो गये। बाद में लोगों ने उस दीवार में एक खिलकी बना दी और आज भी वह खिलकी 'कनकाची खिल' के नाम से मशहूर है। महात्मा ईसा के बलिदान तो सब लोग जानते हैं। इन सब उदाहरणों में दिखलाया गया है कि शरीर तो अमर आत्मा का एक नश्वर साधनमात्र है। आत्मा के इच्छ स्वरूप रूपी सत्य की रक्षा के अतिरिक्त शरीर का और क्या उपयोग हो सकता है। हमारा अन्तःकरण जो कुछ देखता है और जिसपर गहरी निष्ठा व निश्चय से विश्वास करता है उसके अलावा सत्य और क्या हो सकता है?

सभी धर्मों ने अहिंसा, जीवदया, निवैर, निष्कपटता और प्रेम पर जोर दिया है। 'अहिंसा परमो धर्मः' अर्थात् अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म या कर्तव्य है। यह जैन और बौद्ध धर्म का मूल सिद्धान्त है। उसको अचुणण रखकर हिन्दू धर्म आगे कहता है—'सत्याननासि परो धर्मः।' अर्थात् कोई भी धर्म या कर्तव्य सत्य से बढ़कर नहीं है। इस प्रकार सत्य और अहिंसा हिन्दू धर्म के प्रधान सूत्र हैं। जब एक बार गांधीजी से यह पूछा गया कि प्रेम या अहिंसा से सत्य को ज्यादा महत्व क्यों दिया गया है तो उन्होंने निश्चित उत्तर दिया कि अन्त में सत्य ही सबसे अच्छा है। सत्य में सबका समावेश हो जाता है और वह सबसे परे है। इस्लाम शब्द का अर्थ भी शान्ति ही है। इस्लाम धर्म हस बात का प्रतिपादन करता है कि सबमें शान्ति छा जाय। बिना प्रेम-भावना के शान्ति असंभव है।

सुकरात की भाँति ईसा का फांसी पर लटक जाना भी सत्य के लिए किये गये दिल्ली बलिदान का उदाहरण है। महात्मा ईसा के

जीवन में सत्याग्रह के सिद्धान्त ज्यादा स्वरूप और निश्चित रूप में दिखाई देते हैं। 'सरमन आँन दी माडन्ट' में 'अन्याय का प्रतिकार (अन्याय से) मत करो' जैसे वाक्य सत्याग्रह द्वारा सुचित जीवन-क्रम पर प्रकाश डालते हैं। आज सत्याग्रह को उससे भी ज्यादा अधिक अर्थ प्राप्त हो गया है। शतानिदिवों से यह शब्द विकास पाला आ रहा है। गांधीजी ने उसे अपने पूर्णरूप में प्रकट किया है। तुद और ईसा दोनों ने ही अपने जीवन में अहिंसा सिद्धान्त का अवलम्बन किया और लोगों को भी उसके अनुसार चलने का आदेश दिया। लेकिन राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को हख करने के लिए सत्याग्रह का आश्रय लेने का उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता।

: ३ :

सत्याग्रह की उत्पत्ति

अब हमें इस जीवनपद्धति के उद्गम की खोज करनी है और देखना है कि गांधीजी ने किन कारणों और संस्कारों से इसे एक सुधार कराने वाले शब्द का रूप दिया है।

जीवन की श्रोत्र देखने की इस वृत्ति का उद्गम हमें कौटुम्बिक लेन्स में ही दूँड़ना चाहिए जो कि माया, प्रेम और सतत सहबास के बंधन से बँधा है। कौटुम्बिक जीवन में द्वेष, विनाश और भय के लिए स्थान नहीं है। द्वेष तो पूरी तरह विनाश कर देने वाले बादल की भाँति है। वह एक अंधा-शक्ति है। मानो एक अंधामुन्द्र जलने वाली ज्वाला ही है। प्रेम, पारस्परिक सद्भावना और आदर कौटुम्बिक जीवन के आधारस्तम्भ हैं। प्रेम का अर्थ है दूसरों को आत्मदृष्टि से देखना। हम अपने से अत्यन्त प्रेम करते हैं। यदि हम सब लोगों को

आत्मीयता की दृष्टि से देखने लगें और अपनी अपेक्षा दूसरों को ज्यादा प्रेम करने लगें तो यह प्रेम का सर्वोच्च शिखर होगा। यदि सच्चे सेवा-कार्य के द्वारा यह प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो वह अर्थहीन है। प्रेम की सफलता कार्य से ही प्रगट होती है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए सेवा और त्याग-भाव से अपने आपको ल्पा देने में ही प्रेम की सफलता है।

आदर्श कौटुम्बिक जीवन में पाले जाने वाले सिद्धान्तों को सरे मानवी सम्बन्धों पर लागू करना ही सत्याग्रही के जीवन की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए बाह्यिक में कहा है—जोगों से तुम जैसे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो, वैसा ही व्यवहार तुम उनके साथ करो—क्योंकि यही धर्म है और यहीं पैगम्बरों की शिक्षा है। गांधीजी का कहना है कि उन्होंने सत्याग्रह का पाठ कौटुम्बिक जीवन में ही सीखा है। जैसे-जैसे वे बड़े हुए वैसे-वैसे वे संसार को एक बड़े कुदुम्ब के रूप में देखने लगे और अन्त में ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ ही उनकी वृत्ति हो गई। वस्तुतः गांधीजी इससे भी आगे गये। केवल मनुष्य ही नहीं, उन्हें तो प्राणीमात्र परिव्रत मालूम होते थे और वे प्रत्येक प्राणी को अपना आत्मीय मानते थे।

प्रेम के आधार पर खड़े हस सम्बन्ध का जन्म सब जीवों के साथ समरस या एकरूप हो जाने की जन्मजात एवं गृह अनुभूति में पाया जाता है। गांधीजी कहते थे कि—‘जो अपने विरोधियों के साथ एक-रूप हो सकता है वही उनके प्रहार पुण्य-दृष्टि की भाँति सहन कर सकता है।’ इस प्रकार की एकरूपता की उत्कट अनुभूति हुए विना कोई मनुष्य खून करने के लिए कठिनदृष्टि को खून करते समय सांप के काट लेने पर यह कैसे कह सकेगा कि मैं हसका विष छूंगा? इस एकरूपता के भान का अनुभव करना कठिन नहीं है। आज तो भौतिक विज्ञान भी इस नतीजे पर पहुँच गया है कि सरे जड़-पदार्थों में एक ही आदिशक्ति निवास करती है और वही विविध

रूपों में सजी हुई दिखाई देती है। पृष्ठोलक हक्सले के शब्दों में कहें तो “एक ही पदार्थ के भिन्न-भिन्न रूपों से इस जड़ विश्व की रचना हुई है।” यदि सर्वसाधारण जड़ वस्तुओं पर यह नियम लागू होता है तो सूखम वस्तुओं पर तो और भी ज्यादा लागू होगा। जिसे यह विश्वास हो गया है कि सारे जीवमात्र, सारी चेतना और सारी चित्-शक्ति एक ही है, उसके लिये यह बात सूर्य के प्रकाश की भाँति स्पष्ट है। उसका ध्यान इस बात की तरफ नहीं जाता कि ज्ञोग उसकी अनुभूति को किस दृष्टि से देखते हैं। इस अनुभूति में ही हमें प्रेम का उद्गम हाथ आता है। जब किसीके प्रति आत्मीयता अनुभव होने लगती है तो उसके प्रति प्रेम अवश्य उत्पन्न होता है। ऐसा हुए विना गति ही नहीं है। सत्याग्रही इस बात को नहीं भावता कि केवल रिश्तेदार ही उसके कुटुम्बी हैं। जब गांधीजी यह कहते हैं कि सारा विश्व ही मेरा कुटुम्ब है तो वह कोरो अलंकारिक भाषा नहीं होती। वह उनकी सच्ची भावना है व उन्हें इसकी गहरी अनुभूति रहती है। वे इसी अनुभूति में मग्न रहते हैं और उनकी नस-नस में वह उल्लसित भावना खेलती रहती है।

प्रेम और उदारता के सिद्धान्त पर चलने वाले सारे सन्तों या सत्याग्रहियों की हर प्रकार के विरोध के सम्बन्ध में व्यक्तिगत प्रतिक्रिया एक ही होती है। गांधीजी की विशेषता यह है कि उन्होंने इस कौटुम्बिक शास्त्र को उठाकर जीवन को सम्पूर्ण समस्याओं के लिए उसका अलम्बन किया। वे हतना ही कहते थे कि—“कौटुम्बिक लेन्ड की ही भाँति राज-नैतिक लेन्ड में भी उसका उपयोग किया जा सकता है।” इतना ही नहीं वे तो आगे बढ़कर यह भी कहते थे कि ‘जो कौटुम्बिक लेन्ड में असफल लिद्द हो जाता है वह यदि सामाजिक और राजनैतिक लेन्ड में उसका अवलम्बन करता है तो वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता।’ यदि एक लेन्ड में हम असफल हो गए तो दूसरे लेन्ड में सफलता प्राप्त करना असम्भव ही समझिये।

आहये, अब यह देखें कि इस महान् मार्ग का प्रश्नम् कैसे दुष्ट और सत्याग्रह का आदर्श माने जाने वाले गांधीजी के जीवन में वह कैसे बढ़ता गया।

गांधीजी मानते थे कि सत्याग्रह एक जीवन-मार्ग है। वे उसे केवल शब्द के रूप में नहीं देखते थे। यदि प्रेम के साथ किये जाने वाले सत्य का आग्रह लोब दे तो गांधीजी का जीवन लोचना मालूम होगा। क्षेकिन हम यहाँ सत्याग्रह के उसी पहलू पर जोर देने वाले हैं तिसकी बजाए से उसे सामाजिक शक्ति का रूप प्राप्त होता है। अनेक महान् तत्त्वों का साहस और निर्भयतापूर्वक आचरण करने के कारण गांधीजी का जीवन असाधारण हो गया था। वे उच्च-कोटि के कर्मयोगी थे और इसीलिए उन्होंने सत्य, प्रेम और अहिंसा इन दिव्यतत्त्वों के द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रश्न हल करने के प्रयोग करने का प्रयत्न किया था। नहीं तो यह समझा जाता था कि ये सिद्धान्त के बजाय थोड़े-से व्यक्तियों के लिए ही हैं। उन्होंने अपने इस अपूर्व प्रयत्न से इस दुरुक्षापन और गुस्ता को नष्ट कर दिया और उनकी कोशिश थी कि सब जगह मूल्य की एक ही कस्ती प्रचलित हो जाय। उनके मार्ग में किसी भी प्रकार की टाक्कमटोल या दुरुक्षापन का कोई स्थान नहीं था। उनके मतानुसार जीवन अविभाज्य है। व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन, धर्म और राजनीति, व्यक्तिगत गुण और सार्वजनिक सदृगुण को निष्ठा-निष्ठा हठिकोयों से देखना ठीक नहीं। यदि हृश्वर के साथ बेहमानी नहीं करना है तो वह किसीके भी साथ नहीं की जा सकती। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रचलित विश्वासों को जोर का घोड़ा देकर समाज को नहीं तरह से विचार करने के लिए प्रेरित किया है। सत्य-सम्बन्धी अपने आग्रह के बदौलत ही वे ऐसा कर सके। उनका सम्मर्द्द जीवन मानो सत्याग्रह (सत्य के लिए, किये गए आग्रह) का एक प्रयोग था। अपने सत्य के लिए उनमें हठ-दुरुग्रह नहीं। वे नहीं चाहते थे कि उनके प्रयोग बाह्य लियमों में जब्ल दिये जायं था वे यह

सम्बद्ध का जामा पहन लें। सत्य आरों और से हर तरह जकड़ा नहीं जा सकता। वह जीवन के साथ बहता है और जीवन उसपर तैरता है। गांधीजी चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपना सत्य हूँक ले और बड़ी-से-बड़ी कीमत देकर भी उसीका अवलंबन करे।

गांधीजी की सत्य-संवैधी उस्कटा नैसर्गिक थी। मूठ की उनके पास बिल्कुल गुजर नहीं थी। इसीलिए वे अनेक कठिन प्रसंगों पर बच गये और उन्हें सत्याग्रह का अनुपम मार्ग दिखाई दिया। वे लिखते हैं—“एक सिद्धान्त मेरे मन में बैठ गया है, वह यह कि नैतिकता सब बातों की जड़ है और सत्य नैतिकता का सार है। इस प्रकार सत्य मेरा एकमात्र उद्देश्य-ध्येय बन गया है।” जल्दी ही उन्हें ऐसा भी अनुभव हुआ कि सत्य किसी भी हालत में हिंसा को स्वीकार नहीं कर सकता। महानुभूति और सहमशीलता की सहायता से ही अपने विरोधी को जीतना चाहिए और सहमशीलता का नाम लेते ही कष्ट-महन आ जाता है।

बाल्यावस्था में उनके सत्यप्रेम ने ही उन्हें मांसाहार से बचाया और पिता के सामने चोरी स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। इंग्लैण्ड में वे अपने सत्यप्रेम की बदौलत ही शराब और परसी के चक्कर से बच सके। सत्याचरण करने की उन्होंने प्रतिज्ञा ही कर ली थी।

इसीके साथ उनकी प्रे-मनिषा अर्थात् अहिंसा का योग हो गया। गांधीजी के प्रारंभिक चरित्र-लेखक जोसेफ डोक ने गांधीजी की इस प्रारंभिक काल की ममः-स्थिति पर भी अच्छा प्रकाश ढाला है। उन्होंने गांधीजी से प्रश्न पूछा—“अहिंसक प्रतिकार की कल्पना सबसे पहले आपको कैसे सूझी?” गांधीजी ने उत्तर दिया—“(स्यामज्ज भृत्यचित) गुजराती कविता की एक कवी जिसे मैंने बचपन में पाठशाला में सीखा था, किस प्रकार मेरे मन में बस गई थी, यह आज भी मुझे याद है। उसका सारांश इस प्रकार है—‘यदि कोई तुम्हें पानी पिलावे और तुमने भी बदूँ में डसे पानी पिलाया तो उसका कोई महत्व नहीं है।

अपकार के बदले उपकार करने में ही सबी खूबी है।’ वचन में ही इस कविता ने मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया था और मैं इस शिक्षा को अपने जीवन में टालने के लिए शक्तिभर प्रयत्न करने लगा। इसके बाद मैंने बाह्यिक के ‘सरमन ओँ दी माडॅट’ वाले अंश को देखा।’ श्री डॉक ने कहा—‘लेकिन भगवद्गीता उसके पहले ही देख चुके थे न?’ गांधीजी ने उत्तर दिया—‘नहीं, भगवद्गीता के श्लोक मुझे बहुत अच्छी तरह कठश्य थे; लेकिन उनकी शिक्षाओं का मैंने उस दृष्टि से अध्ययन नहीं किया था। वास्तव में तो मुझे ‘न्यू टेस्टामेंट’ के द्वारा ही अहिंसक प्रतिकार की अचूकता और महस्त मालूम हुआ। ‘अत्याचारी का प्रतिकार मत करो, बहिं जो तुम्हारे सीधे गाल पर चाँड़ा भारे उसके सामने बांधा गाल भी कर दो’ और ‘अपने शत्रु को प्रेम करो और हृश्वर से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे सताने वाले का भी भला करे जिससे तुम हृश्वर के प्यारे बनो।’ ऐसे वचन मैंने ‘सरमन ओँ दी माडॅट’ में पढ़े और मुझे इनसे अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ। मुझे अनुभव हुआ है कि जिस समय थोड़ी-सी भी आशा नहीं थी, मेरे मत को समर्थन प्राप्त हुआ है। यह परिणाम भगवद्गीता के द्वारा अधिक दृढ़ हुआ और टालस्टाय की पुस्तक ‘बैकुण्ठ-तुम्हारे हृदय में है’ के द्वारा इसे स्थायी स्वरूप प्राप्त हुआ।’ श्री डॉक आगे लिखते हैं कि गांधीजी के मन पर काउन्ट टालस्टाय का प्रभाव निश्चित रूप से बहुत पड़ा है।

सत्याग्रह की ओर उनको आकर्षित करने में उनके प्रति कस्तूरबा का द्यवहार बहुत महस्त रखता है। गांधीजी कहते हैं—‘मैंने अपनी पत्नी से अहिंसा का (सत्याग्रह का) पाठ पढ़ा। मैंने उसे अपनी हँस्ता के सामने मुकाने का प्रयत्न किया। उसने एक और मेरी हँस्ताओं का दृढ़तापूर्वक विरोध किया और बूसरी और मेरी मूर्खता के लिए मूक रहकर कष्ट सहन किया। मुझे अन्त में इससे अपने आप पर ही शर्म आने लगी और अपने इस विचार का कि मेरा जन्म ही उसपर

कुरुक्षेत्र चलाने के लिए हुआ है, मुझे पागलपन दिखाई देने लगा। अंत में अहिंसा के मामले में वह मेरी गुरु बनी और अनजान में ही उसने अपने लिए जिस सत्याग्रह का अवलोकन किया उसीके नियमों का विस्तारमात्र मैंने दक्षिण अफ्रीका में किया।”

एक बार जब इन विचारों के बीज गांधीजी के मन में जम गये तो फिर उनमें अंकुर आने लगे। दक्षिण अफ्रीका में मारिस्सवर्ग, पार्डेवर्ग, जोहान्स्बर्ग, प्रिटोरिया और डरबन आदि स्थानों में उन्होंने सुदूर जो अनुभव प्राप्त किये उनसे सत्याग्रहमण्ड़ंग पर वे आगे बढ़ते चले गये और उस देश में सामूहिक आंदोलन चलाने में भी समर्थ हुए।

पार्डेवर्ग का १८६३ का एक प्रसंग मनन करने योग्य है। सत्याग्रही विचारधारा के सारे तत्त्व उसमें समाविष्ट हो गये हैं।

सत्य उनके पक्ष में था। अंत तक स्वयं कष्ट सहने और विरोधी को कष्ट देने के बजाय उसके मन को जीत लेने की उनकी तैयारी थी। वे प्रेम-भाव से विरोधी के क्रोध को जीत लेना चाहते थे। उनके अहित-चितन का विचार भी उनके मन में नहीं आया था और शक्ति, मौका तथा अनुकूलता मिलने पर भी उन्होंने उसका बदला नहीं लिया।

मन् १८६६ में जब वे हिन्दुस्तान से दक्षिण अफ्रीका लौटे तब बंदरगाह पर उनको मारने के लिए कुछ यूरोपियनों का मुण्ड इकट्ठा हो गया था। गांधीजी जिस कूलेंशड नामक जहाज से सकर कर रहे थे उसके कस्तान ने उनसे पूछा—‘अब आपकी अहिंसा का क्या होगा?’ हसपर उन्होंने उसी समय उत्तर दिया—“मुझे आशा है, भगवान् मुझे धैर्य प्रदान करने की शक्ति देगा और उन्हें अदालत में ले जाने के विचार से दूर रखेगा। मुझे उनपर जरा भी रोष नहीं। मुझे तो केवल उनकी संकुचित भावना पर लेंद होता है।” यह उत्तर किसी भी आदर्श सत्याग्रही को शोभा देने योग्य है। अन्याय का प्रतिकार अहिंसा से करना ही सिर्फ गांधीजी का ध्येय नहीं था बल्कि अपकार का बदला उपकार से देने की दृष्टि और कार्यक्रम प्रवृत्ति भी

उसके साथ खुशी हुई थी। श्री चोक ने अपने चरित्र में गांधीजी के उद्गमार हस प्रकार दिये हैं—“मुझे सत्याग्रह का ‘निःशक्त प्रतिकार’ नाम पसंद नहीं है। मेरा हण्डित अर्थ उससे अभिव्यक्त नहीं हो सकता; उससे मार्ग का बोध जरूर होता है परन्तु जिस विचारधारा का वह एक भाग-मात्र है उसका पूरा चित्र हमारे दिमाग में उस नाम से नहीं लिखना। वास्तविक सौंदर्य—और वही मेरा व्यय है—दुःख देने वाले का भी भखा करने में ही है। इतने पर भी मैं उसी नाम का प्रयोग करता हूँ। (उस समय तक गांधीजी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग करना आरंभ नहीं किया था।) क्योंकि प्रचलित होने से उसे सब लोग जानते हैं और वर्तमान समय में मेरे अनुयायियों में से बहुत लोगों की ममकर्म में इतना ही आ सकेगा। मेरे अपने मत से (श्वामङ्क भट्ट की) गुजराती कविता और ‘सरमन आन दी माडन्ट’ की मुरुख कल्पना सम्पूर्ण जीवन में क्रांति कर देने के लिए पर्याप्त है।”

यदि परिस्थितियाँ वैसी ही होतीं तो गांधीजी एक महान् संत के रूप में ही रह जाते। लेकिन नहीं, उन्होंने साहस से कदम बढ़ाए। उन्होंने सामूहिक रूप में बड़े पैमाने पर सत्याग्रह का प्रयोग किया। इसके आगे सत्याग्रह केवल अपवाद-रूप किसी व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्त्री-पुरुष के पास आध्यात्मिक शक्ति का सजाना भरा रहता है। प्रत्येक के पास रहने वाली इस संपत्ति की कुंजी उन्होंने सबको दिखा दी। मनुष्य कोई ऐसा मास-पिंड नहीं है जो किसी रास्ते चलाते-चलते जालिम अधिकारी के जुलमों का शिकार होता रहे और जिसे किसी प्रकार का सुख-दुःख न होता हो; बल्कि उसके शरीर में आत्मा का निवास है। गांधीजी ने लिखा है—“जालिम अधिकारी सत्याग्रही के शरीर और भौतिक सम्पत्ति पर अपनी सत्ता चला सकता है। लेकिन उसकी आत्मा पर कदापि नहीं। इस मूलभूत सत्य की चेतना के आधार पर ही सत्याग्रह-शास्त्र का उदय हुआ है।” उन्होंने बताया कि प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चा सत्याग्रह का अवर्गबद्ध

कर सकता है। क्या बृद्ध और क्या युवक, क्या उनी और क्या गरीब सब सत्याग्रही हो सकते हैं। उन्हें केवल अपनी मानसिक तैयारी करने की आवश्यकता है। अपनी शक्ति को पहचान लेना चाहिए। जहाँ उन्होंने ऐसा किया नहीं कि वे शैतान का भी सामना कर सकेंगे। वे हमेशा कहते थे—“जो मैं कर सकता हूँ वही हर एक क्षेत्र में कर सकेगा!” उन्होंने लोगों को अपनी आंतरिक शक्ति का परिचय कराया। खोग खिल और निराश हो बैठे थे। सशक्त शक्ति के सामने वे अपने को निरान्त निस्सहाय अनुभव करते थे; लेकिन एक भेदक इष्ट रखने वाला मानवी स्वभाव का अचूक पारस्परी ईश्वर पर अपना भार ढालने वाला और दुर्दम्य इच्छा-शक्ति-संपत्ति एवं न कुछ-सा दिखाई देने वाला भनुष्य आगे बढ़ा और कहने लगा—“तुम दुर्बल नहीं हो, यदि तुम निडर होकर शत्रु का मुकाबला करोगे तो उसकी संगीने भोटी पड़ जायंगी।” उसकी बन्दूकें बेकार होकर रह जायंगी।” और ऐसा ही हुआ।

अहिंसक प्रतिकार के सम्बन्ध में लिखते हुए श्री डोक कहते हैं—“अन्याय का प्रतिकार करने के साधन के रूप में अहिंसा की कल्पना हिन्दू-दर्शन में पिरोई हुई मिलती है। प्राचीन काल में उसे ‘धरना देना’ कहते थे। कभी-कभी सारा समाज राजा के खिलाफ इस उपाय का अवलंबन करता था। पोरबंदर के इतिहास में एक इसी प्रकार की घटना घटी है। वहाँ का सारा व्यापार बन्द हो गया और अहिंसक प्रतिकार को ताकत के सामने राजसत्ता टिक नहीं सकी।”

इस सम्बन्ध में विशेष हेवर ने बहुत बयों पूर्व ही अपनी डायरी में लिख रखा है। धरना देकर बैठने का अर्थ है—‘जबतक हमारी बात न मान ली जाय तबतक उसी आसन पर स्थिर होकर भूखे बैठे रहना।’ और हिन्दुओं का यह विश्वास है कि इस तरह धरना देकर बैठने वाला यदि मर जाय तो वह भूत बनकर उस दुराग्रही प्रतिपक्षी को पछाड़ता है और महान् कष्ट देता है। लेकिन श्री डोक कहते हैं कि इस कल्पना से परिचित होने के कारण हिन्दूस्तानी लोगों ने द्वान्सबाल

में अपेक्षाकृत अधिक उत्परता से उसी अङ्गीकार किया। गांधीजी इस सिद्धांत की उत्पत्ति और प्रगति का सुलासा विश्वकूल मिश्न प्रकार से करते हैं।

सत्याग्रह जैसे तो नहीं, परन्तु सविनय प्रतिकार जैसे दो तरीके हिन्दुस्तान में प्रचलित हैं। घरना अर्थात् अमकर बैठ जाना। इसका अवलम्बन व्यक्ति या छोटे समूह करते हैं। बड़े समूह इसका आश्रय नहीं ले सकते। यदि देनदार लेनदार का रूपया देने से हन्तार कर दे तो लेनदार अक्सर इस मार्ग का आश्रय लेते हैं। भूखा-प्यासा देनदार के द्वारा पर बैठकर वह यह लिह करता है कि उसका कर्ज साचा है। देनदार के प्रति द्वेष या दुरमनी न रखकर वह कष उठाने के लिए तैयार होता है। जो मांग हमको तो न्यायोचित प्रतीत होती है लेकिन जो दूसरों को किसी भी प्रकार मंजूर नहीं हो उसे मंजूर करवाने के लिए नाते-रिश्तेदार भी इस मार्ग का अवलंबन किया करते हैं।

दूसरा तरीका है हड़ताल। किसी भी प्रकार का कष या असन्तोष होने पर हड़ताल करना प्रतिदिन की बात है। अधिकतर हड़ताल किसी बात का विरोध या प्रतिकार करने के लिए या यह दिखाने के लिए की जाती है कि राजा अनिष्ट मार्ग पर जा रहा है या उसका कोई काम निंदा करने योग्य है। सारा ध्यापार-धन्धा बन्द कर देने की अपेक्षा इसका सारा उद्देश्य राजा को ध्यान दिलाना ही होता है। उसे एक योद्धे समय की हड़ताल कह सकते हैं। सार्वत्रिक हड़ताल जैसी लम्बी और ध्यापक हड़ताल का उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता है।

राजा के अस्याचारों से मुक्ति पाने का एक और भी उपाय था—अपना सारा माल-असवाब लेकर देश छोड़ देना। देश-स्थान का अर्थ है पूर्ण असहयोग। कहा जाता है कि यह प्रभावशाली लिद्द होता था।

लेकिन इस सारे विवेचन से यह अच्छी तरह स्पष्ट नहीं होता कि गांधीजी के द्वारा सत्याग्रह का विकास होते हुए उसकी बदती कैसे हुई।

ओं दोक के द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर कि आपको सत्याग्रह औंदोक्षन प्रारम्भ करने का विचार कैसे सूझा। गांधीजी ने उत्तर दिया—“कुछ वर्षों पूर्व नैटाल में मैंने सार्वजनिक कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर प्रारम्भ किया ही था कि अनुनय-विनय आदि के असफल सिद्ध होने पर मेरे मन में आया कि इस मार्ग का अवलंबन सर्वोत्तम सिद्ध हो सकता है। लेकिन भारतीयों की तत्कालीन असंगठित स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रयत्न कर देखना अनुपयोगी प्रतीत हुआ। आगे चल-कर जब एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल पेश हुआ तब जोहान्सबर्ग के हिन्दुस्तानियों में इतनी जबरदस्त खलबली भव गई और उसका प्रतिकार करने के लिए वे इतने निश्चय से संगठित हो गये कि मुझे वह मीका उपयुक्त प्रतीत हुआ। वे कोई-न-कोई प्रत्यक्ष उपाय—सीधी चोट—करते ही; लेकिन मैंने अनुभव किया कि यदि वह बिना लडाई-दंगे का रूप धारणा किये सविनय प्रतिकार के रूप में हो तो वह उपनिवेशों की दृष्टि से सर्वोक्षण रहेगा और कुल मिलाकर भी वह उचित ही होगा। वहां हिन्दुस्तानियों को पार्लिमेंट में भताचिकार प्राप्त नहीं था। यह उम्मीद नहीं थी कि कोई सहूलियत मिलेगी या शिकायतों की सुनवाई ही होगी। इसाई, पादरी जापरवाही दिखाते थे। इसलिए मैंने यह कष्टसहन का मार्ग सुझाया और बहुत बादविवाद के बाद यह भेजूर हुआ। दृष्टिया अफ्रीका में सत्याग्रह के प्रारम्भ का यह बर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्व का है। क्योंकि यह सबसे पुराना अत्यन्त अधिकार-युक्त है और उसी समय का है जब कि यह घटना घटित हुई। दृष्टिया अफ्रीका का सत्याग्रह अपने रंग की पहचान ही बढ़ाई होने के कारण सत्याग्रह के इतिहास में वह सबसे ज्यादा महत्व रखता है और गांधीजी के नेतृत्व में लड़ी जाने वाली पहली ही लड़ाई होने पर भी यह सिद्ध करती है कि उनका उस साधन में सम्पूर्ण विश्वास था और उन्हें निश्चय था कि अन्त में उन्हें सफलता मिलेगी। सा० ११-६-१९०६ को उन्होंने जो भाषण दिया उसमें वे कहते हैं—

“मैं निःशक्त होकर इड़ विचारम के साथ यह कह सकता हूँ कि जबतक मुझी भर लोग भी अपनी प्रतिज्ञा पर एकनिष्ठा से ढटे रहेंगे तबतक इस लडाहू का अन्तिम परियाम एक ही हो सकता है और वह है—विजय।” “दिल्ली अफ्रीका का सत्याग्रह” नामक अपनी पुस्तक में गांधी-जी लिखते हैं—“आगे चलकर इस नाम से जो आंदोलन प्रसिद्ध हुआ उसके जन्म का इतिहास इस प्रकार है।”

चिल्हकुल प्रारंभिक काल में भी गांधीजी को सत्याग्रह के सम्बूर्ध स्वरूप का स्पष्ट दर्शन हो गया था। वह आंदोलन निःशब्द प्रतिकार से एकदम निष्ठा या। आंदोलन के प्रारम्भ में जर्मिस्टन के कुछ सहानुभूतिशील यूरोपियनों ने गांधीजी का भाषण सुनने की हृच्छा प्रदर्शित की। अतः एक सभा का आयोजन किया गया। सभा के अध्यक्ष श्री होस्कन ने कहा—“अपनी मार्ग मंजूर करवाने के दूसरे सारे उपाय असफल सिद्ध होने पर ही दौसवाल के हिन्दुस्तानियों ने निःशब्द प्रतिकार का रास्ता अपनाया है। उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं है। वे संख्या में भी बहुत कम हैं। वे बोदे और कमज़ोर हैं एवं उनके पास शक्तात्मा भी नहीं हैं। इसलिए उन्होंने निःशब्द प्रतिकार का अवलम्बन किया है। वह कमज़ोरों का हथियार है।” उनकी यह बात सुनकर गांधीजी आश्रय चकित हो गये। श्री होस्कन के विचारों का संदर्भ करते हुए गांधीजी ने अपने अहिंसक प्रतिकार की व्याख्या—‘आत्मिक बल’ कहकर की। उन्होंने श्रोताओं से कहा—“पाश्चात्यिक शक्ति का उपयोग करने की कमता या स्थिति होने पर भी इस अहिंसक प्रतिकार में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। यदि हिन्दुस्तानियों के पास शक्तात्मा होते और उन्हें मताधिकार भी प्राप्त होता तो भी मैं उन्हें केवल ‘आत्मिक बल’ का ही अवलम्बन करने की सलाह देता।” वे कहते हैं कि—दलिल अफ्रीका के सत्याग्रह की रूपरेखा अस्तित्वमय किसी भी स्थिति में शारीरिक शक्ति का योक्ता-सा भी पर्याप्त करने का उद्देश्य हुआ विचार भी मेरे मन में नहीं आया।

अर्थात् जैसे-जैसे लड़ाई जोर पकड़ती गई वैसे-वैसे यूरोपियनों के द्वारा ताल में सत्याग्रह और निःशास्त्र प्रतिकार का अंतर स्पष्ट होता गया। शुरू से लेकर अन्त तक गांधीजी का भयबहार बिलकुल आदर्श था। यूरोपियनों की आवश्यकता के समय उनकी मदद के लिए दौड़ पहना, झुलू-विद्रोह के समय सरकार की सहायता करना और खासकर यूरोपियन रेलवे कर्मचारियों की हड्डताल पर उसका लाभ उठाने से उनका दृन्कार करना आदि बातों से यही सिद्ध होता है कि सत्याग्रह की भूमिका ही निःशास्त्र प्रतिकार की भूमिका से मिलती है।

दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अवलम्बन करने का निश्चय उन्होंने अचानक किया। वे अपनी 'आत्मकथा' में कहते हैं कि ब्रह्मचर्य-पालन का स्वरूप निश्चय करते हुए प्राप्त होने वाली आत्म-शुद्धि ही मुझे सत्याग्रह के लिए समर्थ बना रही थी। जोहान्सवर्ग से फोनिक्स आश्रम में वापस आने के लगभग एक महीने में फोनिक्स में ली गई शपथ द्वारा सत्याग्रह की नींव पढ़ी। अभजान में मानो ब्रह्मचर्य की शपथ ही मुझे सत्याग्रह के लिए उद्यत कर रही थी। वे आगे लिखते हैं—“सत्याग्रह कोई पहले से ही बनाई हुई योजना नहीं थी, वह तो अपने आप सहज स्फूर्ति से उन्पर दृढ़ है।”

: ४ :

सत्याग्रह की मौलिकता

सत्याग्रह-पद्धति का विकास करने में गांधीजी की मौलिकता निर्दिष्ट बाद है व उसे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो कार्य किये हैं वे महस्त्वपूर्ण हैं। ऐसे अनेक अन्तर्राष्ट्रीयकीर्तिप्राप्त विद्वान् सरलता से बताये जा सकते हैं जो दृष्टापूर्वक कहते हैं कि सत्याग्रह का अवलम्बन करने के काम में गांधीजी अद्वितीय हैं। यह कहना सरय नहीं है कि पहिले

खड़ाई का अहिंसक मार्ग था ही नहीं। मजदूरों की हवताल अधिकार में अहिंसक मार्ग ही है और वह काफी अचलित भी है। लेकिन अल्हुस हक्सले के कथनानुसार वह बीच-बीच में व अस्यवस्थित रूप से प्रयोग में आया है। एक स्वतन्त्र तन्त्र के रूप में कभी भी उसका विस्तार नहीं किया गया। अथवा गांधीजी की तरह तथा उनकी ही भाँति व्यापक रूप में राजनीतिक या किसी अन्य सेवा में उसका अवलम्बन नहीं किया गया। दूसरा कुछ भी करने की ज़मता न होने के कारण दुर्बल का हथियार मानकर उसका अवलम्बन किया जाता है लेकिन गांधीजी उसे शक्तिशाली लोगों के तथा कई गुना अंडे हथियार के रूप में उसका उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त गांधीजी ने उसे सैद्धान्तिक भूमिका का अधिष्ठान दिया है और उसे एक पूर्ण शास्त्र बना दिया है। अन्याय का विरोध करनेवाली सत्याग्रह-पद्धति की यह विशेषता उसकी नवीनता को और भी बढ़ा देती है।

गांधीजी के सत्याग्रह की विशेषता निश्चित रूप से किस बात में है ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि महावीर दुर्द, ईसा, मुहम्मद और नानक जैसे असाधारण व्यक्तियों, पैगम्बरों और धर्मचार्यों ने अपने जीवन में सत्याग्रह सिद्धान्त को अपनाया है। उन्होंने उसकी शिक्षा भी सफलतापूर्वक दूसरों को दी है। गांधीजी ने ईसा के सम्बन्ध में कहा है कि ईसा अहिंसक प्रतिकार के ही प्रवक्ता थे। उन्होंने आगे कहा है कि उस अहिंसक प्रतिकार में सत्याग्रह ही अभिषेत होना चाहिए। तुम और ईसा के प्रत्यक्ष प्रतिकार के बारे में उन्होंने कहा है कि “तुम ने शान्ति के ठेठ दर्वाजे तक खड़ाई ले जाकर उद्देश्य भिन्नकों का हृदय परिवर्तन किया। ईसा ने जेहसेलम के मन्दिर से दलालों को निकाल भगाया और ढोंगी तथा फारसी लोगों को ईश्वरी कोप का भाजन बनाया। वोनों ही प्रत्यक्ष प्रतिकार के जबदृस्त समर्थक थे और मैं तो केवल उनके पदचिह्नों पर चल रहा हूँ !” प्रत्येक देश के सुकरात जैसे अनेक सातु पुरुषों को तो जहांतक उनके वैयक्तिक जीवन से सम्बन्ध

है सत्याग्रही ही कहना चाहिए। लेकिन अभी तक सत्याग्रह भी एक व्यक्तिगत एवं धार्मिक प्रवृत्ति ही समझी जाती थी। गांधीजी का उदय होने तक आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक लेन्ड्र से अन्यथा या असहायता को भिटाने के लिए सामाजिक हथियार के रूप में उसको विद्युत चलाने का विचार किसीके भी मन में नहीं आया। “अहिंसा के बजाए मुनियों के लिए ही नहीं है साधारण जनता के लिये भी वह उतनी ही उपयोगी है। यह बात ढंके की ओट करने की निर्भयता गांधीजी में थी। श्री० मुश्शी के कथनानुसार “गांधीजी का जीवन मानो एक ऐसा पाठ है जो सिखाता है कि सामाजिक शक्ति के रूप में सत्याग्रह का किस प्रकार उपयोग किया गया। मर्यादित अथवा आमरण उपचास जैसे अहिंसक प्रतिकार के उच्च स्वरूप का अंगीकार करके उन्होंने अत्यन्त समृद्ध तन्त्र निर्माण करने का प्रयत्न किया है। अहिंसक सत्याग्रह को सामाजिक शक्ति का रूप देकर स्वतन्त्रता और स्वाधिकार की लडाई के लिए उन्होंने नथा। एवं शक्तिशाली हथियार मानवता को दिया है। गांधी-युग के पहिले हिंसात्मक लडाई के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन ही नहीं था अथवा हिंसा का आधार लिये बिना सामुदायिक रूप से प्रतिकार करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था।”

बहुत दिनों पूर्व जब गांधीजी से कहा गया कि इतिहास में इस प्रकार के सामुदायिक सत्याग्रह का कोई उदाहरण नहीं भिजता तो उन्होंने कहा कि इस कारण धैर्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सन् १९३२ के आंदोलन के प्रारंभ में जब गांधीजी लडाई में थे तब एक बार वे कर्णाटक प्रांत के कार्यकर्ताओं की बैठक में उपस्थित हुए थे। उस समय एक कार्यकर्ता ने उनसे कहा—“इतिहास में अहिंसा से स्वराज्य प्राप्त करने का एक भी उदाहरण नहीं भिजता।” इसपर गांधीजी मुस्कराये और कहने लगे कि हम इतिहास के जबे पूछ लिये रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सामुदायिक मतभावों के लिए

सत्याग्रह का आवश्यक खेना ही गांधीजी की विशेषता नहीं है बल्कि वे पूरी तरह से यह जानते थे कि उनका मार्ग एकदम नवीन था।

इस दृष्टि से १९३० है० में लन्डन के किंग्सवे हाल में अमेरिकन लोगों के लिए गांधीजी ने रेडियो पर जो भाषण दिया वह याद रखने योग्य है। उस समय उन्होंने भारतवर्ष के सत्याग्रह संग्राम का इस प्रकार वर्णन किया था—“आज सारे संसार का ध्यान हमारी लडाई की ओर आकर्षित हो गया है इसका कारण यह नहीं है कि हम हिन्दु-स्तानी लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं बल्कि यह है कि हमने अपनी आजादी प्राप्त करने के लिए पैसे रास्ते को अपनाया है जिसे आज तक के ज्ञात इतिहास में किसीने भी नहीं अपनाया था। रक्षणात, हिंसा या जिसे आजकल राजनीतिज्ञता कहा जाता है उस तरह का दुतर्फा व्यवहार करना हमारा ध्येय नहीं है। बल्कि शुद्ध और स्पष्ट रूप में सत्य एवं अहिंसा का अवलम्बन ही हमारा मार्ग है।”

दीनबन्धु एन्ड्रूज ने ‘हाट आह शो दू काइस्ट’ नामक पुस्तक में गांधीजी का उल्लेख किया है। सन् १९१३ में जब कि गांधीजी इतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे दक्षिण अफ्रीका में उनकी दीनबन्धु से मुलाकात हुई। उस समय वहा लडाई जोरों पर थी। सन् १९३१ में श्री० एन्ड्रूज ने इस मुलाकात के सम्बन्ध में लिखा—“पहिले से ही सहज प्रेरणा से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके रूप में खी पुरुषों को अत्यन्त स्वार्थत्याग में प्रवृत्त करने-वाला एक उच्च कोटि का धार्मिक व्यक्ति ही नहीं बल्कि आकाश के तारे अथवा चिरकालीन पर्वत की भाँति समातन किन्तु नये संसार के लिए अपरिचित जैसा एक धार्मिक तत्त्व ही संसार में उदय हो रहा है। उनका एक ही आदेश था कि दीर्घकालीन कष्टसहन और प्रेम की वर्षा ही एकमात्र अजेप है। दक्षिण अफ्रीका की सारी लडाई में मुझे इसी बात का एक विश्वास हुआ।”

इस प्रकार यह पुरानी धारणा छूटकर कि सिद्धान्त के बल अपवादा-समक व्यक्तियों के लिए ही है उसका उपयोग समुदाय की ओर से जीवन के दैनिक प्रश्नों के सम्बन्ध में होने लगा।

गांधीजी के स्वभाव के सम्बन्ध में लिखते हुए रोम्पारोल्डो ने कहा है कि “हस अविराम योद्धा की भाँति किसी दूसरे को निष्क्रियता से इतनी जबरदस्त चिंठ नहीं होगी।” गांधीजी प्रतिकार करने वाले व्यक्तियों के एक अस्थन्त जगमगाते हुए प्रतीक हैं। उनके आंदोलन की आत्मा हिंसा के द्वारा ब्यक्त होने वाला प्रत्यक्ष प्रतिकार नहीं है बल्कि प्रेम विश्वास और स्थाग की कर्मप्रवण शक्ति पर आधारित प्रत्यक्ष प्रतिकार है। उनकी द्वितीया में किसी भी कायर-भगोड़े व्यक्ति को आश्रय नहीं मिल सकता। वे कहते हैं कि कायरता से तो हिंसा ही अच्छी है। ‘यदि कायरता और हिंसा में से किसीको चुनने का मौका आये तो मैं हिंसा को ही चुनने की सलाह दूँगा। मैं दूसरों को न मारकर आत्म-बलिदान का मूक धैर्य प्राप्त करने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन जिसमें यह धैर्य नहीं है उस संकट के समय भाग जाने का लज्जास्पद मार्ग अपनाने के बजाय मरने और मारने की सलाह दूँगा। क्योंकि जो भागता है वह मानसिक हिंसा करता है। दूसरों को मारते समय जब उसमें स्वयं मरने की हिम्मत नहीं रहती तो वह भाग जाता है। सन् १९२० में ही गांधीजी ने लिखा था कि हिंसा की अपेक्षा अहिंसा कई गुना श्रेष्ठ है और दण्ड देने की अपेक्षा ज्ञान करना उदादा वीरोचित है। यह हमारा दृष्टि विश्वास है। गांधीजी कहते थे कि सत्याग्रह और अन्याय बिलकुल परस्परविरोधी हैं। इससे प्रतीत होता है कि गांधीजी के मन और प्रवृत्ति में कोई स्थान बात प्रधान रूप से थी तो वह यह कि जैसे भी हो अन्याय का प्रतिकार अवश्य किया जाय। उनके मतानुसार ‘अन्याय का प्रतिकार मत करो’; इसका अर्थ यह है कि अन्याय का प्रतिकार अन्याय से मत करो बल्कि अन्याय का

प्रतिकार सद्गुरुत्ति से करो; लेकिन किसी भी तरह प्रतिकार किये बिना मत रहो। कायरों जैसी निष्कियता की अपेक्षा प्रतिकार बहुत अच्छा है।

इसी प्रकार “खुद अपने जैसा अपने पढ़ोसी पर भी प्रेम करो!” इसमें वे इतना और बढ़ायेंगे कि—“और प्रत्येक मनुष्य ही नहीं प्राणीमात्र तुम्हारा पढ़ोसी है” इस प्रकार वे प्रेम और उदारता दोनों की व्याप्ति बढ़ायेंगे।

वे अन्याय और अन्यायी में जो विभेद करते थे वह और अन्याय के माथ वे जो असहयोग करते थे वह दोनों तत्त्व बहुत उपयोगी हैं। एक बार फिर यदि रोम्यारोलीं के शब्दों में कहें तो ‘जब कि मानव जाति को इंधर ने प्राणियों को पैदा करने की शक्ति नहीं दी है तो उसे जीवित छुट्ट प्राणियों को मारने का भी अधिकार नहीं हो सकता।’ किसीके प्रति—प्रत्यक्ष अन्याय करने वाले के प्रति भी—दृष्ट-भावना नहीं रखना चाहिए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अन्याय को उपचाप सहन कर लें। यदि जनरक्त ढायर बीमार हो जाय तो गांधी-जी उनकी भी सेवा करेंगे। लेकिन यदि खुद उनका लड़का भी लज्जा-स्पद जीवन व्यतीत करने लगे तो वे उसे आश्रय नहीं देंगे। उल्टे (गांधीजी के ही शब्दों में) ‘मेरे हृदय में उसके प्रति जो प्रेम है वही सुझे अपना आश्रय हटा लेने की प्रेरणा करेगा। फिर वह मर जाय तो भी चिन्ता नहीं।’ शारीरिक शक्ति के बज से किसीको सद्-गुरुत्ति बनाने का अधिकार हमें नहीं है।

पुनः गांधीजी के शब्दों में “लेकिन उससे असहयोग करके—फिर उसका परिणाम चाहे जो हो—उसका प्रतिकार अवश्य करना चाहिए। और जब वह पश्चात्ताप-दग्ध हो जाय तब उसे हृदय से लगा लेना चाहिए।”

: ५ :

सत्याग्रह का अधिष्ठान

सत्याग्रह जीवन की ओर देखने का एक इष्टिकोण ही नहीं, एक आचार धर्म भी है। किसी भी परिस्थिति में और कितनी ही भारी कीमत देकर भी सत्य प्रेम अधिवा अहिंसा के द्वारा सत्य का ज्ञान, उपासना तथा तदनुरूप आचार इन तीनों बातों का आग्रह ही सत्याग्रह का अधिष्ठान है।

सत्याग्रह का अन्तिम घटेय सत्य है। अतः अहिंसा या प्रेम ही उसका एकमात्र साधन है। एक ही सिक्के के बे दो पहलू हैं। यदि कोई गांधीजी से पूछे कि इन दोनों में ज्यादा महत्व किसका है तो वे कहेंगे कि —‘सत्य’ का। सत्य का नम्बर पहिला है। लेकिन यदि किसीको सत्य का स्पष्ट दर्शन न हो तो वह अहिंसा, प्रेम और कष्ट-सहन का रास्ता अपना ले। इससे वह अन्त में सत्य तक अवश्य पहुँच जाएगा।

लेकिन सत्य के बाल सब धर्मों, तत्त्वज्ञानों और समस्त बड़ी-बड़ी विभूतियों का ही घटेय हो सो बात नहीं है। वैशिक नेपोलियन, सिकन्दर या हिटलर जैसे विजेता भी यही कहते हैं कि वे उसीका अवलम्बन कर रहे हैं जो उन्हें सत्य प्रतीत होता है तो फिर सत्याग्रह की विशेषता क्या है? उसमें कुछ-न-कुछ विशेषता अवश्य है जिसके कारण मनुष्य उसकी ओर लिंग जाता है और वह है प्रेम के द्वारा सत्य। यही मर्म उसका आधारस्तंभ है। सत्याग्रह का अर्थ है प्रेम, कष्टसहन और अहिंसा के द्वारा ही सत्य की खोज। इसीमें उसकी विशेषता लिहित है। वह अहिंसा या प्रेम के द्वारा सत्य तक पहुँचाने का सिद्धान्त है। इस स्थान पर अहिंसा और प्रेम दोनों समान अर्थ रखते

है। हम यह भी कह सकते हैं कि कार्य-प्रवर्ष या क्रियाशील अहिंसा का अर्थ है प्रेम और अध्यक्ष प्रेम का अर्थ है अहिंसा। दूसरों का भला हो और उनका भला क्रिया जाव, इस उद्देश्य से सत्याग्रही तुष्टी-तुष्टी त्याग करेगा। कम-से-कम प्रारम्भ में वह किसीको कह तो नहीं पहुँचायेगा। यदि अहिंसा का शब्दशः अर्थ करें तो वह दूसरे प्रकार का होने पर भी प्रतिदिन के अवधार में खासकर गांधीजी के लेखों, कष्टसहन और अन्तिम त्याग के लिये तैयार रहने वाले सम्पूर्ण विकसित कार्य प्रवृत्त और आक्रमक प्रेम के रूप में ही अहिंसा शब्द की व्याख्या पाई जाती है।

आहये, अब सत्याग्रह-सिद्धान्त के गूढ़वादायक उत्त्वज्ञान-सम्बन्धी नैतिक, विकासशील, मानसिक और वास्तववादी अधिकान की ओर देखें।

गूढ़वाद या रहस्यवाद सत्य के प्रत्यक्ष और स्फूर्त ज्ञान पर ही टिका हुआ है। केवल बुद्धि द्वारा महीत ज्ञान ही नहीं बल्कि आत्मा को प्रतीत हुआ सत्य का अन्तःप्रेरित ज्ञान ही उसका आधार है। पहिले तो कुछ समय तक वह बुद्धि को जंचता नहीं है लेकिन बाद में बुद्धि को उसका निश्चय हुए बिना न रहेगा। बुद्धि निश्चित रूप से विवरणात्मक है। नहीं-नहीं घटनाओं की छानबीन करने, उनको अलग-अलग करने, उसमें प्रवीणता प्राप्त करने और एक ही मार्ग से जाने में बुद्धि को आनन्द अनुभव होता है। उसे बुद्धि की सहज प्रवृत्ति ही समझिए। लेकिन अन्तःप्रेरणा सम्बन्धशील होती है और अविभाज्य पूर्व सम्पूर्ण रूप से सत्य को ग्रहण करती है। सब समय के और सब देशों के रहस्यवादियों ने आत्मा, ज्ञान और जीवन की एकरूपता का अनुभव किया है। अनन्त से एकरूप होकर उस अनुभूति को ग्रहण जीवन में उतारना ही उनका सर्वोच्च ध्येय होता है। इस ऐक्य भावना से सत्याग्रही पूरी तरह सहमत रहता है। परमोच्च अनुभव के समय उसे उस एकरूपता की अनुभूति होती है और वह उससे समरस होता

है। आपने दैनिक जीवन में उस एकरूपता की अनुभूति करते रहने के लिये उसकी दौड़-धूप निरन्तर चलती रहती है। संसार में पराये जैसा कोई है ही नहीं। प्रेम का अर्थ है तादात्म्य प्राप्त करना। यह सत्य का महत्वपूर्ण गुण-धर्म है। अतः यह कहा जा सकता है कि सबसे एकरूपता अनुभव करना प्रेम का उपसिद्धान्त है। अलंकुस हक्सले ने कहा है कि ‘‘अहिंसाभूत मात्र की एकता के विश्वास का व्यावहारिक स्वरूप है।’’ तुम दूसरों से जैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हो वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करो।’’ इस प्रकार के वाक्य मानो ऐक्यपूर्ण जीवन के दिध्य अनुभवों की अस्पष्ट प्रतिष्ठनि है। इसीलिए गांधीजी कहते हैं—‘‘सारे जीव पवित्र हैं किसी भी जीव को सताना स्वर्य को ही सताने जैसा है—दूसरे शब्दों में हृच्छर को ही सताने जैसा है।’’

यह अनुभूति सत्याग्रह की रहस्यवादात्मक बुनियाद है। इससे यह आपने आप मिल हुआ कि सत्याग्रही को जो सत्य प्रतीत हुआ है उसका अनुभव वह आचरण द्वारा ही प्राप्त करने का प्रयत्न करें। जिन-जिन लोगों के साथ काम पढ़े उन-उन लोगों के साथ पृथक्कृता की भावना धीरे-धीरे नष्ट करके एकरूपता अनुभव करने से ही यह बात साधी जा सकेगी। भावना के लेख में जहाँ वह सबसे प्रेम करता है, सारे विश्व के साथ एकरूपता अनुभव करता है वहाँ प्रत्यक्ष व्यवहार में उसका आरम्भ पास-पड़ासियों से ही होगा। यह प्रेम की प्रवृत्ति है। प्रेम आपना सर्वस्व दान करने की, जिनको हम प्रेम करते हैं, उनके लिए आत्मविद्वान् करने की, स्फूर्ति देता है। दुखाना, सताना, तिरस्कार, क्रोध और इन सबसे भी बढ़कर अर्थात् इनकी कारणभूत स्वार्थी दृष्टा के लिए प्रे-मन-राज्य में स्थान नहीं है। सत्याग्रही का जीवन क्या है, सबका भला करने की अख्याल प्रवृत्ति। यदि उसके मार्ग में कठिनाहर्या आ जाय तो आवश्यकता पड़ने पर वह कहसहन का और आत्मनितक त्याग का मार्ग पसन्द करता है। या तो वह प्रतिगमी शक्तियों को बदल देने या मुका देने में सफल होता है या प्रयत्न करते-

करते मृत्यु का आखिराम कर लेता है। दोनों ही प्रकारों से जीव की एकताखण्डी सत्य का समान रूप से समर्थन होता है। अतः दोनों में से कोई भी परिणाम निकालने पर वह उसमें अपनी विजय ही मानता है। अपने बच्चे को बचाने के प्रयत्न में मृत्यु का आखिराम करने वाली माँ जितनी सुखी होती है उतनी ही वह माँ भी सुखी होती है जिसको उसके लिये मृत्यु का आखिराम नहीं करना पड़ा है। उसे अपने जीवन का बदा मूल्य नहीं मालूम पड़ता। यदि उसके लिये किसी बात का महाव है तो वह अपने प्रेम का। अपने बच्चे को बचाने का प्रयत्न करते हुए यदि उसे मृत्यु दिखाई दे तो वह प्रसन्न-बद्रन से और हस भावना से कि यह मेरी ही विजय है मृत्यु को गले लगाती है और यदि वह बच्चे को बचाने में सफल हो जाय तो भी उसे उसमें उतनी ही विजय मालूम होती है।

यदि सत्यानुभूति के लिये रहस्यवाद का दारोमदार अन्तःप्रेरणा पर है तो तत्त्वज्ञान का आधार बुद्धि और तर्कशास्त्र पर होता है। यदि तादात्म्य और चिन्तन में रहस्यज्ञान प्राप्त होता है तो दार्ढ्र्यनिक ज्ञान निरीक्षण, तर्क और अनुमान की पद्धति से प्राप्त होता है। एक ही चिन्तकिक सारे विषय में स्थापित है। भिन्न-भिन्न दिखाई देने वाली वस्तुओं के मूल में भी वही शक्ति निवास करती है। तत्त्वज्ञ ज्ञेय अथ इस निर्णय पर पहुँच गये हैं और वैज्ञानिक लोग उक्त वस्तुओं के सम्बन्ध में भी हसीं सिद्धान्त को मानने लगे हैं। यद्यपि ऊपर-ऊपर देखने वाले को सहित में भिन्नता दिखाई देती है तो भी इस भिन्नता के मूल में एकता ही है। भिन्नता अम नहीं, सापेक्ष सत्य है। ज्ञान की ऊँची सीढ़ी पर इससे भी उदादा श्रेष्ठ सत्य निवास करता है और यह मुनाफ़ करता हमारा काम है कि क्या हमें भिन्नता और पृथक्कूला की सतह पर रहना है या ऐक्य और एकरूपता की सतह पर। पहिला मार्ग पृथक्कूला, भीति, एकाकीषण, अहंभाव, मागदा, तिरस्कार और विनाश की ओर से जाता है—दूसरा मार्ग एकरूपता, प्रेम, त्याग, आनन्द, ऐक्य,

भेदभाव, पुकार और चीयन और तदन्तगांत विद्यता की ओर जो जाता है। यह सम्भव है कि जबतक मेरा शरीर है और मुझे उसका भाव है तबतक मुझे आत्मा की एकता की पूर्ण प्रतीक्षा नहीं होगी। लेकिन पृथक्का के बजाय पृकरूपता के, लखाई के बजाय मेल-मिलाप के और द्वेष के बजाय प्रेम के रास्ते पर मैं विश्वासपूर्वक अपने क़दम भोग सकूँगा। मनुष्य इतना ही कर सकता है और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो वह अपने रास्ते का खतरा बचा नहीं सकेगा।

आहये, अब हम सत्याग्रह के नैतिक पहलू पर विचार करें। जो मार्ग हमें ऐस्थ, सुसंवादित्व—एकतानता और मानवीजीवन के सौक्य के सर्वोच्च पिलार तक ले जाता हो वह सर्वदा सबके लिए हितकारी है। वहां दूसरी ओर उसकी बिलकुल विस्तृद दिशा में जाने वाला मार्ग अहित का—अकल्याण का है। अतः हमे स्वभावतः सत्य का अवलम्बन करना और कृपय छोड़ना चाहिए। नीतिशास्त्र सत्याग्रह और सत्याग्रही के दृष्टिकोण का सदैव ही पृष्ठपोषण करता है। व्यक्ति के लिए पृक तथा समूह और राष्ट्र के दूतरे, इस प्रकार रूढ़ दुसुहे नैतिक मूल्यों के कारण ही कूटकपट, देशभक्ति के नाम पर हत्या, घट्यन्त्र और दूस्तू-फ़न्द को सदगुण का महत्व प्राप्त होता है। सत्याग्रह को नीतिशास्त्र का दोसुहापन मजूर नहीं है इसीलिए उसका नैतिक आधार बहुत मजबूत है। प्रेम तथा सत्य से बढ़कर उत्तम अधिष्ठान कीमता हो सकता है? इसी कारण यदि उससे किसी राष्ट्र के व्यक्ति या कुटुम्ब का दिलसाब्दन होता हो तो वह सम्पूर्ण संसार तथा मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्धों के लिए भी हितकर होना ही चाहिए। लेकिन आज वस्तुस्थिति पेसी नहीं दिखाई देती तो यह हमारी दुर्बलता और भूखता का परिणाम है। हमें अपनी कमज़ोरी छोड़ने की ही देर है, कि वे ऐकस्वी गुण हमारा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार दिखाई देंगे।

संसार में अहिंसा की दिशा में होने वाली मानवप्रगति का सिंहासन बखोकन करते हुए मांशीजी कहते हैं (हरिजन ११-८-४०) “जहांतक

का इतिहास हमें जात है तबसे आज्ञाकर के काल पर यदि हम नज़र ढालें तो हमें मालूम होगा कि मानव जाति ने शनैः शनैः अहिंसा की और प्रगति की है। हमरे प्राचीन पूर्वज नरभासमधी थे। बाद में एक ऐसा समय आया कि उन्हें नरभास से घृणा हुई और वे पशु-पशी के शिकार के द्वारा निर्वाह करने लगे। इसके बाद की अवस्था में मनुष्य अपने भड़कैये शिकारी जीवन से शर्मने लगा। तब उसने अपना ध्वान सेती में लगाया और अपनी स्वाच्छना-सामग्री के लिए पृथ्वी पर अवलम्बित रहने लगा। हस प्रकार स्वानावदीयी जीवन छोड़कर मनुष्य ग्रामों और शहरों पर आधारित सुसंस्कृत और स्थिर जीवन व्यतीत करने लगा। और जो एक कुदुम्ब की इकाई या वह एक समूह और राष्ट्र की इकाई बन गया। यह सब प्रगतिशील अहिंसा एवं अस्ताचलगामी अहिंसा के नमूने हैं। लेकिन यदि इससे उसी बात होती तो जिस प्रकार अनेक निम्न प्राणियों की जातियां नहीं हो गईं उसी प्रकार मानव-जाति भी नहीं होती।

मानव जाति का विकास हिंसा और विनाश का अनुसरण करने से नहीं हुआ है बल्कि इसके विपरीत आज मानवी विकास ने जो प्रगति तेज़ी से की है वह हिंसा और विनाश को यथासम्बन्ध ठाकर कर या उनसे दूर रहकर ही की है। सुरक्षितता, सहकारिता और पारस्परिक सहायता के ये सूत्र समाज के गृहीत कार्य हैं। संसार में अनेक भव्यकर युद्ध हो जुके हैं और दुर्भाग्य से आगे भी बहुत-सी लडाईयां अनिवार्य दिखाई देनी हैं लेकिन मानव-प्रगति इन युद्धों से नहीं हुई है। वह तो इतने युद्धों के बावजूद हो गई है। जो योद्धे-से लोग युद्धों का समर्थन करते हैं वे भी केवल इस गलत ध्यान से कि युद्ध से बीरोचित गुणों का विकास होता है। बहुत-से लोग युद्ध को एक अटक-अनिवार्य तुक्कमं मानकर अग्निक्षेप से उसका अवश्यकन कहते हैं। यदि अहिंसक मार्ग की कार्यक्रमता का उन्हें कोई विश्वास करते हैं तो वे सबसे पहिले उस हिंसा-मार्ग को छोड़ देंगे। परिवार ही सभ्यतामनः-

मानव-समाज का घटक या हकार्ह होना चाहिए और अहिंसा, प्रेम, पारस्परिक स्नेह, ममत्व पूर्व आदर की नींव पर ही उसकी रचना होनी चाहिए। शारीरिक शक्ति पर आधारित अनियन्त्रित सत्ता से प्रारम्भ होकर न्याय तथा पारस्परिक आवश्यकता पर स्थित समूर्ख समता में ही पारिवारिक जीवन का विकास हुआ है। इस प्रकार हिंसा की विद्यि से अहिंसा और प्रेम का विकास दिखाया जाता है। कानून, न्यायालय, समाज-संगठन तथा पागल और अपराधी के प्रति हमारा आज जो व्यवहार है वह अहिंसा और प्रेम के सिद्धान्त को मिलने वाली उत्तरोत्तर मान्यता का ही सूचक है। आज हम अपराधियों के साथ छूता और तुष्टिता का व्यवहार नहीं करते। यह बात अब सर्व-मान्य हो चुकी है कि सहदेश और दयापूर्ण व्यवहार के हारा ही हम पागल और अपराधियों का सुधार कर सकते। बच्चों के प्रति हमारे व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन हो गया है। ये सारे परिवर्तन यही मिल करते हैं कि हम अहिंसा के हारा ही अपना विकास कर रहे हैं और हिंसा, छूता तथा जुल्म के मार्ग को नियंत्रित रूप से त्याग रहे हैं।

विभिन्न राहों या राष्ट्रसमूहों के आर्थिक, सामाजिक और राज-नीतिक सम्बन्धों के बारे में इस आशानमय मार्ग की शक्यता-अशक्यता आँखमाने का अवसर आ गया है। यदि सामर्ज्य और न्याय में हमारा विकास हो तो हमारे लिए इसके आलावा दूसरा मार्ग नहीं है। पाश्चात्य शक्ति का अर्थ न्याय नहीं है। न्यायान्याय की परवाह न करने वाली पाश्चात्य शक्ति को नियन्त्रण कर देने वाले संगठन के बनाने का उत्तरदायित्व उन्हींपर आ पड़ता है जो यह अनुभव करते हैं कि न्याय की विजय होनी चाहिए। 'जिसकी लाडी उसकी भैंस' ही यहि संसार का नियम बन जायतो समझ लेना चाहिए कि समकालीनी, न्याय, मनुष्यता तथा अन्य महान् सिद्धान्तों तथा स्थित नीतिक विभिन्नों पर अनियन्त्रित परदा गिर जायगा। फिर वे सिद्धान्त के बजाए छुगमीयिका चा-

कविकल्पना हो रह जायेंगे। काँकि या सामर्थ्य की तात्कालिक विजय से सत्याग्रही निराश नहीं होता। वह कभी भी 'जिसकी जाही उसकी भैस' वाले सिद्धान्त के सामने सिर नहीं मुकाता। सत्याग्रह का विश्वास है कि मनुष्य का विकास प्रेम और अहिंसा पर ही अवश्यमित रहता है। सत्याग्रह मानता है कि अधिक वाहूबल के द्वारा नहीं विक्षिक अपने अङ्गभूत नैतिक बल के और प्रेम तथा कहसहन के साथवों के द्वारा ही अन्त में न्याय की विजय होनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि शान्ति और सुख की दिशा से ही मनुष्य का विकास हो रहा है। सत्याग्रह की प्रकृति विधायक है। अतः मानवी प्रगति के मार्ग में आङ्गान, आलस्य, भीरुता, स्वामित्व की भावना, आकर्षण और शोषण की प्रवृत्ति, महत्वाकांक्षा, ज्ञानसा, सत्ताकोभ तथा अन्य दूसरी कठिनाइयां दूर करने के लिए सत्याग्रह अविरत परिश्रम करता रहता है। मानवता को उष्ण कोटि की एकरसता और ह प्रकार की शान्ति और स्वर्गीय सुख की ओर ले जाने वाले विकास की नैसर्गिक प्रेरणा की एक अविभाज्य हकार्ह के रूप में ही सत्याग्रह का कार्य जारी रहता है।

मानवी मन का सूखम अध्ययन और उसकी नैसर्गिक प्रवृत्ति व प्रेरणा के अवलोकन पर ही सत्याग्रह की रचना हुई है। इस प्रकार सत्याग्रह को एक मनोवैज्ञानिक अधिष्ठान भी प्राप्त हो गया है। शान्ति-काल में शान्ति, ज्ञान और सुख के विकास व प्रगति के लिए आवश्यक स्नेह और वास्तव्यपूर्य काँकि के नाले सत्याग्रह का कार्य ज्ञाल रहता है। सत्य उसका आधार और प्रेम रक्तर्ति-निधान है। केविन विरोधी शक्ति से मुकाबा होने पर सत्याग्रह अपने ऐसे विशिष्ट मार्ग व दीति-नीतियों का अवलम्बन करता है जो हिंसा-मार्ग के लिए अपरिचित है। सत्याग्रह-संग्राम और कौनी युद्ध-लन्त्र की विस्तृत तुलना रिचर्ड ग्रेग की 'पावर ऑफ नान वायलेन्स' नामक पुस्तक में की गई है। उसके कुछ खास मुद्दों पर विचार करें।

अपर शान्तिकालीन और शुद्धकालीन सत्याग्रहों का लिङ्ग किया

ब अनियमितता से काम में जारी रहते हैं और आज तक वह उसी तरह से काम में जारी रहती है तो भी वह कार्बोलम और फलदारी सिद्ध हुई है। आरम्भ से भले ही यह पढ़ति अस्यावहारिक माली रहते, तो भी मांधीरी के तथा दूसरे लोगों के सत्याग्रह के प्रयोगों के द्वारा उसकी अवधारितता सिद्ध हो गई है। यह बात नहीं है कि सत्याग्रह के बड़े अवधारित ही है बल्कि जब सारा बालावरण निराशामय जनने लगता है तब एक यही मार्ग शोष रह जाता है। सी० ई० एम० जोश कहते हैं कि गांधीरी नैतिक लेख में एक असाधारण विभूति हैं और आगामी पीढ़ी का मार्ग-निर्णय कर रहे हैं। लक्षाई-फ़गड़े मिटाने के लिए उन्होंने ऐसा रास्ता दिखाया है जो हिंसा-मार्गों को पीछे डाका देगा। इतना ही नहीं जबकि मानव-विभाग के साधन बढ़ रहे हैं, अपनी संस्कृति की रक्षा करने का एकमात्र बही मार्ग कारगर हो सकेगा। अल्हूम हफ्सले ने यह विस्ता दिया है कि पुलिस के अत्यन्त प्रभावी संगठन से सुपरिचित सरकार के मुकाबले यदि साधारण जनता को अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करना हो तो उसके लिए अहिंसक प्रतिकार के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं है।

: ६ :

सत्याग्रही का दृष्टिकोण

आहये, अब यह देखें कि सत्याग्रही जीवन तथा कर्तव्य-कर्म की ओर किस दृष्टि से देखता है। इम पहिले बता ही चुके हैं कि सत्य की पूर्ण प्रतीति का बया ही उसकी अन्तिम विजय और सर्वोच्च सुख का बया होता है। सारे मसार में व्याप्त सत्य की साधना करने के लिए, उस सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए, उसका विन्देन करने के लिए, उसके साथ तादात्य पाने के लिए, उसके अनुरूप स्ववहार करने के लिए अपना समर्थन जीवन उसके साथ समरस कर देने के लिए और

अपने जीवन में अन्तरात्मा का सदृश आविष्कार करने के लिए वह निरंतर उच्चोग करता है।

सत्याग्रही के बाह्य आध्यात्मिकादी के अध्यक्ष सत्य का या कल्पमाधिकारी कवि की तरह काव्यमय सत्य का डपासक नहीं होता। उसका उच्चोग जीवन में अपने कर्म के द्वारा संपूर्ण सत्य का अनुभव करने के लिए होता है। वह आहता है कि आध्यात्मिक जगत् की ही भाँति भौतिक जगत् के सत्य को भी समझ कर उसके अनुसार व्यवहार करे। ईचावास्थोपनिषद् में कहे अनुसार वह विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान प्राप्त करके अर्थात् दोनों का समन्वय करने वाले परमात्मा को समझने के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। इस प्रकार एक और वह भौतिक सत्य की जानकारी के द्वारा रोग और मृत्यु से छुटकारा पाना चाहता है तो दूसरी ओर आध्यात्मिक जगत् की प्रतीति के द्वारा सबके साथ अमरत्व के आनन्द को अनुभव करना चाहता है।

केवल सत्य का चिन्तन करने से या केवल उसका आनंदिक ज्ञान प्राप्त कर लेने से सत्याग्रही को संतोष नहीं होता। केवल बुद्धि के द्वारा सत्य की शोष करके अथवा उसे सत्य में रमला हुआ देखकर ही वह तृप्त नहीं होता। केवल भावनाओं के सत्य पर केन्द्रित होने से या सत्य के साथ तन्मय हो जाने से भी उसको संतोष नहीं होता। उसकी वह उत्सुक इच्छा रहती है कि उसके जीवन के असुरेश्वर में सत्य समा जाय। सत्याधरण के लिए वह अपने प्राण तक देने को तैयार रहता है। ज्ञान को कार्यरूप में परिवार करने के लिए वह व्याकुल रहता है। उसकी इष्टि में आवारण्य ज्ञान व्यर्थ की शोभा अथवा कामङ्ग का गुलाहस्तामाज रहता है।

सत्य की ओर जाने का उसका मार्ग कर्मयोगी की भाँति होता है। वह खुद अपने शरीर, आसपास की परिस्थिति, अपने सरो-सम्बन्धी तथा उनके सुख-दुःखों से शुक्र करके उनके बार जाने का प्रयत्न करता है। वह शीतारी, दरिद्रा, हुत, मनुष्य का मनुष्य के प्रति शुभित

आन्ध्राव गुकामी, विषमता के तुरन्त तुल्परिणाम, आक्रमण और होवण के कठोर सत्यों से भागना नहीं चाहता। बहिक उक्तटे उनका प्रतिकार करना वह अपना परम कर्तव्य समझता है। अनादि अनन्त शास्त्र सत्य का दर्शन करने तक वह हृस सापेक्ष सत्य में ही लबलीज है। एक बार ही प्राप्त कर लेने पर अपने काम के लिए आवश्यक मार्ग-दर्शन एवं प्रोत्साहन के लिए वह उस दर्शन का उपयोग कर लेता है। वस्तुतः सापेक्ष में से और सापेक्ष के द्वारा पूर्ण सत्य की खोज करना ही उसका उद्देश्य होता है। सत्याग्रही का अर्थ कृत्रिम तितिषा के द्वारा अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया को दबा देने वाला कोई अस्तोन्मुख पन्थ का लप्सवी नहीं है। वह संसार की प्रत्येक घटना से होने वाली बोग्य और नैसर्गिक प्रतिक्रियाओं का संवेदन छिना रोकटोक अपने मन पर होने देता है। वह अपने दैनिक अनुभवों के द्वारा वास्तविकता से परे की अनुभूति प्राप्त कर लेता है। उसे स्वर्गप्राप्ति की जहदी नहीं पड़ी होती है। बहिक जहाँ तक हो सके को ही पृथ्वीतल पर उतारने का प्रयत्न वह करता रहता है।

उसे और उसके अनुबानधरों को जो अनुभव होते हैं वे वास्तविक न होकर केवल इच्छाम ही हैं—ऐसा मानकर वह उनकी उपेक्षा नहीं करेगा। दीन-दुर्लियों की आनंदर भुसी हुई आँखें, पदविलियों और पीड़ितों के प्रांसू, शोषितों की तीव्र यातना हन सबको वह अनुभव करता है। वह मानता है कि उनकी जगह समृद्धि, संतोष, समता, सद्भावना तथा सुख की स्थापना होनी चाहिए। शोषण करने वाले उद्देश लोगों का अहकार, पाताली शक्ति के कारण अपने को सुरक्षित समझकर अस्ताचार करने वालों की मनमानी को वास्तविक मानकर वह यह जानता है कि मिर्य एवं अहिंसक समाज या धर्मयुद्ध के अलावा उनसे छूटने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसकी हृस सत्य-विषयक शृणि के कारण ही उसके हृत्य को आकर्षित करने वाली मानवता की प्रेममात्रा बढ़ती है। दूसरी सब इच्छाओं, प्रेरणाओं तथा आकृलालों

का ही वह दिन्म स्वरूप होता है उसे एक जही भुव जगी रहती है। और इसी कारण उसके हाथों अपने अनुबाल्युओं की सेवा व स्थायमुक्त कृतियाँ होती रहती हैं। उसी ढलक भावना के कारण वह कहने शुगत है कि मात्रे प्राणी ईश्वर के ही अंश हैं और प्रत्येक प्राणी की सेवा करना ही मेरे सुख और सन्तोष का विषय है। इस तरह वह केवल सर्वभेद सत्याग्रही ही नहीं बल्कि सत्याचारणी भी होता है।

लेकिन जिसे वह सत्याग्रही अपना उपास्यदेव मानता है वह सत्य आखिर है क्या? क्या उसे प्रह्लाद करना, उसकी खोज करना, उसका अनुभव करना, उसके अनुसार आचरण करना एवं उसमें निमन्त्रण रहना सरल है? ऐसा बिलकुल नहीं कह सकते। लेकिन उसके लिए दौॱधूप तो करनी ही होगी; क्योंकि सत्य ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। और यदि उसके लिए दौॱधूप न करें तो किर किसके लिए करें? हमारे आचारों का मार्ग-दर्शन और किस तरह हो सकेगा। तब क्या असत्य का पछा पकड़ें? क्या मुठाहँ को ही महत्व दें? जीवन का जो समय सत्य के लिए नहीं दिया गया वह मानो कच्छे-झड़े की मांति हवा में फेंका हुआ जीवन है। वह बिना अर्थ समझे पुस्तक के पन्ने उल्टने जैसा ही है अथवा उसे प्रेम की मिठास का अनुभव न होने वाले वैदाहिक जीवन की उपमा दी जा सकती है। केवल सत्य का ज्ञान ही जीवन को जीने योग्य बनाएगा और केवल सदाचार से ही आनंदिक सन्तोष प्राप्त हो सकेगा। जो सत्य है वह शिव और सुन्दर भी है। सत्य से ही अस्तित्व का निर्माण हुआ है। अस्तित्व और निर्माण के ताने-बाने से सत्य गुण दुआ है। अनन्त मे संचार करने वाले भूमध्यदल का स्वरूप निरन्तर बदलता रहता है तथापि उसके मूल में स्थित सत्य शाश्वत और त्रिकालवाधित रहता है। सारे अस्तित्व के मूल से रहने वाला नियम ही सत्य है। उस स्वर्णमय तन्तु में ही घटनाओं के मोती गुण रहते हैं। सत्यमय जीवन का अर्थ है अस्तित्व के नियमों का कल्पित एवं सम्पूर्ण ज्ञान तथा उदनुसार अचूक व्यवहार। इसके अंतिरिक

की गई सारी दीवधूप के बल तालत रास्ते पर भटकना, नीतिब्रह्म होना, वास्तविकता से दूर जाना तथा मोती छोड़कर सीपी के पीछे दौड़ना है।

अब यह देखने का प्रयत्न करें कि यह सत्य क्या है ? जब मैं कहता हूँ कि मैं सत्य बोलता हूँ तब उससे मेरा क्या मतलब होता है ? उसका यह अर्थ है कि मुझे वस्तुस्थिति जैसी दिखाई दी मैं उसका दृष्टव्य वर्णन कर रहा हूँ । जब मेरा कथन सुनने वाला मिश्र कहता है—‘हीं यह सत्य है’ तब उसका भी यही मतलब होता है कि उसे भी वस्तुस्थिति बैसे ही दिखाई दी है जैसी कि मैंने देखी है । जब बहुत-मेरे लोग मेरे सत्य कथन की पुष्टि करते हैं तब उन सब लोगों को भी वस्तुस्थिति का वर्णन मुझ जैसा ही हुआ होता है । किसी विशेष घटना के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण पूर्ण अनुभव एक जैसा ही होता है । किसी घटना का ज्ञान और उसकी अभिव्यक्ति की पूर्णता का अर्थ है सत्य । मुझे सत्य का जो दर्शन हुआ है उसके अनुसूच यदि मैंने आचरण किया तो लोग मुझे सत्याचरणी कहेंगे । इस प्रकार वस्तुस्थिति, उसका दर्शन, उसकी अनुभवजन्य अभिव्यक्ति और उस दर्शन के अनुसार आचरण—इन सबके योग से ही सत्य के पूर्ण स्वरूप का दिग्दर्शन होता है । लेकिन यह भी हो सकता है कि किसी घटना का ज्ञान होने पर भी हम उसे व्यक्त न करें । वह ज्ञान हम अपने पास ही रख लेते हैं । किर भी यह कहा जाना चाहिये कि हमें सत्य का दर्शन है । क्योंकि यहाँ वस्तुस्थिति का उसके नैसर्गिक रूप में व्याधि ज्ञान हो गया है लेकिन यहाँ हमारा सत्याचरण के बाल विचार रूप में ही है । मान लोंजिये, हमें वस्तुस्थिति का ज्ञान है, हम उसे व्यक्त भी करते हैं; लेकिन हमारा आचरण उसके अनुसार नहीं होता । ऐसे समय यह कहा जायगा कि यथापि मैं विचारों और उसकी अभिव्यक्ति में सत्यवान हूँ तथापि प्रश्यक आचरण में वैसा नहीं हूँ । लेकिन जब हमें वस्तुस्थिति का पूरा ज्ञान होता है, उस ज्ञान को हम पूरी तरह व्यक्त करते हैं और उसके अनुसार आचरण भी करते हैं

तभी यह कहा जायगा कि हमें सत्य का दर्शन हो गया है। हम सत्य को अभिव्यक्त करते हैं और सत्याकरण करते हैं। अर्थात् हम सब पूरी तरह सत्यवान हैं।

कहुँ बार ऐसा भी हो सकता है कि सत्य को व्यक्त करना और उसके अनुसार आचरण करना हमारा कर्तव्य नहीं होता। ऐसे समय सत्य का ज्ञान प्राप्त करके लक जाना भी पर्याप्त होगा। उदाहरणार्थ, कल्पना कीजिये कि मैं सूर्योदय का सुहावना दृश्य देख रहा हूँ। उस समय मैं उस सूर्योदय का केवल ज्ञान ही प्राप्त करता हूँ और इच्छा हो तो अपने मिश्रों पर उसे प्रकट करता हूँ। लेकिन उस नैसर्गिक सत्य के अनुसार आचरण करने की जिम्मेदारी मुझपर नहीं आती। लेकिन किसी विशेष स्थिति में सत्य व्यक्त करना या उसके अनुसार आचरण करना आवश्यक होने पर भी यदि किसी व्यक्ति ने बैसा नहीं किया तो अपने कर्तव्य से च्युत होने का दोषी वह विश्वित रूप से माना जायगा। आहये, और उदाहरण लीजिये। मनुष्य को हत्या पाप है और उसे होने देना ठीक नहीं। इसका मतलब यह है कि मैं जानता हूँ कि खून करना पाप है। इसके बाद यदि हम किसीका खून होता हुआ देखें तो अपने प्राणों को भी संकट में डालकर उसे बचाना हमारा कर्तव्य होगा। और जिनपर समाज के नियम व व्यवस्था क्रायम रखने की जिम्मेदारी है उन्हें वस्तुस्थिति की जानकारी करना भी मेरा कर्तव्य है। लेकिन यदि हमने इसमें से कुछ भी नहीं किया तो यह कहा जायगा कि न तो हम सत्य बोलते हैं न सत्याकरण ही करते हैं। वह मेरे कर्तव्यपालन की सबसे बड़ी भूल होगी। अतः सत्य का कोरा ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा। अनुभूति और ज्ञान का सौंदर्य न्यायोचित और सत्यपूर्ण भावणा एवं तदनुरूप आचरण में ही है। यथार्थ अनुभूति या सत्यज्ञान का अवृत्त के बाल निष्क्रिय चिन्तन और ध्यानलयानबाजी में ही नहीं होना चाहिए वस्त्रिक जहाँ काम करने की आवश्यकता हो वहाँ अचूक कृति के द्वारा वह होना

वाहिये। अचूक व उपयुक कर्म अर्थात् सत्य का प्रत्यक्ष आनंद ही हमारी कल्पना है, यदि हम इसमें पिछळ गये तो हमें सब कहीं पिछड़ना पड़ेगा। जीवन को पूर्ण बनाने की दृष्टि से या जीवन को सफल बनाने की दृष्टि से हम असफल ही सिद्ध होंगे।

यह भी हो सकता है कि हमें वस्तुस्थिति का यथार्थ ज्ञान ही न हो। हमारा ज्ञान मुटिल्यां या सदोष भी हो सकता है। ऐसे समय हम यही कर सकते हैं कि जितना सम्भव हो हमें सचेत, विकाररहित और निष्काम बनकर ज्ञान प्राप्त करने के साथन अधिकाधिक शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब-जब हमें ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिले तब-तब अपनी त्रुटियों को सुधारने का भी मौका मिला करेगा और जो चिन्ताएँ मैं कर रहा हूँ उसकी पुनः पुनः जांच-पढ़ताल करके शुद्ध हस बात का निश्चय या विश्वास कर सकूँगा कि मैं केवल सत्य की ही अनुभूति करने के लिए हद दर्जे का प्रयत्न कर रहा हूँ। किसी समय यह भी हो सकता है कि हमारा वस्तुस्थिति या सत्य का ज्ञान पर्याप्त विकसनीय होने पर भी केवल हमारी अभिव्यक्ति ठीक न हो। ऐसे समय पर भी जागरूकता और अचूक शब्दों का जुनाव सत्यमन्त आवश्यक है। इसी प्रकार हमारे ज्ञान और उसकी अभिव्यक्ति के निर्दोष होने पर भी आचरण में निष्क्रियता आ सकती है। ऐसे समय में निर्भय साथ ही विनम्र स्पष्टवक्ता किन्तु निरभिमानी और सबसे अधिक उत्तम अर्थात् पराकाष्ठा के प्रामाणिक कर्मयोगी बनने का हम प्राप्तिपद्धति से प्रयत्न करेंगे। हस सबका यही मतलब नहीं है कि सत्य के प्रति अगावे नैसर्गिक प्रेम-भाव, आत्म-शुद्धि व आत्मविरीक्षण और सदैव सत्य के प्रत्यर प्रकाश में रहने का अविचल निश्चय करके हनुमों को प्राप्त करने का हम प्रयत्न करेंगे।

मनुष्य अपूर्ण है, अतः वह विश्वास के साथ नहीं कह सकता है कि—‘यही बात सत्य है’। क्योंकि ज्ञान का ज्ञान धीरे-धीरे प्राप्त करने का प्रयत्न सभी कर सकते हैं और अपने ज्ञान पूर्व शक्ति के अनुसार

हमें जो अनुभूति हुई है, उसे हम कह सकेंगे कि—‘वह यह है’। अपनी सीमाओं के इस ज्ञान के कारण ही हमें विनम्र होना चाहिए। हमें सत्याग्रही बनने की हठ छोड़ देनी चाहिए और अपने मत को दूसरों पर लादने का मोह भी छोड़ देना चाहिए। और केवल इतने भर के लिए ही दूसरों पर क्लेश लादने के बजाय हमें खुद उसे सहन करना चाहिये।

अग्रिम जलाती है, प्रकाश अन्धेरा दूर करता है, अग्नि जीवनदायी है, भूखे को भोजन कराना चाहिये, दुःख मिटाना चाहिये, पापों का अन्त करना चाहिये, अन्याय का प्रतिकार करना चाहिये, अन्त में सत्य की ही विजय होती है—ये सब बातें सत्य हैं। कभी-कभी हम नियमों का हमें अनुभव होता है और उसके आधार पर हम हनपर थोड़ा-बहुत विश्वास भी करते हैं। कुछ अस्पष्ट रूप से व्यर्थों न हो लेकिन हम सबमें सत्य के और जीवन के नियमों का ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति रहती है। अन्यथा एक चला के लिए भी हमारा जीवित रहना असम्भव हो गया होता। अवास्तविकता के आधार पर कोई भी हमारत खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन हमें सत्य को देखने की अपनी शक्ति को भी अचूक और तीचण बनाना चाहिये। स्वच्छ आहने में ही वस्तु का हृष्टहृ प्रतिबिम्ब दिखाई देगा, शान्त स्वच्छ पानी में ही ऊपर का आकाश उयो-का-स्त्रों दिखाई देगा। अतः सत्य का पूर्ण अनुभव करने के लिए हमें अपना मन भी स्वच्छ बनाना चाहिये और आत्मशुद्धि करते रहना चाहिये।

समान गुण-धर्म तुरन्त एक-दूसरे के पास आ जाते हैं। उसी प्रकार सत्य को सत्य की और आत्मा को आत्मा की प्रचीति या अनुभूति बड़ी जल्दी होती है। इसीलिए जबतक हम स्वयं ही आत्म-स्वरूप नहीं बनते तबतक विष भर में व्याप्त रहने वाली आत्मा का ज्ञान हमें नहीं हो सकता। किर उससे तदाकार हो जाना तो उससे भी उत्तादा मुरिकक है। जबतक हम अपने ही प्रति सत्यनिष्ठ नहीं होते

तथतक हमें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। समूर्ख सत्य की अनुभूति करना, उसके अनुसार व्यवहार करना और उसीमें निमग्न रहना—यह सब आदर्श है। हमें अपने इस नशर जीवन में यदि कभी उसकी परिपूर्ण अनुभूति नहीं हुई हो तो वह अधिकांश में अवश्य हो सकती है। इसके लिये हमें सिर्फ़ इतना ही करना है कि उस आदर्श को अपने जीवन में उठाने के लिए हम अपने जीवन का एक-एक चला शक्ति भर प्रथलन में व्यतीत करें।

सत्य की ओर बढ़ने का यदि कोई एकमात्र साधन हमारे पास है तो वह है हमारा मन। यह साधन, यदि अपूर्ण और ऊटपटोग है तो वह उतना ही आवश्यक भी है। हमारी पाँचों हन्दियों मन का साधन है। वे उच्च कोटि की हों सो बात नहीं। तो भी हमें उन्हींपर अवश्यकता रहना है। परेन्द्रिय और मन के आइने में ही हमें सत्य को देखना होगा। सत्य का प्रतिक्रिया ठीक-ठीक पढ़ने देने के लिए उन साधनों को हमें स्वच्छ रखना चाहिये। अर्थात् शारीरिक और मानसिक दोनों हाइंडों से हमारा जीवन शुद्ध और सुद्ध रहना चाहिये और सत्याग्रही के जीवन में जो अनुशासन, संयमन, अनासक्ति, स्वार्थस्थाप, शान्ति, धैर्य आदि गुणों का महस्वपूर्ण म्यान है वह इसी-लिए। वस्तुतः शुद्ध और अदिग चारित्य की पूजी से ही सत्याग्रही अपना जीवन प्रारम्भ करता है।

परन्तु केवल सत्य को समझ लेने से आधा भी काम नहीं हो सकता। सत्यानुसार आचरण करने से ही सत्याग्रही को वह पद प्रधानतः प्राप्त होता है। विशेषतः अस्याचारी या प्रतिगामी शक्ति का विरोध ही जाने पर वह ऐसे ही समय अपने कृत्ययात्रा का स्वतन्त्र मार्ग काम में छाता है। वह सदैव चिना किसी अपवाह के सत्याचरण करता है और उसे वेरोक अहिंसा के द्वारा ही करता है।

सत्याग्रही के वक्त्र प्रेम के ही द्वारा सत्य प्राप्त करने में विश्वास रखता है। यह विश्वास ही उसका मूलाधार है। वह उसका धर्म ही

है। उसपर उसकी निर्विकल्प निष्ठा होती है। उसके इस विश्वास के ऐसे कारण भी होते हैं। वस्तुतः सत्य ही विश्व का आधार है जिसका अस्तित्व है उसका अनुसरण करके जो रहता है वह है सत्य, वह उसका मूल अर्थ है। वह शाश्वत और अविनाशी है। सत्य—विश्व के कानून पर—यदि हम विश्वास न रखें तो किस पर रखेंगे। हजारों वर्ष पहिले से ही हिन्दी तत्त्व-ज्ञानियों ने—‘सत्यमेव जयते’, ‘सत्याकाहित परोधर्म’ आदि आदेश दे रखे हैं।

दूसिया अफ्रीका में अपने सत्याग्रह आनंदोलन की पहिली अवस्था की विजयकुल शुरुआत में ही नाथीजी को स्पष्टतः अनुभव हुआ कि सत्य की साधना तथा द्वेष अथवा प्राणियों की हत्या और सम्पत्ति का नाश आपस में एकदम बेमेल हैं। सत्यमय एवं प्रामाणिक जीवन में थोड़ा-सा भी असत्य और द्वेष तथा अत्यन्त चुद्र प्राणियों के प्रति भी निर्देशता अथवा हानि पहुँचाने की भावना तिलमात्र नहीं रह सकती।

प्रेम मानवी जीवन का सिद्धान्त है। प्रेम के आधार पर ही समाज की रचना हुई है। यदि ऐसा न होता तो कोई भी समाज अस्तित्व में न आया होता और मानव जाति भी अबतक नहीं होगई होती। प्रेम का द्वेष पर, अहिंसा का हिसा पर और सृजनात्मक शक्ति का विनाशात्मक शक्ति पर प्रभुस्व होने के कारण ही जीवन सुसज्जा, समृद्ध और अखण्ड रहा है। सच पूछिये तो जीवन का उदय ही प्रेम से हुआ है। जीवन प्रेम की बदौलत ही कायम रहता है और प्रेम के कारण ही उसे पूर्णता प्राप्त होती है। अतः प्रेम मार्ग के अवश्यक्त्व से ही केवल प्रेम की अनुभूति होती है। द्वेष और हिसा का मार्ग केवल असत्य की ही ओर के जाता है। हिसा तो जंगली जीवन का निवाम है और अहिंसा अथवा प्रेम मानवी समाज का नियम है। इसलिए सत्याग्रही सत्य की साधना करता है और वह भी अहिंसा के ही द्वारा।

इसके अतिरिक्त हम जैसे नश्वर, पापशम जीवों के लिए अहिंसा ही सबसे ज्यादा सुरचित मार्ग है क्योंकि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि जिसे हम सत्य मानते हैं और उस समय हमें जिस बात में सत्य का विश्वास हो जाता है सम्भव है कि वह पूरी तरह सत्य न हो। और यदि इस बीच हमने अपने उस अद्वितीय को दूसरों पर लादने के लिए हिंसा का अवलम्बन किया तो हमसे एक धोर प्रभाव हो जायगा और दूसरों को व्यथा ही कष्ट देने जैसा हो जायगा। लेकिन यदि इसके विरुद्ध अहिंसा का मार्ग अपनाया तो हमें ही वह कष्ट उठाना पड़ेगा। हम शुरू में ही यह स्वीकार कर लेते हैं कि सत्य का अर्थ लगाने में हमसे गलती हो सकती है और इसीलिए दूसरों को कष्ट देने की अपेक्षा हम खुद ही उसे उठाने को तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार दूसरों को हमारे मत के कारण या भूल के कारण कोई कष्ट न उठाना पड़ेगा और हमारा कष्टसहन भी व्यर्थ नहीं जायगा, क्योंकि उससे हमारी आभृत्युद्धि होगी। हमें बढ़प्पन मिलेगा और दूसरे लोगों में भी समझदारी आवेगी। और यदि सत्य हमारे पक्ष में है, हमारा त्याग पूरा-पूरा शुद्ध है तो अधर्शय हो विरोधियों के विचार बदल जायेगे। किसी को दबा देने की अपेक्षा उसका मत परिवर्तन कर देना ज्यादा अच्छा है। इसी प्रकार मनोविज्ञान का सिद्धान्त है कि अत्याचार करने की अपेक्षा मत परिवर्तन कर देना अधिक ढँचा व अच्छा मार्ग है।

'जैसे के साथ तैसा' व्यवहार करने या उपकार का बदला अपकार से देने में कौनसी अच्छाई या बढ़प्पन है। इससे तो हिंसा का प्रभाव अल्पता चिरकालीन हो जायगा। यदि किसी भी स्वरूप में या किसी भी कारण से हिंसा की तो मानवता का अधःपतन अवश्य ही होगा। जो हिंसा करता है और जिसके विरुद्ध करता है—यदि उसकी प्रबृत्ति अहिंसामय न हो तो उससे दोनों का अधःपतन ही होता है। यदि हमने अपने हिंसक शब्द को हिंसा का अधर्शय लेकर मार डाला तो यह

सत्य है कि वह मर जायगा लेकिन इससे खुद अहिंसावृत्ति को ही जीवनदान देने जैसा हो जायगा। उचित एवं उदात्त मार्ग तो है सत्प्रवृत्ति का दुष्प्रवृत्ति के ऊपर, प्रेम का द्वेष के ऊपर, अहिंसा का हिंसा के ऊपर, शान्ति का अशान्ति के ऊपर और सत्य का असत्य के ऊपर विजय पाना। इसके अतिरिक्त संसार में अन्याय मिटाने का दूसरा रास्ता ही नहीं है। इस प्रकार अहिंसा एवं कष्टसहन के द्वारा सत्याप्रही पहिले तो अपने मन के ही अन्याय और द्वेष का ढेरा हटाता है और इस प्रकार फिर संसार से भी इसे हटाने की मार्ग प्रशस्त करता है।

इस प्रकार प्रयुक्त प्रेम या आत्मिक बल पाशवी शक्ति की अपेक्षा सस्कृति के उत्थान के लिए अधिक निश्चित प्रभावी और श्रेष्ठ है। मनुष्य कोई चलता-फिरता नश्वर शरीर नहीं है, उसमें अविनाशी आत्मा निवास करती है। यही विश्वास उसके बल का मूल आधार है। इस-लिए सत्याप्रही अत्याचारी अधिकारियों के सामने निढ़र होकर सीना खोले खड़ा रहता है। क्योंकि उसे इदं विश्वास रक्ता है कि अन्त में सत्य की ही विजय होगी।

मनुष्य की सत्प्रवृत्ति में सत्याप्रही की बेहद निष्ठा होती है। उसे विश्वास होता है कि प्रेम, सेवा, कष्टसहन और त्याग को इस सत्प्रवृत्ति की सहायता मिलती है। चाहे हम समझें या न समझें, चाहे हम स्वीकार करें या न करें प्रेम का सिद्धान्त गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त के अनुसार बेरोक अपना काम करता रहता है। दु साहस से नहीं बल्कि इसी प्रकार के विश्वास के बल पर सत्याप्रही आनन्दान के मौके पर अपना जीवन बलिदान कर देने के लिए तैयार हो जाता है। उसका यह इदं विश्वास होता है कि यदि बाजी मर ली तो अच्छा ही है अन्यथा शहीद के खून की बूँदें भावी वीरों के बीज बनेंगी।

सत्याप्रही का जीवन मानो आत्मशुद्धि, सत्यम्, सेवा, स्वार्थत्याग, आत्मसमर्पण आदि गुणों का एक अखण्ड एवं आनन्दमय क्रम ही है। सत्याप्रही सत्य के स्पष्ट ज्ञान एवं प्रभावशाली इच्छा स्वरूप का

अधिकाधिक शुद्ध साधन बने इसके लिए सतत प्रयत्न करता रहे। उसमें अत्यन्त विजयता होती है और वही निष्ठा के साथ वह सत्य की साधना करता है। वह सारे स्वार्थी उद्देश्यों को स्थौर देता है और आसकि से अपने को मुक्त कर लेता है। वह निरन्तर आरमनिरीच्य करता है और मन के मैल को धो डालने का प्रयत्न करता है। सत्याग्रही मानो मूर्तिमान् विजयता ही है। अपनी समझ और शक्ति के अनुसार वह अपने को रचनात्मक काम तथा अपने भाइयों की सेवा में लगा देता है। उसके भाइयों को उसकी इस सेवा से शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक स्वस्थता प्राप्त होती है।

यदि उसे यह विचार हो जाता है कि उसके काम में बाधा डालने वाली शक्तियाँ प्रतिगामी एवं न्यायसंगत नहीं हैं तो वह साहस के साथ उनका मुकाबला करता है। वह इस कारण से हिसास का स्थाग नहीं करता कि वह कमज़ोर है बल्कि वह तो इसी विचास से इस भार्ग का भवजाम्बन करता है कि हिसा दुर्बलों का शम्भा है। सबसे पहिले तो वह इस बात का विचास कर लेता है कि सत्य उसके पक्ष में है फिर यदि वह अकेला भी रह जाता है तो एकाकी ही मुकाबले के लिए आगे बढ़ जाता है। किन्तु हाँ, वह अन्यायी से द्वेष—अग्रीति नहीं रखता। उसके साथ सत्याग्रही का व्यवहार अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण एवं सहनशीलतायुक्त होता है। उसके लिए वह सृत्यु का भी आलिङ्गन करने को तैयार हो जाता है। उसे टड़ विचास होता है कि केवल कष्टसहन के द्वारा ही उसके तथा उसके विरोधी के बीच का कर्क दूर हो जायगा और वह अपने विरोधी के हृदय तक पहुँच सकेगा। अपने विरोधी को भय दिल्लाकर नहीं बल्कि उसकी सत्-प्रवृत्तियों को जाग्रत करके उसे जीतने का प्रयत्न करता है। यह जिस काम को हाथ में लेता है उसके लिए पहिले जनमत को अनुकूल बनाता है और फिर उसके बल पर मुकाबले की शुरुआत करता है। सत्याग्रह व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए

कभी नहीं किया जाता। उसका उपयोग हमेशा दूसरों के ही हित के लिए किया जाता है।

सत्याग्रही के हिस्से में जो कहसहन आता है उसका रूपान्तर उस आनन्द में होता है जो अपने प्रेम-विद्वान् की खोज से प्राप्त होता है। उसे मालूम रहता है कि संसार की कोई भी शक्ति मेरी आत्मा को धक्का नहीं लगा सकती और कोई भी शक्ति अपनी सत्ता मुक्तपर नहीं जमा सकता। कष्टसहन बन्धन में पढ़ी हुई आत्मा को मुक्त करने का ही मार्ग है। सत्याग्रही पूर्ण रूप से अपने ऊपर ही अब-लम्बित रहता है और उसकी निष्ठा अपार होती है। शुद्ध अन्तःकरण तथा निःस्वार्थ कृति से किया हुआ प्रत्येक काम ही उसका पुरस्कार या पारितोषिक होता है। अतः वह फल की चिन्ता नहीं करता। उसकी इटि में साधन की इष्टानिष्ठता साध्य से नहीं छहरती; बल्कि वह अन्तिम साध्य की अपेक्षा साधनों को ही ज्यादा महसूस देता है। सत्यमय जीवन विताने के बराबर श्रेय वह किसी भी काम में नहीं मानता।

जितनी तन्मयता से तार पर कसरत करने वाला अपना काम करता है उतनों ही तन्मयता से सत्याग्रही भी अपना मार्ग साफ करता है। अन्याय को देखते ही वह अपनी सारी शक्ति लगाकर ढंसपर ढूट पड़ता है। हार जैसा शब्द तो उसके शब्दकोष में मिलता ही नहीं है। क्योंकि शक्ति को जीतने के प्रयत्न में यदि मृत्यु का आँखिगम करना पड़े तो वह भी आत्मा की शरीर पर विजय ही है। अपने ध्येय के लिए दृढ़तापूर्वक लड़ते-लड़ते वह सदैव विपक्षी से समझौता करने के लिए तैयार रहता है बशर्ते कि उसमें अपमान व सिद्धान्त भी न होता हो। कारण यह है कि वह अपने सत्य के ज्ञान के संबन्ध में दुराग्रह नहीं रखता और दूसरे पक्ष पर भी विचार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है।

वह प्राणीमात्र को समर्पित से देखता है आतः वह विलकुल निर्भय रहता है। बल्कि यह भी कह सकते हैं कि उसमें निर्भयता का योद्धा अतिरेक भी होता है। सारे विषय में उसके लिए कोई पराया नहीं होता फिर वह किससे ढेरे? उपनिषद् में कहा गया है कि जहाँ द्वैत भावना है वहाँ भय मौजूद ही समझना चाहिए। जहाँ आद्वैत है वहाँ भय का क्या काम? और फिर द्वैष तो होगा ही कैसे? और यदि द्वैष का अस्तित्व ही नहीं होगा तो दूसरों को सताने की प्रवृत्ति होगी ही नहीं। फिर वहाँ हिंसा की क्या ज़रूरत? सत्याग्रही सारी सामवज्ञाति को कुटुम्ब की तरह मानता है और वह हमेशा इसी बात के लिए प्रथमशील रहता है कि मनुष्य-मनुष्य और समूह-समूह के बीच स्पर्धा और कटूता का अन्त हो। सत्याग्रही एकता और मेल वा सामर्ज्य का प्रेरणा होता है और अपने विश्वप्रेम की भावना के कारण वह इसे व्यवहार में लाने का प्रबलन करता रहता है।

.सत्याग्रही स्वभावतः ही शान्तवृत्ति होता है। लेकिन उसकी शान्तिप्रियता का अर्थ सौख्यासक्ति, निपक्षियता, झगड़ा टालने की या यदि वह हो ही गया तो उससे दूर रहने की प्रवृत्ति नहीं है। यह बात भी नहीं है कि वह झगड़ों की राह ही देखता बैठता है। लेकिन एक आदर्श योद्धा की भाँति वह उसके लिए भी तैयार रहता है। वह प्रधानतः एक कर्मवीर हांसा है और अन्याय के प्रतिकार करने का तो मानो उसने कंकण ही बांध रखा है। वह मानता है कि बाह्य अन्याय हमारे आन्तरिक अन्याय का ही प्रतिविम्ब होता है। और वह उसे इसी भावना से मिटाना चाहता है कि वह उसके ही एक अंग का अन्याय है। अपनी ही भाँति वह अपने शत्रु की भी भावना का आदर करता है। अपनी खुद किसी भुरी आदत को छोड़ते समय वह जिस प्रकार का व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार वह ऐसे समय करता है। अपने किसी दुरुरुचि को मिटाने के लिये वह अपने को ही मार नहीं डालता। पैर को कम-से-कम तकलीफ देकर ही कांडा

निकालना चाहिये। अन्यथा, अनुचित व्यवहार करने वाले अथवा विरोधी को वह द्वेष-भावना या उपहास की रुह से नहीं देखता बल्कि सहानुभूति और दयालुता की नज़र से देखता है।

केवल एक बँड़ी बात में वह अनुचित व्यवहार करने वाले को अपने बराबर नहीं मानता। वह अपने को सज्जा दे लेगा अथवा अन्त तक कर देगा और अपने दोष मिटाने के लिये न जाने क्या-क्या कष्ट उठा लेगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि इस तरह का अपने जैसा ही व्यवहार वह अनुचित व्यवहार करने वाले के साथ भी क्यों नहीं करता? ऐसी सज्जा उसे क्यों नहीं देता जिससे उसके प्राणों को घस्सा न लगते हुए शरीर को कष्ट पहुँचे। अथवा वह अपने विरोधी की सम्पत्ति और सगे-सम्बन्धियों पर हमला करके उन्हें परेशान क्यों नहीं करता? इसके कारण अत्यन्त स्पष्ट और प्रकट हैं। वह अपने सम्बन्ध में जितना स्वतन्त्र रह सकता है उतना दूसरों के सम्बन्ध में नहीं। अपने बारे में तो वह यह देख सकता है कि जो कुछ कर रहा है, उसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है और इसलिए वह उसके अनुरूप साध्य तथा साधन में सामर्ज्य भी स्थापित कर सकता है। लेकिन विरोधी के अनुचित व्यवहार का वह ठीक-ठीक अनदाज़ा नहीं लगा सकता ऐसी दशा में उसे अपने विरोधी पर कष्ट लादने का क्या अधिकार है? इसलिए वह विरोधी के हाथों स्वयं भी कष्ट उठाने का मार्ग नुनता। है और उसके हृदय को स्पर्श करके उसकी विवेकबुद्धि को जाग्रत करने का प्रयत्न करता है। वह विरोधी को अपना सुधार करने का मौका देता है, स्वेच्छा से अंगीकृत कहसहन, आश्मशुद्धि व आत्मो-ज्ञाति का साधन होता है; दूसरों के द्वारा लादा हुआ कहसहन नहीं। विरोधी पर कष्ट न लादने का एक और कारण यह है कि उस कष्ट का परिणाम सन्तोषजनक न होकर उसटा हानिकर होने की भी सम्भावना रहती है। विरोधी की अपनी भी एक विशेष भूमिका रहती है और कष्ट लादने से वह और ज्यादा मज़बूत हो सकती है। कष्ट

खाइने से उसमें द्वेषशुद्धि जाप्रत हो जाती है और बदला लेने की भावना का पोषण होने लगता है। इससे उसके आत्मसम्मान को भी डेस पहुँचती है और भावना के शुद्ध होने के बजाय वह अधिकाधिक विश्वासी जाती है और उसकी अवर्नति होने लगती है। ऊपर से खाइ तुए कट के कारण भीरुता और उसके साथ ही क्रोध-द्वेष आदि सारे दुरुण्यों की प्रबलता उसमें होने लगती है। इन सब कारणों से सत्याग्रही स्वयं कष्ट उठाना ही परम्परा करके आत्मशुद्धि और विरोधी का हृदय परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है—एक पंथ दो काज करने का प्रयत्न करता है।

हिसासे हिंसा को, बड़े डर से छोटे डर को, या अन्याय से अन्याय को भिटाने का प्रयत्न करना गन्दगी से गन्दगी दूर करने का प्रयत्न करने जैसा ही है। ऐसा करना मानो यह सिद्ध करना है कि हमारी युक्ति और दांवपेंज अनुचित एवं गलत ये। एवं हमारी योजना अधिक अच्यवस्था। पैदा करने वाली है। सत्याग्रही आत्मशुद्धि के बल पर हम काम को हाथ में लेता है अर्थात् उस अंश तक वह अन्याय पर विजय प्राप्त करना प्राप्तम् करता है। निःस्वार्थ सेवा और आनन्दपूर्वक कष्टसहन उसकी आत्मशुद्धि के साधन होते हैं।

सत्याग्रही कर्मयोगी होता है। उसका जोवन बड़ा आनंदोलनमय और समर-प्रयत्नों से भरा रहता है। संसार में ऐसे कितने ही अच्छे सिद्धान्त हैं जिन्हे अपनाना चाहिये। साथ ही संसार में ऐसे कितने ही अन्याय भी हैं जिन्हे हमें लड़ना चाहिये। लेकिन कोई भी अन्याय उसका रास्ता रोक नहीं सकता और कोई भी तात्कालिक हार उसे भुका नहीं सकती। वह इस दृष्टि विश्वास से अपना काम करता रहता है कि आन्त में सत्य की ही विजय होगी और वह भी अहिंसा जैसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग के ही द्वारा।

जीवनपथ और सामाजिक शस्त्र

सत्याग्रह एक जीवनपथ है। इसलिए सत्याग्रही के लिए उसकी सम्पूर्ण सिद्धान्त-प्रणाली स्वीकार करके उसे कार्यरूप में परिणाम करने का अविराम प्रयत्न करने की ज़रूरत है। यद्यपि यह विचार-घारा पुरानी है तथापि गांधीजी के जीवन में व्यक्त होते हुए उसका स्वरूप हरे-हरे कोमल तृणांकुरों की भाँति लहराता हुआ दिखाई देता है। गांधीजी ने ही सत्याग्रह को जीवनपथ जैसा व्यापक अर्थ प्रदान किया है। सत्याग्रह शब्द में इतनी व्यापकता भर देने का अर्थ गांधीजी के उन अनेक प्रयोगों को है जो उन्होंने अपने दीर्घ, अच्छयन-शील, परिश्रमी और आत्मन्त जागरूक जीवन में एक के बाद एक किये हैं। सत्याग्रह अब कोरी वैयक्तिक शान्ति और युक्ति प्राप्त करने के लिए संन्यासियों के काम का मार्ग नहीं। सत्याग्रही का जीवन सारी मानवता से ही समरस रहता है। तथा आक्रमण एवं पीड़न का सतत मुक़ाबला करने में ही बीतता है। प्रत्येक रूप में अन्याय और सत्याग्रह परस्पर बिल्कुल बेमेल हैं। जबतक संसार में अन्याय बाढ़ी है तबतक सत्याग्रही को शान्ति या चैन मिलना असम्भव है। अपना काम पूरा करने तक उसे न मरने की फुरसत रहती है न मुक्ति प्राप्त करने की। अनेक सेवों में भिन्न-भिन्न कारणों से वह लगातार लड़ता ही रहता है।

महावीर और बुद्ध, सुकरात और ईसा तथा अन्य अनेकानेक संत महात्माओं ने सत्य की स्तोज की और वह भी प्रेम के ही हारा।

लेकिन उपदेशों का जनमत पर जो प्रभाव पड़ा वह यह है कि धर्म जीवन के दूसरे प्रसंगों से अलग किया जा सकता है और मानो उनके उपदेश धार्मिक देवता तक ही सीमित हैं। जोगों की यह धारणां बनती हुई दिखाई देती थी कि उनके उपदेशों का उपयोग ऐहिक जीवन के बजाय पारमार्थिक जीवन के लिए ही है। लेकिन गांधीजी के उपदेशों में ऐसी शालत धारणा के लिए कोई स्थान नहीं है। वे कहते हैं कि इसी शरीर और इर्ही आँखों से सत्य और अहिंसा की प्रस्थापना करने में जीवन लगाना ही मेरा ध्येय है। सृष्टु के बाद के पारमार्थिक जीवन की आज चिन्ता करना ज़रूरी नहीं है। केवल योगायोग से नहीं बल्कि एक नये पाप से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सभी लेन्ड्रों में पदार्पण किया है।

उनका सबसे अधिक ध्यान है आचरणात्मक सत्य की ओर। दूसरे उपदेशों की अपेक्षा वे जीवन से अधिक समरस हुए हैं। जीवन एक प्रक्रिया है जो प्राण-रूपी प्रेरणा द्वारा निरीन्द्रीय शक्ति को आत्मसात करके उसको संग्रह करने वाले ठीक-ठीक कर्म के द्वारा उसको अभिव्यक्ति करती है और उस अभिव्यक्ति की बदौलत ही प्रगति करती जाती है। हम प्रकार जीवन पूर्णतः कर्ममय हैं। केवल विचार ध्यान या कल्पना करते रहना ही जीवन नहीं है। जीवन का अर्थ है हमें कार्य भवृत्त करने वाली अदृश्य शक्ति। तुदि जीवन का स्पष्टीकरण करती है और कर्म या कृति के नये-नये पर्याय हमारे सामने रखती है। ध्यान, एकाग्रदुदि से जीवन-प्रवाह में स्थिर होने का और जीवन के रहस्य में प्रवेश करने का प्रयत्न करता है। तो कल्पना जीवन की भिज्ञ-भिज्ञ समस्याओं के साथ खेल खेलती है। परन्तु जीवनकर्म का अस्तित्व प्रवाह चालू ही रहता है और जो व्यक्ति ज्यादा-से-ज्यादा अचूक कर्म करता है वही बास्तव में जीवन के गतिशास्त्र में तृद्विं करता है। गांधीजी जीवन को उस कर्मवीर के जीवन की भूमिका में से

देखते हैं जो अपने जीवन के सत्य, अपनी नैसर्जिक प्रेरणा और जीवन की रचनात्मक प्रकृति अर्थात् प्रेम से अधिकाधिक समरस होने की चिन्ता रखता है। प्रेम एवं कष्ट-सहिष्णुता के अपने नवीन मार्ग के द्वारा संसार के सब अन्यायों और दुःखों का मुकाबला करने के लिए सत्याप्रही बाध्य है। सत्याप्रही जीवनपथ और अन्याय का प्रतिकार करने का सत्याप्रही हथियार इनके बीच की कड़ी यही है। सत्याप्रही पीछित संसार को नया सुखस्कृत किन्तु साथ ही एक प्रभावशाली हथियार दिखा देता है। उसे मालूम रहता कि उसका जीवनक्रम सभी लोग जलदी-से-जलदी ग्रहण नहीं कर सकेंगे कुछ भी उलटा-सुलटा करके दूसरों को अपने रास्ते में खींच लाना उसका उद्देश्य नहीं होता। अतः जिस समय लोग उसे किसी मुसीबत में फँसे दिखाई देते हैं उस समय उन्हें सत्याप्रह के अवलम्बन की सलाह देने और उनकी यथाशक्ति मदद करने में ही संतोष मानता है। यदि लोग उसकी सलाह को स्वीकार करते हैं तो वह परिस्थिति का अध्ययन करके उनकी शिकायत के खिलाफ तात्कालिक हथियार के रूप में सत्याप्रह का प्रयोग करने के लिए एक नियम क्रम या अनुशासन कायम कर देता है। लेकिन यदि लोगों ने किसी खास उद्देश्य की सिद्धि के लिए सत्याप्रह का अवलम्बन किया तो भी निश्चित अनुशासन का अचूक पालन अत्यन्त जरूरी होता है। कम से कम इतना अनुशासन तो उनको पालना ही चाहिए। किसी रोगी के लिए डाक्टर का बताया पथ्य जितना जरूरी है उतना ही जरूरी यह अनुशासन-पालन भी है। इस स्थान पर भी सत्याप्रही को जीवन में पालने योग्य अनुशासन और किसी विशेष उद्देश्य के लिए केवल सत्याप्रह के उद्देश्य से पालन किये जाने वाले अनुशासन का अन्तर समझ लेना चाहिए। अवधारनीति के रूप में अंगीकृत सिद्धान्तों का भी कम-से-कम उस समय पुरता तो पूरा-पूरा अवलम्बन करना ही चाहिए। जिसकी सत्याप्रह में इह निहा है उसके लिए ही सत्याप्रह का प्रारम्भ करना और उसे गति देना ज्यादा उचित होता है। क्योंकि जब

ऐसे लोगों के हाथों आनंदोलन का प्रारम्भ और नेतृत्व होगा तभी कम-से-कम-शक्ति और ज्यादा-से-ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। १९१६, और १९२१ तथा १९३० में स्वयं गांधीजी ने सत्याग्रह-नियम का नेतृत्व करना स्वीकार किया था। सन् १९३० में १४ फरवरी को कांग्रेस कार्यसमिति ने जो प्रस्ताव पास किया उसमें कहा गया था कि सैद्धान्तिक रूप में जिनका अहिंसा में पूर्ण विश्वास हो उन्हें ही सविनय अवश्य आनंदोलन का प्रारम्भ करना चाहिए। दूसरे लोग उनका अनुकरण ही करें। इस गीति से आनंदोलन निखिलतापूर्वक एवं अच्छी तरह चलाया जा सकेगा। खास बात यह है कि—“अहिंसा का उपयोग व्यक्ति के लिए भले ही अच्छा हो, समुदाय की दृष्टि से उसका कोई उपयोग नहीं—यह समझना बहुत बड़ी भूल होगी। इतिहास में ऐसे उदाहरण भौजूद हैं जो सिद्ध करते हैं कि केवल विरोधी आदमी ही अहिंसा का प्रयोग नहीं कर सकते बल्कि खी-पुरुषों के बड़े अनुशासित समूह भी उसको व्यवहार में ला सकते हैं। ७-१-३८ के ‘हरिजन’ में गांधीजी ने लिखा है कि—‘अहिंसा के बल पुक व्यक्तिगत गुण ही नहीं है बल्कि दूसरे गुणों की भाँति उपार्जित कर सकते योग्य पुक मार्वजनिक गुण भी है। पारस्परिक व्यवहार में वस्तुतः इसी गुण के द्वारा समाज का नियमन होता है। मैं यह चाहता हूँ कि इस गुण के द्वारा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर इसका व्यवहार किया जाय।’”

जिसे शब्द के रूप में सत्याग्रह का अवलम्बन न करना ही उसे कम-से-कम सत्याग्रह पर कामचलाड़ भड़ा तो रखनी ही चाहिए। दूसरे मार्गों की अपेक्षा इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है। हमारा विरोधी शारीरिक दृष्टि से चाहे कितना ही बड़वान क्यों न हो फिर भी हम इस मार्ग का अवलम्बन कर सकते हैं। चाहे शारीरिक दृष्टि से हम अत्यधिक कमजोर ही क्यों न हों और चाहे हमें वह भी मालूम न हो कि हिंसा का प्रयोग कैसे करें, तो भी यदि हम निर्भय रहें और हमारी इच्छाशक्ति जबरदस्त हो तो अकेले रहकर भी हम अपने विरोधी से

दो-दो हाथ कर सकेंगे। इस प्रकार की लड़ाई में संख्यावल का महत्व नहीं होता। खासकर यह तो नैतिक हवियार है और उसका प्रयोग करते समय यह बात देखने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास संख्यावल हैं या नहीं। आरम्भुद्धि होने पर ही सत्याग्रही इस मार्ग का अवलम्बन कर सकेगा। यदि प्रतिपक्षी के मन को न दुखाने जितनी तैयारी न हो तो भी कम-से-कम सत्याग्रही न अपने शब्द से न आचार से ही प्रतिपक्ष को दुखावेगा। हसी प्रकार उसे अपने अंगीकृत कार्य के लिए ज्यादा-से-ज्यादा स्वाग करने की तैयारी रखनी चाहिए। यदि यह विश्वास न हो कि विरोधी का पूरी तरह हृदय परिवर्तन हो जायगा तो भी उसे आज तक के सत्याग्रह-संग्राम की सफलताओं से यह बत सीखने जैसी जरूर है कि दूसरे किसी भी प्रभावशाली साधन के बराबर ही इस मार्ग में भी विरोधी को मुका लेने की क्षमिं है।

थोड़ी देर के लिये यह मान लीजिये कि किसी लड़ाई में एक बहुत बड़ा जनसमुदाय लगा हुआ है। उसमें कम-से-कम किस अनुशासन की अपेक्षा हम उससे रखें? सबसे पहिली बात तो यह है कि लोगों को उन शिकायतों के दूर करने की सचमुच उत्कट हृच्छा बलिक द्याकुलता हो जिसके लिए उन्होंने लड़ाई शुरू की है। अपने नेता पर उनका विश्वास होना चाहिए। उन्हें डकसाने का कितना ही प्रबलन क्यों न किया जाय अपनी अहिंसा किसी भी दशा में न छोड़ें। उनमें एका होना चाहिए। और कार्यक्रम के बारे में सब प्रायः एक भत्त होने चाहिए। उन्हें हँसते-हँसते सारे कष्ट सह लेने की तैयारी रखना चाहिए। और आन्दोलन का संचालन करने वालों पर आर्थिक सहायता के लिए अवलम्बित नहीं रहना चाहिए। यह अरुरी नहीं है कि सारे ही लोग—जनता—पूरी तरह अहिंसा को सांगोपांग आत्मसात् कर लें। यदि केवल आन्दोलन के संचालकों ने ही अहिंसा को पढ़ा लिया है और जनता उनपर अद्वा रखती है तो काम बदल सकता है। अलवत्ता उन्हें अन्त तक अपने नेताओं की आळा में रहका

चाहिए। जिस प्रकार सशब्द लब्धाई में हम प्रत्येक सैनिक से यह उम्मीद नहीं रखते कि उसे सेनापति के बराबर ज्ञान हो। उसी प्रकार इसमें भी हम जनता से हतनी आशा नहीं रख सकते कि वह आनंदोलन चलाने योग्य सर्वाङ्गीय तैयारी करे। यदि जनता में सेना की भाँति अनुशासन और निष्ठा हो तों काफी है। इसके लिए पूर्व शिक्षा की ज़रूरत है और वह रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा देनी चाहिए। साथार्थातः सत्याग्रह के पहिले रचनात्यक कार्य प्रारम्भ करने चाहिए।

एक हथियार के रूप में सत्याग्रह के भी कुछ महस्त्वपूर्ण अंग हैं। ऐसा नहीं दीखता कि प्रबल पाशवी शक्ति द्वारा पीड़ित पूर्व दलित निषास्त्र जनता के लिए सरलता से काम में लाने योग्य इसके अलावा कोई दूसरा हथियार भी मिल सकेगा। प्रसिद्ध विचारकों और लेखकों में टाल्सटाय, जोड़ और अल्डुस हेक्सले के लेखों का निचोड़ यही है।

: = :

सत्याग्रह की व्यापकता

जिसने एक जीवन-पथ मानकर सत्याग्रह का अवलम्बन किया है उसे बचाव या आकर्षण करने वाले हथियार के रूप में उसका प्रयोग करने में कोई नवीनता नहीं प्रतीत होती। सत्याग्रह की श्रेष्ठता और प्रभावकता पर विश्वास होने से वह अन्य किसी भी मार्ग को तुच्छ समझता है। चाहे उसका विरोधी कोई व्यक्ति हो, कोई समुदाय हो, जाहे कोई प्रस्थापित संस्था हो, सबके मुकाबले में यह एक ही हथियार रहेगा।

लेकिन जो जोग सत्याग्रह की ओर केवल एक हथियार के ही रूप में देखते हैं उनकी बात अलग है। या तो उस स्थिति में चिप्प-भिप्प मार्गों की अपेक्षा उपादा सुविधाजनक मानकर इसका अवलम्बन करते

हैं या उनको विश्वास हो गया है कि इस मार्ग के अलावा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। अतः परिणामस्वरूप उन्हें यही मार्ग अपनाना पड़ता है। लेकिन एकबार इस मार्ग का अवलम्बन करने के बाद फिर उसके अनुसार अवधार करना स्वभावप्राप्त ही हो जाता है। इस मार्ग से चलने वाले को उसकी कुछ मर्यादाएँ भी स्वीकार करनी पड़ेंगी। सत्याग्रह में ये मर्यादाएँ उसके अंश के रूप में जुड़ी हुई हैं। सत्याग्रह एक नैतिक शस्त्र है जिसका आधार सत्य है। अतः केवल नैतिक एवं प्रामाणिक उद्देश्य के लिए ही उसका उपयोग किया जा सकता है। वह ज्यादा-से-ज्यादा जाभदायक तभी मिल होगा जब कि केवल नीतिमान और शुद्ध लोग ही उसका उपयोग करेंगे। आहंके, अब यह देखें कि इन साधनों की व्याप्ति कितनी है?

कुछ लोग कहते हैं कि सत्याग्रह सिर्फ दुर्बलों का साधन है। अतः उसका लेन्ड्र अर्थात् मर्यादित है। जब गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में पहिली बार सत्याग्रह किया उस समय भी लोगों ने इसी तरह की आलोचनाएँ की थी। सत्याग्रह और निःशस्त्र प्रतिकार के सम्बन्ध में आलोचकों को गलतफहमी थी। उस आलोचना का विरोध करके उस समय गांधीजी ने कहा दिया था कि उनके मार्ग को निःशस्त्र प्रतिकार कहना 'सत्याग्रह' शब्द का दुरुपयोग करना है। उन्होंने कहा कि यदि निःशस्त्र प्रतिकार का अवलम्बन इसलिए किया जाता हो कि उसके सहारे आगे की तैयारी करना है या इसलिये कि हिंसा करने का रास्ता रुका हुआ है और हिंसा को तथाकथित सबल लोगों का साधन माना जाता हो तो निःशस्त्र प्रतिकार को दुर्बलों का हथियार ही कहना पड़ेगा। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि कभी उनके मन में हिंसा-मार्ग का विचार तक नहीं आया था। और यदि उसका अवलम्बन करने योग्य परिस्थिति पैदा हो जाती तो भी वे उसका अवलम्बन नहीं करते। उन्होंने यह बताया कि आत्मिक इष्ट से बलवान् व्यक्ति के साधन के रूप में ही सविनय प्रतिकार का अवलम्बन किया गया है व किसी भी

परिस्थिति में उसका अवलम्बन किया जा सकता है। हो सकता है कि शारीरिक दृष्टि से वे और उनके सहयोगी दुर्बल हों लेकिन यह कोई महसूस की बात नहीं है। गोष्ठीजी ने जो सविनय प्रतिकार का भार्य अपनाया वह इसीलिए कि वह एक श्रेष्ठ शस्त्र है और पुकार साधन है। इस प्रकार जो लोग इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि यदि संभव हो तो हिंसा का प्रयोग कर लिया जाय, उनकी दृष्टि में सत्याग्रह निर्वाचन, निःशस्त्र और असहाय लोगों का हथियार है। लेकिन सत्याग्रही तो उसे बखावान का ही हथियार समझता है; क्योंकि सत्याग्रही का विश्वास होता है कि हिंसा का जन्म ही भय से होता है इसलिए वह आत्मिक शक्ति का नहीं, दुर्बलता का लक्षण है।

सत्याग्रही की दृष्टि से वह बात गौण होती है कि हमारे पास काफी बाहुबल है या नहीं या हमारी और संहारक शस्त्र हैं या नहीं। सत्याग्रही की दृष्टि में इसी बात का सब से ज्यादा महसूस है कि लकड़ाई की प्रेरणा प्रेम से हुई है या उसका जन्म तिरस्कार और भय से हुआ है। हम कष्टसहन के लिए तैयार हैं या हमारा विचार दूसरों को पीड़ा देने का है और विरोधी को हम अपनी नैतिक शक्ति से मुकाबंगे या बाहुबल से बदा में करेंगे। उसकी नजर में भय, दृष्टि, हिंसा, गुस्ता और दूसरों को क्लोश में डालने वाली सारी वृत्तियां नैतिक और आध्यात्मिक दुर्बलता की ओरतक हैं। अतः वह हमेशा लोगों से हार्दिकता से कहता है कि हमें आत्मिक शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। नैतिक और मानसिक दोनों में बखावान होना चाहिए और प्रेम व कष्टसहन के द्वारा शत्रु को जीत लेना चाहिए।

मूल्यांकन की दृष्टि से सत्याग्रही अहिंसक प्रतिकार और प्राणान्तक कष्टसहन को बहुत ऊँचा स्थान देता है। यदि वह संभव न हो तो फिर दूसरे नम्बर में वह सशस्त्र प्रतिकार को अपनाएँगा। लेकिन आखिसी की भाँति कष्ट और अन्याय के सामने मुक जाना, ढरकर पीछे हटना, या मुर्झे की तरह निकल्य रहना। उसे कभी भी सहन नहीं होता। यदि

अन्याय के अप्रतिकार का अर्थ निष्क्रियता, उत्तोकपन, या गतिशुद्धता हो तो उसे मन से निकाल देना चाहिए। सत्याग्रही यह बात मानता है कि किसी भी उद्देश्य का निष्क्रिय व्यक्ति को अहिंसा, अप्रतिकार, या सत्याग्रह शब्द की आँख न लेना चाहिए। वह हृसे विलकुल सहम नहीं कर सकता। वह तो उलटे कहता है—‘यदि तुममें कुछ भी मनुष्यत्व है तो तुमको प्रतिकार अवश्य करना चाहिए। यद्यपि हिंसा और अहिंसा में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की भाँति अन्तर है तथापि अन्याय के प्रतिकार की इही से उत्तोकपन और निष्क्रियता की अपेक्षा वे दोनों एक-दूसरे के ज्यादा पास हैं।

सत्याग्रह की व्यापकता के सम्बन्ध में विचार करने पर हमें यह मालूम हो जायगा कि हिंसामार्ग की अपेक्षा हस मार्ग में एक और बढ़ा जाभ है। अहिंसा के द्वारा कमजोर-से-कमजोर व्यक्ति भी अत्यन्त शक्तिशाली सच्चाट से लड़कर विजय प्राप्त करने की आशा कर सकता है। लेकिन हिंसा के द्वारा यह कभी संभव नहीं हो सकता। ‘कामेस रिस्पान्सिविलिटी ट्रू डिस्ट्रॉबैन्सेस’ नामक सरकारी पुस्तिका का जवाब देते हुए (१५-७-४३ परिच्छेदक ६३) गांधीजी कहते हैं—“इस प्रकार हिंसामार्ग में दूसरे को पीछा पहुंचाने से लेकर आक्रमणकारी के विनाश तक का समावेश होता है। और हिंसा तभी विजयिनी हो सकती है जब कि वह विरोधियों की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशालिनी हो। लेकिन विरोधी की हिंसाशक्ति चाहे कितनी ही बड़ी-चड़ी और संगठित हो तब भी उसके मुकाबले में अहिंसाबल का प्रयोग किया जा सकता है। एक भी उदाहरण पैमा नहीं मिलता जब कि दुर्बल आदमी शक्ति-शाली आदमी से हिंसा के बल पर विजयी हुआ हो। इसके विलम्ब यह प्रतिदिन ही देखते हैं कि विलकुल दुर्बल व्यक्तियों का भी अहिंसक प्रतिकार सफल होता है।” इससे हमें मालूम हो जायगा कि सत्याग्रह का सेव्र कितना व्यापक है।

सत्याग्रह किन कारणों को लेकर अपनाया जा सकता है, यह अपर

बता ही दिया गया है। इस शास्त्र को चलाने वाला अधिक जितना अधिक सत्यवान्, निर्भय एवं किसी भी प्रकार के नैतिक कब्ज़े से रहित होगा उतनी ही ज्यादा सत्याग्रह की परिणामकारिता बढ़ती जायगी। किसी भी बड़े या छोटे अन्याय के प्रतिकार के लिए, किसी भी समाज या संस्था में सुधार करने के लिए, किसी भी अन्यायपूर्ण या पीड़िक कानून को रद्द कराने के लिए, किसी भी शिकायत को दूर करवाने के लिए, साम्प्रदायिक दंगे बन्द करवाने के लिए, शासनप्रणाली में परिवर्तन करवाने के लिए, आक्रमणों का प्रतिकार करने के लिए, एक सरकार की जगह दूसरी सरकार कायम करवाने के लिए इन साधनों का उपयोग किया जा सकता है। इससे यह मालूम हो जायगा कि सत्याग्रह का चेत्र काफी विस्तृत है। संभव है आज तक उपर्युक्त सारे लेंगों में उसका उपयोग नहीं किया गया हो लेकिन इससे उसकी शक्यता व अशक्यता का विचार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

अब इस प्रश्न पर विचार कर लेना चाहिए कि सत्याग्रह का उपयोग किन-किन लेंगों में किया जा सकता है। गांधीजी ने ६-७-४० के हरिजन में 'प्रस्त्रेक विटिश से' नामक लेख में कहा है—“विंगत २० वर्षों से निरंतर मैं अस्त्यन्त शास्त्रशुद्धपद्धति के अनुसार अहिंसा का प्रयोग करता आ रहा हूँ। कौटुम्बिक, संस्था-सम्बन्धी, आर्थिक एवं राजनीतिक—सभी लेंगों में उसका अवलम्बन किया गया है।” दूसरी एक जगह उन्होंने कहा है—“प्रस्तापित सरकार के चिरुद्ध अहिंसा का प्रयोग किया जा सकेगा और हिन्दुस्तान में एक के बाद एक इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं। यह तो राजनीतिक चेत्र ही कहा जायगा, विदेशी अनिष्टक सरकार से जनता को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने और उनके प्रस्तापित करने के लिए हिन्दुस्तानियों की जड़ाई चल रही है।” इसी प्रकार उन्होंने यह भी कहा है कि साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए भी इस मार्ग का अवलम्बन किया जा सकता है। बात इतनी ही है कि उसके लिए दोनों सम्प्रदाय के लोगों के आगे जाते हुए अपने

सिर हथेली पर लेकर ही जाना चाहिए और उनसे अत्यन्त विनम्र और समझदारीपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आक्रमणकारी सेना के सामने भी ऐसे लोगों के जर्थे जो आत्मसमर्पण करने के लिए और मौत का सामना करने के लिए तैयार हों, खड़े करके विदेशी आक्रमण को भी इसके द्वारा रोक सकते हैं। इन सृत्यु-जर्थों की परवाह न करके यदि सेनाएँ हमला करके देश पर कब्जा कर लें तो उनसे सम्पूर्ण असहयोग किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में नीचे लिखे हुए प्रश्न और गांधीजी द्वारा दिये हुए उनके उत्तर उद्घोषक हैं।

पहला प्रश्न—यदि यह मान भी लिया जाय कि सत्याग्रह के द्वारा पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली जायगी फिर भी स्वतन्त्र हिन्दुस्तान में उमके सरकारी नीति के सूत्र के रूप में रहने की संभावना कहाँ तक है? अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो क्या शक्तिशाली—स्वतन्त्र हिन्दुस्तान आत्मरक्षा के लिए सत्याग्रह पर ही अवलम्बित रहेगा या सत्याग्रह फीछे छूट जायगा और कम-से-कम बचाव के लिए ही क्यों न हो, पुरानी युद्धसंस्था का आश्रय लेगा। यदि केवल सैद्धान्तिक दृष्टि से ही प्रश्न रखें तो वह इस प्रकार होगा—जहाँ बलिदान का तरव पूर्णतः फलदायी होने-जैसा हो ऐसी विकट लडाई में ही केवल सत्याग्रह का अवलम्बन किया जायगा। या उस सार्वभौम सत्ता के विरुद्ध भी हथियार के रूप में उसका प्रयोग किया जायगा जिसके साथ बलिदान के सिद्धान्तानुसार व्यवहार करने की जरूरत या गुंजाइश न हो।

दूसरा प्रश्न—मान लीजिये कि स्वतन्त्र हिन्दुस्तान ने सरकारी नीति के रूप में सत्याग्रह को अपना लिया और किसी दूसरे राष्ट्र ने आक्रमण कर दिया तब फिर उसका प्रतिकार किस प्रकार किया जायगा? सैद्धान्तिक दृष्टि से प्रश्न इस प्रकार होगा—सीमान्त पर आक्रमण करने वाली सेना का मुकाबला करने के लिये सत्याग्रही किस प्रकार की मोर्चाबिन्दी करेगा? भारतीय राष्ट्रवादी पुंवं ब्रिटिश सरकार के बीच आज प्रतिकार का जैसा एक ही चेत्र बन गया है जैसा हुए बिना सीमांत

पर विरोधियों का प्रतिकार कैसे किया जायगा ? अथवा निरोधक लोगों द्वास देश पर कब्जा हो जाने तक सत्याग्रही को प्रतिकार बन्द कर देना चाहेगा ?

उत्तर—इसमें कोई शक नहीं कि प्रश्न सैद्धान्तिक है। अभी मैंने अहिंसा के तत्त्व को पूरी तरह आत्मसाल नहीं किया है अतः यह प्रश्न आज ही उठाना असम्भविक है। मेरा प्रयोग चालू है। अर्थात् वह पूरा-पूरा आगे भी नहीं बढ़ा है। इस प्रयोग का स्वरूप ऐसा है कि हर समय एक-एक कदम पर संतोष करना पड़ता है। सुदूर भविष्य पर नजर ढालना हमारा काम नहीं, इसीलिए मेरा उत्तर केवल आनुमानिक ही हो सकता है। यदि वास्तव में देखा जाय तो जैसा कि मैंने पहिले भी कहा है आज तक आजादी की लडाई में हमने विशुद्ध अहिंसा का अवलम्बन नहीं किया है।

पहिले प्रश्न के बारे में यदि कहना हो तो आज सुने जो कुछ दिखाई देता है उससे यह आशंका होती है कि सरकारी नीति के रूप में अहिंसा के स्वीकार होने की समावना बहुत कम है। यदि आजादी प्राप्त कर लेने के बाद हिन्दुस्तान ने नीति के रूप में अहिंसा को स्वीकार नहीं किया तो दूसरा प्रश्न अनावश्यक हो जाता है।

लेकिन अहिंसा की सुस शक्ति के बारे में मैं अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण बता सकता हूँ। मेरा विश्वास है कि यदि राष्ट्र के बहुसंख्यक लोग अहिंसक हुए तो सरकार भी अहिंसा के आधार पर चलाई जा सकती है। जहां तक मेरी जानकारी है केवल हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां हम प्रकार की सरकार कायम हो सकती है। इसी विश्वास पर मैं अपने प्रयोग कर रहा हूँ। अतः यदि हिन्दुस्तान ने अपनी आजादी शुद्ध अहिंसा के द्वारा प्राप्त की तो वह अहिंसा के द्वारा ही टिकाई भी जा सकेगी। अहिंसक व्यक्ति या समाज यह मान कर नहीं चलता कि बाहर से कोई आक्रमण होगा और पहिले से ही उसके प्रतिकार की तैयारी नहीं करता, उहटे ऐसे व्यक्ति या समाज को तो यह

विश्वास होता है कि उसे कह देने के लिए कोई भी तैयार न होगा। लेकिन यदि फिर भी अलिट बात हो ही गई तो अहिंसा के समने दो रास्ते होंगे। आक्रमणकारी को कड़ा कर जेने देना किन्तु उससे असह-योग करना। अर्थात् यदि कोई आतुरिक जीरो हिन्दुस्तान में आ घमका तो सरकार के प्रतिनिधि उसे आने देंगे लेकिन उसे बेतावनी देंगे कि लोगों से उसे किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी। उसके सामने सिर मुकाने के बजाय वे भरका पसन्द करेंगे। तूसरा मार्ग है उन लोगों के द्वारा अहिंसक रीति से प्रतिकार करना जिन्हें अहिंसक रीति से प्रतिकार करने की शिक्षा दी जा चुकी है। तृतीय निःशब्द रहकर वे आक्रमणकारियों की तोपों के सामने खड़े हो जायेंगे।

उपर्युक्त दोनों मार्गों में यही अद्या रहती है। जीरो के भी हृदय है। आक्रमणकारी के सामने सिर मुकाने की अपेक्षा जी-पुरुषों की पलटने पक के बाद एक मरने के लिए तैयार होने के अपेक्षित दृश्य देखकर अन्त में आक्रमणकारी तथा उसकी सेना के छाके छूटे चिना न रहेंगे। यदि व्यावहारिक हाइ संकें तो सशब्द प्रतिकार के द्वारा जितने आदमी मरेंगे उतने हसमे बहुधा नहीं मरेंगे। शश-सामग्री तथा मोर्च-बन्दी का खर्च भी बच जायगा। हससे अहिंसा की जो शिक्षा मिलेगी उससे लोगों का नैतिक स्तर अकलित रूप से उठ जायगा। सशब्द युद्ध में सैनिक जितना बैयक्तिक शौर्य दिखाते हैं उससे कितना ही गुना अधिक श्रेष्ठ शौर्य हस प्रकार के जी-पुरुष दिखा सकते हैं। सबा शौर्य मरने में है, मारने में नहीं। और अन्त में अहिंसक प्रतिकार में हार जैसी कोई चीज ही नहीं हो सकती। मेरे हस अन्दाज का खण्डन हस बात से नहीं हो सकता कि हस प्रकार की बटना पहिले कभी नहीं हुई है। मैंने कोई असभ्य कोटि का चित्र नहीं सीखा है, मेरी बताई हुई बैयक्तिक अहिंसा के उदाहरणों से हतिहास भरा पका है। यह कहने के लिये कोई कारण नहीं है कि जी-पुरुषों के समूह अहिंसा की यूरी शिक्षा प्राप्त करके समूह या राष्ट्र के रूप में अहिंसक व्यवहार नहीं

करेंगे। मानव जाति के अनुभव का यह निचोड़ है कि लोग एक-दूसरे से किसी-न-किसी तरह अपना मेल बैठा लेते हैं। इसी आधार पर मैं यह प्रतिपादन करता हूँ कि प्रेम का कानून ही सब जगह अपनी सत्ता चलाता है। हिंसा याने द्वेष यदि हमारे ऊपर अपनी सत्ता चलाता होता तो हम कभी के नहीं हो गये होते। और इतने पर भी दुर्भाग्य से तथाकथित सुसंस्कृत व्यक्ति और राष्ट्र यही मान कर चलते हैं कि हिंसा ही समाज का आधार है। मुझे यह सिद्ध करने वाला प्रयोग करने में अनिर्वचनीय आनन्द अनुभव होता है कि प्रेम ही जीवन का एकमात्र रथा सर्वश्रेष्ठ नियम है। इसके विरुद्ध चाहे कितने ही प्रमाण क्यों न एकत्र किये जायें मेरी अद्वा विचलित नहीं हो सकती। अबतक हिन्दु-स्तान ने जिस अहिंसा का प्रयोग किया वह यद्यपि अधकचरी थी तो भी वह इसी बात की पुष्टि करती है। यद्यपि इससे अद्वालु को विश्वास नहीं होगा तो भी यहूदी टीकाकारों का दृष्टिकोण महानुभूति पूर्ण बनाने के लिये वह काफी है।

अब आगे का प्रश्न यह है कि कौन-कौन हम मार्ग का अवलम्बन कर सकते हैं। एक बात तो विलक्षण स्पष्ट है कि जिनके पास नैतिक और मानसिक शक्ति का अभाव है वे इस शख्स का उपयोग नहीं कर सकेंगे। यदि हमारा पक्ष सत्य का है तो उसके लिये हमें किसी प्रकार का असद्भाव न रखते हुये हँसते-हँसते कष्ट महने को तैयार रहना चाहिए। और जब हमारी पीठ पर काफी नैतिक बल होगा तभी लडाई में हमारा पक्ष अनेक सिद्ध होगा। शारीरिक कमज़ोरी या बुडापा इस मार्ग में दोष नहीं माने जा सकते। इस लडाई में खियां भी शामिल हो सकती हैं। सैद्धान्तिक पक्ष से अनभिज्ञ बालक भी इस साथन का अवलम्बन करते हुए दिलाई देते हैं। किसी भी अन्याय के विरुद्ध एक आदमी तक इस शख्स का उपयोग करना शुरू कर सकता है। इसी प्रकार छोटे समुह, कमेटियों, समाज और राष्ट्र भी इस मार्ग का अवलम्बन कर सकते हैं।

यह शब्द किसपर उठाया जा सकेगा ? सत्याग्रह के मूल में यह कल्पना ही नहीं है कि उसका उपयोग किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध किया जाय । उसकी नजर तो अन्याय पर है उसीको नष्ट करने के लिए उसके प्रयत्न होते हैं । वस्तुतः सत्याग्रही तथा बाध्यता जिस व्यक्ति के विरुद्ध यह हथियार उठाया जाता है इन दोनों के लिए अन्याय एक-सा शब्द है । अन्याय की अभिव्यक्ति और अवलम्बन किसी समूह के द्वारा ही होता है । इसलिए सत्याग्रह की योजना बाध्यता किसी व्यक्ति के विरुद्ध ही करनी पड़ती है । लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि सत्याग्रही उस व्यक्ति से भी प्रेम करता है । हाँ, अन्याय के अवलम्बन का वह तिरस्कार करता रहता है । कष्टसहन के द्वारा वह व्यक्ति को उसके द्वारा होने वाले अन्याय से हटाने की इच्छा रखता है । सत्याग्रही व्यक्ति-व्यक्ति में ऊँच-नीच की भावना नहीं रखता और चूंकि वह सबके साथ प्रेम करता है वह किसीके साथ पश्चात भी नहीं करता । लेकिन जहाँ-जहाँ अन्याय हो वहाँ-वहाँ से उसे उखाड़ फेंकने की इच्छा उसे अवश्य होती है । लेकिन गीता में जिस तरह आजुँन के मन में यह संमोह उपस्थित हुआ कि मैं अपने ही सगे-सम्बन्धियों पर हथियार कैसे उठाऊँ वैसा अहिंसक लड़ाई में नहीं होता । दूसरों की अथवा कहूर शब्द की ही भाँति अपने आत्मीय लोगों के विरुद्ध भी इसका अवलम्बन किया जा सकता है । वह प्रेम का हथियार है । अतः वह किसीकी ओर भी परायेपन की हटिट से नहीं देखता न किसीको कष्ट पहुँचाने की कल्पना ही करता है । प्रेम तो खुद को जलाता है दूसरों को नहीं । अन्याय करने वालों के विरुद्ध ही वह लड़ाई लेकरता है, फिर चाहे वह कोई व्यक्ति वर्ग, सारा समाज, सरकार, राष्ट्र कोई भी क्यों न हो । लेकिन हमें यह न भूलना चाहिए कि उसका हमला अन्याय पर होता है अन्याय करने वाले व्यक्ति पर नहीं ।

: ६ :

सत्याग्रह के विविध स्वरूप

यहाँ सत्याग्रह के सभी रूपों को सूची देने का हमारा विचार नहीं है। उसका स्वरूप ढहराने का वास्तविक गमक परिस्थिति ही है। यहाँ तो केवल वे ही सामाज्य नियम बताये जा सकते हैं जिनसे यह जाना जाता है कि सत्याग्रह में निषिद्ध क्या-क्या है। साथ ही सत्याग्रह में विविध क्या-क्या है, यह खोजने की दृष्टि से कुछ भुइ बताये जायेंगे और उनके कुछ स्वरूप का वर्णन भी किया जा सकेगा। सत्याग्रह किसी भी परिस्थिति में व्यक्तिगत हिंसा का विचार कदापि मन में नहीं आने देगा।

प्रतिस्पर्धी को किसी भी प्रकार का कष्ट और हानि पहुँचने देने का विचार तक मन में न लाने का निश्चय अहिंसक प्रतिकार का सार-सर्वस्व है। साधारणतः सारी धन-सम्पत्ति के सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है, लेकिन यदि धन-सम्पत्ति मूलतः और सम्पूर्णतः समाज के लिए विद्यातक हो तो इस नियम में अपवाद करना पड़ेगा। गोला-बाहुद तथा मादक पदार्थ इस अपवाद के उदाहरण हो सकेंगे। 'कांग्रेस रिस्पान्सिविलिटी' नामक उपस्थिति (१७-२-४३) का उत्तर देते हुए गोंधीजी परिच्छेद ६३ में कहते हैं—‘हिन्दुस्तान में विद्यश साम्राज्य के शासन की बागडोर संभालने वाले व्यक्ति अथवा उनकी सम्पत्ति को घटा पहुँचाने के विचार से बढ़कर कोई दूसरी बात मेरो विचारधारा से दूर रही है। व्यक्ति तथा उसके द्वारा तैयार किये हुए यन्त्र या बनाई हुई पद्धति में मेरी अहिंसा मूलतः विभेद करती है। किसी भी तरह खटका मन में न लाते हुए खतरनाक यंत्र को निःशक होकर नष्ट

कहँगा। लेकिन मैं कभी भी अयक्ति को हाथ नहीं लगाऊँगा। विरोधी को—खासकर उसे मुसीबत में देखकर—मुसीबत में न ढाकना प्रेरणा स्वरूप का उपसिद्धान्त है। कष्टसहन और आत्मशुद्धि सत्याग्रह में अन्तर्भूत हैं। अतः सत्याग्रह जो स्वरूप धारणा करेगा उसके आधार कष्टसहन, शुद्धि, उपस्था, सेवा और स्वाग ही होंगे। इसलिए सत्याग्रही से यह आशा की जाती है कि उसे अन्याय से असहयोग करना चाहिए। उसका दावा यह होता है कि उसका पच समकदारी का है। इसलिए उसे शान्ति के साथ विरोधी की बुद्धि को जाग्रत करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। अलवता ऐसा करते हुए उसे कष्टसहन करने की तैयारी रखनी चाहिए। स्वाभिमान, अस्त्र और विवेक का विरोध करने वाले नियमों को लोकने के लिए वह बाध्य है। सत्याग्रह का अर्थ है अहिंसक प्रत्यक्ष प्रतिकार।

किसी जगह जाने के अथवा नमक जैसी किसी बस्तु पर जिसका कर नहीं दिया गया है, अपने अधिकार की रक्षा करते हुए उसके परिणाम भोगने की तैयारी करके शान्तिमय प्रत्यक्ष प्रतिकार अंगीकार करने के लिए वह स्वतंत्र रहता है। यदि सत्याग्रही के लिए अपना स्वाभिमान बनाये रखना अशक्य हो जाय तो उसे देश लोक देना चाहिए। लेकिन उसे डर से एक रक्षा के लिए भी भाग नहीं जाना चाहिए। सत्याग्रही के लिए आमरण अनशन का रास्ता भी सुलगा रहता है। ऐसा कह सकते हैं कि वह सत्याग्रही के शास्त्रागार में ब्रह्माञ्जलि सरिष्ठि के अनुसार सत्याग्रह का स्वरूप किस प्रकार का हो सकता है इसका स्थूल वर्णन यहाँ तक हुआ। रचनात्मक कार्य, सभा, जुलूस, हड्डताल, आत्मशुद्धि के लिए उपबोध, सामूहिक प्रार्थना, करबन्दी सहित असहयोग, बहिकार, निरोधन, सविनय अवश्या, शान्तिमय अद्यूया मोर्चा, हिजरत अथवा देशस्थान और अन्त में आमरण अनशन सत्याग्रह के कुछ सर्वमान्य स्वरूप हैं।

सत्याग्रह के तीन प्रमुख प्रकारों पर से, रचनात्मक आत्मशुद्धि

विषयक तथा आक्रमक—ये तीन स्वरूप बनाये जा सकते हैं। गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम सहित सब प्रकार के रचनात्मक काम सत्याग्रह का विधायक स्वरूप है। जब सत्याग्रह संगठन और तैयारी की अवस्था में होता है तब उसका रूप इस प्रकार का रहता है और उस समय प्रेम, स्वार्थरहित मेवा और स्वागत का स्वरूप धारणा करता है। हड़ताल, उपवास, प्रार्थना तथा इसी प्रकार के अन्य स्वागतूर्ण स्वरूपों का परिणाम आत्मशुद्धि में होता है। अन्याय से खुद होकर सहयोग बन्द करना भी एक प्रकार की आत्मशुद्धि ही है। सत्याग्रह के इन स्वरूपों का आचरण करने पर सत्याग्रही को अगला कदम उठाने का अधिकार प्राप्त होता है। जिस समय सत्याग्रही जान-बूझकर किसी कानून की भंग करने के लिए प्रत्यक्ष कृति के द्वारा अन्याय पर हमला करने लगता है तब उसे सत्याग्रह का आक्रमक स्वरूप कहा जाता है। इसके फल स्वरूप वह दमन और कष्टसहन को निमन्त्रण देता है। इतना ही नहीं अन्याय का अन्त करने के प्रयत्न में वह मरने तक के लिए तैयार रहता है।

सत्याग्रह का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए उसके कुछ भेद ऊपर बताये गये हैं। यहाँ सत्याग्रह के रचनात्मक स्वरूप का व्यौरा हेने की आवश्यकता नहीं है। वह परिशिष्ट में दिया गया है। इसके पश्चात् सभा, जुलूस आदि सत्याग्रह के दूसरे प्रकार इतने सरल हैं कि उनके स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। हड़ताल से लेकर आमरण आनंदान तक के प्रकारों का वर्णन नीचे किया गया है—

(१) हड़ताल का अर्थ है साधारणतः चौबीस घंटे तक सारे काम-काज बन्द रखना। यह निषेध का एक प्रकार है। बढ़ि हड़ताल का कारण काफी गंभीर हो और अन्याय का स्वरूप उम्र हो तो हड़ताल की अवधि बढ़ाइ जाती है।

(२) उपवास (आत्मशुद्धि के लिए) साधारणतः चौबीस घंटे का

ही होता है। उपवास का समय आत्म-निरीक्षण और चिन्तन में ही बिताया जाता है।

(३) प्रार्थना का अर्थ है आत्मशुद्धि और बलिदान के लिए उच्च आध्यात्मिक शक्ति की पुकार।

(४) प्रतिज्ञा का अर्थ है वह गंभीर घोषणा जो कोई व्यक्ति किसी विशेष बात को करने या न करने के लिए ईश्वर या सत्य को साझी रखकर करता है।

(५) असहयोग का अर्थ है सुद होकर अन्याय से सहयोग न करना; उदाहरणार्थ, यदि कोई सरकार पूरी तरह अन्यायी हो तो उसे किसी भी प्रकार का शारीरिक और नैतिक बल न देना। यदि सरकार कोई अन्यायपूर्ण काम करे तो उसके उस काम में मदद न देना। अन्याय से असहयोग करते हुए जो लोग असहयोग करेंगे उनसे परस्पर सहकार्य की अपेक्षा रखी जाती है।

(६) करबन्दी अहसयोग की अन्तिम सीढ़ी है। यदि वैधानिक भाषा में कहें तो धारा सभा में मतदान के द्वारा नहीं बल्कि प्रत्यक्ष कृति के द्वारा सरकारी कर देने से हट्कार करना ही करबन्दी है। उदाहरण के लिए हम वह घटना ले सकते हैं जब जान हँमडन ने खाली प्रथम को नौका-कर देने से हट्कार कर दिया था। सन् १९०६ में स्वातन्त्र्य-संग्राम के समय अमेरिकन लोगों ने जो यह घोषणा की थी कि 'यदि प्रतिनिधि नहीं तो कर भी नहीं' उसमें भी यही तत्त्व निहित था। यहाँ असहयोग करने वाला अपनी स्वयं की हँड़ा से सरकारी कर देने से हट्कार करता है और उसका फल भोगने के लिए तैयार रहता है।

(७) निरोधन या धरना देने का अर्थ है किसी बात को करने या न करने के लिए किया हुआ शान्तिपूर्य सविनय अनुरोध। उदाहरणार्थ, मत्यनिषेध का अर्थ है वृकान के पास बैठकर या खड़े होकर शराब वालों से उसे न लेने का अनुरोध करना। दूसरे की हड में

जिसका कानून प्रवेश करना, शारीरिक बाधाएँ ढाकना, या झगड़े पर लेट जाना, ये प्रकार इसमें नहीं आते।

(८) सविनय अवज्ञा या सविनय प्रतिकार को यदि हमें 'सविनय' कहना है तो वह पूरी तरह अहिंसक होना चाहिये। उसमें किसी भी प्रकार की हुमारिना न रहनी चाहिये। सविनय अवज्ञा का अर्थ है किसी विशेष कानून की प्रकट पूर्व अहिंसक अवज्ञा। यदि नये लादे हुए, किसी भद्रे कानून का प्रतिकार करना पड़ा तो उसे राष्ट्रमक सविनय अवज्ञा कहेंगे। लेकिन यदि अहिंसक प्रतिकार के समय स्थापित सरकार के विरुद्ध किये जाने वाले विद्रोह के प्रतीक के रूप में किन्हीं कानूनों का भंग किया जाय तो उसे आक्रमक सविनय अवज्ञा कहेंगे।

(९) अहिंसक धारे या मोर्चे आक्रमक सविनय प्रतिकार के ही प्रकार हैं। वे सन् १९३० में सापेक्षा धारासना शिरोदा जैसे नमक के कारबानों पर अथवा १९४२ में कोताहूं व तामलुक जैसे पुलिस घानों पर धारे जैसे हो सकते हैं। वे पूरी तरह अहिंसक और सुले होने चाहियें।

(१०) हिजरत का अर्थ है अपनी इच्छा से सरकारी हड्डोंका। अपने सब हितसम्बन्धों को छोड़कर सरकारी हड्डी में से निकल जाना।

(११) आनंद अनशन का अर्थ है स्वेच्छा से सूखुपर्यन्त अच्छा खोड़ देना। आमरण अनशन कभी भी किता शर्त नहीं होता, वह सशर्त ही होना चाहिये, नहीं तो उसे आत्महत्या कहा जायगा। कभी यों ही उसका अवलम्बन नहीं करना चाहिए। उसमें थोड़ी-सी भी झबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। झबरदस्ती दूसरों का मत बदलने के लिए वा अपने सुद के विचार दूसरों पर लादने के लिए कभी भी उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अन्तिम अच्छा मानकर ही उसका प्रयोग करना चाहिए और उसका अवलम्बन करने के पहिले जीवन

विलकुल असहा हो जाना चाहिए। आमरण अनशन आमतृष्णि के लिए किये हुए उपचारों से मिल होता है।

: १० :

हिन्दुस्तान में सामूहिक सत्याग्रह

एक व्यक्ति, दल अथवा समूह सत्याग्रह करता है। जब सत्याग्रह के साथ सामूहिक शब्द जोड़ दिया जाता है तब उसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष जड़ाई कर सकने वाले या न कर सकने वाले स्त्री-बच्चे आदि सभी लोगों का समूह। करबन्दी की मुहीम को हम सामूहिक सत्याग्रह का उदाहरण कह सकते हैं। क्योंकि यदि करबन्दी के लेन्ड्र से हम उन लोगों को छोड़ दें जो कर नहीं देते तो वाकी सारे लोग उसमें आ जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की जड़ाई भी सामूहिक सत्याग्रह ही थी क्योंकि वहाँ के सारे हिन्दुस्तानी लोग उसमें सम्मिलित हुए थे।

यह प्रश्न करना विलकुल निर्धारक है कि आज का अधिक्षित और असंगठित जनसमूह इतने कठिन नैतिक हथियार का उपयोग कर सकेगा या नहीं। यह बात तो अब सर्वविदित और हितासमान्य हो चुकी है। लॉटे-से समूह के द्वारा और लॉटे-से निश्चित लेन्ड्र में ही नहीं विकिंग सारे राष्ट्र के प्रचरण जनसमूह के द्वारा भी उसका प्रयोग करना और बहुधा सफल कर दिखाना सम्भव है। यहाँ मेरा मतखब दक्षिण अफ्रीका, बारडोली, सिहापुर, कोताई और तामतुक के सीमित तथा हिन्दुस्तान के राष्ट्रवापी सत्याग्रह से है। इसके अलावा संसार में कहाँ की जनता हिन्दुस्तान की जनता के बराबर दरिद्री, अशाक्त, अलिंगित और आधारेट भूली रहने वाली तथा दीनहीन और खाचार है? रीतिरिवाज, पहिनावा, भाषा, धर्म और उपासना में यहाँ के

४० करोड़ लोगों में जितनी भिजाता है क्या उतनी संसार के किसी भी एक देश में दिखाई देगी ? और किरभी विगत २५ वर्षों में हिन्दुस्तान में भिज-भिज मौकों पर सामूहिक सत्याग्रह हुए हैं। इस शब्द का प्रयोग अभूतपूर्व पैमाने पर करके देख लिया गया है। पेसे संग्राम की भिज-भिज अवस्थाओं के अङ्गोंपाँडों का अध्ययन करना हमेशा ही कामदारीक होगा। प्रत्येक बार गांधीजी ही लड़ाई के प्रयोगता रहे हैं और प्रत्येक समय हृदयहीन विदेशी नौकरशाही से ही लड़ाई लड़नी पड़ी थी। यद्यपि आज भी सामुदायिक सत्याग्रह के द्वारा बहुत बढ़ा काम हुआ है तथापि भविष्यकाल में इससे भी अधिक अच्छे-अच्छे सङ्गठन पूर्व महत्तर चिजय प्राप्त करने के लिए अभी बहुत गुजारात है।

सन् १९०८ में ही गांधीजी के दिमाग में यह चात आ गई थी कि हिन्दुस्तान के सारे अन्याय दूर करने के लिए सत्याग्रह का अवलम्बन किया जा सकेगा। रेवरेण्ड डोक लिखते हैं—“वर्तमान (सन् १९०८ के) हिन्दुस्तान के असन्तोष को जो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, भ्यान में रखते हुए मैंने उनसे कहा कि आप अपनी मानूभूमि के नवयुवकों को इस पुस्तक के द्वारा कुछ सन्देश दीजिये, इसपर उनका जो खेली उत्तर मिला वह इस प्रकार है—द्रासवाल की लड़ाई हिन्दुस्तान की इटि से बड़ी अर्थपूर्ण है।…… हो सकता है कि यह उपाय (सत्याग्रह) देर में फल लाये, लेकिन मेरे विचार से केवल द्रासवाल के अन्यायों के लिए ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के लोगों के राजनीतिक तथा और भी दूसरे अन्यायों को दूर करने के लिए वह विजकुञ्ज रामबाण है।”

विस समय गांधीजी ने हिन्दुस्तान को एक शरत्र के रूप में सत्याग्रह का साधन बताया उस समय उन्होंने कहा कि वह सशस्त्र विद्रोह का ही दूसरा नाम है। सविनय प्रतिकार वाले पहले पर झोर देकर ही उन्होंने उस देश के सामने रखने को हिम्मत की थी। लेकिन

अभी देश की हतनी तैयारी नहीं हुई थी कि वह अहिंसा को ध्वेय के रूप में स्वीकार कर से। नीति अथवा तात्कालिक ध्वेय के रूप में ही देश ने सत्याग्रह को अङ्गीकार किया था। इस सम्बन्ध में गांधीजी ने ७-८-३१ के बांग इण्डिया में लिखा है—“यद्यपि हमारी अहिंसा का सूब प्रचार हुआ है और हमारे उद्देश्यों की दृष्टि से वह बाबूनीय है तो भी उसे सशास्त्र की अथवा जानकारी की अहिंसा नहीं कह सकते। जीवित निहा से उसका उद्गम नहीं हुआ। फिर १९४० में २०-४-४० के हरिजन में उन्होंने लिखा कि हम हिन्दुस्तानियों ने अहिंसा को आवश्यक मौका कभी नहीं दिया; फिर भी आश्चर्य की बात तो यह है कि अपनी अघकचरी सफलता से हमने अहिंसा की हतनी मञ्जिक तथ कर ली है।”

जैसा कि आचार्य कृपलानी ने बड़ी निर्भीकता से कहा है। इस सबका हतना ही अर्थ होता है कि भारतीय राष्ट्र के लिए कांग्रेस ने जिस सत्याग्रह का अवलम्बन किया है वह आध्यात्मिक मुक्ति या आत्मानुभूति का साधन नहीं है। वह तो राजनैतिक एवं आर्थिक अन्धाय को दूर करने के लिए अहिंसक उड़ का प्रत्यक्ष प्रतिकार है। यहां व्यावहारिकता को दृष्टि से राजनीति में हिंसा त्याज्य मानी जाती है।

लेकिन शुरू में हतना भी काफ़ी है। विगत २५ बर्षों से यह प्रयोग चालू है। ६ अप्रैल सन् १९१६ को हिन्दुस्तान में राष्ट्रवापी पैमाने पर सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ। यदि स्थानीय प्रश्न को लेकर किये हुए क्लोटे-क्लोटे सत्याग्रह छोड़ दें तो विगत २५ बर्षों में कांग्रेस ने ६ अलिङ्ग भारतीय स्वरूप के सत्याग्रह किये। कुछ मिलाकर सारे आन्दोलन का समय ६ बर्ष ८ मास २ दिन होता है। मैंने यहां यह मान लिया है कि गांधीजी का क्लूटकारा होने पर ६-४-४४ को अन्तिम आन्दोलन विधिवत् समाप्त हुआ। इसमें जोरदार से निरन्तर चलने वाले सत्याग्रह का समय ४ बर्ष ११ महीने होता है। इसमें भी ६ अप्रैल १९१६

से १८ लाख तक १६१६ तक तथा १७ अक्टूबर १६४० से ४ दिसम्बर १६४१ तक चलने वाले दोनों आन्दोलनों में जुने हुए व्यक्तियों को ही आग लेने की हजाजत दी गई थी। शेष चारों आन्दोलन सामूहिक थे और उनमें जालों छी-पुरुषों तथा बच्चों ने भाग लिया था तथा अस्यन्त कठिन समय में भी अहिंसा के अनुशासन का पालन किया गया था और उसमें हजारों लोगों ने अपार कप्तसहन किया था। पुलिस एवं फौज ने पाश्चात्याचारों की हड़ कर दी थी; ज्योंकि उनके शक्तिगार में यही एक हथियार सदा तैयार रहता है। शान्तिसमय अवज्ञा के लिए लोगों को जेल में भेजने के बजाय सरकार ने लाठी और बन्दूक से काम लिया। फण्डे का जुलूस निकालने वाले अथवा खिलाफ़ कानून नमक बनाने वालों को गिरफ्तार न करके पुलिस और सार्जन्डों द्वारा बालकों के नाशुक पूर्व सुकुमार हाथों को झटका और नमक छीनने के लिए मरोड़ने जैसे अमानुषिक कार्य अनेक लोगों ने देखे हैं। शान्तिपूर्ण जुलूस को रोककर पुलिस उसके आसपास घेरा जाकर देती और लाठीचार्ज से उसे वितरबितर कर देती थी। पेस प्रत्येक लाठीचार्ज में कई बार सैकड़ों लोग हताहत हुए हैं और इतने पर भी ३०० में ६६ अवसरों पर लोगों के मन में बदला लेने की कल्पना तक नहीं आई। कुछ थोड़ी-सी जगह जनता द्वारा हिंसक कार्य भी हुए हैं; लेकिन वहाँ के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान या और यह हिंसाकाषण किसी पूर्वनियोजित कार्य-क्रम के अनुसार नहीं हुआ था। अस्यन्त प्रश्नोभ पूर्व सरकार के अस्यन्त रोपणाद्यक कृत्यों के कारण कहीं-कहीं भीद द्वारा हिंसात्मक कार्य हो गये। लेकिन प्रत्येक समय नेताओं ने उसकी निन्दा की और जल्दी ही लिप्ति को क्रापू में करने और उस घटना की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए ज्यादा-से-ज्यादा सतकंता दिखाई। अधिकारियों के लिए इसे एक हम्मा बनाकर सारे आन्दोलन को तहसनहस करने का एक त्रैहाता दृढ़ निकालना आसान है। या जो केवल अहिंसा की दुहाई

देते हैं उनके लिए यह कारण पेश करने जैसा है कि सामुदायिक सत्याग्रह शुद्ध स्वरूप में नहीं किया जा सकता। लेकिन जनता के हाथों होने वाले हिसाकाठों की उपेक्षा करना या उनको ज्यादा महसूब देना सत्याग्रह का उद्देश्य नहीं है। सत्याग्रही तो तुरन्त हिसा के कारणों का निरीचण करके उन्हें दूर करने का और लोगों को अहिंसा की शिक्षा देने का प्रयत्न करेगा। सन् १९१६ और सन् १९२२ में कुछ गम्भीर हिसाकाठ हो जाने पर गांधीजी ने आन्दोलन को स्थगित कर दिया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि इस हिसा के लिए सत्याग्रह उत्तरदायी नहीं है। उल्टे सत्याग्रह से जनता की हिसाभावना पर पाबन्दी लगाने में सहायता मिलती है। यदि देश में सत्याग्रह का बातावरण न होता तो ज्ञात तौर पर और न जाने कितनी हिसा होती। गांधीजी इस बात को पहिले से ही अच्छी तरह जानते हैं कि हिसा पूर्णत अहितकर है। अत चाहे वह अपने पक्ष बालों की ओर से हो चाहे विपक्षियों की ओर से हो इसे उसपर नियन्त्रण रखना ही चाहिये। वे बारबार शारीरिक सामर्थ्य की अपेक्षा नैतिक सामर्थ्य, हिसा के बजाय समझदारी, द्वेष और क्रोध के बजाय प्रेम, रणजेत के बजाय चर्चा और तलबार के बजाय कलम व बाणी का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। गांधीजी कहते हैं—“मेरा प्रतिदिन का अनुभव है कि सच्चे आरम्भक्षेत्र से पावाण का हृदय भी पसीज जाता है।” एक दूसरी जगह प्रकट किये हुए उनके उद्गार से उनकी यह अद्भुत व्यक्ति होती है। वे कहते हैं—“मेरी यह अद्भुत कभी भी डिग नहीं सकती कि सत्य के लिए जो कष्टसहन किया जाता है वह किसी भी दूसरी बात की अपेक्षा सत्य की प्रस्थापना में ज्यादा सहायता करता है।” सन् १९३१ में गोलमेज परिषद् में भाषण देते हुए उन्होंने कहा—“जब आपका हृदय हिन्दुस्तान के कष्ट को देखकर द्रवित होगा तभी मानसिक हृषि से समझौते के योग्य समय प्रावेशगा।”

शान्तिपूर्ण साधनों में सत्याग्रह सबसे अनितम किन्तु उतना ही

एकिशाकी साधन है। सारे वैष आनंदोलन जैसे उपाय कर लेने के बाद ही सत्याग्रह अंगीकार किया जाता है। उसका स्थान हिंसापूर्ण प्रत्यक्ष प्रतिकार के बराबर ही है। नेताओं को प्रतिकार के और संग्राम के मार्ग का अवलम्बन करना हो तो आमतौर पर जिस समय शक्ति-प्रहार करना हो उसी अवस्था में सत्याग्रह करने का अवसर उपस्थित होता है। असंतोष, संताप की तीव्रता, निराशा का परिणाम और अनित्य उपाय करने की अनिवार्यता ये सब बातें सत्याग्रह और हिंसामार्ग दोनों में एक जैसी होती हैं। गांधीजी का दावा है कि उन्होंने अनता के पराकाढ़ा पर पहुँचे हुए क्रोध का मुकाब शक्ति की ओर से हटाकर उसका व्यक्तीकरण पैसे कृत्यों के द्वारा किया जिससे स्वतः हमको कष्ट सहना पड़ता है। हम नये शस्त्र का प्रयोग करने पर दक्षिण अफ्रीका में जब उनपर दोषारोपण किया गया और आजोखनाएँ की गईं तब उन्होंने अपना समर्थन निम्नलिखित शब्दों में किया—“यदि अपने प्रति होने वाले अन्याय के प्रतिकार के साधन के रूप में किसी भी अवसर पर स्थानिक लोग हमका अवलम्बन करें तो उसके लिए उनका शशी होना चाहिए। क्योंकि उसका यह अर्थ होगा कि बन्दूक और असेगाय (एक आयुध) का स्थान शान्तिपूर्ण साधन ने ले लिया है।” जड़ाई का समय आते ही कल्प, असेगाय तथा गोले-बालू आदि पुराने साधनों के बजाय यदि स्थानिक लोग निःशक्ति प्रतिकार की नीति अपना लें तो उससे हम उपनिवेश की स्थिति में एक बड़ा परिवर्तन हो सकेगा।” रौलट एकट सम्बन्धी आनंदोलन के दिनों गांधीजी को लगा कि यदि कोई निराधारक सूचनाएँ नहीं दी गईं तो यह आनंदोलन हिसक प्रृथियों में परिणत हो जायगा। २०-३-१९१९ को उन्होंने कहा—“हम उस (कान्तिकारी) दल को हिंसा के आम-आती रास्ते से हटा लेने की आशा रखते हैं।” हंटर कमेटी को सम्बोधित करके उन्होंने (यंग इंडिया ५-११-१२) कहा—“इस आनंदोलन का उद्देश्य है हिसक साधनों के बजाय अहिंसक साधनों का उपयोग।

और वह पूरी तरह सत्य पर आधारित है।” कानून की ओट में जनता का दमन करने के लिए बेलगाम हो जाने वाली सरकार के विरुद्ध काम में लाये जाने वाले उपायों की चर्चा करते हुए गांधीजी कहते हैं— (यंग इंडिया १७-११-१९२१) कि ऐसे भौकों पर “सविनय अबझा एक पवित्र कर्तव्य हो जाता है। उसका एक दूसरा उपाय भी अवश्य है और वह है सशस्त्र विद्रोह। सविनय प्रतिकार एक पूर्णतः प्रभावी पूर्व रक्खीन प्रत्युपाय है।” उसी समय से वे यह प्रतिपादन करते आ रहे हैं कि वह सशस्त्र विद्रोह का एक अचूक पर्याय है। और उसकी मूल कल्पना यही है। (हरिजन १५-४-३६) अभी-अभी (१५-७-४३) कांग्रेस रिस्पान्सिविलिटी नामक पुस्तिका का उत्तर देते हुए गांधीजी ने कहा है—“दक्षिण अफ्रीका के पहिले आठ वर्ष मिलाकर विगत द१८ वर्षों के सारे अनुभव से मुझे जबरदस्त आशा है कि अहिंसा के अधीकार में ही हिन्दुस्तान का और संसार का भविष्य समाया हुआ है। मनुष्य जाति में पददलित लोगों पर राजनीतिक और आर्थिक लेंगों में होने वाले अत्याचारों का मुकाबला करने का वह अत्यन्त निर्दोष किन्तु साथ ही उतना ही रामबाया उपाय है।”

यदि गांधीजी का नेतृत्व और मार्गदर्शन प्राप्त न होता तो हिन्दुस्तान में पूरी जाग्रत्ति हो जाने के कारण सचमुच ही विदेशी शासकों के विरुद्ध नियत का साधन होने के कारण सशस्त्र बगावत का प्रयोग निश्चित रूप से किया गया होता। वह मार्ग जंगली और रक्खित ही हो सकता था। और उसके लिए अपार जनबल और पैमा सख्त करना पड़ता। यथापि वह मार्ग मुसीबतों से भरा हुआ होता तथापि हमें जानमी तौर से डसे ग्रहण करना पड़ता। क्योंकि जो देश अत्यन्त तेजस्वी इतिहास-परम्परा देता है और जो इतना विस्तृत शौर्यशाली है वह गुजारी तथा धूमाशूली एवं निर्लोकज शोषण असीम समय तक कैसे सहन करता? निश्चित है कि ऐसा देश जागकर अपनी स्वतन्त्रता-

प्राप्ति के लिए बाजी लगाता और ठीक ऐसी ही अनुकूल मानसिक स्थिति में गांधीजी ने इस अद्वितीय सत्याग्रह शस्त्र को देश के सामने रखा। लेकिन हृष्मत ने इस सात्त्विक मार्ग को भी बकराड़ि से देखा। गुजारों के किसी भी आनंदोलन को—फिर चाहे वह शैतानी हो या उज्ज्वल कोई भी असली जुल्मी शासक कैसे सहन करता? सन् १९३१ की गोलमेज परिषद् में भावश्य देते हुए गांधीजी ने कहा—“इस समय राजनीति में पश्चारण करके कांग्रेस ने सविनय प्रतिकार की ऐसी पद्धति दूर्द निकाली है जो आज तक इतिहास में दिखाई नहीं देती। अभी तक कांग्रेस उसीका अवज्ञान करती चली आ रही है लेकिन आज फिर वही चहान मेरे सामने आ रही हुई है और मुझसे यह कहा जाता है कि मंसार की कोई भी सरकार इस तरीके को सहन नहीं कर सकती। सरकार के लिए उसे सहना संभव भी नहीं है; क्योंकि आज तक किसी भी सरकार ने खुले विद्रोह को सहन नहीं किया है।” लेकिन उनने ही आठम-विश्वास के साथ उन्होंने आगे कहा—“शायद सरकार सविनय अवज्ञा आनंदोलन को सहन न करेगी लेकिन उसे अवश्य ही इस अहिंसक शक्ति के सामने झुकना पड़ेगा। विटिश सरकार को इसके पहिले भी झुकना पड़ा था। और (दक्षिण अफ्रीका की) महान् ढच सरकार को भी आठ वर्ष की अग्निपरीक्षा के बाद घटनाओं के अटल परिणामों के सामने सिर झुकना पड़ा है। जनरल स्मद्दस एक बीर सेनापति और महान् राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ एक बहुत बड़े शासक भी है। लेकिन उनको भी केवल अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जाने वाले निरपराव स्त्रो-पुरुषों को गतप्राण करने की कल्पना से ही रोमांच होने जाया। सन् १९०८ में उन्होंने जिस बात को कभी भी स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा की थी उसी बात को उन्हें सन् १९१४ में जनरल बोथा की मदद होने पर भी निःशस्त्र सविनय प्रतिकारियों की पूरी-पूरी आजमायश कर लेने के बाद स्वीकार करनी पड़ी। हिन्दुस्तान में लार्ड चेम्पफोर्ड को भी यही करना पड़ा

और बोरसद तथा बारडोली के मामले में अवाई के गवर्नर को भी यहाँ अनुभव हुआ।

इस प्रकार अब सामूहिक सत्याग्रह ज तो कोई नई चाल रह गयी है न यह शास्त्र लोगों के लिए अशात ही रहा है। अब वह किसी भी समुद्र में जहाज डालने जैसी चाल नहीं रही। सन् १९११ में ही (यौंग हॉटिंग ४-११-१९११) गांधीजी ने कहा है कि—“मेरे विचार से अब सत्याग्रह का सौदर्य एवं प्रभाव हतना विशाल है और उसकी तत्त्वप्रणाली हतनी सरल है कि वह साधारण बालक को भी समझाया जा सकता है। सीधारणतः (दक्षिण अफ्रीका में) हजारों हिन्दुस्तानी गिरमिटिया स्त्री-पुरुषों और बालकों को मैंने उसे सिखाया है और वह प्रयोग सकल हुआ है।”

सन् १९२० में (यौंग हॉटिंग १०-३-२०) उन्होंने लिखा है—
 “चाहे किसीने सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ली हो या न ली हो लेकिन हतना तो निश्चित है कि सत्याग्रह की कल्पना ने जनता के हृदय में जड़ पकड़ ली है।” कम-से-कम विगत ४० वर्षों में जीवन के प्रत्येक लेत्र में सत्याग्रह का जो जागरूकता के साथ शास्त्रशुद्ध और सफल अवलम्बन किया। उससे गांधीजी का यह विचार ठड़ हो गया कि उसके द्वारा जनता में अनुशासन लाया जा सकता है। जनता सत्याग्रह शास्त्र को बखूबी चला सकेगी। गांधीजी ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि “साधारणतः लड़ने वाली सेनाएँ संगठित युद्ध में जिस तरह का अनुशासन रखती हैं उसकी उचित शिक्षा दी गई तो अहिंसक लड़ाई के समय उसका पालन नहीं होगा। यह मानने का कोई कारण नहीं।” इसमें कोई सन्देह नहीं कि जनता ने जितनी अहिंसा आत्मसात की है उससे गांधीजी को पूरा समाधान नहीं है। लेकिन इसका मतखंड हतना ही है कि अब भी जनता के लिए प्रगति की ओर भी गुंजाइश बाकी है और जगता को इस विश्वा में शिका देना आवश्यक है। सामूहिक सत्याग्रह की व्यवहार्यता और कायदेशभवा के बारे

में अब कोई सन्देह नहीं रहा है। केवल स्थानीय शिकायतों को ही दूर करवाने के लिए नहीं बल्कि समूचे राष्ट्र को गुलामी और अधःपत्र से मुक्त कराने के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। यदि सशस्त्र लिंग्रोह का अवलम्बन न किया जाय तो केवल सामूहिक सत्याग्रह ही येसा शब्द है जिसे हम काम में ला सकते हैं।

: ११ :

संगठन एवं शिक्षण

जीवनपथ की दृष्टि से सत्याग्रह एक स्वतन्त्र तत्त्वप्रणाली है। सत्याग्रह का कठोर आचाराधर्म भी है जो आत्मसंयम और निष्पार्थ प्रेरणा में सेवा पर आधारित है। सत्य और अर्हिंसा या प्रेम सत्याग्रही के लिए मार्गदर्शक तरे हैं। अपनी शारीरिक, मानसिक, नैतिक पूर्वाध्यालिक शक्ति को पवित्र बनाने के लिए सत्याग्रह प्रयत्न करता रहता है। आत्मसंयम के द्वारा वह उस शक्ति का संग्रह करता है। भौतिक में चित्त एकाग्र व रक्त के सबको मुख और शान्ति प्राप्त कराने के लिए प्रेरणामय सेवा के द्वारा वह पूर्वोक्त सब शक्तियों का प्रयोग करता है। यह सत्याग्रही की साधना है। इस प्रकार संदेश शिक्षण प्राप्त करते-करते ही वह तैयारी भी करता रहता है। सत्याग्रही से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अनुशासनवद्ध रहेगा और किसी भी कठिन प्रसंग के लिए हमेशा तैयार रहेगा।

सेना, उसका शिक्षण, गोला-बारूद, तथा अन्य साधन-सामग्री के बिना छलना पागलपन है। यदि सेना को कवायद नहीं सिखाई गई, उसे शास्त्र नहीं दिये गये और उसे युद्धक्षता की शिक्षा नहीं दी गई तो तो वह किसी काम नहीं आसकती। इसी प्रकार प्राणार्पण करने को तैयार रहने वाले छोरों को साथ दिये बिना सत्याग्रह की जड़ाई शुरू करना

भी जाता ही पागलपन होगा । यद्यपि सत्याग्रह का लिखा दिये विना, अथवा संगठन किये विना ही यह सोचना कि जनता से बड़े-बड़े काम कराये जा सकेंगे, महज मूर्खता है । तथापि सत्याग्रह में एक बहुत बड़ी विशेषता है । उसमें केवल संघयावज्ञ के लिए उके रहने की जरूरत नहीं है । यदि आपना पहला न्यायसंगत हो और प्रतिकार के साथन शुद्ध हो तो एक अकेला व्यक्ति भी सत्याग्रह की जड़ाई को शुद्ध करके चालू रख सकता है । दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि उसे किसी भी जड़ साथन सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती । जो कुछ भी तैयारी करनी पड़ती है वह सारी नैतिक और मानसिक ही होती है ।

हम जैसे-जैसे सत्याग्रह की शक्ति बढ़ाते जाते हैं वैसे-वैसे उसके लिए विशेष तैयारी की आवश्यकता भी कम होती जाती है । तैयारी के दिनों में लड़ाई का मौका आ जाने पर स्वभावतः ही लड़ाई के एकमात्र मार्ग के रूप में सत्याग्रह का अवलम्बन किया जाता है । सत्याग्रह में साध्य और साधन का अवधित सम्बन्ध होता है । सत्याग्रही को समय आने पर कष्ट और यातना सहने की तैयारी रखकर भी अपने मार्ग पर छठे रहने के अलावा और कुछ नहीं करना पड़ता । कष्ट व यातना भोगने के लिए तो वह हमेशा ही खुशी-खुशी तैयार रहता है । हिसक मार्ग का अवलम्बन करने वाले के लिए अलावता विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है । क्योंकि उसमें साध्य-साधन सम्बन्ध बिलकुल असंगत रहता है । दूसरे के अन्याय को मिटाने का प्रयत्न करते हुए उसे अपना अन्याय भी चालू रखना पड़ता है । सब यह कष्ट से बचने का प्रयत्न करते हुए उसे दूसरों के ऊपर भी कष्ट लादना पड़ता है । केविन सत्याग्रही जिन साथनों का उपयोग करता है वे ही निश्चित रूप से उसके साध्य भी होते हैं । उनके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का झात या अझात आन्तरिक महाद्वा नहीं होता जैसा कि गांधी-जी ने एक जगह कहा है—सत्याग्रह एक प्रकार की सेन्ट्रिय या सजीव हृदि ही है और वह एक व्रत्य है ।

किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपनी शक्ति को अनुशासन में बोधकर सवा करना ही संगठन है। कुशल संगठनकर्ता नवीन शक्ति का भी निर्माण करता है और जो शक्ति उसके पास पहिले से रहती है उसका उपयोग वह आशा से अधिक बड़े-बड़े कामों के लिए कर सकता है। लेकिन प्रत्येक संगठनकर्ता को अपने प्रस्तुत साधनों की शक्ति का अचूक अन्दाज़ करके उसका उपयोग हाथ छोड़कर और आवश्यकतानुसार करना चाहिए। जहाँ एक से काम हो जाता हो वहाँ उसे दो का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जहाँ कम तैयारी वाले सत्याग्रही न भेजने चाहिए।

यथापि मानवी जीवन और व्यवहार में अन्तःप्रेरणा और स्फूर्ति का काफी ऊँचा स्थान है तथापि किसी भी ध्येय की सिद्धि के लिए संगठन और अनुशासन की भी उत्तरी ही आवश्यकता है। सभी प्रकार के काव्य और कलाओं का निर्माण स्फूर्ति से ही होता है लेकिन उनकी परिपूर्णता और प्रभाव सौहेश्य प्रयत्न और अनुशासन पर ही अवलम्बित रहते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय करने के पहिले गांधीजी बहुत बार अन्तःस्फूर्ति और अन्तर्नाद की राह देखते थे। लेकिन साथ-साथ अपने जीवन को बड़ी कड़ाई और दृढ़ता से संगठित करने एवं अनुशासित करने के लिए भी काफी सावधानी रखते थे। वे अपने जीवन के प्रत्येक घण्टा को मूल्यवान मानते हैं और घटी के कांटे की तरह प्रत्येक बात को नियमित करते हैं। यह कहना बिलकुल सत्य है कि उन्हें ठीक समय पर स्फूर्ति प्राप्त होती है और वह उनको कभी खोला नहीं देती। फिर प्रत्येक अनुभूति संगठन और अनुशासन का तिरस्कार नहीं करती। यदि संगठन और अनुशासन यन्त्रवत् एवं निर्जीव हैं तो ठीक समय पर अनुपयोगी तथा परिस्थिति के अनुकूल न पड़ने वाले सिद्ध होंगे। ऐसी स्थिति में अलवत्ता स्फूर्ति उसका उपहास करेगी। एक अर्थ में स्फूर्ति भी संगठनकुशल ही होती है। शुरूकियार के (One week

with Gandhiji) पूछने पर कि 'भारत छोड़ो' जवाहर्लाल के समय यदि कांग्रेस ने गांधीजी का अनुसरण नहीं किया तो वे क्या करेंगे, गांधीजी ने जो उत्तर दिया वह ध्यान देने योग्य है । वे बोले—स्फूर्ति से प्रेरित मनुष्य स्वयं ही संगठनकर्ता बन जाता है ।

सत्याग्रह के सम्बन्ध में यदि गांधीजी ने कोई सबसे ज्यादा महस्त-पूर्ण कार्य किया है तो वह ही संगठन । उन्होंने उसे एक अवस्थित शास्त्र का रूप दिया है और जहाँ तक कम-से-कम सत्याग्रह के कुछ महस्तपूर्ण अङ्गों-पहलुओं से सम्बन्ध है उसका तन्त्र उन्होंने बहुत अंश तक पूर्णता को पहुंचा दिया है । उन्होंने अपने प्रयोगों से सिद्ध कर दिया है कि सत्याग्रह अव्यावहारिक अविनिपीड़ा नहीं है । सत्याग्रह संगठित किया जा सकता है । उसके लिए जनता को तैयार किया जा सकता है और प्रभावशाशी शास्त्र के रूप में उसे चलाने के लिए लोगों को अनुशासन में जाया जा सकता है ।

अनुशासित एवं विशुद्ध हृदय वाले कार्यकर्ताओं के दल का निर्माण सत्याग्रह के संगठन और पूर्व तैयारी की पहिली सीढ़ी कहीं जा सकता है । सत्याग्रह पर उन कार्यकर्ताओं का कम-से-कम कामचलाक विश्वास तो होना ही चाहिए । जब यह दिखाई देता है कि हम हिंसा का अवलम्बन करके आगे नहीं बढ़ सकते तब जो लोग हताश होकर प्रतिपक्षी की हिंसा के सामने सिर झुका देते हैं उन भी लोगों का सत्याग्रह में कभी उपयोग नहीं हो सकता । हिंसा के अलावा प्रतिकार का दूसरा उपाय भी है और वह जवाहर्लाल का ज्यादा अच्छा तरीका है । उसके लिए पाश्चात्यी शक्ति अथवा दूसरे साधनों की आवश्यकता नहीं रहती । इस प्रकार की निष्ठा और विश्वास वाले कार्यकर्ता सत्याग्रह के लिए होने चाहिए । ऐसे लोगों की ही जरूरत है जो भीषण हिंसा देख कर भी ऐसा मानता है कि उसका मुकाबला अहिंसा से कर सकते हैं । यदि ऐसे लोगों के हाथ में जवाहर्लाल का नेतृत्व न हुआ तो संभव है कि जनता अहिंसक जवाहर्लाल को छोड़कर हिंसा का मार्ग अपना ले । अतः

जो लोग सत्य और अहिंसा में एक सिद्धान्त के रूप में विश्वास रखते हैं उन्हीं का सदा नेतृत्व करना सर्वोत्तम है।

यहाँ अल्हुस हफ्सले ने अहिंसक प्रतिकारकों के लिए आवश्यक शिष्य और समाज में उनके कार्य के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उसे समझ लेना लाभदायक होगा। अपनी 'एन्डस् एन्ड मीन्स' पुस्तक में उसने कहा है कि व्यक्तिगत, आर्थिक, समूह समूह के तथा समूह और सरकार के पारस्परिक सम्बन्धों में अहिंसक व्यवहार बनाने के लिए निष्ठावान व्यक्तियों के संघ की ओर से विधिवत प्रयत्न होने चाहिए। इस संघ की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि किसी को सत्ता प्राप्त करने, खुल्म ढाने और शोषण करने का मोह ही न हो। केवल भय ही नहीं बल्कि व्यक्ति के क्रोध और द्वेष को नष्ट करने के लिए भी अधिक शिष्य की आवश्यकता होगी। हिंसा का अवलम्बन न करते हुए और भय अथवा शिकायत को स्थान न देते हुए संघ के सदस्यों को हिंसा का प्रतिकार कर सकना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है—“भावावेश में अत्याचार का प्रतिकार अहिंसा से करना फिर सरल है। लेकिन दूसरे मौकों पर वह बढ़ा कठिन होता है। वह इतना मुश्किल है कि जिन लोगों ने उसका नियमानुकूल शिष्य ग्राह किया है उनके अलावा दूसरों के लिए उसका पालन करना कठीब-कठीब असंभव ही है। उत्तम सैनिक तैयार करने में साधारणतः चार वर्ष लगते हैं। कितने ही कठिन समय में भी अपने सिद्धान्तों के अनुसार आचरण कर सकने वाले उत्तम अहिंसक प्रतिकारक को तैयार करने के लिए भी प्रायः उतना ही समय आवश्य लगेगा।

अपने संघ के कार्य के सम्बन्ध में वे आगे कहते हैं कि संघ को ऐसा स्वरूप देने का प्रयत्न करना चाहिए जो उस प्रकार के कार्य का आदर्श हो सके। जहाँ कहीं भी हिंसा का उद्भव हुआ हो वहाँ उसे निर्मल करने के लिए तथा कौटुम्बिक अन्यथा और अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध की तैयारी अथवा प्रारंभ आदि के अहिंसक प्रतिकार के लिए अपनी

शक्ति का उपयोग दिखाई दे सो उन्हें उसके लिए अप्रसर होना चाहिए।

इसी सिद्धान्तिले में अलहुस हक्कले ने अपनी पुस्तक में जो नीचे लिखे हुए विचार व्यक्त किये हैं वे भी महत्वपूर्ण हैं—“पहिले की अपेक्षा आज सब कहीं पुलिस के इथबहार में अनुपम कार्यशक्ति अचूकता एवं दूरदृष्टि दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त वे उन वैज्ञानिक हथियारों से लैस रहते हैं जो साधारण मनुष्यों को प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार की सशक्ति एवं संगठित शक्ति के आगे साधारण मनुष्य की हिंसा और चतुरता असफल हो जाती है। आधुनिक पुलिस से लैस जुलमी अधिकारियों से अपनी रक्षा करने के लिए सामूहिक असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे अहिंसक मार्ग ही हो सकते हैं। यदि राज्य के अधिकारियों के विरुद्ध उन्हें अपनी बड़ी संख्या का फायदा उठाना है, अथवा शस्त्रास्त्रों में प्रकट रूप से दिखाई देने वाली अपनी कमजोरी का अन्त करना है तो लाभदायक सिद्ध होने वाला यही एकमात्र रास्ता है। अतः जितनी जल्दी हो सके ज्यादा-से-ज्यादा स्थानों में अहिंसा के सिद्धान्त का प्रचार करना आवश्यक महत्वपूर्ण है। क्योंकि अच्छे और ड्यापक संगठन की भित्ति पर बने हुए अहिंसक साधनों के द्वारा ही जनता सरकार की गुलामी से मुक्त हो सकती है। आज कितने ही देशों में सरकार की गुलामी प्रत्यक्ष रूप से चालू है और युद्धों के भय एवं प्रगतिशील शिल्पकला विज्ञान के बल पर वह दूसरे देशों में भी प्रस्थापित होती हुई दिखाई दे रही है। आज की परिस्थिति में यह सम्भावना बढ़ रही है कि हिंसात्मक क्रान्ति का आनंदोलन जल्दी ही कुचल दिया जायगा। जिन स्थानों के क्रान्तिकारी आधुनिक शस्त्रास्त्र से थोड़े-बहुत भी सुसज्जित होंगे वहाँ के आनंदोलन को स्पैन की ही भाँति एक जम्मे एवं भयंकर राहसी युद्ध का स्वरूप प्राप्त हो जाना संभव हो जाता है। ऐसे राहसी युद्धों में हष्ट परिवर्तन करने की तो बहुत कम सम्भावना रहती है। जैसा कि हम रात-दिन अनुभव करते

है हिसा का परिणाम हिसा ही होता है और ऐसे परिणामों के बाद देश की स्थिति पहिले से भी बुरी हो जायगी। ऐसी स्थिति में यदि जनता के उद्धार की कुछ आशा है तो केवल अहिंसा के द्वारा ही। लेकिन शक्तिशाली पूर्व बहुत बड़ी संख्या वाली पुलिस के आक्रमण का अथवा आक्रमणकारी विदेशी सैनिकों का प्रतिकार करने के लिए अहिंसक आनंदालम अच्छी तरह संगठित करना चाहिए और उसका काफी प्रसार करना चाहिए। मानवता का आजःपतन आज के युग की विशेषता है अतः आज की सरकार के व्यवहार की अपेक्षा और भी अधिक भयंकर पूर्व निष्पुरतापूर्ण व्यवहार अहिंसक प्रतिकार के विरुद्ध किये जाने की संभावना है। हम प्रकार की निष्पुरता का मुकाबला करने के लिए बहुसंख्य पूर्व अत्यन्त निष्प्रवान लोगों की ही आवश्यकता है। जब ऐसे लोगों का मुकाबला करने का मौका आता है जो असहयोग के माथ ही हिसा का अवलम्बन न करने का निश्चय कर लेते हैं तो निर्दय-से-निर्दय हुक्मत भी घबरा जाती है। इसके अलावा निर्दय-से-निर्दय हुक्मत को भी जनमत के समर्थन की आवश्यकता रहती है। अतः जो सरकार अहिसा का व्यवस्थित रूप से पालन करने वाले लोगों को जेल में ढाल देती है या कत्ल कर देती है वह जनमत प्राप्त करने की आशा कभी भी नहीं रख सकती। जब एक बार नृशंसता प्रारम्भ हो जाती है तो जुलम अथवा युद्ध का अहिंसक प्रतिकार करने के लिए संगठन करना बहा कठिन हो जाता है। जिन देशों में आज भी व्यक्ति-स्वातन्त्र्य और संगठन-स्वातन्त्र्य है और किन्हीं देशों में भी लोगों के बीच पर सरकारी नियन्त्रण कम है वे ही संसार के लिए आशा के केन्द्र बने हुए हैं।”

जनता में रघनात्मक कार्य, जिसमें पूर्व सूची कार्यक्रम निहित है, करना ही सत्याग्रह की सबसे अच्छी तैयारी है। यदि मरण और अहिसा में विश्वास रखने वाले चरित्रवान कार्यकर्ता जनता में मिश्रजुलकर उसकी निरक्षण सेवा करें तो वे निश्चित ‘रूप से जनता को निष्प्रवान

एवं निर्भय बना सकते हैं। ६-५-३० के यश इडिया में गांधीजी कहते हैं—“अखण्ड रूप से किये जाने वाले कार्यक्रमों से प्राप्त विश्वास आनंदानन्द के मौके पर बढ़। उपर्योगी सिद्ध होता है। हिंसात्मक सुनुदशाव्याप्ति में जो महात्मा सेना की कबायद का है अहिंसक सेना के लिए वही महात्मा रचनात्मक कार्यक्रम का है। अत जितना अधिक रचनात्मक कार्य का विकास होगा उतनी ही अधिक सचिनत्य अवज्ञा आनंदोदय के सफल होने की सम्भावना बढ़ेगी।” फौज के सैनिकों और रचनात्मक कार्य करने वाले कार्यकर्ता की तुलना करते हुए गांधीजी (हिंजन २६-३०-३३) कहते हैं—“सैनिक को मारने की शिक्षा दी जाती है। मारने को भी एक कला का रूप प्राप्त हो गया है। सत्याग्रही तो यही इच्छा करता है कि उसे सदा चुपचाप सेवा करने का मौका मिले। उसका सारा समय प्रेममय सेवा में व्यतीत होता है। उसे तो दूसरों को मारने की कल्पना भी नहीं आती। उल्टे वह तो दूसरों के लिए स्वयं बलिदान हो जाने के स्वर्ग देखा करता है।” जिसे सत्य और अहिंसा की साधना तो करना है लेकिन रचनात्मक कार्य परमन्द नहीं आता उसकी स्थिति उस व्यक्ति की तरह है जिसे युद्ध शेष में जाने की आकांक्षा तो है लेकिन जिसको हाथ में बन्दूक लेने से भृशा है। जिन्हें रचनात्मक कार्यक्रम अरुचिकर या जी उबाने वाला मालूम होता है वे अभी सत्याग्रह के योग्य नहीं हैं अथवा निस्त्वार्थ त्याग और सेवा से जिस मूक शक्ति का निर्माण होता है उसके सौन्दर्य को उन्होंने पहिचाना नहीं है।

रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा अनेक बातें सिद्ध होती हैं। उससे सम्पूर्ण राष्ट्र में नवीन चैतन्य का निर्माण हो सकता है। लेकिन यहाँ हृषकी गहराई में जाने की अवश्यकता नहीं है। सत्याग्रह की दृष्टि से रचनात्मक कार्य के बाह्य विख्यातेनाही काफी होगा। सत्य और अहिंसा पर विश्वास रखनेवाले एवं किसी-न-किसी शेष में रचनात्मक कार्य करनेवाले सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की सेवा सारी जाति का स्वरूप

बदल कर उसमें आत्म-विश्वास स्वाभिमान एवं साहस का संचार कर देगी। समूह की प्रत्यक्ष आवश्यकता को ही ज्ञान में रखकर विधायक प्रबृत्ति की योजना करनी चाहिए। इससे वे वहाँ के लोगों को उच्च जीवन का लाभ प्राप्त करायेंगे। वे वहाँ की जनता की सतत निरलस भावना से सेवा करते रहेंगे। लेकिन उस सेवा का मार्ग ऐसा होगा कि जिससे द्वारा सत्याग्रह एवं स्वावलम्बी होते जायेंगे। वहाँ के लोगों से उनका सम्बन्ध न तो यन्त्रवत् होगा न अपारी जैसा। वहिं प्रेममय सेवा के मृत्र में बैधकर वह उदात्त एवं आर्थिक हो जायगा। उनके सम्बन्ध के द्वारा लोगों में आत्मविश्वास पैदा होगा और सत्याग्रही कार्यकर्ताओं में उनकी निष्ठा बढ़ती जायगी। मानव-जाति की सेवा में अपना जीवन खपाने वाले निर्भय एवं चर्चरित्र कार्यकर्ताओं का आदर्श हमेशा जनता के सामने रहेगा। यदि रचनात्मक कार्य सरठित रीति से चालू रहा तो जब सत्याग्रह के लिए लोगों के संगठन का प्रश्न लड़ा होगा तब हमें ऐसा मालूम होगा कि हमारा बहुत-सा काम तो पहले ही हो चुका है। रचनात्मक कार्य के द्वारा जिस तरह जनता के रहन-सहन का मान और दर्जा ऊँचा होगा उसी तरह कार्य का मार्ग पहले तथा उसके बीचे हिपे हुए पवित्र उद्देश्य के द्वारा जनता में पारस्परिक सहयोग, एक्य भाव, सत्य, प्रेम तथा अन्याय से बचा रखने के बीज भी बोए जायेंगे। जनता के इस संगठन एवं उससे मिले शिक्षकों के बदौलत सत्याग्रह के तरीके से जड़ी जाने वाली किसी भी लड़ाई के लिए जनता की काफी तैयारी हो सकेगी। अथवा यदि गुलाम देशों की भौति शुरू से ही लड़ाई लड़नी पड़ी तो इस कार्य के द्वारा लोगों को अपनी दीनता का अनुभव वही तीव्रता से होगा और उसमें प्रतिकार की दृष्टि एवं गुलामी दूर करने की उत्कृष्टा बहसी जायगी। रचनात्मक कार्य के स्वरूप एवं प्रश्यक रचनात्मक प्रबृत्ति में अन्तर हो सकता है लेकिन उसे अवहार में जाने के मार्ग और तरीके में, उसके मूल में स्थित निःस्वार्थ सेवा के असली उद्देश्य में और सत्य व अहिंसा के

आठज्या विश्वास में थोड़ा-सा भी अन्तर नहीं होना चाहिए। वही सत्याग्रह की इमारत का सच्चा मजबूत पाया है।

जिस लेख में करबन्दी अथवा सविनय कानून भङ्ग जैसे तीव्र सत्याग्रह करने होते हैं वहाँ रचनात्मक कार्य पर गांधीजी इतना ज़ोर क्यों देते हैं यह बात उपर्युक्त विवेचन से स्पष्टतः समझ में आ जायगी।

सन् १९२२ के बारडोली के करबन्दी आन्दोखन का डदाहरण लें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ४-११-२१ को प्रान्त में व्यक्तिगत या सामूहिक अवश्य आन्दोखन प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कुछ शर्तें लगा दी थीं। उनमें इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए सत्याग्रही को सूत काटना जानना चाहिए। व्यक्तिगत आचरण पर लागू होने जैसा सारा कार्य-क्रम व्यवहार में लाना चाहिए, सारी जातियों की एकता में उसका विश्वास होना चाहिए। उसे इस बात का कायल होना चाहिए कि अहिंसा इस लकाई का आवश्यक सिद्धान्त है और यदि वह हिन्दू है तो उसे अपने आचरण से यह दिखा देना चाहिए कि अस्पृश्यता राष्ट्र के लिए कलंक है। जहाँ तक सामूहिक अवश्य आन्दोखन का सम्बन्ध है उस लेख की अधिकांश जनता को स्वदेशी अपना लेना चाहिए और असहयोग के दूसरे सब प्रकारों पर विश्वास रखकर उनपर अमल करना चाहिए और उन्हें व्यवहार में लाना चाहिए। उसमें आगे इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि सत्याग्रही को या उसके कुदुम्बियों को अपने निर्वाह के लिए कांग्रेस के पैसे पर अवलम्बित न रहना चाहिए। आइये, इन शर्तों की आवश्यकता पर ध्यान देकर हम यह देखें कि बारडोली तालुके की तैयारी कितनी हो गई थी। ६५ में से ६१ स्कूल राष्ट्रीय बन गये थे। हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य पराकाष्ठा को पहुँच गया था, अस्पृश्यता समूल सो नष्ट नहीं हुई थी पर उस मार्ग पर थी। खादी का प्रचार बड़ी तेजी से हो रहा था। गांधीजी लिखते हैं—(यह इनिदिया २-१-२२) “बारडोली ने अस्यन्त महस्वपूर्ण निर्णय किया है। उसने ऐसा मार्ग अप-

नाया है जिसमें पीछे कदम लौटाने की गुआहा नहीं है। शर्तों के सम्बन्ध में मैंने सभा के प्रत्येक व्यक्ति की मनोभावना स्वतन्त्र रूप से समझ ली है। सभा में २०० छियां मिलाकर ४००० खदारधारी नेता उपस्थित थे। हिन्दू-मुसलमान-ईसाई-पारसी—एकता का अर्थ उनकी समझ में आ गया है। अहिंसा का महत्व और उसकी सत्यता उन्होंने अनुभव कर ली है। अस्ट्रॉप्यता-निवारण के पीछे की भूमिका भी उन्होंने समझ ली है। वे यह भी जानते हैं कि रवदी या सविनय कानून भङ्ग के अन्य प्रकारों का अवलम्बन वे मेरे बताये हुए मार्ग के अनुसार आगमनिषि के बिना नहीं कर सकेंगे। वे समझ गये हैं कि उनको उच्चमी बनना चाहिए और खुद सूत कालकर अपने जायक खादी दुन लेनी चाहिए। अन्त में उन्हें जेल जाने की और मौका पढ़ने पर मर जाने तक की तैयारी रखनी चाहिए और वह भी बिना ननुनच किये।

रचनात्मक कार्य में प्रगति हुए बिना गांधीजी ने बारडोली में करबन्दी की हजाजत नहीं दी होती। रचनात्मक कार्य और सत्याग्रह का पारस्परिक सम्बन्ध हम प्रकार अविभाज्य है। यह बात दूसरी है कि संयुक्त प्रान्त के चौरी-चौरा नामक स्थान में हिंसाकाश हो जाने पर उस समय बारडोली का सत्याग्रह शुरू नहीं किया जा सका।

अब जब कि बारडोली के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। आइये, हम यह भी देख लें कि सन् १९२८ में करबन्दी के रूप में वहाँ सत्याग्रह की तैयारी किस प्रकार की गई। यथापि सन् १९२२ में किया जाने वाला आनंदोलन स्थगित किया गया तो भी सन् १९२८ में उसी ताल्लुके में सत्याग्रह करने का प्रसंग आ गया। गांधीजी की प्रेरणा से उन्होंने नेहरू भी में किये गये सत्याग्रहों में बारडोली का सत्याग्रह अत्यन्त सफल और आदर्श माना जाता है। यथापि सन् १९२२ में बारडोली सत्याग्रह प्रारंभ नहीं हुआ तथापि वहाँ जो रचनात्मक कार्य एक बार शुरू हुआ वह आलू ही रहा। लगभग एक लाख की जनसंख्या वाले ताल्लुके में

रचनात्मक कार्य के लिए संगठन हो रहा था। बास्तविक और इह पाये पर सहे किये गये विधायक कार्य का संगठन समुदाय के अहिसक प्रत्यक्ष प्रतिकार के संगठन में भी काम आता है। उस ताल्लुके में सन् १९२१ से लगातार गांधी-मार्ग से रचनात्मक कार्यक्रम चलाने वाले चार केन्द्र आश्रम के रूप में काम कर रहे थे। उसी प्रकार वहाँ अनेक स्थागी कार्यकर्ता भी थे। जिस समय करबन्दी आनंदोलन शुरू करने का निश्चय हुआ उसी समय उसका सारा सूत्र-संचालन सरदार पटज को सौंपा गया। उनकी संगठनशक्ति अनुपम है। उन्होंने और भी कहं सुविधाजनक केन्द्रों में सुयोग्य नायकों के नेतृत्व में किसान जनता के स्वयंसेवक पथकों का संगठन किया। इन केन्द्रों और स्वयंसेवक दलों का जो जाल सारे प्रान्त भर में फैला हुआ था वह रक्त-वाहिनी नसों की तरह उपयोगी हुआ। इससे प्रत्येक गाँव के कोने-कुन्हे में होने वाली घटना की भी अथ से हृति तक सारी जानकारी प्रतिशङ्ख सरदार को भिज सकती थी। इसी प्रकार बुलेटिन की प्रशाली भी शुरू हो गई थी। प्रत्येक ऐसा आया था कि ताल्लुके में बुलेटिन की दम हजार प्रतियाँ प्रत्य ताल्लुके के बाहर चार हजार प्रतियाँ बाँटी जाती थीं। इससे प्रत्येक ग्राम को सारी घबर और सूचना भिज जाती थी। स्वयं सरदार प्रत्येक गाँव और कैम्प का दौरा करके लोगों को बड़ा हुआ लगान न देने की शपथ पालने के लिए स्फूर्ति और प्रोत्साहन देते थे और मार्ग-दर्शन करते थे। १२-२-२८ को बारडोली में जो मिराट् परिषद् हुई उसमें सत्याग्रह आनंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। इसके बाद सरदार ने आमों की अनेक सभाओं में भाषण दिये। सारे ताल्लुकों में वे ही अकेले भाषण देते। अनुशासन की टहि से और किसीको भाषण नहीं देने दिया जाता था। जब गांधीजी उस ताल्लुके में गये तो उन्होंने भी इस अनुशासन का पालन किया। जब सरकार ने दमन-चक्र चलाया और कार्यकर्ता घडाघड गिरफ्तार होने लगे तब उनकी जगह तुरन्त दूसरे कार्यकर्ता रवाना करके सारे संगठन को अन्त तक

अखलवड बनाये रखा। सत्याग्रह किसान स्वयंसेवकों ने आगे बढ़कर जोकरीतों और शूरवीरता एवं कष्ट की कहानियों के द्वारा लोगों के नैतिक धैर्य और अन्तिम विजय के विश्वास को टिकाये रखा। ताल्लुकों से सम्बर्क रखना, ताल्लुकों में और बाहर प्रचार करना, समय-समय पर सरकार द्वारा नियोजित उपायों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना देना, किसानों के नैतिक धैर्य को टिकाये रखना, पटेल पटवारियों से स्थागपत्र दिलवाना, सरकारी नीलाम पर धरना लगवाना, सरकारी नौकरों से अमहयोग जारी रखना आदि काम मुख्यतः संगठन के द्वारा किये जाते थे। ये सारे काम सैनिक युद्ध की ही भाँति दिखाई देंगे। इससे यह स्पष्ट हो जायगा कि सत्याग्रह आनंदोलन दांवपेच और योजना में जरा भी भूल न करते हुए सफलतापूर्वक चलाने के लिए सैनिक सेनापति की तरह चतुरता और प्रसंगावधान की आवश्यकता होती है।

आहये अब उसकी तैयारी पर दृष्टि डालें। सत्याग्रह की मुख्य तैयारी का अर्थ है लोगों के मन में सत्य और उसकी अन्तिम विजय पर निष्ठा अंकित कर देना। वस्तुतः जिसका अस्तित्व है, जो कार्य करता है और जिसकी विजय होती है वही सत्य है। सत्याग्रह आनंदोलन में सम्बन्धित लोगों का यह विश्वास होना चाहिए कि उनकी धारणा के अनुसार सत्य उनके पक्ष में है। इतना होने पर ही उसके लिए सर्वस्व की बाजी लगाने की दृष्टा और नैतिक धैर्य उनमें उत्पन्न होगा। इसके बाद की सीढ़ी है प्रेम और अहिंसा के द्वारा सत्य का अनुकरण। हमें जो लड़ाई लड़ना है वह अन्याय करने वाले से नहीं बल्कि अन्याय और असत्य से है क्योंकि अन्यायी व्यक्ति भिजा दिखाई दें तो भी वे ही हमारे ही स्वरूप। इसलिए सत्याग्रही दूसरों को कष्ट देने की कल्पना भी मन में नहीं लाता।

यदि रचनात्मक कार्य चालू रहे और सत्याग्रह के मूलतत्व जनता को सिखा दिये जायें तो उसके बाद को तैयारी की सीढ़ी है आसम-

शुद्धि। रचनात्मक कार्य के अनुसार ही आस्मशुद्धि का क्रम भी अखण्ड होना चाहिए। लोगों को अन्याय तथा मर्द-सेवन जैसी सारी तुरी आदर्श निकाल देनी चाहिए। उन्हें अपने आस-पास होने वाले अन्याय के साथ खुद होकर असहयोग करना बन्द करना चाहिए। उसके लिए आवश्यक हो तो वे उपचास का भी अवलम्बन कर सकेंगे। भावी सत्याग्रही का सामर्थ्य जितना इससे बढ़ेगा उतना और किसी तरह नहीं। इसके बाद ही अपनी सारी शक्ति की बाजी लगाकर उन्हें अन्याय का प्रतिकार करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए।

प्रतिदिन लो जाने वाली प्रतिज्ञा का स्वरूप इस प्रकार होगा—“मैं संसार में किसीसे भी नहीं ढरूँगा। अकेले सत्य या ईश्वर से ही ढरूँगा। किसीके लिए भी मन में दुर्भावनाएँ नहीं रखूँगा। मैं किसी भी अन्याय के सामने सिर नहीं मुकाँड़ूँगा—फिर वह किसी भी स्वरूप में कहीं पर भी क्यों न हो। मैं असत्य को सत्य से जीत लूँगा। सत्य से असत्य को, प्रेम से द्वेष को और न्याय से अन्याय को जीतने का प्रयत्न करते हुए मुझे जो भी कष्ट उठाने पड़ेंगे मैं उन्हें खुशी के साथ दूसरों के प्रति सदृभावना रखकर सहन कर लूँगा।”

इस प्रतिज्ञा का कबच पहनकर और इस बात पर पूरा निश्चय करके कि मेरा पहला सत्य का पहला है सत्याग्रही किसी भी ज़बाई में पढ़ सकेगा।

: १२ :

सत्याग्रह के लिए अनुशासन

सत्याग्रह के लिए हड्ड दर्जे की तैयारी को जरूरत तो होती है लेकिन इससे दुगुनी जरूरत होती है क्यों अनुशासन की। अनुशासन भंग करने पर सत्याग्रह में किसी प्रकार का शारीरिक या हिंसक उपाय काम में नहीं लिया जाता। अतः कार्यकर्ता और जनता दोनों के लिए

यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि वे सुद ही अनुशासन और बरिटों के आज्ञापालन के महत्व को समझें। सत्याग्रह-सम्मान की एक और विशेषता यह है कि उसमें सबसे पहिले नेता को बलिदान देना पड़ता है। और यदि वे फासी पर नहीं चढ़ाये गये तो कम से-कम जेल तो भेज ही दिये जाते हैं। उनके बाद पीछे बचे हुए साधारण सैनिकों को लड़ाई चलानी पड़ती है। अत जब नेता दूर कर दिया जाता है तब अनुशासन की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। कहूँ दफा तो नया कार्यक्रम बनाकर उसे जिम्मेदारी के साथ पूरा करना पड़ता है। ऐसे समय एक ध्येय के प्रति निष्ठा रखने पूर्व अनुशासन पालन करने में ही सत्याग्रह के सैनिक पृक्त्र रह सकते हैं। मर्वसाधारण का मार्ग दर्शन करते हुए सत्याग्रह के जो नियम गांधीजी ने बना दिये हैं वे सबके लिए निश्चित रूप से ठीक सिद्ध होगे। (पारशिष्ट देखिये)

अनुशासन के महत्व और आवश्यकता पर गांधीजी ने जो प्रिचार इयक किय हैं वे मननीय हैं। वे कहत हैं—“त्याग, अनुशासन और आत्मसंयम के बिना उद्धार की कोई आशा नहीं है। बिना अनुशासन के कोरा त्याग उपर्याग नहीं हो सकता।” अहमदाबाद में विद्यार्थियों की एक परिषट में भाषण देते हुए गांधीजी ने कहा—“हम जो पशुओं से अलग समझ जाते हैं उसका कारण है आत्मसंयम और अनुशासन।” सुद उनका जीवन अस्यन्त कठे और कठोर अनुशासन का नमूना है। महान् ध्यक्तियों के जीवन में भी इतना अनुशासन कम ही मिलेगा। चाहे वे बीमार हों चाहे स्वस्थ हों, चाहे जेल में हों चाहे बाहर, प्रातः-साय की प्रार्थना, सूत कताई और मौन कभी भी नहीं छूकते। रात को दो बजे सोने पर भी फिर वे ४ बजे प्रार्थना के लिए अवश्य उठेंगे और प्रतिदिन का निश्चित सूत कात बिना वे भोजन भी नहीं करते।

फिर भी अनुशासन की आवश्यकता है, केवल इतना ही कहने से काम नहीं चलेगा। अनुशासन की आवश्यकता है—यह बात तो

सिद्ध है। लेकिन यह कहना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सत्याग्रही को किस प्रकार का अनुशासन पालना चाहिए। इसी प्रकार हमें यह भी देख लेना चाहिए कि अहिंसा के और हिंसा के अनुशासन में क्या अन्तर है।

मूलतः अनुशासन का अर्थ है—आज्ञापालन या आज्ञा को व्यवहार में लाना। संगठन में अनुशासन ग्रहीत ही होता है। अनुशासन के बिना किसी भी प्रकार का संगठन होना असंभव है। नेपोलियन ने विकल्पीय ठीक ही कहा है कि युद्ध की सफलता का ७५% श्रेय अनुशासन को ही होता है। फॉक के मतानुसार अनुशासन ही सेना की मुख्य शक्ति होती है।

आत्मोन्नति के लिए स्वेच्छा से स्वीकृत अनुशासन, अनुशासन का ही एक प्रकार है। इस प्रकार का अनुशासन हमारे जीवन में व्याप्त हो, इसके लिए मनुष्य खुद ही पेसी आदतें ढाल लेता है जिससे चेतना अथवा सूचना मिलते ही वह एक विशेष प्रकार की किया करे। इस प्रकार के अनुशासन से मनुष्य अपने जीवन को एक खास सांचे में ढालता है और अपनी शक्ति का नियमन करता है। आत्मसंयम एवं अपनी शक्ति का ज्यादा-से-ज्यादा उपयोग करने की दृष्टि से इस प्रकार के अनुशासन का बहुत महत्व है।

सैनिक अनुशासन करीब-करीब यान्त्रिक आज्ञापालन की आदत ढालता है। उससे मनुष्य केवल कठपुतली बन जाते हैं। 'पेसा क्यों हुआ?' यह पूछना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम तो 'आज्ञा मानना और मरना ही है।' हुक्म मिलते ही गोली चलाने और जारी बिच्छा देने की शिक्षा लाखों लोगों को दी जाती है। सेना में अनुशासन ही सबसे बड़ा गुण माना जाता है और अनुशासन भंग ही सबसे बड़ा जुर्म है। इस जुर्म में उसी वक्त गोली से डड़ा देने का दण्ड दे दिया जाता है।

हिंसक सैनिकों के लिए आवश्यक अनुशासन की अपेक्षा अहिंसक

सैनिकों के लिये आवश्यक अनुशासन सहज ही भिज प्रकार का होता है। एक को मारना पड़ता है, दूसरे को मरना पड़ता है। एक को द्वेष रखना पड़ता है, दूसरे को भ्रम करना पड़ता है। एक को क्रोध करना पड़ता है, दूसरे को शान्त रहना पड़ता है। एक को डराना पड़ता है, दूसरे को सृष्टि सामने देखकर भी निर्भयता से उसका मुकाबला करना पड़ता है। एक को दूसरों पर यातना लादनी पड़ती है और दूसरे को उसे सुदृढ़सुद सहन करनी पड़ती है। इस प्रकार हिंसक सैनिक की शिक्षा का उद्देश्य अहिंसक सैनिकों की शिक्षा से एकदम भिज होता है। अतः उसकी शिक्षा भी भिज होती है। लेकिन दोनों मामलों में शिक्षा की पद्धति अलगबगले मानवी मन और उसके मिहान्तों के निरीक्षण पर ही आधारित रहती है।

आयरिश कवि जार्ज रमेल और प्रमिद्व सैनिक लेखक लिडिल हार्ट जैसे सहानुभूतिपूर्वक विचार करने वाले भी सत्याग्रह पर सबसे बड़ा आक्षेप यह करते हैं कि अहिंसक प्रतिकार में मानवी स्वभाव में बहुत बड़ी अपेक्षाएँ की जाती हैं। लेसिन जब अनुशासित हिंसक सेना भी पहिलेपहल रणाङ्गण में जाती है, अर्थात् सालात काल के मुँह में खड़ी होती है, तब भी अक्सर निरीक्षकों ने इसी प्रकार का आक्षेप किया होगा। लेकिन आदत और शिक्षण के द्वारा मनुष्य की सुसु शक्तियों को प्रकट रूप प्राप्त हो सकता है। अतः किसी भी समय यह कह देना जहृदारी है कि 'असुक समय असुक काम करना असम्भव है'। धारा-समा में सत्याग्रहियों ने जो बीरता दिखाई उसे देखे बिना कोई उनकी सहनशक्ति की कल्पना कर सकता था? गुरु के बाग में शहीदों ने जो अपार धैर्य दिखाया क्या कोई उस सम्बन्ध में भविष्यवाणी कर सकता था? अतः भविष्य पर अटल विश्वास रखकर सेना के पहिले बीर की भाँति किसी भी लेत्र में पैर रखना सदैव ही बुद्धिमानी का काम है।

यहाँ इस विषय का और अधिक विस्तार करने की आवश्यकता

नहीं है। रिचर्ड ग्रेग ने अपनी 'पावर ऑफ नानवायलेन्स' और 'डिसिप्लीन फॉर नानवायलेन्स' नामक पुस्तकों में इसकी शास्त्रीय चर्चा की है। यहाँ दृतना ही कहना पर्याप्त है कि यथापि सत्याग्रही के लिए अधिकांश में सैनिक अनुशासन का अभ्यास जरूरी है तथापि उसका वास्तविक आधार आन्तरिक अनुशासन पर ही रहना चाहिए। सबसे प्रेम करने, गुस्सा न आने देने और ह्रेषभावना से दूर रहकर कह सहने की आदत ढालना कोई सीधा-सा काम नहीं है। चिन्तन, प्रार्थना और जीवन-मूल्यों की नई रचना के द्वारा ही मनुष्य पैसे जीवन के नये दृष्टिकोण की नींव ढाल सकेगा। लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि नवीन संस्कृति के उदय में इससे मदद मिलेगी, अतः यह प्रयोग करने जैसा है।

रिचर्ड ग्रेग ने ठीक ही प्रतिपादित किया है कि आज्ञापालन स्वाभिमान, स्वावलम्बन, आत्मसंयम, स्वार्थत्याग, निग्रह, दूसरों से (विरोधियों से) प्रेक्ष्यभाव, सहनशीलता, अनुशासन, एवं सहयोग की भावना, उत्साह, धैर्य, शान्तवृत्ति और सन्तुलन और शस्त्रों के नैतिक पर्यायों के प्रयोग करने की आदत सैनिक-शिक्षा की ही भाँति अभ्यास और सबके द्वारा मिलकर ज्ञानपूर्वक किये गये शारीरिक अम से भी बढ़ाई जा सकती है। तथापि उसमें मुख्य अन्तर यह है कि सैनिक-शिक्षण में सैनिकों को बाधा अधिकारियों की आज्ञा मानने की आदत ढलवाई जाती है। तो सत्याग्रह के शिक्षण में यदि किसी की मुख्य आज्ञा पालना है तो वह अपनी सदसद्विवेकबुद्धि की ही।

अपनी 'पावर ऑफ नानवायलेन्स' के 'आन्तरिक अनुशासन' नामक आध्याय के अन्त में लेखक कहता है—“सत्य, प्रेम, आध्यात्मिक ऐक्य, समर्पा, सम्यता, साधगी, आभ्युदायी और परिवर्तन के साधन के रूप में कष्टसहन आदि तत्त्व ही आन्तरिक अनुशासन के उद्दगम रहते हैं। इन तत्त्वों की सब जगह सब तरह साधना होनी चाहिए। इस कल्पना से आपका तादात्म्य हो जाना चाहिए। आपकी कल्पना-

शक्ति उसीमें रँग जानी चाहिए। नियमित रूप से और बार-बार उसका चिन्तन करने चाहिए। ऐसी पुस्तकें, व्यक्ति और परिस्थिति की स्रोत में रहना चाहिए जिनसे ये सिद्धान्त समझ में आएं और उनके अर्थ, आचरण व उपयुक्तता पर प्रकाश पड़े। उसके रहस्य को पूरी तरह समझने की इष्टि से उसे निरन्तर आचरण में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। इन सबके बारें चराकर होने वाली सौम्यता का परिणाम, दृढ़ता और सहनशीलता की आवश्यकता हमेशा व्याप्ति में रखनी चाहिए। ‘‘बुद्ध, हम्मा, सेन्ट फ्रान्सिस, असीसी, जॉन फाक्स, जान चुलमन, गांधीजी तथा हम विचारधारा के अन्य महान् प्रवर्तकों के चरित्र ही इस अनुशासन के सर्वोत्तम वर्णन होंगे।’’

अब संक्षेप में आदर्श सत्याग्रही सैनिक का बर्णन करके हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। इससे पृक्त आदर्श सत्याग्रही के लिए जिस अनुशासन का लेयारो को जरूरत होती है उसकी ढीक-ढीक कल्पना हो जायगी।

आप्यात्मिक इष्टि से उसे सत्य एवं इंश्वरी शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। हम्मो प्रकार उसे हस बात में भी विश्वास रखना चाहिए कि वह केवल शरीर नहीं है। वह इससे कुछ अधिक है और अन्यायी या अत्याचारी की पाशब्दी शक्ति की पहुँच के पेरे है। उसे मनुष्य जाति और प्राणिमात्र को समहाइ से देखना चाहिए। उसे सबसे प्रेम करना चाहिए और अपने मन में विशेषी के प्रति भी सद्भावना रखनी चाहिए। उसे अपनी ओर सत्य अथवा मब्दके मार्गदर्शक परमेश्वर के हाथ का एक साधन समझकर देखना। चाहिए और अपने सर्वस्व तक को त्याग करने के लिये तैयार रहना चाहिए। उसे पवित्रता अपनानी चाहिए और प्रत्येक प्रकार के गन्दे विचार मन से हटा देने चाहिए। जिस सत्य का वह आचरण कर रहा है उसका अत्यन्त स्पष्ट दर्शन उसे होना चाहिए।

नैतिक इष्टि से उसे निर्भय, धैर्यवान, विनयी, परोपकारी, सत्य-

शील एवं हमेशा योग्यायोग्य व गुणागुण परखने में कुशलता तथा उदाहरणना होना चाहिए। चाहे कितनी ही कीमत क्यों न देना पड़े, उसे सत्य का अनुसरण करना चाहिए और किसी भी रूप में क्यों न हो, हिंसा से बचना चाहिए। उसे हमेशा आशावादी और आनन्दी होना चाहिए।

बौद्धिक दृष्टि से अपने काम को स्पष्ट तस्वीर उसके सामने होनी चाहिए। उसे विश्वास होना चाहिए कि उसका पहला सत्य पर आधारित है और उसे उस मार्ग की पूरी जानकारी होनी चाहिए जिस पर कि वह चल रहा है। अपने व्यवहार व निष्ठा के सम्बन्ध में दूसरों को विश्वास करा देने की उमता उसमें होनी चाहिए।

शारीरिक दृष्टि से वह तन्दुरुस्त व कष्टसहित्य होना चाहिए। उसे शारीरिक श्रम की आदत होनी चाहिए और यातना एवं कष्ट सहने की तैयारी होनी चाहिए। सादे भोजन और मोटे वस्त्र पर ही सलोच होना चाहिए। बीमार हो जाने पर भी उसे निराश नहीं होना चाहिए। उसे क्रियाशील और कार्यप्रवण होना चाहिए और गाँव-गोव पैदल घूमने की आदत होनी चाहिए।

जबतक कम-से-कम ऊपर बढ़ाई हुई बाते सत्याग्रही आत्मसात् न करते तबतक वह जनता को सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं कर सकेगा।

: १३ :

सत्याग्रह तन्त्र

किसी भी काम को करने के सर्वमान्य एवं शास्त्र-शुद्ध तरीके को ही तन्त्र कहते हैं। यह नहीं कह सकते कि सामाजिक शास्त्र के रूप में सत्याग्रह का मार्ग बहुत पुराना है अथवा उसे पूर्णावस्था में पहुँच जाने वाले शास्त्र का स्वरूप प्राप्त हो गया है। सत्याग्रह तन्त्र अब भी प्रयोगावस्था में ही है और कितने ही बर्षों तक उसके इस अवस्था में

रहने की संभावना है। सधारि उसके अवलक के विकास का श्रेय गांधी-जी को ही है; क्योंकि उन्होंने अन्तःस्फूर्ति और अनुभव के बल पर उसकी एक विशेष पद्धति बना दी है। यह पद्धति ही उसका तन्त्र है। अभी सत्याग्रहणात्म प्रगत अवस्था में है। अतः उसका तन्त्र भी अपूर्णावस्था में ही है। लेकिन साधारणतः प्रतिदिन के उपयोग की दृष्टि से वह काफी दिनों और अनुभवों की कसौटी पर कसा जा सका है।

किसी भी परिस्थिति में सत्याग्रह में असत्य, जानमाल की हिसा, गुप्तता, अन्याय, कष्ट देना, धोखा, अप्रामाणिकता, कपट, आक-मण अथवा शोषण के लिए किसी भी प्रकार का स्थान नहीं है। अतः सत्याग्रही को इस बात का विश्वास कर लेना चाहिए कि किसी प्रश्न के उठ खड़े होने पर उपयुक्त कोई भी बात कारणीभूत न बने।

मन् १६३६ में भीढ़ के हाथों जो हिमाकाण्ड हुए उसे लच्छ करके गांधीजी ने जो उद्गार प्रकट किये हैं वे यहाँ उढ़त करने योग्य हैं। वे कहते हैं—“सत्याग्रह में हिसा व लूटमार के लिए जरा भी स्थान नहीं है। फिर भी सत्याग्रह के नाम पर हमने हमारतों में आग लगाई, जबरदस्ती हथियारों पर अधिकार किया, पैसे लूटे, रेलगाड़ियाँ रोकीं, तार काटे, निरपराध लोगों की हत्या की तथा दुकानों और खानगी मकानों में लूट-मार की। ऐसे कृत्यों से यदि जेल से बहिक फांसी से भी मेरा छुटकारा हो सकता हो तो वह मुझे दरकार नहीं।”

सत्याग्रही को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय किसी भी सेवा को वर्जित नहीं मानना चाहिए। सेवा का शुनाव करते समय अपने निकटवर्ती लोगों की सेवा एवं जिन लोगों में वह रहता है उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हाथ में लेने की दृष्टि वह रखेगा।

किसी झगड़े, शिकायत या अन्याय के होने पर व्यक्तिगत या सामू-हिक सत्याग्रह के द्वारा उसे मिटाने की अवस्था उत्पन्न होने पर सत्याग्रही को अन्याय की सत्यता का अपने मन में निश्चय कर लेना चाहिए।

निष्पक्ष होकर चिन्मार्गवक्त जांच कर लेने के बाद यदि उसे विश्वास हो कि शिकायत सत्य है तो फिर उसे जो काम करना है वह यह है कि जिन लोगों पर उस अन्याय का असर पड़ने वाला है वे उससे बचने के लिए छटपटा रहे हैं या नहीं। शिकायत की गंभीरता की जानकारी होते ही सत्याग्रही को उन लोगों के ऊपर जो उसके लिए उत्तरदायी हो जहां तक हो सके सभ्य भाषा में शिकायत का सत्यस्वरूप प्रकट करके उन्हें समझा देना चाहिए कि उनपर शिकायत की जुम्मेदारी किस तरह है। इसके बाद बिना किसी अतिशयोक्ति के बस्तुस्थिति को पूरी जानकारी प्रकट कर देनी चाहिए। समाचारपत्र एवं सभा आदि के नित्य साधनों के द्वारा उनका विवेक जाग्रत हो सके इस प्रकार का प्रचार चालू रखना चाहिए। अलबत्ता यह सब करते हुए उसे हमेशा सत्य, संयम तथा विचार, उचार, एवं आचार में विनम्रता रखने का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही उसे उन लोगों में भी ज्यादा-से-ज्यादा जागृति करना चाहिए जो अन्याय सहन कर रहे हैं और इस बात की आजमाइश कर लेना चाहिए कि वे लोग मुसीबतों का मुकाबला करने या सत्याग्रह का अवलम्बन करने के लिए तैयार हैं या नहीं। यदि बहुसंख्यक लोग सत्याग्रह के लिए तैयार हों तो उनके निश्चय को और भी टड़ बनाना चाहिए। यदि बहुसंख्यक लोग सत्याग्रह के लिए तैयार न हों तो भी व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करके अन्याय सहन करने वालों में जागृति पैदा करने और उनके सामने उदाहरण पेश करने में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। इस बीच जो लोग अन्याय के लिए जवाबदेह हैं उन्हें परिस्थिति से परिचित कराकर उस अन्याय को दूर करने की प्रार्थना करना चाहिए। यदि इसका कोई परिणाम न हो तो लष्टकू का नियंत्रण करके उसके लिए सत्याग्रह के उपयुक्त स्वरूप का निश्चय कर लेना चाहिए। वह स्वरूप परिस्थिति में से ही निर्मित, सबको पठने जैसा और ऐसा होना चाहिए, जिसमें ज्यादा-से-ज्यादा लोग भाग ले सकें। सत्याग्रह प्रारंभ करने के पहिले

दूसरे सब साधनों का उपयोग कर लेना चाहिए। यदि सत्याग्रह अहिंसक है तो वह युद्ध की ही भाँति गंभीर और अनितम होगा। अन्यथा उने वालों को पूरी तरह पूर्व सूचना देकर काफी संगठन और तैयारी से सत्याग्रह शुरू करना चाहिए।

जिन लोगों को सत्याग्रह शुरू करना है उन्हें सदा आत्मशुद्धि और प्रतिज्ञा से शुरू करना चाहिए। प्रतिज्ञा की गंभीरता अथवा लड़ाई की भीषणता के कारण लोगों को बिला बजह किसी भी प्रकार भयभीत या अधीर होने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि लोगों का निश्चय अधिक दृढ़ बनना चाहिए। वे जिन शस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं उसकी नैतिक श्रेष्ठता तथा अविचल रहने पर उसकी सफलता की सुनिश्चितता पर उन्हें अटल विश्वास होना चाहिए।

लड़ाई के गंभीर रूप धारणा करने पर बीच-बीच में कुछ शिथिलता या निराशा फैलने की भी सम्भावना रहती है। ऐसे मौके पर जनता को श्रेष्ठ जीवन-मूल्यों का ज्ञान कराकर परिस्थिति का मुकाबला करना चाहिए। किसी भी समय संगठन में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए और न संगठनकर्ताओं का आशावाद ही डिगने देना चाहिए। यदि हमें अपनी आनिमिक शक्ति पर एवं अपने पक्ष की न्यायता पर पूरा विश्वास हो और दूसरों के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना न रख-कर अन्त तक कष्ट सहने की तैयारी हो तो ऐन मौके पर भी जनता निश्चित रूप से अपने नेता का निर्माण कर लेगी और लड़ाई का अन्त सफलता में ही होगा। हमें कभी भी दबना नहीं चाहिए। अपने झण्डे को कभी भी नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। लेकिन जब विरोधी में काफी परिवर्तन हो जाय तो ऐसे मुद्दों पर जिनमें तत्त्वहानि न होती हो हठ न ढान कर समझौते के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

जब हमारे मनोनियम और दृढ़ता का विरोधी पर तीव्र असर होता है और उसे विश्वास हो जाता है कि हम भले ही दूट जाँय लेकिन मुक़ेद्दे नहीं और उसे यह भी मालूम हो जाय कि नैतिक दृष्टि से भूल

उसकी है तो उसके पैर उखड़ जायेंगे और कुछ समय बाद वह अपनी भूमिका को छोड़कर नीचे मुकने के लिए भी सम्भवतः तैयार हो जायगा। समय पाकर उसका समझौते के लिए तैयार हो जाना भी निश्चित ही समझना चाहिए। विरोधी के हृदय-परिवर्तन की भी सम्भावना है; क्योंकि विरोधी का अपनी भूल अनुभव करना और समझौते के लिए तैयार होना ही सत्याग्रह-संग्राम की परिपूर्णता है। जब विरोधी को यह अनुभव होने लगता है कि उसका नैतिक दबाव अथवा अनुचित व्यवहार इसी प्रकार चालू रहा तो उसे अपना सब कुछ गँवा देना पड़ेगा तो उसमें अवश्य परिवर्तन होगा। कुछ भी हो अन्त में सत्याग्रही की विजय निश्चित है।

जहाँ तक हो सके सत्याग्रह-संग्राम में पैसे पर कम-से-कम अवलम्बित रहना चाहिए। थोड़ा-बहुत जितना पैसा जरूरी हो उसे वहाँ से इकट्ठा करना और उसे बड़ी मितव्ययता से खर्च करना चाहिए। जमा और खर्च की जाने वाली एक-एक पाई का हिसाब रखा जाना चाहिए। सत्याग्रह की मुख्य शक्ति नैतिक धैर्य पर अधिकृत होनी चाहिये। वह किसी भी प्रकार के बाह्य उत्तेजन अथवा आर्थिक सहायता पर अवलम्बित नहीं होनी चाहिए। सत्य एवं ईश्वर पर इड़ निष्ठा तथा आत्म-विश्वास के द्वारा ही सत्याग्रही का मार्ग-दर्शन होना चाहिए।

यदि सरकारी अधिकारी गिरफ्तार करने आएं तो उन्हें खुदबखुद गिरफ्तार हो जाना चाहिए। जेल में रहते हुए जिन नियमों से धर्म या स्वाभिमान को धक्का न लगे उनका पालन करना चाहिए। जबतक जेल में सुधार करवाने के लिए लड़ाई न करना पढ़े तबतक जेल के नियमों का उल्लंघन न करना चाहिए। यदि लोग गिरफ्तार होते हों तो दुःखी न होना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि यह गौरव करने जैसी बात है। सैनिकों में किसी भी प्रकार का अनुशासन-भेंग सहन नहीं करना चाहिए। और चूँकि सत्याग्रह का शारीरिक शिक्षण में विश्वास नहीं होता, संगठनकर्ताओं को अपने अनुचित

व्यवहार को समूल नष्ट करने के लिए उपचास अथवा उसके जैसे अन्य साधनों का अवलम्बन करना चाहिए ।

आहौये, पहिले व्यक्तिगत सत्याग्रह के तन्त्र पर विचार करें । यहाँ हम सत्याग्रह को अन्याय के विरुद्ध लड़ने का एक हथियार मान कर चलते हैं । जब किसी नागरिक के अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है अथवा १९१६, १९३३ और १९४० की तरह सामूहिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप में कानून तोड़ने का निर्णय किया जाता है अथवा किसी विशेष परिस्थिति में वैसा करना हमारा कर्तव्य हो जाता है तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का मौका आ जाता है ।

जब नागरिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाया जाय तो उस आज्ञा को भूग करने के लिए तन्त्र की विशेष आवश्यकता नहीं होती । सत्याग्रही को अपना कानून तोड़ने का हरादा पहिले ही प्रकट कर देना चाहिए और उसके लिए जो सजा मिले उसे खुशी-खुशी सुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए । इस सम्बन्ध में सबसे ज्यादा महत्व की बात यह है कि उसे शुरू में आखिर तक विनम्र रहना चाहिए । विनम्रता का अर्थ केवल बोझ-चाल की नम्रता ही नहीं बल्कि उसमें वे सारी बातें आ जाती हैं जो अहिंसा के अन्तर्गत होती हैं । गांधीजी कहते हैं—(यंग इण्डिया २४-३-२०) “यदि सत्याग्रह, निष्ठा, आदर, संयम व विनम्रतापूर्वक किया गया और वह किन्हीं समझौतों पर आधारित हो तो ही उसे ‘सविनय’ कह सकते हैं । वह केवल लहरमहर का सौदा नहीं होना चाहिए । और खास बात तो यह है कि उसमें किसी भी प्रकार का द्वेष या दुर्भाव नहीं होना चाहिए । जब किसी भी विशेष अवसर पर किसी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से सविनय अवश्य करने का मौका आ जाय तो उसे इसी तन्त्र का अवलम्बन करना चाहिए ।

सन् १९१६ में रौलैट एक्ट सत्याग्रह के समय जिस तन्त्र का अवलम्बन किया गया वह एक सत्याग्रह कमेटी के रूप में था । प्रतिज्ञा-पत्र तैयार किये गये और जिन लोगों को सत्याग्रह में भाग लेना था

उनसे वह भरवाया गया। इसके बाद सत्याग्रह कमेटी ने जन्म साहित्य को प्रकाशित करने तथा समाचार पत्रों के रजिस्ट्रेशन के कानून को भंग करने की सलाह दी। ६ अप्रैल के बाद प्रतिज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सत्याग्रहियों को सविनय कानून भंग करना था। साधारण जनता के लिए हक्कताल, डपवास, प्रार्थना और सभा का कार्यक्रम रखा गया था। आम जनता को सविनय अवज्ञा आनंदोदय में भाग नहीं लेना था।

सत्याग्रह कमेटी ने जन्म साहित्य की विकी को 'संगठित व नियम-बद्ध बनाने की सूचना' दे दी थी। इससे हस्ताक्षर के तन्त्र की अच्छी कल्पना हो सकती है। वे सूचनाएँ नीचे लिखे अनुसार थीं। "जहाँ तक सम्भव हो सत्याग्रही को विकेता के रूप में अपना नाम और पता लिखना चाहिए, ताकि मुकदमा चलाने के लिए सरकार को उसका फौरन पता लग जाय। स्वभावतः इस प्रकार के साहित्य को गुप्त रूप से बेचने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार उसको बैठने में भी आतुरता न दिखानी चाहिए। स्त्री-पुरुषों के छीटे-छोटे दल बनाकर सत्याग्रही उनके सामने इस प्रकार का साहित्य पढ़े। जन्म साहित्य को बेचने का उद्देश्य केवल कानून भंग करना ही नहीं है, बल्कि जनता के हाथों में उच्च नैतिक मूल्य वाले साहित्य को रखना भी सम्भव है, सरकार ऐसे साहित्य को ज़बत करे। सत्याग्रही को पैसे पर कम-से-कम अवलम्बित रहना चाहिए। अतः सत्याग्रहियों से अनुरोध किया जाता है कि वे सरकार द्वारा प्रति ज़बत होते ही उसे मुद्र ही अथवा अपनी सहायता करने वाले किसी मित्र की मदद से फिर तैयार करके तबतक लोगों को पढ़ने के लिए देना चाहिए जबतक नि वह दुबारा भी ज़बत न हो जाय। हमें विश्वास है कि इस प्रकार के वाचन का उपयोग ज़बत साहित्य के प्रसार करने में होगा। जब ज़बती या प्रसार के कारण सारी पुस्तकें समाप्त हो जायं तो सत्याग्रही को ज़बत पुस्तकों के

उद्दरण्य किलकर खोगें में बाँडना चाहिए और सविनय अवज्ञा आन्दोलन चालू रखना चाहिए।”

“समाचार पत्र प्रकाशित करने के सम्बन्ध में सविनय अवज्ञा आन्दोलन की कहना हस प्रकार है कि प्रत्येक सत्याग्रह केन्द्र से बिना रजिस्ट्री कराये हस्तलिखित समाचारपत्र प्रकाशित किये जायें। यह जरूरी नहीं है कि उसका आकार एक ताव से बढ़ा हो।…… जिस सत्याग्रही को कानूनी निर्दिष्ट सजा का किसी प्रकार का भय न हो उसे बिना रजिस्ट्री कराये हुए पत्र में किसीका लिहाज-मुलाहिजा किये बिना अपनी सद्-असद् विवेक बुद्धि के अतिरिक्त अपना मत प्रकट करने में कोई हज़र नहीं है। हस प्रकार यदि उसके समाचारपत्र का व्यवस्थित रीति से सम्पादन हुआ तो वह योद्धे में शुद्ध कल्पना का प्रसार करने का एक प्रभावशाली साधन बन जायगा और हस्तलिखित समाचार पत्र के प्रसार के मार्ग में कठिनाइयों का भय रखने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि जिसके हाथ में पहिली प्रति पहुँचेगी उमीका कर्तव्य होता कि वह नहीं प्रति निकाले। हस प्रकार उसका इतना प्रचार हो जाना चाहिए कि वह सारी भारतीय जनता तक पहुँच सके। हमें यह न भूलना चाहिए कि हिन्दुस्तान में जबानी शिक्षा देने की पद्धति चलती आ रही है।”

गिरफ्तारी बचाव आदि के सम्बन्ध में सूचनाएँ निम्न प्रकार हैं:—
 “अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम किसी भी छण्ड पकड़े जा सकते हैं, अतः यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि किसीकी गिरफ्तारी हुई तो उसे बिना कोई बाबा उपस्थित किये गिरफ्तार हो जाना चाहिए। और यदि किसीको अदाकत में उपस्थित होने के लिए सम्मत आए तो उसे वैसा करना चाहिए। उसे न तो किसी भी प्रकार का बचाव करना चाहिए और न वकील ही खड़ा करना चाहिए। यदि जुर्माने के बजाए कैद की सजा ही जाय तो कैद ही पसन्द करनी चाहिए। यदि कैद खुर्माना ही किया जाय तो उसे अदा नहीं करना चाहिए, लेकिन

यदि कुछ सम्पत्ति हो तो उसे सरकार को नीलाम कर लेने देना चाहिए। अपने गिरफ्तारशुदा साथियों की सहानुभूति में जो लोग बाहर रहे हैं उनको खेद या अन्य कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और जब सुद अपने लिए ऐसा मौका आए तो उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करनी चाहिए। एक बार जेल चले जाने पर जेल के सारे नियम पालन करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। क्योंकि इस समय जेल का सुधार करवाना हमारे आनंदोलन का अंग नहीं है। सत्याग्रही को किसी भी वाम मार्ग का अवलम्बन नहीं करना चाहिए। सत्याग्रही जो कुछ करे सब सुलमसुला करे।

आहये, अब हम १९४०-४१ के द्यक्षिण सत्याग्रह आनंदोलन पर विचार करें। युद्ध-सम्बन्धी मत-स्वातन्त्र्य और भाषण-स्वातन्त्र्य के लिए सविनय अवज्ञा आनंदोलन करना तय हुआ था। गांधीजी ने सारे प्रान्तों से प्रतिज्ञाबद्ध सत्याग्रहियों की सूची माँगी। सत्याग्रह करने की इजाजत देने के पूर्व गांधीजी ने उनकी जाँच की। नियमित कराई और अहिंसा के बारे में बड़ी कड़ी प्रतिज्ञा थी। 'सारे युद्ध-अन्याय हैं। अतः किसी भी युद्धकार्य में मदद मत करो। इसके विरुद्ध सारे युद्धों का प्रतिकार अहिंसा से करना ही उत्तम है।' इस आशय का भाषण देने का उसे अधिकार है और वह यह भाषण कहाँ देगा इसकी जिसी सूचना प्रत्येक प्रतिज्ञाबद्ध सत्याग्रही को जिला मनिस्ट्रेट को देनी पड़ती थी और फिर उसीके अनुसार व्यवहार करना पड़ता था। प्रारम्भ में गांधीजी ने भाषण देने की छुट्टी रखी थी। किन्तु लोगों को इस आशय के पत्र भेजने की इजाजत दे दी गई थी कि युद्ध-कमेटी के सदस्यों की युद्ध-प्रयत्नों में मदद मत करो। लेकिन शीघ्र ही यह निश्चय किया गया कि सत्याग्रह करते हुए उपर्युक्त आशय की जगभग २० शब्दों की एक बोषणा की जाय और अन्त तक यही क्रम चालू रहा गया। सत्याग्रह करने के बाद भी जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया उन्हें पैदल दिल्ली तक प्रचार करते हुए जाने की आज्ञा दी गई।

सजा समाप्त होने पर जिनका स्वास्थ्य अच्छा हो उन्हें फिर से सत्याग्रह करने के लिए कहा गया।

सन् १९३० की महान् लडाई प्रारम्भ करते समय गांधीजी ने जिस तन्त्र का अवलम्बन किया, आहये अब उसे संसेप में देखें। एक उदाहरण के रूप में वह हमारे काम आने जैसा है। यह कह सकते हैं कि सत्याग्रह तन्त्र के मुख्य छः सिद्धान्त हैं, वे इस प्रकार हैं:—

- (१) सत्याग्रह के कारण न्यायोचित और सच्चे होने चाहिए।
- (२) दूसरे सब उपाय कर चुकना चाहिए।
- (३) विरोधी को अपनी भूल सुधारने का ज्यादान्से-ज्यादा मौका दिया जा चुकना चाहिए।
- (४) सत्य या ईश्वर पर पूरा भरोसा रखकर कष्ट-सहनात्मक अहिंसा-मार्ग से प्रतिकार करना चाहिए।
- (५) कष्ट-सहन बिला हुज्जत, सुशी से तथा कष्ट देनेवाले के प्रति भी मन में सद्भाव रखकर करना चाहिए।
- (६) और अन्त तक विनश्चतापूर्वक और अपने सिद्धान्त को बिना छोड़े समर्पीता करने की तैयारी रखनी चाहिए।

यदि हम सन् १९३० के सविनय कानून भंग पर इष्ट डालें तो हमें मालूम होता है कि गांधीजी ने उपर्युक्त तन्त्र का पूरी तरह शास्त्रीय पढ़ति से अवलम्बन किया था। उन्होंने इस बात का पूरी तरह निश्चय कर लिया था कि सत्य उनके पक्ष में है। सन् १९२४ में जब उन्होंने फिर से यंग इन्डिया का सम्पादन शुरू किया तब लिखा था कि “मैं हिन्दुस्तान की आजादी के लिए ही जी रहा हूँ और उसी के लिए मरूँगा। क्योंकि वह सत्य का ही एक भाग है। सच्चे ईश्वर की पूजा केवल स्वतन्त्र हिन्दुस्तान ही कर सकता है। सन् १९२६ में लाहौर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसके पहिले गांधीजी और मोतीलालजी नेहरू की बाहसराय से मुखाकात हुई। उस समय उन्हें बाहसराय ने यह कह कर निराश कर दिया था कि वे इस बात का

आवासन नहीं दे सकते कि गोलमेज परिषद् का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज्य देना होगा। समझौते और चर्चा का दरवाजा एकदम बन्द हो गया। इसके बाद गांधीजी ने कौँपेस का घेय बदल कर 'मुक्तिमिल आजादी' घोषित करने की राय दी और उन्होंने लड़ाई के लिए बमर कस छी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन की तैयारी शुरू की। साथ ही उपने ११ सुप्रसिद्ध मुद्दों के रूप में सरकार के सामने नहीं माँग पेश की। परन्तु वह भी रही की टोकरी में डाल दी गई। उनके उठाये हुए इस कदम से हर समय सरकार का नेतृत्व बाजू अधिकाधिक कमजोर होता गया और बार-बार की माँग को नकारात्मक उत्तर मिलने से देश में आवश्यक वातावरण निर्माण हुआ। इसके बाद उन्होंने कानूनभंग के लिए नमककानून पसन्द किया। इसमें उनकी जबरदस्त दूरदृष्टि दिखाई देती है। नमक-कर अत्यन्त अन्याय करों में से है। नमक की कीमत के हिसाब से कर कितने ही गुना अधिक है। गरीब से लेकर धनवान् तक के ऊपर उसका अमर पहुँचता है। इस कारण नमक-कानून सम्बन्धी हजाचल ने सारे संसार का ध्यान आकर्षित कर लिया। इसके बाद प्रत्यक्ष रूप से सविनय कानून-भंग प्रारम्भ करने के पहिले गांधीजी ने वाहसराय के नाम पर एक पत्र लिखकर उसे रेजीनॉफ़ रेनॉहटस् नामक सज्जन के हाथ रखाना करवाया और इस प्रकार सारे प्रकरण को एक नाटकीय रूप मिल गया। जिस समय पत्र का निराशापूर्ण उत्तर मिला और 'रोटी के बदले पथर' की कहावत चरितार्थ हुई उस समय उन्होंने दांडी-यात्रा प्रारम्भ की। वह संगठन और प्रचार का एक उल्कृष्ट नमूना था। जैसे-जैसे गांधीजी दायदी के निकट पहुँचने लगे वैसे-वैसे देश का वातावरण अधिकाधिक जाग्रत होने लगा। उन्होंने जो-जो कदम उठाये वे सब जान-बूझ कर खुले रूप में, धैर्यपूर्वक, प्रसन्न मुँह से, खिलाड़ी-हृति से और सदृश्यता प्रेरित थे।

६ अप्रैल से सारे देश में एकदम सविनय कानून-भंग की जहर

उठी और हजारों लोगों को पकड़-पकड़कर जेल में हूँस दिया गया। सरकार ने गोंधीजी को गिरफ्तार न करके उनकी उपेक्षा करने का प्रयत्न किया। परन्तु उनकी योजना का असफल होना सम्भव ही नहीं था। उन्होंने नोटिस दिया कि वे धारासना नमक गोदाम पर आक्रमण करेंगे और सरकारी कर न देते हुए केवल नमक की कीमत देकर नमक लाने की कोशिश करेंगे। उनका वह काम चोरी या डाका नहीं कहा जा सकता था। वह तो नमक-कानून को अन्याय मानने वाले नागरिकों के नैतिक अधिकार पर जोर देने का एक मार्ग था। इसके बाद उन्हें ताता० ४-४-३० को गिरफ्तार करके यशवदा जेल ले जाया गया। गिरफ्तार होने के लगभग महीने भर पहिले तक उन्होंने अपने समुद्र किनारे के कैम्प में अखिल भारतीय आनंदोलन चलाया था। वे अपने अनुयायियों को सूचना देते रहे और जब-जब उनके मन में किसी प्रकार की शंका होती तब उसका निराकरण करते रहे।

जल के दिन उन्होंने एक आदर्श कैदी की भाँति बिताये। उन्होंने हँथर पर अटल विकास रखा। उन्होंने बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार का सम्पर्क नहीं रखा और न अन्दर से आनंदोलन के मार्ग-दर्शन करने का प्रयत्न ही किया। अपने मूलभूत सिद्धान्त को छोड़ बिना समझौता करने के लिए वे सदैव तैयार थे।

सत्याग्रह-संग्राम का तन्त्र तो ऊपर बता ही दिया गया है किन्तु सत्याग्रह के भिज्ञ-भिज्ञ प्रकार और कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई एक ही निश्चित तन्त्र नहीं बताया जा सकता। जैसे प्रतिबन्ध लगी हुई परिषद् भरने और उसके काम-काज चलाने का तन्त्र शान्तिपूर्ण धरने या करबन्दी आनंदोलन के तन्त्र से भिज रहता है। यहां सत्याग्रह के अनेकविध मार्गों के तन्त्रों का सविस्तार विवेचन करना सम्भव नहीं है। उसके लिये विशेषज्ञों के नेतृत्व में चलाये गये कार्यक्रम का विस्तृत वृत्तान्त पढ़ना चाहिए।

मन् १६३० के आनंदोलन का अन्त उस तात्कालिक संघि के रूप

में हुआ जो गांधी-दरविन पैकट के नाम से मशहूर है। समझौते की बातचीत और प्रत्यक्ष ठहराव की जानकारी प्राप्त कर लेने से सत्याग्रही को इस बात की पूरी कल्पना हो सकती है कि ऐसे मामलों में सत्याग्रही का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए।

अब सत्याग्रह में उपवास का क्या स्थान है और उसका अवलम्बन कब और कैसे करना चाहिए इस सम्बन्ध में संचित विवेचन करके इस प्रकरण को समाप्त करेंगे।

उपवास का अर्थ है स्वेच्छा से शरीर को अक्ष देखा बन्द कर देना। यदि उपवास आमरण अनशन के रूप में हो तो भी आत्मशुद्धि के ही रूप में होता है। लेकिन यहां उपवास के तात्त्विक अधिष्ठान अथवा आत्मसंयम, या पाप के प्रायश्चित्त करने के लिए आत्मशुद्धि के हेतु से किये हुए उपवास की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस प्रकार के उपवास बिलकुल व्यक्तिगत होते हैं। यहां तो हमें ऐसे ही उपवासों की चर्चा करनी है जिनका हेतु विरोधी अथवा अन्य लोगों पर कोई प्रभाव डालना होता है। आइये हम देखें कि इस प्रकार के आमरण अथवा मर्यादित उपवासों का तन्त्र क्या है।

यदि उपवास अपने मित्र या सहयोगी की ग़ज़ती के विरुद्ध किया गया हो और उसकी एक निश्चित अवधि हो तो भी उसमें एक विशिष्ट तन्त्र का अवलम्बन किया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति के लिए उपवास किया जाता है उससे निकट का सम्बन्ध हुए विना और उसकी भूल उतनी ही बड़ी हुए विना इस प्रकार के उपवास का अवलम्बन नहीं करना चाहिए और सारासार विचार करके ही उसकी अवधि निश्चित की जानी चाहिए। उपवास की शुरुआत गुस्से या अविचार से नहीं की जानी चाहिए। उपवास के दिनों में न तो शरीर की उपेक्षा करनी चाहिए न किसी प्रकार की हिंसा ही करनी चाहिए। शरीर को शुद्ध रखने का उद्देश्य सामने रखकर मृतुज व्यवहार करना चाहिए। जिसके लिए उपवास करना हो उसे अपना उद्देश्य बता देना चाहिए। लेकिन

यहाँ भी उपवास को अन्तिम शख्स मान कर ही चलना चाहिए। उपवास का बहुत-सा समय प्रार्थना, आत्मनिरीक्षण, चिन्तन आदि मन को उद्वाल बनाने वाली बातों में बिताना चाहिए। उपवास एक बड़ा उग्र शख्स और महान् अग्निपरीक्षा है अतः इसका अवलम्बन करने के पहिले अपने उद्देश्य की कसकर जांच कर लेनी चाहिए। उद्देश्य में योद्धी-सी भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। वह एक शास्त्र है अतः अपने शरीर और मन को उसकी कसीटी पर कसने के पहिले उसका अच्छी तरह अभ्यास कर लेना चाहिए। सच पूछा जाय तो जिसने अहिंसा-मार्ग को नहीं समझा और इस बात का अध्ययन नहीं किया कि उपवास किस प्रकार किया जाय उसे एकदम उसकी ओर नहीं दौड़ पढ़ना। चाहिए। सबसे पहिले उपवास करने का अधिकार प्राप्त करना चाहिए। स्वार्थ, क्रोध, चंचलता, अविश्वास अथवा जलदबाजी के लिए उसमें कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

आमरण अनशन वह कदम है जिसे सत्याग्रही को बिल्कुल आमीर में ही डाला चाहिए। हिसक युद्ध में सैनिक या उनके समूहों को मार डालना ही अन्तिम काम समझा जाता है और एक उसी उद्देश्य के लिए उन्हें शिक्षा दी जाती है। जहाँ हिसक युद्धों का उद्देश्य विरोधी को यातनाओं का भय और मृत्यु की दहशत दिखाकर दबाव डाला जाता है तहाँ अहिंसक युद्ध का उद्देश्य होता है स्वयं मरणप्राय यातना भुगत कर विरोधी की सद्-असद् विवेक-मुद्दि को जाप्रत करना। कष्ट-सहन की सर्वोच्च सीमा है आमरण अनशन। जब सत्याग्रह के अन्य सारे मार्ग विफल सिद्ध हो जाय और आपपास का सारा बातावरण निराशा के अन्धकार से भर जाय तब इस विश्वास से कि अन्तिम स्थाग के द्वारा सत्य की प्रतिष्ठा प्रस्तापित की जा सकेगी सत्याग्रही उपवास का अवलम्बन करे। लेकिन यह बिल्कुल अन्तिम मार्ग है। इसका अस्थन्त भीषण और शायद प्राणघातक परिणाम भी हो सकता है। अतः इस सम्बन्ध में लापरवाही से बात नहीं करनी चाहिए।

अथवा उतनी ही आन्तरिक आवश्यकता अनुभव हुए विना उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। साधारणतः अपने सार्वजनिक उपचासों के सम्बन्ध में और खासकर आमरण अनशन के सम्बन्ध में बोलते हुए गांधीजी कहते हैं कि उन्हें हनकी स्फूर्ति अन्तर्राष्ट्र से हुई थी। वह ईश्वर का आवाहन ही था। सारी साधना कर लेने के बाद भी उन्हें प्रतीत हुआ कि राजकोट के उपचास में दोष पैदा हो गया था। यद्यपि शुरू से उपचास का स्वरूप अत्यन्त शुद्ध था तथापि जब उन्होंने बाह्यराय की मध्यस्थता की सम्मति दी उस समय उसमें अशुद्धता और स्वार्थ आ गया था। इससे यह सिद्ध होता है कि उपचास के शास्त्र का उपयोग करना अत्यन्त कठिन है अतः उपयोग करने से पहले कसकर उसका अभ्यास कर लेना चाहिए।

आजतक गांधीजी ने विना विशेष कारण के आसानी से इस शास्त्र का उपयोग नहीं करने दिया है। उसमें अब भी ऐसी कोई सुप्रशंकि है जिसकी आजमाइश नहीं की जा सकी है। क्या आज भी कोई कह सकता है कि सामूहिक उपचास का क्या परिणाम होगा? वह सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है यह समझकर संतोष मानना पड़ता है।

: १४ :

युद्ध का नैतिक पर्याय

नेपोलियन ने कहा है कि युद्ध विनाश का शास्त्र है और यह डीक भी है। यदि हम महायुद्ध के किसी भी पहले पर नज़र ढालें तो इस कथन की सत्यता प्रकट होती है। एक पहले दूसरी ओर के धन-जन को जितनी अधिक हानि पहुँचाता है, उसे उतनी ही अधिक सफलता मिलने की संभावना रहती है। फिर भी आज कितने ही युद्ध के समर्थक ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि युद्ध मानव जाति के हित

और प्रगति की साथके युक संस्था है।

युद्ध एक अनिवार्य संकट है, यह कहना दूसरी बात है और वह आग्रह रखना दूसरी बात है कि वह मानवता के लिये बरदान है, अथवा उसके लिना मानवता की प्रगति सम्भव नहीं है। इन लोगों का कहना यह है कि मानव जाति की प्रगति के लिए बीच-बीच में क़ल्प और लूटपाट होना सम्भव है। प्राचीन काल में युद्ध कितना ही रम्य क्षणों न हो, आज तो महा भयंकर स्फोटक-द्रव्यों के अनुसन्धान और सर्वाङ्गीण युद्ध लड़ने के नये संगठन के कारण उसकी विनाशक शक्ति कई गुना बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में युद्ध को मंस्कृति का इत कहने वाले मनुष्य ही दर्जे के माहसी होने चाहिएँ। लाखों लोगों के कल्पावने खोलने के लिए यन्होंसे सुसज्जित होना या उन लोगों को सुरेश्वाम पाशवी बनाना ही यदि मानवता का विकास हो तो फिर मच्छुच ही यह कहा जायगा कि युद्ध प्रगतिकारक है।

एक अंग्रेज कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि प्रकृति हिंसा से ओतप्रोत है। 'ओरिजिन आफ दी स्पेसिस' नामक पुस्तक के लेखक डाविन ने जीवन-संग्राम का मिदान संमार के सामने रखा। उससे सहज ही यह बात निकलती है कि जो शारीरिक दृष्टि से समर्थ हों उन्हें कमज़ोरों की मिटा देना चाहिए। और इससे हम विचारधारा को नया बल मिला है कि इस नैसर्गिक नियम के विरुद्ध कमज़ोरों को बचाव करने का प्रयत्न करना द्यर्थ है। जी० तार्दे और जे० नोहिको जैसे पठार्य-विज्ञानियों ने यह प्रकट किया है कि अणु-परमाणु तथा आकाश में अमल करने वाली ग्रह-मालाओं में भी सतत जीवन-संग्राम चल रहा है। इसी प्रकार जर्मनी जैसे कुछ लडाकू देशों के तत्त्वज्ञानियों को लडाई में कई सद्गुण दिखाई दिये हैं और उन्होंने यह प्रतिपादन किया है कि समाज की प्रगति और प्रभुत्व के लिए जिन मूलभूत गुणों की आवश्यकता होती है वे केवल युद्ध से ही प्रकट हुए हैं। इटली के लानासाह मुसोलिनी के उद्गार काफी स्पष्ट हैं। वह कहता

है—“केवल युद्ध के द्वारा ही सारी मानवी शक्तियों का अधिक-से-अधिक विकास होता है और जो युद्ध का मुकाबला करने में शूरवीर होते हैं उनकी श्रेष्ठता युद्ध से ही सिद्ध होती है। जिस समय जीवन-मरण जैसा महस्तपूर्ण निर्णय करना पड़ता है उस समय युद्ध के जैसा दूसरा कोई प्रभावकारी उपाय नहीं बचता।”

यह ढीक है कि युद्ध संस्था भी मानव जाति जितनी ही पुरानी है लेकिन साथ ही यह बात भी उतनी ही सत्य है कि मानव युद्ध टालने का प्रयत्न करता आ रहा है और आज भी वह निरुपाय होकर ही युद्ध का अवलम्बन करता है। यदि हम युद्ध के इतिहास को देखें तो हमें मालूम होगा कि युद्ध संस्था कितनी ही कूर बयों न हो फिर भी समाज भिजा-भिजा समय युद्ध-नीति के अलग-अलग नियम बनाकर उसमें थोड़ी-बहुत मानवता लाने का लगातार प्रयत्न करता आ रहा है। यथापि यह कहावत प्रसिद्ध है कि—“प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज़ है” ऐसा तथापि युद्ध के अन्तर्राष्ट्रीय नियम बनाकर मनुष्य जाति ने उसमें उदारता तथा कुछ अंशों में न्यायता खाने का प्रयत्न किया है। यह भी सत्य है कि युद्धकाल में त्याग, धैर्य, कष्टसहन की तैयारी आदि कुछ गुणों का उत्कर्ष होता है। इसीलिए रस्किन ने कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण उद्गार प्रकट किये हैं कि “मनुष्य के सरे सद्गुण और कार्य-शक्ति का आधार युद्ध है।” और इसी आधार पर तत्त्वज्ञानी विलियम जेम्स ने कहा है कि—“मानवी जीवन और दृढ़ता का आदर्श टिकाये रखने का कार्य सेनावाद के द्वारा ही हुआ है और बिना दृढ़ता के मानव जीवन तिरस्करणीय ही हो जायगा।” लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि युद्धसेन्ट्र के बाहर इन मानवी गुणों के लिए कोई स्थान नहीं है और इन गुणों को प्रकट करने के लिए एक-दूसरे के सरेआम करता और विनाश की ही जरूरत है। स्वभावतः

* Everything is fair in love and war.

ऐसी आपति और मौके कितनी ही बार आ जाते हैं कि उस समय मनुष्य के अस्युक्तम् गुण व्यक्त होते हैं। हो सकता है कि वे युद्ध की तरह हमारी निगाह में ठहरने लायक नहीं होते। यदि सदगुणों का प्रदर्शन दुगुण, पाप, अतिमानवता और विनाश के ताणडब में ही हो तो इस इतने मंहगे प्रदर्शन से चार कदम दूर रहना ही अच्छा है। युद्धकाल में द्वेषाभिन से आवृत समस्त राष्ट्रों में होने वाला नाच-गान या एक-दूसरे के विनाश में ही लाखों लोगों द्वारा माने जाने वाले आनन्द के पासंग में भी उंगलियों पर गिने जाने जितने लोगों द्वारा व्यक्त हुए सदगुण नहीं ठहरेंगे। यदि समकदारी, न्याय, निष्पक्षता आदि सदगुण शरस्त्रास्त्रों की खनखनाहट में प्रवृत्त जनता के कल्नद और मरणोन्मुख लोगों के चीत्कार हृष्ट जाने वाले हों तो भी कुछ मौकों पर थोड़े-से ही लोगों को अपने सदगुण प्रकट करने का मौका मिलता है। इसमें मन्तोष या समाधान के लिए कितना स्थान है? ऐसा कहना पड़ता है कि यदि मनुष्य सुसंस्कृत बना है तो वह युद्ध और उसके द्वारा प्रसंगवश होने वाले विनाश अथवा लूट के कारण नहीं बल्कि युद्ध और विनाश का मुकाबला करने के कारण। मनुष्य की कुछ प्रबल प्रवृत्तियाँ उसे फिर-फिर कर इस भर्यकर विनाश की ओर ले जा रही हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उसे किसीने शाप दे दिया है कि मगाडो से मुक्त होने के लिए अपने को बुद्धिमान् समझने वाला मनुष्य हमेशा इस युद्ध संस्था के जबडे में फँसता रहे।

इस बात से हम्कार नहीं किया जा सकता कि शारीरिक, मानसिक, आव्याखिमक सभी लेंगों में संघर्ष है। लेकिन प्रश्न तो यह है कि इस मगाडे का नियांय करने के लिए एकमात्र मार्ग शक्ति और हिंसा का अवलम्बन करना ही है या और कुछ? इससे भी अधिक महस्य का प्रश्न यह है कि मनुष्य जो युद्ध का अवलम्बन करता है वह इसीलिए कि वह अनिवार्य है या बांधनीय है या मगाडे मिटाने का वही एकमात्र साधन है? आकर्षण और संसक्ति की प्रधानता पर ही

प्रकृति का अस्तित्व टिक सकता है। फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय कि प्रकृति का अस्तित्व परस्पर विकर्षण पर ही टिका हुआ है और 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' के सिद्धान्तानुसार प्राणि-मात्र और जगत् चल रहा है। फिर भी यह प्रश्न तो रह ही जाता है कि उच्च समके जाने वाले मानव प्राणी को अपनी ओह कार्यशक्ति का उपयोग किस तरह करना चाहिए। मानवी व्यवहार में भी क्या पाशब्दी शक्ति ही की अन्तिम विजय होनी चाहिए? संस्कृति का प्रबाह क्या उसी दिशा में बहता चला आ रहा है? चिलकुल नहीं। उदात्त प्रवृत्ति मानव का आधार है और समझदारी, न्याय, शान्ति, निष्पक्षता और प्रेम आदि ओण प्रवृत्तियों के विशाल दर्शन के द्वारा ही मानव प्रगति की माप हुआ करती है।

गांधीजी ने ये विचार अपने लेख (हरिजन २-३-२८) में व्यक्त किये हैं। वे कहते हैं—‘मनुष्य एक-दूसरे का विनाश करके जीवित नहीं रह सकता। आरम्भेभ के कारण हमें एक-दूसरे का आदर करना पड़ता है। राष्ट्र एक-दूसरे के नजदीक आते हैं, इसलिए कि एक राष्ट्र के नागरिकों में दूसरे राष्ट्र के नागरिकों के लिए आदर होता है। जिस प्रकार हम कौटुम्बिक नियम का लेत्र बढ़ाकर सारे राष्ट्र को ही अपना कृतुम्ब मान लेने जाए हैं उसी प्रकार कभी-न-कभी हमें राष्ट्र के नियम का लेत्र भी बढ़ाकर उसकी सीमा को सारे विश्व तक ले जानी पड़ेगी।

लेकिन इस बात पर विचार कर लेना चाहिये कि क्या सचमुच ही युद्ध मराडे मिटाने का सन्तोषजनक रास्ता है? 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाले सिद्धान्त के अनुसार तो मानवी व्यवहार में शारीरिक शक्ति ही निर्णायक मानी जानी चाहिए। इस वृत्ति से सहमत हुए बिना कोई भी यह नहीं कह सकेगा कि युद्ध ही सन्तोषजनक एवं एकमात्र रास्ता है। यदि किसीको ऐसा कहना हो तो उसे नैतिक मूल्य, न्याय, निष्पक्षता आदि को इमेशा के लिये तिलाजिं दे देना

चाहिये। हमारी आंदों के सामने प्राणिमात्र नहीं विश्व के लकड़ मानव समाज ही है। बाबू हरिणों पर फटकारा है तो भेदिया भेड़ों पर ढूट पड़ता है। यदि कोई यह कहे कि मनुष्य सहित सब प्राणियों पर यही जागू होता है तो हम अस्यन्त नक्षत्रापूर्वक साफ-साफ यही कह देंगे कि हम उनके हम विचार से सहमत नहीं हैं। जो ऐसा सोचते हैं कि जाकाई के द्वारा ही सारे झगड़ों का अन्त होगा उन्हें प्रिन्स क्रोपाटकिन की 'भूमुखल एड' नामक पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। प्रेम, सद्भाव, न्याय और निष्पत्ति पर आधारित नये मूल्यों की प्रस्थापना करने के लिए ही द्वितीय के प्रारम्भ से आज तक मनुष्य प्रयत्न करता आ रहा है। हमारा सारा कौटुम्बिक जीवन, सामाजिक मंस्थाएँ और हमारे समाज की रचना आत्मव्य और न्याय्य के आधार पर ही खड़े किये गये हैं। अपनी शुद्ध प्रवृत्तियों पर आवश्यक भले ही हम हावी न हुए हों लेकिन नियति का कदम निश्चल रूप से प्रेम पर आधारित और न्यायानुसार चलने वाले समाज की ओर ही बढ़ रहा है।

पाशावी शक्ति हमेशा ही न्याय का पक्ष लेती हो सो बात नहीं है। इस विषय में हम एक बार एकमत हो जाय तो किर बिल्कुल आदर्श पद्धति में भी स्वार्थों को लेकर जो झगड़े अपरिहार्य हो जाते हैं उन्हें दूर करने के लिए युद्धमार्ग का अवलम्बन करना कितना बीभत्स, जंगली और असमाधानकारक है, यह बात फौरन ध्यान में आ जायगी। जिसके पक्ष में न्याय है उसके पास उसे प्रस्थापित करने के लिए आवश्यक बाहुबल होगा ही, यह नहीं कह सकते। इसी प्रकार हिंसा के प्रयोग से देव और बदले की भावना पैदा होती है और उससे प्रश्न हक्क न होकर न्याय की प्रस्थापना पर लगने के बजाय जैसे-तैसे हिंसा को चिरस्थायी करने में ही हमारा ध्यान लग जाता है। इसके अतिरिक्त युद्धों के द्वारा ऐसी भयंकर खलबली और प्रबोध पैदा हो जाता है कि दोनों पक्षों का संगुलन छूट जाता है और जिस प्रश्न

को लेकर इतना तूफान उठा उसपर शान्तिपूर्वक विचार करने की मनस्थिति में कोई नहीं रहता। जिन हितों की रक्षा के लिए दोनों पक्ष लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, लड़ाई में उन हितों की ही राख हो जाने की सम्भावना हो जाती है। इसी प्रकार दोनों ओर के अत्यन्त तेजस्वी और शूरवीर लोग तज्ज्वार के बाट उत्तर दिये जाते हैं अतः दूसरी ओर से लोगों पर ही इस प्रश्न को हल करने की बिस्मेदारी आ पहुँचे की सम्भावना हो जाती है। और कहुँ बार तो ऐसा भी होता है कि बहादुर काम आ जाते हैं और विजय की माला बरपोक लोगों के गले में पहुँची है। 'वासं आपटर पथ' नामक पुस्तक में डी० एस० जाह्नन और एन० ई० जाह्नन इसी निर्णय पर पहुँचे हैं। गृहयुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के बहर्जीनिया नामक राज्य में उन्होंने परिस्थिति का अध्ययन किया और वे इस नतीजे पर पहुँचे कि राज्य का जनवल कम हो गया है। क्योंकि श्रेष्ठ रक्खारा तीर्थ में वह जाने के कारण दूसरे दर्जे के लोग ही थाकी रहे हैं। हिसा का अर्थ दूसरे पक्ष पर जबरदस्ती करना होता है और इस जबरदस्ती से कभी भी स्थाई जीत नहीं होती। और उसके द्वारा कभी भी सच्चे ड्हेश्यों की सफलता नहीं होती। यदि विजय होती है तो वह कहुँ बार नाममात्र की ही होती है।

आजकल की लड़ाइयों में दोनों ओर की बरबादी इतनी प्रचलित मात्रा में होती है कि विजेता और विजित दोनों की स्थिति समान रूप से दयमीय हो जाती है। आर्थिक सम्बन्ध इतने परस्परावलम्बी और युधे हुए होते हैं कि लड़ाई समाप्त होते-न-होते उन्हीं दोनों को पारस्परिक जाम के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है। पहिले महायुद्ध के बाद हॅम्प्लैंड ने जर्मनी के साथ जैसा किया उसीके अनुसार राष्ट्रों में परस्पर शक्ति-संतुलन बनाए रखने के लिए विजेता राष्ट्रों को ही कहुँ बार विजित राष्ट्रों को सक्ता देनी पड़ती है। कहुँ बार महायुद्ध भी जिन कारणों से शुरू होते हैं उनका निर्णय होने के पहिले ही समाप्त हो जाते हैं। पहिला महायुद्ध इसके उदाहरण के रूप में

पेश किया जा सकता है। करीब-करीब उन्हीं प्रश्नों को हवा करने के लिए दूसरा संसारव्यापी महायुद्ध फिर से पारम्परा हुआ।

अलहुस इससे ने अपनी 'एन्डस एन्ड भीन्स' नामक प्रसिद्ध पुस्तक में हिंसा के प्रयोगों में रहने वाली अनिष्टीतता और अनिष्ट प्रतिक्रिया पर काफी प्रकाश ढाला है। वह कहता है—“यदि हिंसा का जबाब हिंसा से दिया जाता है तो उसकी परिणामि पाशाची झगड़े में हो जाती है और उससे उसमें प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वालों के मन में भी ह्रेष, भय, क्रोध और संताप आदि भावनाएँ जाग्रत हो जाती हैं। लडाई के आवेश में न्यायान्याय का ही ख्याल नहीं रहता और पीढ़ियों से परिश्रमपूर्वक अपने सुसंस्कृत जीवन में जो मानवता की क्रमशः साधना की गई है उसे भुला दिया जाता है। दोनों ही पक्षों को विजय के अलावा और किसी भी बात का ख्याल नहीं रहता। इस पाशाची झगड़े के अन्तिम परिणाम के रूप में जब दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष विजयी होता है तब योग्यता-अयोग्यता अथवा न्याय-अन्याय से उनका किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहता और स्थायी रूप से वह झगड़ा मिटाया भी नहीं है।”

वह आगे कहता है कि हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि कुछ इच्छित परिस्थिति में युद्ध की विजय योद्धी-बहुत स्थायी हो सकती है। उदाहरणार्थ—(अ) उस समय जबकि एक पक्ष समूल नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन तब भी यदि घनी बहुती बाले राष्ट्र एक-दूसरे से लड़ाई करते रहें तो यह असम्भव ही है। (ब) उस समय जबकि दोनों राष्ट्रों के लड़ने वाले दल बहुत छोटे होते हैं और उनका नागरिकों पर शासीरिक मानसिक किसी भी प्रकार का असर नहीं होता। लेकिन ऐसी परिस्थिति होना भी आजकल असम्भव ही है; क्योंकि देशभक्ति के नाम पर देश की सारी जनता युद्ध की कदाई में फैकं दी जाती है। (स) उस समय जबकि विजित राष्ट्रों में विजेता का पक्ष स्थापित हो और आगे चलकर वह उनमें मिल जाय। लेकिन आज तो वह भी

असंभव है। (द) उस समय जबकि विजेता विजित का स्लेह संपादन करने का प्रयत्न करे लेकिन यदि वह करना हो तो इतने बड़े नुकसान के बाद युद्ध को रोकने के बजाय उसे पूरी तरह टाक देना ही ज्यादा हितकर होगा इससे कुल मिलाकर यह स्वष्ट हो जाता है कि प्रश्न के स्थायी हल की इष्ट से युद्ध और हिंसा कितने असमाधानकारक हैं।

इस प्रकार यदि यह मान भी जैसे कि युद्ध के द्वारा लोगों के कुछ अच्छे गुण प्रकट होते हैं और उनकी शक्ति की परीक्षा होती है तो भी हितविरोधों का संतोषजनक रीति से अथवा सदा के लिए युद्ध का रास्ता सुझाना उचित नहीं होता। भिज-भिज समूहों के स्वार्थों में समझौता करने के लिए दूसरे रास्ते छूटना जाजमी होगा। यदि योधी द्वेर के लिए युद्ध के घृणित पूर्व विनाशक पद्म को पक और रख दें तो भी उपर्युक्त कारणों से विलियम जेम्स ने सन् १९१० में ही सूचित कर दिया था कि युद्ध का नैतिक पर्याय छूट निकालना चाहिए। यहाँको निपटाने के लिए वह युद्ध से भी ज्यादह समाधानकारक पर्याय चाहता था और साथ ही वह चाहता था कि वह युद्ध की ही मालिं उत्तेजक और उत्साहवर्धक हो और युद्ध की ही तरह अहान युद्ध बनाकर करने वाला भी हो। उसने आगे इस प्रकार कहा है—“संसार में आज तक किसी एक संपूर्ण जाति को अनुशासन में बाँधने वाली शक्ति युद्ध ही है और मेरा इद विश्वास है कि जब तक युद्ध के पर्याय के रूप में कोई दूसरा संगठन नहीं बनता तबतक युद्ध का यही स्थान रहेगा।” लेकिन वह जो पर्याय चाहता था उसे खुद सुझा नहीं सका। क्या सत्याग्रह इस प्रकार का नैतिक पर्याय नहीं हो सकता? मैं कहूँगा कि वह केवल एक पर्याय ही नहीं बल्कि उसकी अपेक्षा कितने ही गुना ज्यादा श्रेष्ठ उपाय है।

दो मानव समूहों में हितविरोध या मतभेद पैदा होते हैं। चर्चा समझौता, पूर्व फैसला आदि सारे उपाय विफल हो जाते हैं। पुक पद्म दूसरे पद्म को आधमसमर्पण कर देने के लिए अनितम सूचना दे देता है।

(आजकल तो इतनी शिष्टता भी शायद ही दिखाई जाती है) उसका भी कोई परिणाम नहीं होता तो किर सीधे-सीधे अपने सामर्थ्य की ओर दौड़ जाएँगे जाती है और सारे संभव उपायों से एक-दूसरे का विनाश करना प्रारम्भ कर दिया जाता है । लेकिन पेसा करने के भी कुछ नियम और मार्ग निश्चित होते हैं और दोनों पक्ष हनका पालन भी करते हैं । इससे कहुता पक्ष दोनों पक्षों का दुःख कह थोड़ा-बहुत कम हो जाता है । लेकिन विनाश में कोई कमी नहीं होती । शत्रु को पूरी तरह भिटा देने, अथवा सूख्य या घोर यातनाओं का डर दिखाकर आत्ममर्मण करवा लेने के लिए ही मारी दौड़-भूप होती है । इसे कहते हैं युद्ध । वह दूसरों पर शारीरिक शक्ति या जबरदस्ती से निर्णय लादने का एक प्रयत्न है । विलियम जेम्स का कहना है कि इस प्रकार की शारीरिक शक्ति के बजाय नैतिक शक्ति का पलड़ा पकड़ना चाहिए । अर्थात् हिंसा का अवलम्बन करना अथवा भय या धमकी देने का समावेश इसमें नहीं हो सकता । वस्तुक उसकी यह कल्पना है कि मानवी प्रयत्नों की पराकाष्ठा-स्वरूप हमानदारी परस्पर पुकता, दहता, उदारता, शोषक छुटि, शारीरिक दहता और तेज आदि मनुष्य स्वभाव के सर्वोच्च गुणों का विकास होना चाहिए ।

जब किसी दूसरे रास्ते से अपने अधिकारों की प्राप्ति की जा सके तब उसे जबरदस्ती मंजूर करवाने के प्रयत्न को ही युद्ध कहते हैं । पाश्चात्य होने के कारण इस अनैतिक मार्ग का सत्याग्रह के अतिरिक्त दूसरा पर्याय क्या हो सकता है जो कि पूर्णतः अहिंसक होने के साथ ही नैतिक और हृदय-परिवर्तन के द्वारा विचारपरिवर्तनकारी है । यदि पक्ष सत्य और व्यायोचित है तो पारस्परिक हितविरोध को मिटाने का दावा सत्याग्रह करता है । सत्याग्रह युद्ध का पर्याय इस अर्थ में कहा जाता है । वह थोड़े-बहुत औरों में अन्तिम निर्णय करवाने के लिए युद्ध का स्थान ले जाता है । और चूँकि उसमें शारीरिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, हिंसा का आश्रय नहीं लिया जाता, सद-

भावना के द्वारा समझदारी लाने का प्रयत्न किया जाता है और नैतिक दृष्टि को जाग्रत किया जाता है इसीलिए इसे नैतिक पर्याय कहा जाता है।

इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि संसार के सभी भजे आदमियों को युद्ध से नकरत हो गई है। शान्तिवादी, नैतिक विरोधक, अन्तर्राष्ट्रीयतावादी और सत्याग्रही सभी युद्धविरोधी हैं। लेकिन केवल युद्धविरोधी होने से काम नहीं चलता। बाल्टर लिपमेन के कथानुसार “‘...झगड़ों का निर्णय होना ही चाहिए और इसके लिए युद्ध के अलावा कोई दूसरा पर्याय’ है निकालना चाहिए।” मानवी स्वभाव का ही विकास इस प्रकार हो कि कभी झगड़े पैदा ही न हों लेकिन यदि कभी भूले-भटके झगड़ा हो ही जाय तो बात-चीत समझौते या चंच फैसले के द्वारा उसका निर्णय कर लिया जाय। यद्यपि यह अभीष्ट है तथापि उस शुभ दिवस के आने तक झगड़े तो होंगे ही, पेसी स्थिति में पाश्चात्य शक्ति का आश्रय लेने के बजाय यदि लोगों ने सत्याग्रह का आश्रय लिया तो समझिये कि बहुत बड़ी मिलिज पार कर ली। क्योंकि उसके कारण निराम अमर्य, अन्याय और शोषण का तो कोई समर्थन नहीं करेगा।

‘युद्ध का राजनैतिक पर्याय’ नामक लेख में बाल्टर लिपमेन कहता है—“केवल सैनिक गुणों के लिए ही पर्याय है ने से काम नहीं चलेगा। इसकी अपेक्षा युद्ध के मार्ग और उद्देश्य के सम्बन्ध में कोई पर्याय प्रत्यक्ष कार्यरूप में दिखाना ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि युद्ध केवल लात्रहति प्रकट करने का साधन नहीं है और न वह अभिव्यक्ति के लिए अधीर हो जाने वाली व्यक्तिनिष्ठ भावनाओं का उद्देश ही है। वह तो महान् प्रश्नों को हल करने का एक मार्ग है और मेरे विचार में वही युद्ध का प्रधान घंग है। यदि यह ठीक है तो आज तक युद्ध के द्वारा जिन प्रश्नों का निर्णय किया जाता था उन्हें हल करने का रास्ता

द्वै द बर उसे संगठित करने पर ही मुख्यतः युद्धों का बन्द दोना अवलम्बित है।”

यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सत्याग्रह का मार्ग जो कि एक अर्थ में हिस्क युद्ध की अपेक्षा श्रेष्ठ है महस्वपूर्ण निर्णय करने में विशेष रूप से उपयोगी होता है।

आहये अब युद्ध और सत्याग्रह के साम्य तथा अन्तर को देखें। पहिले साम्य को लें। दोनों का ही अवलम्बन अन्तिम उप्राय के रूप में किया जाता है। दोनों का समावेश प्रत्यक्ष प्रतिकार के प्रकारों में होता है। गांधीजी ने (यंग हृडिया १२-४-२० में) लिखा है कि—“आज तक संसार में सारी बातों का निर्णय प्रत्यक्ष प्रतिकार के द्वारा हुआ है। दक्षिण अफ्रिका में प्रत्यक्ष प्रतिकार के द्वारा ही जनरल स्मट्टस की अकल ठिकाने आई। चम्पारन में भी जो सैकड़ों बधों की शिकायतें दूर हुईं, वे भी प्रत्यक्ष प्रतिकार द्वारा ही। लबाई चालू रखने के लिए युद्ध और सत्याग्रह दोनों में ही सर्वस्व की बाजी लगानी पड़ती है। दोनों में ही वीरता, मर्दानगी, साहसी वृत्ति और रोमाञ्चिकता, सहनशीलता, संयम, स्थाग, उदारता, चपलता की आवश्यकता होती है। दोनों ही बढ़े-बढ़े मगाडे दूर करने के रास्ते हैं। अतः दोनों में ही निर्णायक शक्ति है।

यदि पाश्चात्यी शक्ति के बल पर जुल्म और जबरदस्ती करना युद्ध का उद्देश्य है तो सत्याग्रह का उद्देश्य है हृदयपरिवर्तन के बल पर दूसरे को अपने पक्ष में लाना। लेकिन यदि वह सफल न हो सके तो नैतिक दबाव का उपयोग किया जाता है। दोनों ही मार्ग अपने-अपने दंग से शत्रु के नैतिक बल को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। यदि दूसरों पर कह जादू कर उनके मन में भय पैदा करना युद्ध का रास्ता है तो कहसहन के द्वारा प्रतिपक्षी को यह अनुभव कराना कि उसकी ही भूल है सत्याग्रह का तरीका है। दोनों में ही कहे अनुशासन और काफी तैयारी की आवश्यकता होती है। दोनों के ही द्वारा उच्च ध्येय के लिए स्थाग करने की वृत्ति जाग्रत होती है और उसके द्वारा यशस्विप्रादन

का सहस्रा सुगम बनता है। युद्ध पाशवी शक्ति का उपयोग करता है, सत्याग्रह नैतिक बल पर अवज्ञन्वित रहता है। युद्ध-हिंसा, धन-जन के विनाश और विरोधियों के समूल नाश अथवा अपमानजनक द्यवहार के द्वारा उन्हें अपनी शरण में लाने का समर्थन करना है। धन-जन को हानि न पहुँचाना, 'जियो और जीने दो' के सिद्धान्त का समर्थन करना और विरोधी का अपमान न करके उससे समानता का द्यवहार करना ही सत्याग्रह की शिक्षा है। युद्ध दूसरों पर ज्यादा-से-ज्यादा कष्ट लाता है। सत्याग्रह युद्ध अपने ऊपर ही अपार बलेश को निमन्त्रण देता है। युद्ध प्रतिपक्षी की शक्ति को चुनौती देता है तो दूसरों की समझदारी को जाग्रत करना सत्याग्रह की आत्मा है। युद्ध में बहुत्रा महाभवकर नुकसान उठाना पड़ता है। उसके मुकाबले सत्याग्रह-आन्दोलन में धन-जन की जो लाति होती है वह नगरेय है। गांधीजी ने हरिजन (२२-११-३८) में लिखा है—“हमें सत्याग्रहियों की एक छोटी-सी लेना पर्याप्त होगी और उसका खर्च भी बहुत कम होगा।” युद्ध में समझौते का कोई स्थान नहीं है। सैदान्तिक मुद्दे के अलावा दूसरे मुद्दों पर सत्याग्रही सदैव ही समझौते के लिए तैयार रहता है। युद्ध से दैर्घ्य, क्रोध और बदले की भावना अवश्य निर्माण होती है तो सत्याग्रह से प्रेम, दया, सहानुभूति आदि गुणों का विकास होता है। युद्ध अन्याय का पश्च भी प्रह्यण कर लेता है; लेकिन सत्याग्रह श्रिकाल में भी ऐसा नहीं करेगा। युद्ध में गुस्ता, अविश्वास, झूठ, छल-कपट और बह्यन्त्र सब कुछ सम्भव है। सत्याग्रह का आधार सत्य है, अतः वह सदैव प्रकट और सरल मार्ग का ही उपयोग करता है। युद्ध में क्रोध और आवेदा की भावना उद्दीप्त की जाती है। सत्याग्रह लोगों को शांत, संयमी और किसीके प्रति द्वेष-भावना न रखते हुए सहनशील रहने का अनुरोध करता है। आखिर युद्ध एक जंगली तरीका है, लेकिन सत्याग्रह सुसंस्कृत और हँसा का तरीका कहा जा सकता है। युद्ध के संगठन और सत्याग्रह के संगठन के समाज पर भिज्ञ-भिज्ञ परिवाम होते हैं। युद्ध के लिए

तैयारी करने वाले राष्ट्र अपना सारा सजाना गोला-बारूद तैयार करने में ही साक्षी कर देते हैं और अपने नागरिकों को पकोसी राष्ट्रों के भाइयों को कल्प करने के लिए तैयार रहने की आशा देते हैं। तो सत्याग्रह की तैयारी करने वाले राष्ट्र ज्यादा-से-ज्यादा सद्भावना फैलाते हैं और दूसरों को मौत की खाई में ढकेलने के बजाय खुद कष्टसहन करने के लिए तैयार रहते हैं।

युद्ध में साधन-साध्य सम्बन्धी किसी भी प्रकार की सुसंगति नहीं रहती। लेकिन सत्याग्रह में साधन-साध्य का सम्बन्ध सुसंगत, स्थिर और अखण्ड रहता है। जो लड़ाई की—विशेषतः आक्रमक लड़ाई की शुरुआत करते हैं वे अपने पक्ष के सम्बन्ध में ददवादी होते हैं; लेकिन इसके विपरीत सत्याग्रही कभी भी ददवाद का आधय नहीं लेता। वह सदैव यह सोचता है कि सम्मव है दूसरों पर कष्ट लाने के लिए तैयार नहीं होता। बल्कि स्वयं ही उन्हे भोगने को तैयार रहता है। युद्ध अपने पीछे कोध, कटुता, हृष एवं भावी युद्ध के बीज की विरासत छोड़ जाता है; लेकिन सत्याग्रह का यह आग्रह रहता है कि इस प्रकार कोई भी दुःखद स्मृति पीछे न रहे। सत्याग्रह कभी भी ऐसी बातों का उपयोग नहीं करता। १२ मई १९२० के यंग इंडिया में गांधीजी ने लिखा है कि—“आठ वर्षों तक प्रत्यक्ष लड़ाई लड़कर भी किसी प्रकार की कटुता शेष नहीं रही। इतना ही नहीं जिन हिन्दुस्तानियों ने जनरल स्मट्स से हतमी जबरदस्त लड़ाई की वे ही सन् १९१५ में मरणों के नीचे इकट्ठे होकर उन्हींके नेतृत्व में पूर्वी अफ्रिका से लड़े।”

‘डॉन ओफ फ्रीडम हन इंडिया’ नामक पुस्तक के लेखक ने नैतिक पर्याय के रूप में सत्याग्रह के सम्बन्ध में जो कुछ कहा वह उन्हींके शब्दों में नीचे दिया जा रहा है—“युद्ध की अपेक्षा सत्याग्रह में सबसे स्पष्ट लाभ यह है कि सत्याग्रह में अपेक्षाकृत बहुत कम नुकसान होता है। असत्य का स्थान सत्य ले लेता है और शेष सामर्थ्य की जगह

सत्याग्रह अपने पक्ष की न्यायवता के बल पर अपना उद्देश्य पूरा कर सके की आशा रखता है। इसके अतिरिक्त सत्याग्रह से और भी कई स्पष्ट लाभ हैं लेकिन वे हृतने महसूबूर्ण नहीं हैं।”

“युद्ध की भाँति सत्याग्रह सेनिकों के नैतिक धैर्य को नहीं गिरने देता। लेकिन सत्याग्रह की बदौलत दोनों पक्षों को एक प्रकार की दिव्यता प्राप्त होती है। मेरा विश्वास है कि जिस पुलिस ने बम्बई में लाठी-चार्ज किया उसमें एक साज पहिले की अपेक्षा काफी बांधनीय परिवर्तन हो गया है। जो उसके शिकार हुए हैं उनपर तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से हुआ है। गुजरात को कुछ ‘युद्ध-चावनियों’ में मैं रहा हूँ। ‘ऑल इंडिया ऑन दी वेस्टर्न फ्रन्ट’ नामक पुस्तक में जिन युद्ध-चावनियों का जिक्र किया गया है उनसे हृतको तुलना किये बिना मैं नहीं रह सकता। एक ओर जबरदस्त उन्माद तथा दूसरी ओर शान्त तथा उच्च वातावरण में तुलना थी। एक ओर नशेबाली का शौर्य था तो दूसरी ओर शौर्यशाली संगम था। एक ओर अश्लील भाषा पूर्व बीभत्स कल्पना थी तो दूसरी ओर सारा वातावरण ही धार्मिक था। यूरोप में मनुष्यों को पशुओं की कोटि में ढाला जाता था तो हिन्दुस्तान में मानवता जितने दूर्च-से-दूर्चे दर्जे तक पहुँच सकती है उतना सत्याग्रही का विकास किया जा रहा था।”

“युद्ध की सारी रम्यता एवं साहस सत्याग्रह में भी अन्तभूत है ही। उसमें भी खतरा रहता है और बहुतों को बलिदान भी देना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि सत्याग्रह की बीरता में उदात्तता है। सत्याग्रही से आमिक बीरता की अपेक्षा की जाती है।”

“सत्याग्रह कम खर्चीला है। शस्त्रास्त्र सेवागार तथा पेन्शन जैसे जबरदस्त खर्चे उसमें नहीं होते। वह तपस्त्रियों की युद्धनीति है और चूँकि हिन्दुस्तान ने अनेक तपस्त्रियों को जन्म दिया है अतः इस युद्ध-नीति की शुरुआत हिन्दुस्तान से होना उचित ही है। सत्याग्रह जन-तन्त्री दृष्टि का व्यक्त-स्वरूप है। सत्याग्रह युद्ध में किसीको भी किसी

आकाश की ऊपरी वा नदी की नहीं दिखे जाते और सब प्रकार की वर्ग-भाषण मिटाई जाती है। सत्याग्रही सैनिकों की भरती सभी चेहरों से की जाती है। स्त्रियों के लिए उसमें विशेष स्थान है और छोटे-छोटे बच्चे भी उसमें भाग ले सकते हैं। सत्याग्रह की सम्भावनाएँ असीम हैं। ऐसी एक भी परिस्थिति दिखाई नहीं देती जिसमें सत्याग्रह का अवश्यकन नहीं किया जा सकता।

सत्याग्रह एक सर्वेक्षण—बहुगुणी-हथियार है। वह कभी भी चलाया जा सकता है। जो उसे चलाता है और जिसके ऊपर वह चलाया जाता है उन दोनों का उससे भला ही होता है। एक भी बूँद रक बहाये जिनमा सत्याग्रह से बड़े दूरगामी परिणाम लाये जा सकते हैं। सत्याग्रह ऐसा हथियार है जिसमें न कभी जंग लगती है और न कभी चुराया ही जा सकता है।”

अभी तक सशस्त्र विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध लगभग सभी चेहरों और सभी अवसरों पर सत्याग्रह का उपयोग किया जा चुका है। और इन सभी चेहरों में वह अच्छी तरह युद्ध का स्थान प्राप्त कर लेने में सफल हुआ है। शास्त्रों से लैस विदेशी शक्ति से हिन्दुस्तान की सत्याग्रह की ओर एक महान् प्रयोग है। उसमें सफलता की बहुत बड़ी आशा है और उसने इस दिशा में बहुत बड़ी मात्रिक तथा करती है। आक्रमक सेनाओं की बाइ को रोक कर चढ़ाई करने वाले शत्रु का सफलतापूर्वक प्रतिकार करने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की जरूरत है और उस तरह की तैयारी करने के लिए स्वतन्त्रता भी मिलनी चाहिए। केविन जिन लोगों का यह विश्वास है कि युद्ध का स्थान सत्याग्रह ले लेगा वे यह नहीं कह सकते कि यह सत्याग्रह के सीमावेद्र के बाहर की बात है।

आइये, अब यह समझ लें कि सत्याग्रह के अलावा कौन-कौन-सी विकल्प अवश्यक हैं? युद्ध का विरोध करती है और उसमें तथा सत्याग्रह में नवाचार है। जो अपने को शान्तिवादी कहते हैं वे भी युद्ध का

विरोध करते हैं; लेकिन उनके सामने युद्ध के विरोध करने का अपना युद्ध का कोई रास्ता न होने के कारण कठिनाई के समय या तो वे निष्क्रिय बन जाते हैं या युद्ध का समर्थन करने लग जाते हैं। दूसरे महायुद्ध के समय बड़े डरसेक जैसे प्रसिद्ध शान्तिवादी की यही हालत हुई। काम करने के समय निष्क्रियता के उपदेश से कभी काम नहीं चल सकता। जो युद्ध का नैतिक विरोध करनेवाले हैं उनका उपाय इस सम्बन्ध में अविभिन्न ही होता है। उससे उतने समय के लिए तो उनकी तुलि का समाधान हो जाता है लेकिन उनके मार्ग की मतिज्ञान इसके आगे नहीं जाती। अन्तर्राष्ट्रीयता-वादियों का विचास किसी-न-किसी रूप में संयुक्त राज्य के संगठन एवं राष्ट्रसंघ पर होता है। लेकिन उस सम्बन्ध में जो प्रयत्न हुए हैं वे असफल हो चुके हैं। किर उनका दारोमदार भी अन्त में जाकर पाश्चाती शक्ति के ऊपर ही रहता है। इसके बाद क्रदम व क्रदम होते जाने वाले सुधार और विधिविहित दबाव में विचास रखने वाले उदार दल की एक विचार-प्रणाली है। उसके बारे में लिखते हुए टाइटटॉय ने यह कहा है कि हिसा एवं उदार मतवाद असफल सिद्ध हो गये हैं और उन्होंने उसे रशियन मरकार की सत्ता और अनुसरदायित्व को बड़ा दिया है। स्वयं टाइटटॉय भी युद्ध के अलावा किसी ऐसी प्रणाली की जी-जान से खोज में ये जो उतनी ही कार्यशम हो। इसलिए उन्होंने सन् १९१० में गांधीजी को जो पत्र लिखा उसमें उनके उस काम की प्रशंसा की जो वे दार्यवाल में कर रहे थे।

एक अर्थ में ये सब विचारधाराएँ ठीक हैं और निश्चित रूप से इनके द्वारा शान्तिमार्ग के समर्थन को ग्रोस्साहन मिला है। मानवता को लड़ाई के मार्ग से बापिस लौटाकर शान्ति के मार्ग पर ले जाने का रास्ता ही वे विशेष रूप से अपना रहे हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि खास मुद्दा उनकी दृष्टि से ओसक रहा है। अन्तर्गत प्रश्नों के सम्बन्ध में आजकल किसी भी विचार में उस विचार को ही समाझ

कर देने वाले मूलभूत परिवर्तन कर देने की गुआइशा नहीं है। अतः जब हस प्रकार के मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है तब हिंसक या अहिंसक प्रत्यक्ष प्रतिकार के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं रहता। इसी तरह जब दो राष्ट्रों में झगड़ा होता है तब प्रत्यक्ष रूप से हिंसक या अहिंसक प्रतिकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। इस तरह प्रत्यक्ष प्रतिकार करना और कानून अपने ही हाथ में ले लेना आवश्यक हो जाता है। प्रश्न तो इतना ही है कि यह हिंसा से किया जाए या अहिंसा से। समाज, सरकार या राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों में कोई भी मूलभूत फर्क कानून को ताक में रखे बिना करना किसी प्रकार सम्भव ही नहीं है। गांधीजी को हसका सच्चा बोध हो गया था। लेकिन हथके साथ ही अकेले अहिंसा के मार्ग को अवलम्बन करने के सम्बन्ध में वे हिमाचल के समान दृष्टि हैं। जो बात लोगों को अत्यन्त महत्वपूर्ण लगती है वह भी केवल समझदारी से ही प्राप्त नहीं होती उसके लिए भी कट्टसहन के रूप में जबरदस्त क्रीमत देनी पड़ती है। “ तुम्हि समझदारी के महत्व को जानती है लेकिन कष्ट हृदय में प्रवेश कर जाता है और उससे मनुष्य की आनंदिक समझ जाप्रत होती है।” ये उद्गार गांधीजी ने अक्टूबर १९३१ में बर्किंघम में प्रकट किये हैं। सन् १९३२ के दिसम्बर मास में अपने उपवास के सम्बन्ध में उन्होंने जो वक्तव्य दिया था उसमें वे कहते हैं कि—एक जबरदस्त सखावली के बिना समाज में मूलभूत परिवर्तन होना असम्भव है। और वह हिंसा या अहिंसा से ही हो सकता है। लेकिन चूंकि हिंसा का रास्ता पतन और निराशा का रास्ता है अतः उसे छोड़ ही देना चाहिए। अहिंसा का रास्ता उदात्त है। जिसके बिलकुल उसका उपयोग किया जाता है वह उनके नैतिक अधिकान से ऊँचर लेता है और उसे मज़बूत बनाता है।”

इस प्रकार यदि ऐसा वास्तविक मार्ग ढूँढ़ना है जो युद्धों को दाल सके और सामाजिक झगड़े को मिटा सके तो समाज का

सत्याग्रह की दिशा में संगठन किये विना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अल्हुस हक्सले ने ठीक ही कहा है कि सब ज्ञाग शान्ति चाहते हैं लेकिन जिन बातों से शान्ति की स्थापना होती है उन्हें करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। युद्ध के लिए उच्चोग चालू रखकर शान्ति प्रस्थापित नहीं हो सकती और न शासाखों की बाइ, आक्रमक राष्ट्रवाद एवं द्वेषमूलक देशभक्ति से ही शान्ति प्राप्त हो सकती है। उसी प्रकार व्यक्तिगत रूप से अप्रतिकार का सिद्धान्त आत्मसात कर लेने से और उसके लिए महज अपने अकेले के लिए ही उसका भार्ग दूँड़ लेने से शान्ति क्रायम नहीं होगी। निःशर्ष प्रतिकार में भी शान्ति नहीं मिल सकती क्योंकि जब कोई दूसरे पर आक्रमण करता है तभी उसका अवलम्बन किया जाता है, लेकिन यदि किसी बात की सबी आवश्यकता है तो वह अन्याय के ऊपर चारों ओर से आक्रमण करने की—आक्रमक अहिंसक प्रत्यक्ष प्रतिकार की। अन्तिम उद्देश्य की दृष्टि से यही सत्याग्रह का कार्य है। उसमें अप्रतिकार और निःशर्ष प्रतिकार तो निहित है ही लेकिन सत्याग्रह की सीढ़ी इससे भी बहुत आगे की है। सारे अन्यायों के अस्तित्व को समूल उखाड़ फेंके विना सत्याग्रह चैन नहीं ले सकता।

गांधीजी हमेशा यह कहते आये हैं कि उनके सत्याग्रह की पद्धति हिंसामार्ग का स्थान ले सकेगी। आगे उनके लेखों से कुछ वाक्य उद्धृत किये जाते हैं—“सविनय क्रानून भंग सशस्त्र क्रान्ति का सम्पूर्ण प्रभावी और रक्तहीन पर्याय है।” (१७-११-२१) “शर्ष संभार जो कि हिंसा का दर्शनी प्रतीक है उसका पृक ही उतार है—सत्याग्रह जो कि अहिंसा का दर्शनी प्रतीक है।” (६-८-३१) “हिंसा अथवा मशस्त्र विद्रोह के बदले सत्याग्रह उतना ही प्रभावी प्रत्युपाय है।” (१-६-३२) “हिंसा की सोलहों आना स्थानपूर्ति करने के लिए ही यह (सत्याग्रह की) कल्पना पेश की गई है।” (१५-४-३३)

सत्याग्रह पृक उपयुक्त अथवा कुछ थोड़ा सरस बुद्ध का पर्याय है, यह बात केवल गांधीजी ही नहीं कहते, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी ऐसे ही उद्घार व्यक्त किये हैं—“हिन्दुस्तान ने क्रान्ति के इतिहास में एक जया तन्त्र निर्माण किया है। यह तन्त्र हमारे देश की आध्यात्मिक परम्परा के अनुकूल है और यदि उसकी शुद्धता पूरी तरह क्रायम रखी गई तो संस्कृति को वह हमारी बहुत बड़ी देन साबित होगी। श्री स्पून्ट ने अपनी गांधीजी सम्बन्धी पुस्तक में कहा है—“वह (सत्याग्रह) क्रान्ति का नैतिक पर्याय है।” हिन्दुस्तान को अपनी मातृभूमि मानने वाले आदर्श मिशनरी सी० एफ० एन्डूज़ ने अपने उद्घार इस प्रकार व्यक्त किये हैं कि—“गांधीजी की सत्याग्रह साधना के द्वारा उस नैतिक पर्याय की प्राप्ति हो गई है जिसे विश्वियम जेन्म द्वारा रहा था।” दक्षिण अफ्रीका की लडाई के सम्बन्ध में (हिन्दूयन प्रावेल्मस् पृष्ठ ७४) वे कहते हैं—“दक्षिण अफ्रीका में सविनय प्रतिकार की लडाई बिना हाय ऊँचे उठाये ही जीत ली गई। मैंने अपने सारे जीवन में जो घटनाएँ देखीं उनमें यही एक सचमुच ‘ईसार्ह’ घटना थी। मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता।”

: १५ :

सत्याग्रह का भविष्य

सत्याग्रह के भविष्य के सम्बन्ध में कुछ कहना मानो बस्तुतः भविष्यवाणी करने जैसा है। लेकिन वह अर्थहीन और निःपद्योगी नहीं है। जो लोग मनुष्य के भविष्य के सम्बन्ध में विचार करते हैं उन्हें उस रास्ते पर भी विचार करना पड़ता है जिसके द्वारा मानवता अपने झगड़ों का निपटारा करेगी। मनुष्य जाति के डद्दार की आशा सुदृशीहीन समाज के निर्माण में ही है। लेकिन इस व्यवस्था के जन्म होने में शतादिद्यां लग जायेंगी।

महात्मीर, बुद्ध, हंसा तथा आन्य सन्त आये और चले गये। उन्होंने प्रेम और अहिंसा की शिक्षा दी। वे-वे आदर्श उपस्थित करके उन्होंने मानवता को बहुत प्रभावित किया। दो हज़ार वर्ष बीत जाने पर भी आज हम क्या पाते हैं? इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रेम और उदारता जैसे उदात्त आदर्शों से भरे हुए सुदृढ़ भर लोग हज़र-उधर दिखाई देते हैं लेकिन अपने धर्मिता जीवन से परे सामाजिक अथवा सामूहिक जीवन को मुख्यतः बनाने में वे प्रायः असमर्थ सिद्ध हुए हैं। आज भी हमारे सामाजिक जीवन में तथा सामाजिक झगड़ों का निपटारा करने में हिंसा ही निर्णायक शक्ति बनी हुई है। यथापि कहुं बार समझौता और पञ्च-फैसला सफल होता हुआ दिखाई देता है तथापि वह समझदारी और शान्तिप्रियता के कारण नहीं होता बल्कि युद्ध और विनाश के भय से ही होता है। यह एक प्रकार की दुमुखी नीति है।

गांधीजी अत्यन्त चेतन होकर इस दुमुखीपन को छोड़ देने पर ज़ोर देते हैं। वे टक निश्चय के साथ यह बात प्रकट करते हैं कि यदि मत्य और अहिंसा ध्यकि के लिए लाभदायक है तो वे समूह के लिए भी लाभदायक होनी चाहिए। जिन टाल्सटॉय को वे अपना गुरु मानते हैं उनकी भाँति वे केवल शिक्षा देकर ही नहीं रुके बल्कि उन्होंने उनकी शिक्षा के अनुसार सीधे-साधे सत्य के प्रयोग प्रारम्भ किये। उन्हें सत्य की अनुभूति हुई। उन्होंने सत्य का ही विचार किया। वे सत्य ही बोले। उन्होंने सत्य के अनुसार ही आचरण किया और उसे अनुभव किया और आज वे सत्य के ही अध्वरयूप बन गये हैं। सत्य ही उनके प्रेम का सर्वोच्च केन्द्र रहेगा। सत्य को ही वे हँस्तर मानते हैं। लेकिन अहिंसा और प्रेम के अतिरिक्त सत्यसाधना का कोई दूसरा निर्विघ्न मार्ग उन्हें दिखाई नहीं देता। सारे प्राणीमात्र एक ही हैं और हमें परस्पर प्रेम के अलावा कोई दूसरा नैसर्गिक एवं योग्य सम्बन्ध नहीं हो सकता। सत्य के इसी दर्शन में से इस मार्ग का जन्म

हुआ है। इसके अतिरिक्त वे यह भी कहते हैं कि मनुष्य नश्वर है और भूल करना उसका स्वभाव है अतः अपने सत्य के दर्शन के सम्बन्ध में उसे आग्रह नहीं करना चाहिए। सत्य हमें जिस स्वरूप में दिखाई देता है यदि वह दूसरों की भी उसी स्वरूप में दिखाई दे तो उसके द्वारा जो प्रेमभाव पैदा होगा उससे हमारे प्रारूपरिक सम्बन्धों में ज़बरदस्त मधुरता आ जायगी। लेकिन यदि ऐसा न हो और यहाँ तक कि दूसरे लोग उससे प्रक्रमत भी न हों तो ऐसी स्थिति में भी एक मायथ्रे भी मनुष्य यदि प्रेम और कष्टसहन का मार्ग अपना लेगा और उसे सत्य का दर्शन जिस स्वरूप में हुआ है उसे दूसरों पर ज़बरदस्ती लाने के फ़गड़े में नहीं पहेंगा तो अन्त में वह अवश्य विजयी होगा। सबके प्रति सद्गावना रखकर प्रेममय सेवा और कष्टसहन के द्वारा माय की साधना करने के लिए ही सत्याग्रही का जीवन अर्पित रहता है।

गांधीजी के इस जीवन-क्रम से कि दूसरों पर मुसीबत ढालने के बजाय स्वयं ही मुसीबत उठा लेने और उसके द्वारा सामाजिक झगड़े मिटाने के लिए ही सत्याग्रह तत्त्व उदित हुआ है। यूरापीय लेखक जिम्ये 'ईसाई नीतिशास्त्र' के नाम से पुकारते हैं उसका उपयोग सबसे पहिले गांधीजी ने ही सार्वजनिक व्यवहार तथा राजनीतिक झगड़ों के लिए किया है। चाहे अफ्रिका और हिन्दुस्तान के ईसाई राज्याधिकारी उनकी महत्ता को मानें या न मानें लेकिन वे अन्त तक अपने मार्ग पर टढ़ रहे हैं। अपनी 'केस फार ईण्डिया' नामक पुस्तक में विल्डरेड ने लिखा है—‘हिन्दुस्तान का स्वतन्त्रतासंघ्राम ईसाई विचारधारा की व्यावहारिकता को आज्ञामाने के लिए हुए एक विशाल प्रयत्न का ही योतक है। यदि हिन्दुस्तान विजयी हुआ तो ईसाई विचारधारा को (इसीसे हमारा मतलब ईसा का नैतिक ध्येय है) सारे संसार में आदर का स्थान प्राप्त हो जायगा और सौजन्य तथा शान्ति का यश सारे संसार में इस प्रकार फैल जायगा। कि ‘न भूतो न भविष्यति’।’।।।

हिन्दुस्तान ने हवराऊप के अपने तात्कालिक व्येष पथ में एक बहुत बड़ी मंजिल तय कर ली है। तो भी अभी उसे हस कार्ब में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई है। स्थान-स्थान पर बड़े पुराने एवं दुराप्रही अन्यायों का भी परिमार्जन कराने में सत्याग्रह ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करली है। लेकिन आक्रमण अथवा साम्प्रदायिक दंगों के प्रतिकार के लिए अभी तक हस साधन का प्रयोग नहीं किया गया है। उसके तथा उसके जैसे अन्य मामलों के सम्बन्ध में अभी हस तन्त्र का विकास होना बाकी है। सत्याग्रह के शब्दागार में उपवास भी एक शब्द है। आज तक व्यक्तिगत मामलों में उसका प्रयोग किया गया है और उस कसौटी पर वह स्तर भी उत्तरा है। लेकिन अभी सामूहिक रूप में उसका प्रयोग होना बाकी है। यदि शब्द के रूप में उपवास का और विकास होना है तो अवश्य ही सामूहिक उपवास उसकी एक मंजिल होगी दूसरे सारे उपाय असफल सिद्ध होने पर ही सत्याग्रही अत्म-समर्पण करने को तैयार होता है और परिणाम की जुम्मेदारी हँसवर पर छोड़कर हँसवर अथवा सत्य में पूरी तरह तन्मय हो जाता है। उपवास करने वाला जिस समाज की इकाई है यदि उस समाज को उसकी आवश्यकता होगी तो उस उपवास से कोई-न-कोई रास्ता निकलना ही चाहिए। और अक्सर ऐसा रास्ता निकल भी आता है। यदि जनता अपने को अर्थात् प्रिय लगने वाले किसी सत्य के लिए जिसके लिए कि वह प्राणों तक की कीमत देने को तैयार है उपवास करने लगेगी तो उसका परिणाम भी उपर्युक्त व्यक्तिगत उपवास की तरह ही होगा। जिस सत्य को लोग पवित्र मानते हैं जब वह स्तरे में हो तो जीवित रहने में भी सार नहीं मालूम होगा। किसी सास अन्याय के लिए जुम्मेदार व्यक्ति पर और साधारण कुनिया पर ऐसे सामूहिक उपवास का जो परिणाम होगा उसी पर ऐसे उपायों की सफलता का अनुपात अवलम्बित रहेगा। हसके साथ ही उपवास के मूल में रहने वाली न्यायोचितता, शुद्ध हेतु, एवं उसका अवलम्बन करने वाले व्यक्ति

की विशुद्धता पर भी वह अवलम्बित रहेगा। यदि जेल के कैदियों को छोड़ दें तो किसी विशेष अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए उक्त वही संक्षय में इस प्रकार के उपचास का मार्ग अपना लेने का उदाहरण आज तक दिखाई नहीं देता।

जो सत्याग्रह को मशक इटि से देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जब गांधीजी हमारे बीच में नहीं रहेंगे तब सत्याग्रह का बहुत योका महस्त्र रह जायगा। वे कहते हैं कि गांधीजी की प्रगाढ़ अद्वा एवं असाचारण व्यक्तित्व के कारण ही सत्याग्रह की इतनी प्रगति हो सकी है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज सत्याग्रह गांधीजी के व्यक्तित्व पर ही टिका हुआ है लेकिन यह बात भी उतनी ही सत्य है कि उनके व्यक्तित्व का महस्त्र इसी बात में है कि वे कहूँ सत्याग्रही हैं। गांधीजी की बजह से सत्याग्रह आगे नहीं आया है बल्कि सत्याग्रह की बजह से गांधीजी आगे आये हैं। उनका व्यक्तित्व सत्याग्रह से पृथक् अथवा भिन्न नहीं है। वे सत्याग्रह के प्रयोत्ता हैं फिर भी यह बात नहीं है कि उनके जाते ही सत्याग्रह अनाथ हो जायगा। यदि यह प्रश्न उठे कि उन दोनों में किसका उपकार किसके ऊपर है तो यह कहने के बजाय कि गांधीजी का उपकार सत्याग्रह के ऊपर है यही कहा जायगा कि सत्याग्रह का उपकार गांधीजी पर है। सत्याग्रह अपने सुद के गुणों से ही तरेगा या मरेगा। उसकी व्याप्ति आवरण और लोकप्रियता समय-समय पर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों पर ही अवलम्बित रहेगी। मुख्य प्रश्न तो यह है कि लोगों को जिस बात की जबरदस्त और महत्वपूर्ण आवश्यकता है वह इससे पूरी होती है या नहीं। यदि वह पूरी होती है तो सत्याग्रह का टिके रहना और उसका विकास होना अनिवार्य है फिर चाहे गांधीजी रहें या न रहें। सिद्धान्त हमेशा ही उसको स्वोजने वाले अथवा उस पर चलने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधेष्ठ रहता है। अनेकों गांधी और इंसा की अपेक्षा सत्याग्रह अधेष्ठ है। सत्याग्रह बाह्यकर है। लेकिन जिस मात्रा में गांधीजी ने सत्याग्रह का दर्शन करते हुए उसे जापने

जीवन में उतारा है उसी मात्रा में वह शाश्वत है, ऐसा कहा जा सकता है।

सत्याग्रह के सम्बन्ध में शंकाशीक लोग एक दूसरा मुहा यह उपस्थित करते हैं कि सत्याग्रह का अवलम्बन केवल असहाय और दुर्बल व्यक्ति ही करते हैं। संसार के शक्तिशाली लोग कभी उसका अवलम्बन नहीं करते। उनका कहना यह है कि जहाँ तक सशक्त और सामर्थ्यवान् लोगों का सम्बन्ध है सत्याग्रह का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। इस प्रकार वे गांधीजी के इस कथन को स्वीकार नहीं करते कि—‘सत्याग्रह बलवान् का हयियार है।’ यदि हम उनका कहना मान भी लें कि जहाँ तक कमज़ोर लोगों का सम्बन्ध है उसका भविष्य उज्ज्वल है तो भी वह कोई छोटी-सी चीज़ नहीं है। क्योंकि झाड़ातर कमज़ोरों के लिए ही ऐसे मार्ग की झरूरत होती है। यदि आज तक वे अपने को निःसहाय अनुभव करते थे और अब सत्याग्रह के द्वारा वे यह अनुभव करें कि वे अपनी परिस्थिति सुधारने के लिए और अपने स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए कुछ कर सकेंगे तो एक बड़ा काम हो गया। यह बात उतने ही महत्व की है जितना कि वय रोग का इलाज दूँद निकालना है। असहायता मनुष्य को पस्त हिम्मत करनेवाली एक मानसिक बीमारी ही है। अप्पा और विश्वास ये दो इस रोग की शक्तिवधंक औषधियाँ हैं। उनकी सहायता के लिए इस असहायता से बचकर उसके पंजे से अपना कुटकारा करा लेने का हयियार यदि उनके हाथ लग जाय तो इस हयियार का भविष्य उज्ज्वल ही होगा। इसी तरह यह भी हम बेघड़क होकर नहीं कह सकते कि जिन सशक्त और सामर्थ्यवान् लोगों के पास शक्ति है और जिन्हें तेज करने की शक्ति भी उनके पास है वे सत्याग्रह का अवलम्बन कभी भी नहीं करेंगे। यदि शान्त कृति के हिन्दू ही सत्याग्रह की ओर अकर्तित होते तो बात दूसरी थी; लेकिन हमने यह देख लिया है कि रथशूर सिक्षा भी इस दृष्टि का अन्दरी तरह बदलेग कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने यह भी देख लिया है कि

हिन्दुस्तान की पश्चिमोत्तर सीमान्त की पहाड़ियों के निवासी तरावे और बखावान मुसलमान पठानों को भी यह परम्परा आया है और उन्होंने तबाहार का तथा बदले की भावना का परिव्याग करके अहिंसा को अंगीकार किया है। इन दो उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि पूर्णक कथन निरपवाद हो सो बात नहीं है। अखबार, सत्याग्रह का अवलम्बन सदैव ही शरीर या मन की शक्ति अथवा कमज़ोरी पर अवलम्बित न रहना चाहिए और वह ऐसा रहता भी नहीं है। अन्तिम सुपरिणाम, साध्य-साधन सम्बन्ध, उच्च संस्कृति, मानवी विचार-प्रवाह व्यावहारिकता तथा हानि-ज्ञान से ही उसके प्रयोग की अच्छाई-कुराई निश्चित की जाती है। यदि पूरी तरह विचार करने के बाद कोई इस नतीजे पर पहुँचे कि हिंसा-मार्ग ही अच्छा है तो उसे अहय करने के लिए वह स्वतन्त्र है। इतना ही नहीं, वह उसका कर्तव्य होगा। लेकिन यदि उनकी समझ में यह बात आ जाय कि अहिंसा मार्ग ही अच्छा है तो चाहे वह कमज़ोर हो चाहे बखावान, चाहे सशस्त्र हो चाहे निःशरण, उन्हें उसके लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए। और चाहे कुछ भी क्यों न हो उसीका पहुँचा उसे पकड़ना चाहिए।

यह है सत्याग्रह की पृष्ठभूमि। आइये, अब उसके भविष्य पर धोकी टहि ढालें। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भविष्य के सम्बन्ध में बोकाना बड़ा कठिन है। सत्याग्रह का पूर्व हितिहास उज्ज्वल है। उसकी बर्तमान प्रगति जोरदार है, उसका भविष्य आशा-जनक है लेकिन वह कुछ महस्त्वपूर्ण प्रस्तर घटनाओं पर ही अवलम्बित रहेगा।

जबतक संसार युद्धों से ऊब न जायगा उसे एक-दूसरे को कत्ल करने के निष्कर्ष प्रयत्नों से घृणा न होगी और लोगों के दिल से खड़ा हु का भोइ कम न होगा तबतक प्रेम और अहिंसा का मार्ग आकर्षक नहीं प्रतीत होगा। लेकिन जबतक शान्ति पूर्व शान्तिपूर्ण मार्ग के लिए लोगों के दिल में बेचैनी न होगी, इस आकर्षण के विकल्प होने की संभावना है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ज्वे-ज्वे विचारशील

दार्शनिक और धर्मोपदेशक शान्तिपूर्ण मार्ग की प्रस्थापना के लिए प्रयत्न कर रहे हैं; लेकिन अभी तक उनका प्रयत्न भावनात्मक और सुधारवादी ही है। अभी उनमें हिंसा की शक्ति के सामने खड़े रहने की ताक़त नहीं है। उनके देशों में जो लोग युद्ध के लिए जिम्मेवार हैं उनके विरुद्ध उनका प्रयत्न ढीला-ढाला है। लेकिन यह संतोष का विषय है कि अब युद्ध का विरोध करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह निश्चित है कि जबतक ऐसे लोग अपना संगठन करके सीधी कार्रवाई करने के लिए तैयार न होंगे तबतक वे आज के सत्ताधारियों को उखाड़ नहीं सकेंगे।

जहाँ पृक बार शान्तिपूर्ण प्रत्यक्ष प्रतिकार की सबी मांग हुई कि उस सिद्धान्त के प्रसार में कठिनाई न होगी। आज इस नये मार्ग का काफी प्रदर्शन हो चुका है। हुनिया भर के लोग इस प्रदर्शन से परिचित हो चुके हैं। हाँ उसके और भी प्रसार की आवश्यकता है। इस तन्त्र का आज इतना विकास हो चुका है कि साधारण बुद्धि का व्यक्ति इसे समझ सकता है। यह सौभाग्य की बात है कि सत्याग्रह के प्रयोत्ता, प्रयोगकर्ता, प्रदर्शन करने वाले और विशेषज्ञ गांधीजी आज भी तस्वीरन्वी शंकाओं का निराकरण करने के लिए, भूलों का सुधार करने के लिए तथा गलतफहमियों को दूर करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं। आज भी उनका प्रयोग चालू है और संभव है कि वे उसमें और भी महत्वपूर्ण बुद्धि करें।

प्राक्काल्य देशों का जीवन अधिक सतेज पूर्व कियाहील है। अतः यह संभव है कि वहाँ सत्याग्रह शास्त्र की प्रगति उसकी जन्मभूमि भारतवर्ष की अपेक्षा ज्यादा लेजी से हो। हो सकता है कि आध्यात्मिक-परंपरा और प्राचीन संस्कृति के कारण हिन्दुस्तान इस महान् सिद्धान्त के जन्म और रूप ग्रहण करने के लिए ही अनुकूल सिद्ध हो। लेकिन एक बार इस पद्धति के प्रचलित हो जाने पर जिनको इस मार्ग से जाने की इच्छा होगी वे सब इसका उपयोग कर सकेंगे और तूसहाँ के

मार्ग में भी जादा पड़ने का कोई कारण नहीं रहेगा। क्योंकि मानव मनोविज्ञान के आधार पर ही सत्याग्रह की रचना हुई है और सभी जगह मानवी मन लगभग एक-सा ही होता है।

यदि हम मानव और मानवरचित संस्थाओं के विकास पर दृष्टि ढालें तो मालूम होता है कि मानवी प्रवृत्ति हिंसा के विरुद्ध है और मानव धीरे-धीरे अहिंसा की ओर बढ़ रहा है। यदि यही क्रम चाल रहा तो कोई कारण नहीं कि भविष्य में मानवी झगड़ों को मिटाने वाली संस्थाओं में सत्याग्रह को अत्यन्त आदरणीय स्थान प्राप्त न हो। अनेक शतांचिद्यों से मानवी जीवन में जीवन-क्रम के रूप में सत्याग्रह को एक राश्वक एवं प्रभावशाली स्थान प्राप्त है; लेकिन यहाँ हमारी दृष्टि में यदि कोई महस्त्र की बात है तो वह है सामाजिक हथियार के रूप में सत्याग्रह का प्रयोग। यदि राष्ट्र के सामाजिक झगड़ों को मिटाने के लिए सत्याग्रह एक हथियार के रूप में पाश्चात्य समाज में स्थान प्राप्त कर ले तो सफलता के मार्ग में एक बड़ी मंजिल तय कर ली। कोई प्रस्थापित सरकार किसी भी उल्लेखनीय हिंसक संगठन को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकती और जब सारे वैधानिक मार्ग असफल मिछ हो जाते हैं तब सुधारवादियों के लिए मन-ही-मन जल-मुनकर हाथ मलाते रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता; लेकिन यदि सुधारवादी लोग उचित तैयारी के बाद इस अहिंसक प्रतिकार का मार्ग अपना लें तो किसी भी मानव-समूह, संस्था या सरकार के ऊपर उनका काफी नैतिक प्रभाव पड़े बिना न रहेगा। यह संतोष का विषय है कि रोमाँ रोलाँ, एन्स्टाइन, जोड, अल्डुस हक्सले, जरोलम हर्ड जैसे बड़े-बड़े विचारक अहिंसक प्रतिकार की दिशा में विचार करने लगे हैं। अल्डुस हक्सले की एस्टक 'एन्डस् प्रॉड मीन्स' के पृष्ठ-के-पृष्ठ गोंधीवादी सत्याग्रह प्रवृत्ति के स्पष्टीकरण से भरे पड़े हैं। रिचर्ड मेरे की 'पावर आफ नान ड्वायलेन्स' तो मानो सत्याग्रह, उसकी व्याप्ति, तन्म तथा उसके अनुशासन के ऊपर एक प्रबन्ध ही है। ऐसी

पुस्तकों से यह स्पष्ट होता है कि पाश्चात्य विचारक इस महत्वपूर्ण विषय के अध्ययन की ओर मुक्त रहे हैं; परन्तु इतने ही से बहुत आशावादी होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अन्तिम आधार तो हिन्दु-स्तान में इस पदार्थ की होने वाली पूर्ण विजय पर ही रखना चाहिए। ऐसी विजय होने पर ही दुनिया के सब निष्ठावान सुधारक, अथक क्रांतिकारी तथा स्वर्य स्फूर्ति से लड़ने को तैयार रहने वाले लोग सत्याग्रह को मूक, प्रभावी और कार्यालय हथियार के रूप में स्वीकार करेंगे।

: १६ :

गांधीजी के व्यक्तिगत और कौटुम्बिक सत्याग्रह

सत्याग्रह-शास्त्र अब भी प्रगति कर रहा है और उसके प्रबन्धकों के मतानुसार वह अब भी प्रयोगावस्था में ही है। अतः सत्याग्रह के सारे उद्घाहरण अभी प्रयोगालम्बक ही कहे जा सकते हैं। यहांतक सत्याग्रह की तत्त्व-प्रणाली और उसके भिन्न-भिन्न पहलुओं पर विचार हुआ। अब आगे के अध्यायों में उन सत्याग्रहों का वर्णन किया जायगा जो भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में किये गये हैं। सामूहिक रूप से किये गये सत्याग्रहों तथा भिन्न-भिन्न समूहों के द्वारा किये हुए सत्याग्रहों का महत्वपूर्ण स्तान है, अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भिन्न-भिन्न प्रकार के सत्याग्रह अलग-अलग स्वतन्त्र अध्यायों में दिये गये हैं।

गांधीजी सत्याग्रह को जीवन-धर्म मानते हैं। वे इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि वह निःशास्त्र प्रतिकार से एकदम भिन्न है। अतः जीवन के सारे चेत्रों में तथा अपने बिलकुल निकट के और प्रिय व्यक्तियों के बिलद्वारा भी उसका अवलम्बन किया जा सकता है। बस्तुतः यह सत्याग्रह की खास विशेषता है। जिसने कौटुम्बिक चेत्र में उसका अवलम्बन नहीं किया है अथवा जो उसमें असफल सिद्ध हुआ है

उसके लिए दूसरे लेन्ड में उसका उपयोग करना कठिन होगा।

X X X

जब गांधीजी १८ वर्ष के ही थे तो विद्यार्थी अवस्था में ही उसंगति में पदकर बीड़ी पीने और चोरी करने की बुरी आदतों के शिकार हो गये। इसीमें उनके भाई पर कर्ज भी हो गया। बालक मोहनदास गांधी ने अपने भाई के एक कड़े का ढुकड़ा चुराकर भाई का कर्ज छुकाया; लेकिन उनके दिल को इस चोरी से ज़बरदस्त घक्का लगा। सन्यष्टिप्रियता के कारण जलदी ही उनकी आँखें खुलीं और उन्होंने अपने पिता को पुक पत्र लिखकर सारा अपराध स्वीकार कर लिया और उसी पत्र में शालती का प्रायश्चित्त करने की सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इस पत्र से उनके बोमार पिता गदगद हो गये। गांधीजी लिखते हैं कि—“मेरा पाप उनके प्रेमाश्रमों से खुलकर साफ हो गया।” प्रेमी पिता ने उनका सारा अपराध छमा कर दिया।

X X X

चैरिस्टरी की परीक्षा पास करके जुलाई सन् १८६१ में जब वे हिन्दुस्तान लौटे तब उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। जाति के विरोध की परवाह न करके उन्होंने विलायत जाने का साहस किया था। जाति के नियमों के अनुसार उन्हें अपने सालो-बहनोई के बर पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी। उन्होंने इस नियम का बड़ी कड़ाई के साथ पालन किया। रिश्तेदारों के आग्रह करने पर भी चोरी-चोरी उसका भंग नहीं किया। इतना कष्ट सहन करके भी उन्होंने अपनी जाति के बड़े-बूढ़े के प्रति मद्भाव बनाये रखा। इससे लोगों के विरोध की तीव्रता कम होती गई और यथापि जाति ने उनपर से प्रतिबन्ध नहीं उठाया और गांधीजी ने भी उसकी मांग नहीं की—फिर भी उनके अनेक संकटपूर्ण कार्यों में उनसे मदद मिलती गई।

X X X

इसके बाद का उदाहरण है उनका उपचास, जो कि उन्होंने सन्

१६१३ में दिल्ली अफ्फीका के फोनिक्स पार्क में आपने सहवोयियों के नैतिक पतन के प्रायशिक्षण स्वरूप किया था। वहाँ आपराज दो आश्रम-वासियों से हुआ था। जब गांधीजी को उस घटना का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने यह विचार किया कि जब उनके आश्रम में ऐसी घटना हुई है तो वे स्वयं उसकी शिम्मेवारी से बरी नहीं हो सकते। उन्होंने आत्मशुद्धि के लिए तथा प्रायशिक्षण-स्वरूप पाँच दिन का उपवास किया; लेकिन उन्होंने दूसरों को इस प्रकार के उपवास के लिए उत्साहित नहीं किया और न उन्होंने सब लोगों को यही उपाय सुझाया। वे कहते हैं कि यदि उपवास करनेवाले व्यक्ति के दिल में तीव्र संवेदना हो, भूख करने वाले के साथ अत्यन्त निकटता का सम्बन्ध हो और जिसके लिए उपवास किया जाता है उस व्यक्ति के दिल में उपवास करने वाले के प्रति अत्यन्त आदर हो तभी इस प्रकार का उपवास समर्थनीय होगा। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि गांधीजी के उपवास के परिणाम स्वरूप फोनिक्स पार्क का सारा बालावरण शान्त हो गया।

X

X

X

सन् १६१६ के कौदुमिक सत्याग्रह का उदाहरण कस्तूरबा से सम्बन्ध रखता है। आपरेशन के बाद कस्तूरबा रक्तसाव से पीड़ित थीं। गांधीजी ने जल-चिकित्सा शुरू की। उन्होंने कस्तूरबा से कुछ दिनों के लिए दाल और नमक छोड़ने के लिए कहा। कस्तूरबा को गांधीजी के बैठकी ज्ञान पर बहुत विश्वास नहीं था। अतः गांधीजी के बहुत आग्रह करने पर भी कस्तूरबा ने उसके लिए साफ इन्कार कर दिया। जब गांधीजी बहुत ही आग्रह करने लगे तो कस्तूरबा ने चिढ़कर कहा—“यदि डाक्टर आपसे भी नमक छोड़ने के लिए कहे तो आप भी नहीं छोड़ गे।” गांधीजी के लिए यह चुनौती ही थी। उन्होंने इसे स्वीकार किया और कहा “आगामी एक वर्ष तक मैं दाल और नमक को स्पष्ट तक नहीं करूँगा।” कस्तूरबा के लिए यह एक बड़ा

आधात था। उन्होंने इसके लिए उमा मांगी और कहा कि वे इन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। इन चीजों को न छोड़ने के लिए उन्होंने गांधीजी से बहुत अनुभव-विनय की लेकिन गांधीजी अपने शब्दों पर छठे रहे और वह भी दस बदौं तक। कहना न होगा कि कस्तूरबा ने भी उसका अनुकरण किया। उसके स्वास्थ्य पर इसका ठीक ही असर हुआ और गांधीजी को भी उससे किसी ग्राह का कहनहीं हुआ।

गांधीजी ने इस घटना का उल्लेख अपने जीवन की एक मधुरतम सृष्टि के रूप में किया है।

X X X

दूसरे लोगों तथा अधिकारियों के विरह गांधीजी ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह किये उनके उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं।

सन् १८६३ में दिल्ली अफ्रीका में डरबन पहुँचने के बाद एक सप्ताह के अन्दर ही उन्हें प्रिटेरिया जाना पड़ा। उनके पास फस्टफ्लास का टिकिट था। लेकिन मोरिट्सवर्ग में रेलवे अधिकारियों ने उनसे दब्बा छोड़कर यह क्लास में जाने के लिए कहा। गांधीजी ने दब्बा छोड़ने से इन्कार कर दिया। इसपर पुलिस के हारा उन्हें बोरिया-विस्तर के साथ बाहर निकाल दिया गया। गांधी चली गई। उन्होंने सारी रात ठंड में छिरते हुए दिल्ली अफ्रीका के भारतीय लोगों की परिस्थिति पर विचार करते-करते विता दी।

X X X

इसी प्रवास में उन्हें एक और कहुँ अनुभव हुआ। कुछ यात्रा उन्हें टमटम के हारा करनी थी; लेकिन चूंकि दूसरे ज्ञान साथ थे अतः उन्हें टमटम के अन्दर जगह नहीं मिली। गांधीवान के पास की एक पेटी पर उन्होंने अपना आसन जमाया। उनका यह प्रवास शुरू हुआ ही था कि गांधीवान को सिगरेट पीने की जाहर आई और उसने उससे वह जगह छोड़कर पैर रखने की जगह बैठने के लिए कहा।

गांधीजी ने शान्ति के साथ लेकिन उतने ही विश्वय के साथ कहा—“नहीं !” इसपर कवड़कटर ने माराझ होकर उनको चाटा रसीद किया; लेकिन वे कठड़े को मङ्गबूती से पकड़कर उससे चिपटे हुए बैसे ही बैठे रहे। दूसरे चाटे ने उन्हें करीब-करीब नीचे गिरा दिया। यह देख-कर दूसरे याक्रियों ने बीचबाजाव किया और कवड़कटर को रोका। इस प्रकार गांधीजी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। गांधीबाज के इस उद्घाड़तापूर्व व्यवहार पर भी उनके मन में उसके प्रति हुर्भावना पैदा नहीं हुई। इतना ही नहीं बल्कि कोई कानूनी इलाज करने की कल्पना भी उनके मन में नहीं आई।

× × ×

इसके बाद तूसरी घटना है सन् १८६४ की जबकि प्रिटोरिया में प्रेसीडेन्ट क्रूगर के बैंगले के सामने कुटपाथ पर उनको ढकेल दिया गया था। पहरे बाले ने उनको इसलिए ढकेल दिया था कि नियमानुसार उस कुटपाथ पर किसी भी काले आदमी के जाने की प्रथा न थी। उसी रास्ते से घोड़े पर बैठकर गांधीजी के एक यूरोपियन मित्र श्री कोट्स जा रहे थे। उन्होंने यह सब देखा। उन्होंने गांधीजी से कहा—“आप अदालत में दावा कर दीजिये, मैं गवाही दूँगा।” लेकिन गांधीजी ने बढ़ला लेने से हम्कार कर दिया। श्री कोट्स ने उस पहरे-दार को ढांटा तब उसे भी पश्चात्ताप हुआ।

× × ×

अगली घटना एक उदाहरण न्याय का उदाहरण ही है। योके-से समय हिन्दुस्तान में रहकर सन् १८२४ में गांधीजी ढरबन लौट गये। उनके ऊपर हिन्दुस्तान में दक्षिण अफ्रीका के यूरोपियन लोगों के विरुद्ध तुरा प्रचार करने का आरोप लगाया गया। इसके साथ ही उनपर यह भी आरोप लगाया गया कि वे दक्षिण अफ्रीका को हिन्दुस्तानियों से भर देने की साजिश कर रहे हैं। ये दोनों आरोप कूठे थे; लेकिन जनता को इससे क्या मतलब ? किनारे पर पैर रखते ही भी

ने कानून हाथ में लेकर अत्याचार करने की शुरूआत कर दी। सब पेशों के मिलकर ३००० से भी ज्यादा लोग वहां जामा हो गये। किर भी डरबन के पुलिस सुपरिनेंडेंट की पत्नी श्रीमती अलेकजेंडर ने बहा साहस दिखाया और गांधीजी को बचा लिया। इतना होने पर भी गांधीजी ने किसीके विरुद्ध मुकदमा चलाने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा—“लोगों को कुछ गलतफ़हमी हो गई है; लेकिन समय आने पर सचाई प्रकट हुए बिना न रहेगी।”

X X X

एक बार उन्हे अपने खुद के अनुयायियों के हाथों ही कष सहना पड़ा। सन् १९०६ में दिल्ली अक्षीका में पहिले सत्याग्रह के अन्त में जमरल स्पेट्स के शब्दों पर विश्वास करके गांधीजी ने सत्याग्रह स्थगित करना स्वीकार कर लिया और अपनी मर्जी से अंगूठे का निशान दे दिया। लेकिन भीरअलीम तथा अन्य पठान मित्रों के विचार में यह विश्वासघात था। अतः जिस समय गांधीजी निशान देने के लिए निकले उस समय भीरअलीम ने उन्हे रोका और मारते-मारते बैदम कर दिया। लेकिन गांधीजी ने उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया और जब स्वतन्त्र रूप से सरकार की ओर से ही मुकदमा चलाया गया तो वे गवाही देने के लिए भी नहीं गये। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इसके बाद भीरअलीम उनका एक कहर अनुयायी और भक्त बन गया।

X X X

उनके ऊपर कोट का अपमान करने का मुकदमा चलाया गया। (१२०३-२०) अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज ने हाइकोर्ट को एक पत्र लिखकर सत्याग्रह के प्रतिज्ञा-पत्र पर दस्तखत करने वाले तीन वकीलों की सलद जस्त करने की हजाजत मांगी थी। गांधीजी ने हसकी आखो-चना की। हसपर बम्बई हाइकोर्ट ने उनसे मांकी मांगने के लिए कहा; लेकिन गांधीजी ने माकी मांगने से इन्कार कर दिया और यह सफाई

दी कि (अदालत के एक झेर तबवीज मुकदमे पर दीका करना) एक राजनैतिक या सामाजिक लेखक के लाले मेरा कर्तव्य है और वे उसके लिए सबा भुगतने को तैयार हैं । हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया । फिर भी उन्होंने अदालत की आज्ञा नहीं मानी; लेकिन अदालत ने उनको इस ब्यवहार के लिए कोई सजा नहीं दी ।

X

X

X

चम्पालन में मोतीहारी के मजिस्ट्रेट ने जिला छोड़कर चले जाने की आज्ञा दी । तब गांधीजी ने एक अस्थन्त महस्तपूर्ण व्यक्तिगत सत्याग्रह किया । उस जिले के किसानों की वर्षों से जो शिकायत चली आ रही थी उसीकी जांच करने के लिए वे वहां गये थे । यह बात १३ अप्रैल सन् १९१७ की है जब कि वे मोतीहारी पहुँचे थे । उनसे कहा गया कि उनकी उपस्थिति से सार्वजनिक शांति भंग होने और गंभीर फ़गड़ा होने की आशंका है अतः उन्हें शीघ्र ही लौट जाना चाहिए । उस समय का गांधीजी का उत्तर विशेषतापूर्ण था । उन्होंने कहा—“मैं यहाँ सबी हड्डीकत जानने के लिए आया हूँ ।” और उन्होंने जाने से इन्कार कर दिया । उन्होंने बताया कि अधिकारियों की आज्ञा भंग करने से जो कुछ सजा मिल सकती है वे उसे भोगने के लिए तैयार हैं । इसपर मुकदमा चलाया गया लेकिन उन्हें सजा नहीं हुई और अन्त में वह आज्ञा उठा ली गई ।

इस प्रकार के उदाहरण गांधीजी के जीवन में सर्वत्र विखरे पड़े हैं । यहां इस प्रकार के और भी उदाहरण दिये जा सकते थे; लेकिन कुछ जुने हुए उदाहरण ही दिये गये हैं ।

: १७ :

गांधीजी के सत्याग्रह आनंदोलन

आइये अब दिखाए अफ्रीका तथा हिन्दुस्तान के कुछ महस्तपूर्ण सत्याग्रह आनंदोलनों पर दृष्टि ढालें । इनमें पहिला और सबसे ज्यादा

महस्व का सत्याग्रह आनंदोलन है दक्षिण अफ्रीका का जो कि खगभग द वर्षों तक चलता रहा। उससे केवल ब्रिटिश साम्राज्य का ही नहीं बहिक सारे संसार का ध्यान सत्याग्रह की ओर गया। इस आनंदोलन की प्रेरणा गोधीजी की ही थी और अन्त तक उन्हींके नेतृत्व में वह चलता रहा था। इसी सत्याग्रह आनंदोलन में ही उन्होंने अपनी सत्याग्रह-पद्धति का करीब-करीब विकास किया था, अतः उसका बारीकी में अध्ययन करना आवश्यक है।

किसी भी आनंदोलन का शुरू से आखिर तक वर्णन करने के लिए न यहाँ दृश्यन है न उसका प्रसंग ही है। फिर भी हम यहाँ प्रत्येक आनंदोलन के महत्वपूर्ण अंगों पर प्रकाश ढालना चाहते हैं। उदाहरणार्थ सत्याग्रह का काल और स्थल, उससे सम्बन्धित पह अथवा सत्याग्रह जिन शिकायतों को लेकर चला उनमें सम्बन्धित सवाल, सत्याग्रह का स्वरूप और सत्याग्रहियों द्वारा योजित उपाय, प्रतिपक्ष की प्रतिक्रियाएँ और अन्त में उसका परिणाम तथा उसकी आवश्यक व्याख्या आदि कुछ योड़ी-भी बातें ही यहाँ दी जा रही हैं।

स्वाभाविक रूप से ही हम यहाँ दक्षिण अफ्रीका के आनंदोलन को जरा विस्तार से दें रहे हैं।

गोधीजी का पहिला सामूहिक सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेजी उपनिवेश में हुआ। सन् १८६४ के बाद साधारणतः एशियावासियों का और खासकर हिन्दुस्तानियों का व्यवस्थित आनंदोलन अपनी शिकायतें दर करवाने के लिए हुआ। नेटाल की धारासभा में एक इस आवाय का कानून विचारार्थ—उपस्थित किया गया कि एशियावासी होने के कारण एशियावालों को मतदान का अधिकार न दिया जाय। उसका विरोध करने के लिए एक बड़े सामूहिक प्रारंभना-पत्र पर ३० हजार लोगों के हस्ताक्षर करवाकर उपनिवेश मन्त्री की सेवा में पेश किया गया। नेटाल धारासभा में प्रस्ताव पास हो गया; लेकिन उपनिवेश मन्त्री की स्वीकृति न मिलने के कारण वह कानून न बन सका।

जिन लोगों ने आनंदोलन शुरू किया था उनके लिए यह कम संतोष की बात नहीं थी।

लेकिन इसके अलावा और भी सामाजिक तथा कानून-सम्बन्धी शिकायतें थीं। इनमें से बहुत-सी शिकायतें जालिद्वेष, वर्णद्वेष, अथवा एशियावासियों के प्रति यूरोपियन लोगों की हँस्याके आधार पर टिकी हुई थीं। मुसलमानों ने तो अपने को अब कहाजाना पसंद कर लिया; लेकिन उनके अलावा और सब हिन्दुस्तानियों को 'कुली' अथवा 'हम्माल' कहा जाता था। क्योंकि ये ही पहले हिन्दुस्तानी थे जो गिरमिट में बैंधकर वहाँ गये थे। स्वयं गांधीजी को भी कुली ऐरिस्टर कहा जाता था। नेटाल की सोसायटी ने वस्तुतः वर्ण के आधार पर ही एक ऐरिस्टर के रूप में उनका नाम दर्ज करने का विरोध किया था। लेकिन उसका यह विरोध सफल नहीं हुआ। हिन्दुस्तानियों को रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार से प्रवेश करने की बन्दी थी। उनको ऊँचे दर्जे के टिकिट लेने में भी कठिनाई होती थी। यदि टिकिट मिल भी जाता तो ऊँचे दर्जे के डिब्बों में जगह मिलना कठिन हो जाता था, क्योंकि उनको अपने बराबरी के प्रवासी मानकर डिब्बे में बिठाने के लिए थोड़े-से यूरोपियन ही तैयार होते थे। उन्हें किसी भी समय डिब्बे से बाहर निकाल दिया जा सकता था या तीसरे दर्जे के डिब्बे में बैठने के लिए कहा जा सकता था। इस बात पर विचार ही नहीं किया जाता था कि उन्होंने ऊँचे दर्जे का किराया दिया है। सन् १८६३ में मैरिट्ज़बर्ग में स्वयं गांधीजी को भी यही कड़ अनुभव हुआ था। उसी प्रवास में पौड़ेवर्ग में अपनी जगह न ढोकने के कारण उन्हें एक छच कन्डकटर की मार खानी पड़ी थी। उस समय का अनुभव और भी कड़ था। एक बार गांधीजी जोहान्सबर्ग में ग्रेएड नेशनल होटल में ठहरने के लिए गये। लेकिन काले होने के कारण उन्हें ठहराने से इन्कार कर दिया गया। जब वे प्रिटोरिया में थे तब प्रेसीडेंस क्रूगर के बँगले के सामने कुट्टप्पाथ पर से जाते हुए पहरेदार ने उन्हें ढोकर मारकर गिरा।

दिया था; क्योंकि किसी भी काले आदमी के लिए उस कुटपाथ पर चलना मना था। १३ जनवरी सन् १८६७ के दिन जब गांधीजी हिन्दु-स्तान से डरबन लौटे तो यूरोपियन भीड़ ने उन्हें वेदम मारा। उनके ऊपर वह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने हिन्दुस्तान में दक्षिण अफ्रीका के यूरोपियनों की बदनामी की है और वे दक्षिण अफ्रीका में अपने हिन्दुस्तानी लोगों को भर देना चाहते हैं। योगास्योग ऐसा हुआ कि उसी दिन 'कुलंड' तथा 'नादैरी' नामक जहाजों से लगभग ८०० हिन्दुस्तानी बन्दरगाह पर उतरने वाले थे।

दूषितग्रह और जातीय वैमनस्य के अतिरिक्त वहाँ पश्चात्पूर्ण काले कानून भी थे। एक बार जो गिरमिटिया नागरिक होना चाहता था उसे फी आदमी ३ पौंड घोल टेक्स देना पड़ता था। इसी तरह उसे अपनी पत्नी तथा १६ वर्ष से ज्यादा आयु के हरएक बच्चे के लिए भी यह टेक्स देना पड़ता था। बिना परवाने के कोई व्यापार नहीं कर सकता था। दिक्कत यह थी कि यूरोपियनों को बात करते ही परवाना मिल जाता था, लेकिन हिन्दुस्तानियों के रास्ते में मिल्य ही अनेक कठिनाइयां आती रहती थीं। इसी प्रकार वहाँ शिशा की जाँच का भी एक कानून था। इस कानून के अनुसार वहाँ बसने की इच्छा रखने वालों के लिए किसी एक यूरोपीय भाषा की परीक्षा में पास होना जागमी था। तीन वर्ष तक जो लोग वहाँ रह चुके थे उनपर यह कानून लागू नहीं किया जाता था। सन् १९०६ का एशियाटिक इमिग्रेशन एक्ट विरोधी आन्दोलन जब जोर-शोर पर था तभी सन् १९०७ में ट्रान्सवाल इमिग्रेशन एक्ट पास किया गया। उसके अनुसार तो किसी भी जये बसने वाले हिन्दुस्तानी को भाषा की परीक्षा पास कर लेने पर भी प्रवेश मिलना कठीन-कठीन बन्द ही हो गया।

नेटाल कांग्रेस के द्वारा जो लगभग १८६४ में स्थापित हुई थी और ट्रान्सवाल तथा केपटाउन की इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं तथा 'इण्डियन ओपीनियन' नामक पत्र के द्वारा यह आन्दोलन चल रहा

था। इसके साथ ही गांधीजी द्वारा चलाये हुए हिन्दुस्तानी लोगों के आन्तरिक सुधार का कार्यक्रम भी चल रहा था। वही उनका उस समय का रचनात्मक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में घरेलू स्वास्थ्य, रहने के लिये मकान-दुकान और शिशा आदि के लिए स्वतन्त्र हमारतों का होना आदि बासे शामिल थीं। इसके साथ ही अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में अस्यन्त डैंचे नैतिक आदर्श को अपनाने के कारण गांधीजी का व्यक्तित्व सब लोगों के प्रेम और गौरव का पात्र बन गया था।

अपना काम होते ही हिन्दुस्तान लौट आने के बजाय गांधीजी दण्डिय आफीका में ही ठहर गये। ब्रिटिश उपनिवेशों में हिन्दुस्तानियों को जो अपमान सहना पड़ता था उसका अनुभव उन्होंने स्वयं किया था, उन्होंने अपमान का धैर्य के साथ मुकाबला किया था और सब प्रकार के शारीरिक कष्ट और संकट भी सहन किये थे। फिर भी उनके मन में वहाँ के यूरोपियन लोगों के प्रति किसी प्रकार का वैरभाव नहीं था। वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक आदि पद्धति से उन्हें धूगा थी। लेकिन जो लोग उसके लिए ज़िम्मेदार थे उनके प्रति उनके मन में प्रेमभाव ही था। उनमें से कितने ही यूरोपियनों को वे अपने सबसे मित्र मानते थे। अबतक वे हिन्दुस्तानियों के प्रश्न के साथ समाप्त हो गये थे और अपनी निःस्वार्थ सेवा और स्याग के द्वारा विरोधियों का आदर संपादन कर चुके थे। वहाँ के अन्यायों को मिटाने का उन्होंने निश्चय कर लिया था; लेकिन उसकी शुरुआत किस प्रकार की जाय इसकी स्पष्ट कल्पना उन्हें नहीं थी।

अन्त में 'एशियाटिक लॉ अमेन्डमेंट आईनेम्स' के प्रश्न पर तूफान उठ खड़ा हुआ। पहिले पहल २२-८-१९०६ के द्रान्सवाल सरकार के खास गजट में गांधीजी ने उस आईनिम्स को पढ़ा। गांधीजी के बिलकुल शुरू के चरित्र-सेवक और जोहान्सबर्ग के बैरिस्टर मिशनरी जोसेफ जे० डोक ने इस प्रतिग पर लिखा है—“द्रान्सवाल के लगभग

दस हजार पुरियाकासी जो स्वभावतः राज्यभक्त और न्यायप्रिय हैं लगभग अठारह महीनों से सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। ‘पुरियाटिक लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट’ का आधार यह सिद्धांत था कि पुरिया निवासियों ने ‘परमिट’ का दुरुपयोग करके छुलकपट से अपना व्यापार खूब फैला लिया है। अतः वह एक जरायम-पेशा जाति है और उसके साथ जरायम-पेशा लोगों की भाँति ही व्यवहार करना चाहिये।’ इससे लोगों में तीव्र संताप उत्पन्न हुआ। उन्होंने इस आरोप को सिद्ध कर देने की ज़बरदस्त मांग की, लेकिन इन्कार कर दिया गया। उनकी इस प्रार्थना पर भी ध्यान नहीं दिया गया कि उपर्युक्त मामले की जाँच सुनीम कोटि के न्यायाधीश से करवाई जाय। धारासमा के लिए न तो उन्हें मताधिकार प्राप्त था और न पालियामेंट में उनका कोई प्रतिनिधि ही था। ऐसी स्थिति में अंगठे का निशान देकर अपने ऊपर जरायमपेशा की छाप लगा लेने या उस कानून का विरोध करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने प्रतिकार करने का निश्चय किया। सीमाव्य से उनका नेता सुसंस्कृत, सम्ब्य, उदार और टालस्टॉय का अनुयायी था। इन्हींलिये उनका प्रतिकार निष्क्रिय प्रतिकार के रूप में रहा।..... मैंने कल उससे कहा—“दोस्त, लडाई बहुत दिनों तक चलने की सम्भावना है। हंगलैण्ड इस सम्बन्ध में लापरवाह है और वहाँ की सरकार जरा भी मुकने के लिये तैयार नहीं है।” उन्होंने उत्तर दिया—“कोई चिन्ता नहीं। यदि लम्बे अर्से तक परीक्षा होती रही तो उससे हमारे लोगों की शुद्धि ही होगी और सफलता तो निश्चित ही है।”

इस कानून की स्वर्य गांधीजी ने इस प्रकार आलोचना की है—“जड़ों तक मुझे मालूम है संसार के किसी भी भाग में स्वतन्त्र मनुष्यों के विरुद्ध इस प्रकार का कानून नहीं है.....हिन्दुस्तान में (तथा कथित) जरायमपेशा जातियों के सम्बन्ध में इस तरह के कानून हैं जिनके साथ इस आर्द्धनिम्न की तुलना की जा सकती है।.....कानून

के अनुसार केवल जुर्म करनेवाले लोगों के अंगूठे के निशान ही लिखे जाने हैं। इसलिए अंगूठे के निशान लेने के सम्बन्ध में सखती देखकर मैं दग रह गया।”

काफी सोच-विचार और गरमागरम बहस के बाद जोहान्सवर्ग में १६-६-१६०६ को ३००० प्रतिनिधियों की बैठक में इस आपमानजनक काले क्रान्ति का विरोध करने का निर्णय किया गया। प्रत्येक प्रतिनिधि ने यह शपथ ली कि चाहे कुछ हो इस क्रान्ति का प्रतिकार करना ही है। यह शपथ सेठ हथीब नामक एक सच्चे योद्धा के सुकाव से ली गई थी।

प्रत्यक्ष प्रतिकार करने के पहिले प्रार्थनापत्र, शिष्टमण्डल, मुलाकार्ते, पश्चव्यवहार आदि सब बातें प्रतिदिन ही की गई थीं। लेकिन उपनिवेश मन्त्री मिस्टर डंकन ने स्पष्ट कह दिया कि वहां के यूरोपियनों के अस्तित्व के लिए सरकार उस आईनेन्स को आवश्यक समझती है।

इस प्रकार सत्याग्रह को पृष्ठभूमि तैयार हुई। नाम दर्ज करवाना, ऊंगलियों के निशान देना तथा परवाना लेना, इन तीनों बातों से इनकार करना ही सत्याग्रह का स्वरूप तय किया गया। नाम दर्ज न करवाने पर जो कुछ परिणाम हो उन्हे भुगतने के लिए सत्याग्रहियों को तैयार रहना था।

नये आईनेन्स के अनुसार १ जुलाई सन् १६०७ को सरकारी परवाना कार्यालय खुला। गांधीजी की प्रेरणा से कार्यालय के ऊपर शान्तिपूर्ण ढंग से धरना दिया गया। उस समय हृतना उत्साह था कि १२ १२ वर्ष के लड़कों ने भी धरना देने वालों में अपना नाम लिखा लिया। लेकिन धरने तथा तीव्र जनमत की परवाह न करके लगभग ४००० व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज करवा कर परवाने के लिये। लेकिन सरकार इससे आगे अपना काम बढ़ा नहीं सकी इसलिए उसे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का निश्चय करना पड़ा।

सन् १६०७ के दिसम्बर मास मे प्रमुख-प्रमुख व्यक्तियों को नोटिस

दिया गया कि वे अदाक्षत में हाजिर होकर यह बताएं कि उन्होंने अभी तक रजिस्टर में अपना नाम दर्ज क्यों नहीं करवाया। उस समय एक येचीदा हाल्कत पैदा हो गई। कानून भंग करने के कारण गांधीजी के साथ और कहं लोगों को अलग-अलग अवधि की सजा दी गई। लेकिन ३० जनवरी १९०८ को जनरल स्मट्स ने आश्वासन दिया तथा उनके और गांधीजी के बीच जो समझौता हुआ उसके अनुसार गांधीजी मुक्त कर दिये गये। दूसरे दिन अन्य प्रमुख लोग भी छोड़ दिये गये। लेकिन बाद में जनरल स्मट्स ने अपना वचन भंग कर दिया। ऐसे कहं मीके आते थे कि जब कठिन अवसर का अन्त होता हुआ दिल्लाई देता था तभी अधिकारी अपना आश्वासन भंग कर देते थे। जनरल स्मट्स ने आश्वासन दिया था कि आईंडीएन्स वापिस ले लिया जायगा और हिन्दुस्तानी लोगों द्वारा स्वेच्छा से लिखवाये हुए नाम कानूनसम्मत मान लिए जाएंगे। हिन्दुस्तानियों ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अनुयायियों को गलतफहमी होने का स्वतरा उठाकर भी नेताओं ने अपने नाम दर्ज करवा दिये। यह बात मीरशालम को पसन्द नहीं आई और उसने गांधीजी पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया, फिर भी गांधीजी ने अपने अंगूठे का निशान दे दिया। लेकिन जनरल स्मट्स ने अपनी तरफ से खेल अच्छा नहीं खेला। आईंडीएन्स वापिस जैना तो दूर उन्होंने गांधीजी के पत्रों का संतोष-जनक उत्तर तक नहीं दिया। उल्टे हिन्दुस्तानियों के प्रवेश को कहाई से बन्द करने वाला एक और चिल उपस्थित किया और आगे चलकर वह कानून बन गया।

फिर से लड़ाई शुरू करना अनिवार्य हो गया। १६-६-१९०८ के दिन जोहान्सवर्ग में प्रतिनिधियों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई। उस जगह समझौते के अनुसार स्वेच्छा से लिए हुए परवानों की होली जलाकर २००० परवाने स्वाहा कर दिये गये।

तब से एक लम्बी और भयंकर लड़ाई शुरू हुई। जिसमें जुमानि, जेल, कठिन परिश्रम, मुसीबतें, अपमान और बेत की सजा ही नहीं

बलिक गोलियाँ भी चलाई गईं। इस लकाई में कई उत्तार-चढ़ाव आये। लेकिन सत्याग्रहियों के लिए लकाई ही सर्वस्व थी। उन्हें अन्तिम परिणाम की चिन्ता नहीं थी। बीच-बीच में बातावरण निराशाजनक हो जाता था लेकिन फिर एकदम किसी-न-किसी तरह आग भड़क उठती थी। फिर मफलता की आशा होने लगती और ऐसे तथा जीवन विरुद्ध होने लगते। सन् १९१३ में (१२-३-१९१३) हाईकोर्ट के एक फैसले के अनुसार सारे हिन्दुस्तानी विवाह यह कहकर रद्द कर दिये गये कि वे स्थानीय कानून के अनुसार नहीं हैं। हिन्दुस्तानी लियों पर इसका असर अच्छा ही हुआ और वे सब लकाई में शामिल हो गईं। फोनिक्स पार्क आश्रम के १६ व्यक्तियों की दुकड़ी ने द्रान्सवाल दी सीमा में प्रवेश किया। उन सबको सजा दी गई। कुछ तामिल लियों जिनको कि गिरफ्तार नहीं किया गया था खदानों तक गईं और वहाँ के मजदूरों को ३ पौंपट वाले अन्यायपूर्ण कर के विरुद्ध सचेत किया। अन्त में इस सारे आनंदोलन की परिणामि २०३७ पुरुष, १२७ लियों व ४७ लियों के जबरदस्त मोर्चे में हो गईं, जिन्होंने ६-११-१९१३ को सुबह द्रान्सवाल की सीमा को पार करने के लिए कूच किया। इसके बाद गांधीजी, पोलक तथा अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। द्रान्सवाल पर आक्रमण करने वाले सारे लोगों को गिरफ्तार करके उनसे खानों में काम करवाया गया। इस बीच हड़ताल की लहर दूसरी खानों में भी पहुँच गईं और सत्याग्रहियों को अपरिमित कष्ट उठाने पड़े।

अन्त में यूनियन गवर्नरमेंट के लिए स्थिति असर्व हो गई और हिन्दुस्तानियों को सुविधाएँ देने के लिए एक कमीशन बैठाने की घोषणा की गई। १८-१२-१९१३ के दिन गांधीजी, कालेन्डाक और पोलक को छोड़ दिया गया। बाद में अन्य लोगों को भी छोड़ दिया गया। लकाई १९१४ के अन्त में हविंडियन रिलीफ बिल पास हुआ। उसके अनुसार तीन पौंपट का कर रद्द कर दिया गया। हिन्दू और सुसबमान के विधिपूर्वक हुए विवाह कानूनी मान लिये गये। केवल एकपत्नीत्व

ही कानूनी माला गया। हसी प्रकार निवास प्रमाणपत्र नागरिकता का अन्तिम प्रमाण माल लिया गया।

यदि लडाई का वर्णन संवेदन में भी करना चाहें तो भी लडाई के समय सत्याग्रहियों ने जिन उदारतापूर्ण कुत्थों का परिचय दिया उनका वर्णन किये बिना उसे पूरा नहीं कर सकते। गाँधीजी कहते हैं—“सत्याग्रही को प्रत्येक कदम पर अपने विरोधी की स्थिति का विचार करना चाहिए।” अधिक प्रभाव ढालने की दृष्टि से शत्रु को कठिन परिस्थिति सत्याग्रही के लिये सुअवसर नहीं हो सकती। बल्कि वस्तुस्थिति इससे ठोक उल्टी होनी चाहिए। और सत्याग्रही को अपने रास्ते से अलग जाकर भी कठिनाई में अपने शत्रु को मढ़ करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं।

जब नार्थ कोस्ट के मजदूरों ने हडताल की तब यदि कटे हुए गन्ने को कारखाने में लाकर उसका रस निकाला जाता तो माडन्ट प्स्कोब के बगीचे के मालिकों को भारी नुकसान उगाना पड़ता। अतः १२०० मजदूर केवल उस काम को करने के लिए ७ घण्टे पर गये और उसे पूरा करके वापिस हडताल में शानिल हो गये।

एक दूसरे मौके पर जब फरवर्य म्युनिष्पिलेंटी के कर्मचारियों ने हडताल की उस समय जो म्युनिष्पिलेंटी के आरंभ्यक-म्बन्धी कर्यों में लगे थे या अस्पताल में रोगियों की शुश्रू। कर रहे थे उन्हें इस दृष्टि से काम पर भेजा गया कि कहाँ शहर में बीमार न फैल जाय और रोगियों को असुधिधा न हो जाय।

इस प्रकार के उदार व्यवहारों में सब से उभादा स्मरणीय उदाहरण है यूनियन रेलवे के यूरोपियन वर्कारियों की हडताल के समय का। उस समय सचमुच ही सरकार वही कठिनाई में पड़ गई थी। गाँधीजी को सुझाया गया कि सरकार पर निर्णायक प्रहार करने का यही सबसे अच्छा भौका है; लेकिन गाँधीजी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा—“ऐसा करना सत्याग्रह-धर्म वा त्याग करना है।” इस

निर्णय की चारों ओर बढ़ी प्रशस्ता हुई। जनरल स्मिट्स के सेकेट्रियों में से एक ने गाँधीजी से कहा—‘मुझे आपके आदमी पसन्द नहीं हैं। मैं कभी उनकी मदद की चिन्ता नहीं करता। लेकिन मैं करूँ क्या? आप लोग मुम्खीबत के समय में हमारी मदद करते हो। तब हम आपके ऊपर किस प्रकार हाथ डालें? मैं दिल कहूँ बार कहता है कि आप लोग भी अंग्रेज हड्डतालियों वी तरह हिमा का अवलम्बन करें तो फिर आपको तहस नहस करने का मार्ग हमारे लिए खुल जाय। लेकिन आप लोग तो शत्रु को भी नुकसान नहीं पहुँचाते। आप तो केवल कष्टसहन के द्वारा ही विजय प्राप्त करना चाहते हैं और स्वेच्छा से स्वीकार की हुई विनय एवं सोजन्य की फर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते। बस इसी कारण हम लोग निरुपाय हो जाते हैं।’

शत्रु के मन पर सत्याग्रह का जो परिणाम होता है उसका हस्ते अच्छा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा।

नि सन्दिग्ध रूप से कमज़ोरों के शख्त कहे जाने वाले नि शख्त प्रतिकार एवं प्रत्यक्ष सत्याग्रह में जो महत्त्वपूर्ण अन्तर है वह दिनियर् अफ्रीका के सत्याग्रह में स्पष्ट हो जाता है।

गाँधीजी न सत्याग्रह का अवलम्बन कमज़ोर के हथियार के रूप में नहीं दिया। उनका यह दावा था कि चाहे शारीरिक दृष्टि से दुर्बल हो लेकिन जो लोग आनिमिक बल रखते हैं सत्याग्रह उन्हींका हथियार बन सकता ह। उनके मन में किसी भी अवस्था में हिसाका विचार नहीं आया। उन्हे अपने विरोधी की कठिनाई से भी फायदा नहीं उठाना था। विरोधी के लिए भी उनके मन में उच्च कोटि की कल्याण भावना थी और अपने त्याग के बल से दूसरों को जीत लेने पर ही उनका जोर था। सत्य और न्याय उनके पक्ष में थे और वे जोर देकर बढ़ते थे कि कष्टसहन के द्वारा ही हम उन्हीं प्रस्थापना करेंगे। शत्रु को परेशाम करने का विचार भी उनके मन में नहीं आया। लेकिन केवल निश्चय प्रतिकार करने वाला हस्ते भिज प्रकार का व्यवहार करता।

आठ वर्षों तक चलते रहने वाले (सन् १९०६ से १९१४ तक) इस शीर्षकालीन युद्ध का इस प्रकार अन्त हुआ । सामाजिक अन्याय से खड़ने की पद्धति में कान्ति करके इस लड़ाई ने एक नया इतिहास लिख दिया ।

सत्याग्रह की भाषा

विरमगांव में कस्टम विभाग की ज्यादती कुछ स्थानिक प्रश्न था । उनकी ज्यादती मानो प्रत्यक्ष अन्याय का नमूना ही थी । अन्यायी प्रथा को तथा उसके साथ होने वाली दूसरी कठिनाइयों को दूर करने में केवल सत्याग्रह की भाषा मुख्य रूप से कारणीभूत हुई । सन् १९१८ में जब गाँधीजी काठियावाड़ जा रहे थे तब बदबान में उन्होंने श्रीमोतीलाल दर्जी से जो कि वहाँ के सार्वजनिक कार्यकर्ता थे सारी कहानी सुनी । उनकी बेचैनी का गाँधीजी के मन पर काफी असर हुआ और उन्होंने उनसे पूछा कि—“क्या लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं ?” उन्होंने तपाक से उत्तर दिया कि “हम फँसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार हैं ।”

राजकोट पहुँचने पर गाँधीजी ने तस्सम्बन्धी आवश्यक जानकारी एकत्र की और उस रास्ते से जाने वाले रेल के मुसाफिरों की करुण कहानी भी समझ ली । इस झगड़े में एक पक्ष में जनता और दूसरे पक्ष में कस्टम के अधिकारी तथा हिन्दुस्तान की सरकार थी । झगड़े का मुद्दा या कस्टम की अर्थशून्य पद्धति को बन्द करना । प्रचार, आदरपूर्वक शिकायतें पेश करना और सत्याग्रह की पृष्ठभूमि पर जनता की ओर से माँगें प्रस्तुत करना इस क्रम से आनंदोलन हुरू किया गया । काठियावाड़ के बागस्त्रा आदि स्थानों का दौरा करके गाँधीजी ने अपने भाषणों में स्पष्टरूप से कह दिया कि लोगों को तैयार रहना चाहिए । अन्त में तत्कालीन वाहसराय लार्ड चेम्सफोर्ड की गाँधीजी से बातचीत हुई । वाहसराय ने इस बात को बन्द करने

का आशवासन दिया और अपने शब्दों को सत्य करके दिखाया।

यहां न तो किसी प्रकार का प्रत्यक्ष सत्याग्रह किया गया और उसके लिए किसी प्रकार की तैयारी ही की गई। गांधीजी के बल अपने भाषणों में असनिदेश रूप से उसका उल्लेख करते रहे। हम कह सकते हैं कि यह चिना लड़े और चिना त्वाग किये ही जीती हुई लड़ाई है।

यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि इसी सम्बन्ध में बम्बई गवर्नर के सेक्रेट्री से गांधीजी की मुहर हो गई। उस समय लार्ड विलिंगटन बम्बई के गवर्नर थे। जब गांधीजी ने अपने भाषणों में सत्याग्रह का उल्लेख किया तो इससे सेक्रेट्री साहब चिन पढ़े। उन्होंने इसका अर्थ धमकी समझा। गांधीजी ने बड़ी नम्रता से बताया कि धमकी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद सेक्रेट्री साहब ने गांधीजी को चेतावनी दी कि इस प्रकार के किसी भी आनंदोलन को कुचलने की शक्ति सरकार रखती है। अत्यन्त सौम्यता से लेकिन साथ ही उतनी ही गम्भीरता और दृढ़ता से गांधीजी ने उत्तर दिया—“मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं कि ब्रिटिश सरकार शक्ति-शाली है लेकिन इस बात पर भी मेरा उतना ही विश्वास है कि सत्याग्रह सर्वश्रेष्ठ उपाय है।”

सत्याग्रह की तैयारी

एक और उदाहरण है जिसमें केवल सत्याग्रह की तैयारी कर रखने से ही सफलता मिल गई। उससे जनता में हलचल भी खूब हुई। मारीशस, ब्रिटिश गायना, ग्रिनिडाइ, जमेका, ग्रेनडा आदि दूर-दूर के उपनिवेशों में हिन्दुस्लानी भजदूरों के पहुँचने पर उनके साथ करीब-करीब जंगलों गुलामों जैसा ही व्यवहार होता था और वे गिरमिटिया भजदूर के नाम से पुकारे जाते थे। सर डब्ल्यू. डब्ल्यू. हंटर नामक हतिहासकार ने इस पद्धति को करीब-करीब गुलामी कहा है। सन् १८६१ से ही इस प्रथा का प्रारम्भ हुआ था और अब उसे बन्द करने

की मांग की जा रही थी। वर्षाई की एक विशाल सभा में हस कुप्रथा को बन्द करने के लिए ३१-४-१९१७ अन्तिम तारीख निश्चित की गई। शियों का एक शिष्टमण्डल भी बाहसराय से मिला। मजदूरों की ले जाने वाले एक जहाज पर धरना देने की तैयारी भी गोंधीजी ने की। विरमगांव के कस्टम के प्रश्न से भी यह प्रश्न जादा महत्व रखता था। अन्त में यह प्रथा बन्द कर दी गई और ये भी पूँजीपतियों के द्वारा हिन्दुस्तानियों का जो शोषण होता था और अपनी लाचारी के कारण उनका जो अपमान होता था वह पुकार बन्द हो गया।

चम्पारन

हिन्दुस्तान के सत्याग्रह के इतिहास में चम्पारन का नाम सदा के लिए अद्वितीय हो गया है। हस माँके पर पहिली बार ही गोंधीजी ने अधिकारियों की आज्ञा भंग की और कहा कि कम-से-कम मेरे अपने देश में तो मैं चाहे जैसी आजाओं को अपने ऊपर नहीं लादने दूँगा। वह उनकी लड़ाई की नई पद्धति का प्रारम्भ था। उस समय उन्होंने कोट में जो वक्तव्य दिया वह आज भी उचित है और आगे भी सदा के लिए स्फूर्तिदायक रहेगा। गोंधीजी कहते हैं—“मैं अपने जीवन में उस दिन को कभी भी नहीं भूलूँगा। मेरी और किसानों की हाई से वह स्वर्णदिवस था।” हिन्दुस्तान के लिए सचिन अवज्ञा आनंदोलन का वह पहिला पाठ था।

सन् १९०६ की लखनऊ कांग्रेस में गोंधीजी गये थे। वहां विहार के किशोर बाबू नामक एक सज्जन मिले और उन्होंने चम्पारन के किसानों की घटों से चली आती रहने वाली शिकायतें सुनाई और उनसे प्रार्थना की कि वे वहां आकर उनकी शिकायतें दूर करने की कृपा करें। गोंधीजी ने उनको आशासन दिया कि अच्छा कभी आऊंगा। फिर अप्रैल सन् १९१७ में वे कलकत्ता से विहार गये। चम्पारन उस प्रदेश के अन्तर्गत है जहां महान् राजा जनक का राज्य था। आजकल वह विहार के

वायव्य कोने में एक जिला है। लगभग एक शताब्दी से निलहे गोरों द्वारा वहाँ के सीधे-सादे विसानों का शोषण और उर्पीड़न चल रहा था। कानून और रुटी के द्वारा वहाँ मालिकों की एक असाधारण सरकारी सत्ता ही स्थापित हो गई थी। फिर ये मालिक लोग शासकों के जात-भाइंठहरे। स्थानीय नेताओं ने सारे कानूनी उपाय करके देख लिये लेकिन अधिकारी और सरकार दोनों ही मालिकों के पश्चापाती होने के कारण कोई भी उपाय नहीं चला। बंगाल टेनेन्सी प्रैक्ट तथा अन्य ऐसे कानूनों का आश्रय मालिकों ने ले रखा था जिनसे कि वे किसानों का शोषण कर सकें। और कितने ही गैरकानूनी करों के लिए यदि कानून से मदद नहीं मिलती तो वे पुरानी रुद्दियों और रिवाजों का आश्रय लेते रहे। और जब ये दोनों ही काम न आते तो वे पाश्वी शक्ति का आश्रय लेते थे। उनकी अपनी स्टेटों में उनका व्यवहार किसी निरंकुश शासक से किसी भी प्रकार कम न था।

मुख्य तथा तत्कालीन आर्थिक शिकायत 'तिनकटिया' प्रथा के सम्बन्ध में थी। उन कांटया का अर्थ है बीघे में तीन कट्टे। इसका मतलब यह है कि जमीन के प्रत्येक बीघे का ३० प्रत्येक किसान के लिए उसकी जमीन के ३०। मे नील की खेती करना लाजमी था। फिर चाहे वह उसके लिए लाभदायक हो चाहे न हो। कभी-कभी यह भर्यादा ३० तक हो जाती थी। बंगाल टेनेन्सी प्रैक्ट के द्वारा मालिकों का यह अधिकार स्वीकार कर लिया गया था। बाद में जब बनावटी नील बाजार में आने लगी तब निलहे गोरों ने यह अनुभव किया कि नील के धन्धे में कोई फायदा नहीं है। अब वे किसानों से एक नया मुआहिदा करने लगे कि यदि वे पहिले से कुछ ज्यादा लगान दें तो उन्हें नील की खेती से मुक्त किया जा सकता है। इस मामले में भी उन्हें टेनेन्सी प्रैक्ट की कुछ धाराओं से मदद मिली। इस प्रकार नील के व्यापार में निलहों को जो नुकसान हुआ वह मब किसानों के मिर मढ़ दिया गया। जिस जगह निलहों के पास मौरसी जमीन थी वहाँ तो वे यह बात कर

रहे थे केकिन गांधी में जहाँ कि उनके पास थोड़ी मुहत के पढ़े थे और उस मुहत के बाद स्थायी मालिक को इसका लाभ होने वाला था वहाँ वे नकद रुपया वसूल करके तिनकाठी के मुहायदे से उनको मुक्त करने का तरीका अपनाने लगे। वस्तुतः थोड़े समय के पढ़े बाले ग्रामों में तो उस कानून का कोई आधार ही नहीं था। कहा जाता है कि इस तरह उन्होंने लगभग १२ लाख रुपये वसूल किये थे।

निलहों का सरकार और अफसरों पर हतना जबरदस्त असर था कि बेचारे किसान धन-जन को नुकसान पहुँचने के भव्य से सरकारी अफसरों के पास जाने का साहस तक नहीं करते थे। उच्च वर्ग के लोगों के साथ भी मार-पीट ही नहीं, उनको हवालात में रख देना, उनके जानवरों को पकड़कर कौंजी हौज में भेज देना, घर-बार लूट लेना, चमार, घोड़ी, नाई आदि बन्द कर देना और तो ठीक, उनको घर से बाहर निकलने के लिए भी मना करना और उनके बरो पर बिड़ाने के लिए अस्पृश्यों को इकट्ठा करना आदि हजारों तरीकों से वहाँ के लोगों को नित नई पीड़ा पहुँचाई जाती थी। भिज-भिज अवसरों पर निलहे कानूनी लागवाग वसूल करते थे। शादियों पर प्रत्येक घर पीछे तथा प्रत्येक तेल की धानी पर लाग लगी हुई थी। जब साहब बहादुर ठंडी जगह पहाड़ी पर जाते तो प्रत्येक किसान को 'पपाड़ी' नाम का एक विशेष कर देना पड़ता था। यदि घोड़ा, हाथी या मोटर गाड़ी की झररत हो तो उसके लिए भी किसान को ही ज्यादा कर देना पड़ता था। इसके अलावा किसी भी साहब का कोई अपराध हो गया हो तो मारी कर लाइ दिये जाते थे।

बेचारे किसान इस आशा से आंख लगाये बैठे थे कि ये सब शिकायतें कूर हों और अन्याय का पूरी तरह परिमार्जन हो।

प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्तियों ने जो कुछ स्थानीय प्रयत्न किये उनका तनिक भी असर नहीं हुआ। पाषाणहृदय निलहों की ओर से कानूनी, सामाजिक या नैतिक किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिल रही।

थी। पेसी परिस्थिति में गांधीजी को चम्पारन आने का निमन्त्रण मिला।

१० अप्रैल १९१७ को वे मोतीहारी जिले के गांव में पहुँचे। उन्होंने वहां जो जांच की वह सत्याग्रह की पद्धति में एक आदर्श पाठ है। वहां पहुँचने पर वे 'सीधे हाकिमों के पास गये और उन्होंने बताया कि वे क्या करना चाहते हैं। निलहे गोरों के संघ के सेकेट्री से भी उन्होंने बातचीत की। कहना नहीं होगा कि उन दोनों का अवश्यक सहानुभूतिशूल्य ही था। लेकिन गांधीजी को तो अपने नियम के अनुसार उस जगह रहकर प्रत्यक्ष रूप से अन्याय का सूखम अबलोकन करना था। किसानों की शिकायतें, उनके ऊपर होने वाले जुलम तथा उनके द्वारा मालिकों के ऊपर लगाये हुए आरोप इन सब की सत्यता पर गांधीजी को खुद अपना विश्वास और निश्चय करना था। इसके लिये वे एक ग्राम में जा रहे थे कि उनपर किं प्रो० को० की १४४ वीं घारा के अनुसार जिला छोड़ देने का नोटिस तामील किया गया।

गांधीजी ने अपने मन में प्रश्न किया—मेरे अपने देश में मुक्कीपर इस प्रकार की आज्ञा छोड़ने वाला मजिस्ट्रेट कौन होता है? और उन्होंने इस आज्ञा की जरा भी परवाह न करके आगे जाने का निश्चय किया। लेकिन वे शान्ति और संयम से जरा भी न दिगे। उन्होंने बड़े विनम्र भाव से मजिस्ट्रेट को अपने विचार बता दिये। उन्होंने बताया कि 'मैं परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए आया हूँ। मैं गरीब किसानों की शिकायत की जांच करना चाहता हूँ। अतः इस काम को पूरा किये बिना जिला छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है।' जब उन्हें अदालत में बुलाया गया तो उन्होंने अपने वक्तव्य में आज्ञा भंग करने का अपराध स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अन्तरात्मा की ओहतर आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उनके इस मुकदमे का कोई फैसला नहीं सुनाया गया क्योंकि योदे ही समय के बाद मामला उठा लिया गया।

इसके बाद उन्होंने अपना तहकीकात का काम फिर शुरू कर दिया। कितनी ही बार बयान लेते समय सौ० आँद० ढी० के अधिकारी भी उपस्थित रहते थे। बीस हजार बयान लिये गये और उसके आधार पर मामला तैयार किया गया। किसानों की मांगें तैयार की गईं। बाद में ग्रान्ट के गवर्नर ने सारे मामले पर ध्यान रखकर सरकार की ओर से एक जांच-कमेटी की नियुक्ति की और उसमें गांधीजी को किसानों के प्रतिनिधि के रूप में रखा गया। जांच-कमेटी ने एक भूमि से फैसला दिया कि तिनकटिया प्रथा तथा गैरकानूनी लागवाग रद कर दिये जायें और किसानों से जो रकम बसूल की गई है उसका कुछ अंश १ उन्हें लौटा दिया जाय।

तहकीकात के प्रारम्भ में निलंब तुलेश्वर विरोध करते थे और सरकार भी उनका पक्ष लेती थी लेदिन गांधीजी ने मजिस्ट्रेट की आज्ञा न मानने की जो तैयारी दिखाई और अपने ही रास्ते चलने का जो उत्साह रखा उससे गोरे मालिकों को बड़ा आश्वर्य हुआ और वे बहुत फजीहत में पढ़ गये। किसानों को सत्याग्रह करने की आवश्यकता नहीं पढ़ी।

वहाँ अकेले गांधीजी का सत्याग्रह इस विषमता के विरुद्ध हिन्दुस्तान का जनसत जाग्रत करने और प्रान्तीय सरकार की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त सिद्ध हुआ। किसानों ने भी काफी संघर्ष से काम लिया। वे धैर्य के साथ सबूत पेश करने के लिये आगे आये और खासकर गांधीजी जिधर ले जाय उधर जाने की मानसिक तैयारी उन्होंने प्रदर्शित की।

पहिली बात यह कि आखिर गांधीजी ने क्या मांगें पेश की थीं? उन्होंने चम्पारन के आपदग्रस्त किसानों की शिकायतों की जांच करने के साधारण अधिकार पर जोर दिया। इस साधारण से अधिकार से सरकार उनको वंचित नहीं रख सकती थी और जब एक बार जांच शुरू हुई तो उसकी ओर से आंख भी मूँद नहीं सकती थी। सरकार

को इन शिकायतों को जानकारी पहिले से ही थी। लेकिन मालिकों के मुनाफे से उनका जो भ्रमत्व था उससे उन्होंने यह सब चलाने दिया। अब गांधीजी के आगमन और निर्भय तहकीकात के कारण सरकार की इस शिथिलता की धजियां उड़ गईं।

इस प्रकरण में हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि गांधीजी ने किस प्रकार का स्ववहार किया। प्रारंभ से ही उन्होंने बड़ी सावधानी रखी। सबसे पहिले वे एकाएक जाने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन जाने का निश्चय कर लेने पर फिर उन्होंने आगा-पीछा नहीं देखा। उन्होंने इस बात की भी तैयारी शुरू से ही रखी फिर यदि उनकी स्वतन्त्रता पर आधात किया गया तो वे उसका मुकाबला करेंगे। जब कुछ लोगों ने उन्हे मालिकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की बात सुकाई तो उन्होंने उनके इस सुकाव को यह कहकर रह कर दिया कि अदालत का आश्रय लेने से कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा। मालिकों से दूर रहने के बजाय उलटे वे सीधे उनके संघ के मेकेट्री से मिले और अपना उद्देश्य उनपर प्रकट कर दिया। उन्होंने नम्रतापूर्वक मजिस्ट्रेट की आशा का उल्लंघन करके अपना काम इस प्रकार शुरू रखा मानो कुछ हुआ ही न हो। जब उन्होंने परिस्थिति का अध्ययन कर लिया और यह देख लिया कि इस काम में उन्हें काफी समय देना पड़ेगा तो उन्होंने उस भाग में लगभग ६ प्राह्मणी स्कूल शुरू करवाये और डाकटरी सहायता की ठववस्था की। वे लोगों को अबड़ी तरह से और आरोग्यपूर्ण डीवन व्यतीत करने की शिक्षा देना चाहते थे। स्थानीय शिक्षक और डाक्टर वैद्य के न मिलने पर उन्होंने उन्हे बाहर से खुलाया और रचनात्मक कार्य और निरपेक्ष ग्राम सेवा की नींव डाली। लेकिन उन्होंने डाकटरों और शिक्षकों को चेता दिया कि वे राजनैतिक व आर्थिक मामलों में न पड़ें। उन्होंने शिल्हों के बौद्धिक मान की अपेक्षा नैतिक मूल्यों को ज्यादा महत्व दिया। उदाहरणार्थ उन्होंने कस्तूरबा को एक छी-शिक्षक के रूप में भर्ती किया।

जब कहतूरवा ने यह कहा कि मैं पढ़ा नहीं सकूँगी तो लिखना, पढ़ना, गणित आदि सिखाने के बजाय उनसे सवच्छता एवं अच्छे रीति-रिवाज सिखाने पर जोर दिया। उनके भतानुसार लिखना, पढ़ना और गणित ही सबसे ज्यादा महत्व के विषय हीं थे। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि ग्राम-शिक्षा के बिना स्थायी काम होना असंभव है।

खेड़ा सत्याग्रह

विरमगांव के कस्टम और गिरमिटिया कुलियों के मामले में तो केवल सत्याग्रह की भाषा से ही सफलता मिल गई और चम्पारन में केवल गांधीजी को ही सविनय कानून भंग करना पड़ा। लेकिन खेड़ा जिले में कई लोगों को मुसीबत और कष्ट उठाने पड़े। सन् १९१८ के प्रारंभ में गुजरात प्रान्त का खेड़ा जिला सत्याग्रह-भूमि बना। वहां कर-बन्दी के रूप में सत्याग्रह हुआ। अनाज पैदा न होने से जिले में करीब-करीब अकाल की स्थिति हो गई थी और किसानों के लिए जगान देना असंभव हो गया था। कायदे के अनुसार उन्होंने जगान स्थगित करने की प्रार्थना की। लेकिन सरकार ने इसपर विचार करने से इन्कार कर दिया।

लेण्ड रेवेन्यू कोड में यह कहा गया है कि ‘‘जब आने वारी के हिसाब से फसल रुपये में चार आने आई हो तब सरकार को उस वर्ष का जगान माफ कर देना चाहिए। लेकिन हिन्दुस्तान के हमेशा के रिवाज के अनुसार सरकार ने जिह पकड़ी कि फसल चार आना से ज्यादा आई है। अतः किसानों को पूरा जगान देना चाहिए। कुछ समय तक यह कहाना चलता रहा। प्रार्थनाएं, प्रान्तीय कौसिल के प्रस्ताव सब कुछ व्यर्थ हो गये।

इस सब के बाद गांधीजी ने इस विषय पर ध्यान दिया। उन्होंने सारे मामले का अध्ययन करके लोगों को जगान न देने की सलाह

दी। लोगों ने शपथ ली कि भले ही हमारी ऊमीन चली जाय हम अनुचित खगान न देंगे। जो धर्मवान् लोग सारा खगान दे सकते थे उन्होंने भी अपने गरीब भाइयों की सहानुभूति में एक साल तक खगान न देने की शपथ ले ली।

गांधीजी ने जनता और सरकार दोनों के ही सामने व्याय का पहल रखा। उन्होंने जिसे में प्रचार-व्याय के लिये स्वयं सेवक बुखारे और उनके उरिये किसानों में नैतिक धर्म बनाये रखा। उस समय के अहमदाबाद के उदीयमान बैरिस्टर बळभाई पटेल उनसे आकर मिले। इसके बाद किसानों की शिक्षा प्रारंभ हुई। उन्हें सिखाया गया कि अधिकारी उनके मालिक नहीं बल्कि नौकर हैं, अतः सारा डर छोड़कर उनके सामने तमकर खड़े रहना चाहिये। उनकी जुहम-जबरदस्ती करने की धमकियों का प्रतिकार करना चाहिए। चाहे कोई उन्हें कितना ही क्यों न उभाड़े उन्हें अपनी शान्ति न दिग्ने देनी चाहिये। उन्हें यह भी सिखाया गया कि यदि उनकी ऊमीन पर सरकारी कम्बा करने का नोटिस उनके पास आये या उनसे जब्ती का हुक्म तामीज़ करवा लिया जाय तब भी उन्हें उसका मुकाबला शान्ति से करना चाहिए। किसानों ने बड़े धैर्य के साथ नेताओं की सूचना के अनुसार ही चलने का निश्चय किया। अनेक जटियां हुईं और जमीन सरकार के कब्जे में करने के नोटिस भी आये लेकिन किसानों ने प्रसंस्तापूर्वक सब का स्वागत किया।

इसके बाद वहाँ सविनय अवश्य आनंदोलन करने का मौका आया। सरकार ने एक व्याज के खेत को कुर्क कर लिया। चूंकि यह कुर्की बेकायदा थी, गांधीजी ने मोहनलाल पण्डित तथा अन्य अपने सात अनुयायियों को सीधे खेत में जाकर फसल काट लेने की सजाह दी। उन्होंने फसल काट ली। अतः उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। इससे लोगों का नैतिक धैर्य अधिक बढ़ गया और जेल का डर जाता रहा।

जब सरकार ने यह देखा कि लोग मान नहीं रहे हैं तब उसने बिना किसी प्रकार की घोषणा न किये और न किसानों से न उनके प्रतिनिधियों से समझौते की कहाँ आतचीत किये जखदी जखदी पीछे हटना शुरू कर दिया । जो लगान न रखने थे उनके पीछे तकाजा करना बन्द कर दिया गया । जवितयों और कुकियों बन्द कर दी गई । इस प्रकार काय रूप म सरकार ने यह मान लिया कि जो लोग लगान देने म असमर्थ हैं उन्हें उपर सुनकर दिया जाय । टकिन लोगों के इस अधिकार परों स्पष्ट रूप से शब्दों म स्वीकार नहीं किया । इस प्रकार दर से और तुड़ डाते हुए लोगों के जम्य अध र को स्वीकार दी या गया उर का कायदा बहुत थाड लागा को मिला । मिन्दात रूप म स ग्राम सफल हुआ लेकिन समृद्धि विजय की दृष्टि से उसम २१की बमा रह गई । सरकार ने अनुचत व्यवहार किया । विजय प्राप्त करक भी न लोगों का उ साह बढ़ा और न उनको पर्याप्त फायदा ही हुआ । इस स प्राप्ति के सम्बन्ध म गार्धीजी ने कहा है कि जब सर अभी प्राप्ति की अपेक्षा अन्त में ज्य दा शक्ति और उ साह सम्पादन रख ले तभी यह का । । सकत ह एक सत्याग्रह सफल हो गया । उ ह मतीत च कि लाग निराश और चिमनस्थ हो गये हैं और अधिकारीयों के ति उनका व्यवहार पूरी तरह बिन शाल नहीं ह । इसके अला । पू । गान बसूल करन के मिलमिले म पक्षपात के मर र को । म फूल लेन के । गद्यथा । सत्य ग्र । को रिसी बार पाद उन कोन दत हुए उनक प्रयत्न दो विलकुल अनफल न की कानवाही चलू थी ।

जि न अप च रूप म इसक परिणाम मध्य पूरण नकले । गुजरात प्रान्त के मारे किसाना म जबरदस्त अग्रात हुइ । इसस सार लक्ष्यान जीवन प बहुत बढ़ा प्रभाव पड़ा । उन्होंने स्वावलम्बन । पाठ पन और उनम आमावश्याम पैदा हआ । उन्ह पहल पहल यह भारतम

हुआ कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं और सामूहिक प्रयत्नों के बल पर हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं।

अपनी आत्मकथा में गांधीजी ने इस लक्ष्य के सम्बन्ध में निम्न-लिखित उद्गार व्यक्त किये हैं—‘जनसत पर इस बात की पूरी छाप पढ़ गई कि हमारी गुलामी का अन्त हमारे अपने ही हाथ में है और वह अपने ही कष्ट, त्याग और सहनशीलता पर निर्भर है। खेड़ा सत्याग्रह के द्वारा गुजरात में सत्याग्रह की जड़ें गहरी चली गईं।’

आनंदोलन के बाद गांधीजी ने यह अनुभव किया कि जनता को सत्याग्रह की शिक्षा देने के लिये स्वयंसेवक तैयार करना आवश्यक है। लेकिन उन्हे यह दिखाई दिया कि सत्याग्रह के रचनात्मक पक्ष या शान्ति-पूर्ण अंग के प्रति लोगों में अभी आकर्षण नहीं है। उस काम को कर लेने के लिये जलदी-जलदी उन्हें काफी लोग नहीं मिले। चम्पारन में उन्होंने अपने स्थान पर जो रचनात्मक कार्य शुरू किया था उसे आगे बढ़ाने की उनकी तीव्र इच्छा थी लेकिन कार्यकर्ताओं की कमी तथा अन्य कामों के कारण वह रुक गया।

हिन्दुस्तान की साधारण जनता को सत्याग्रह प्रशाली के अनुसार त्याग और कष्टसहन के लिए तैयार करने और उन्हें उस तरह की शिक्षा देने का प्रयोग सब से पहिले गांधीजी ने खेड़ा जिले की लक्ष्य के समय किया और उन्हें उसमें काफी सफलता मिली।

मजदूरों का सत्याग्रह

जब गांधीजी खेड़ा जिले के प्रश्नों में डलमे हुए थे तभी अहमदाबाद की कपड़े की मिलों के मालिक और मजदूरों में झगड़ा शुरू हो गया था। सन् १९१८ में फरवरी मास के प्रारम्भ में श्री अम्बालाल साराभाई मिल मालिकों की ओर से और उनकी बहिन अनुसूया बहन मजदूरों की ओर से गांधीजी से मिले। गांधीजी का विश्वास है कि सत्याग्रही के पास भौका अपने आप ही आ-जाता है कार्यालय अहिंसा

और अन्याय परस्पर-विरोधी हैं। अतः गांधीजी किसी भी अन्याय की उपेक्षा करके उपचाप नहीं रह सकते। इस प्रकरण में गांधीजी की कार्यक्रम अहिंसा का अर्थ यह है कि आहमदाबाद के मजदूरों की शिकायतों के प्रति उनकी सहानुभूति इतनी ज्यादा थी कि उसके लिए उन्होंने अपने प्राणों को भी खगरे में ढाल दिया। जगभग १५ दिनों के महारे के बाद उन्होंने उपचास प्रारम्भ किया और इस प्रकार से मजदूरों का नैतिक धैर्य बनाये रखा। और जल्दी ही समझौता करवा लिया। इस मार्के पर डेनिश विदुकी कुमारी केरिंग ने गांधीजी को निम्न आशय का तार भेजा—“अपने भाइयों के लिए अपने स्वयं के प्राण खतरे में ढाल देने से ज्यादा सच्चे प्रेम का और क्या सबूत हो सकता है।”

उसी समय लकड़ी समाप्त होने पर गांधीजी ने कहा कि इस लकड़ी में द्वेष या वैर-भाव के लिए थोड़ा-सा भी स्थान नहीं था। और वे जितने मजदूरों के सेवक थे उतने ही मिल मालियों के भी थे। इस लकड़ी के बारे में जिसी हुई “धर्म-गुद” नामक गुजराती पुस्तक में महादेव-भाई ने इस हडताल का वर्णन अत्यन्त शुद्ध साधनों से, दृढ़ निश्चय के बल पर तथा दोनों ही बाजू बहुता पैदा न होने वेते हुए लकड़ी गहरे लकड़ी के रूप में किया है। लकड़ी का परिणाम भी दोनों पक्ष के लिए ज्ञामदायक हुआ।

शुरू में तो दोनों पक्षों का मतभेद कितना बोनस दिशा जाय इस बात को लेकर आरम्भ हुआ, लेकिन अन्त में मँहगाई भक्तों के प्रमाण का सबाल पैदा हो गया। जब दोनों पक्ष गांधीजी के पास पहुँचे तब उन्होंने सारे मामले का अध्ययन करके उनको समझाया कि दोनों पक्ष पक्ष-फैसला मान लें। इसके बाद थोड़े ही दिनों में दुर्भाग्य से कुछ मिल मजदूरों में शक्तिहीनी हुई जिससे उन्होंने हडताल कर दी। मालिक तो मुश्किले को तोड़ने का रास्ता ही देख रहे थे अतः वे इस पर विगड़ पड़े। २२-२-१८ को उन्होंने तालेबन्दी की घोषणा कर दी। गांधीजी ने दोनों को समझाकर देखा लेकिन कोहू नतीजा नहीं निकला।

कुछ मिलाकर उन्हें यह दिखाई दिया कि मजदूरों का पक्ष ठीक है। जब उन्हें यह निश्चित रूप से मालूम हो गया कि तालेबन्दी होगी ही तो उन्होंने मजदूरों को अपनो ३५ टके बढ़ाने की माँग पर अबे रहने की सज्जाह दी। उनका विश्वास था कि मजदूरों की यह माँग न्यायोचित है। लेकिन मिल मालिकों ने यह बात तय कर ली थी कि २० टके से ऊपर नहीं बढ़ाना चाहिए। अतः २६ फरवरी १९१८ से हजारों मजदूरों की हड़ताल शुरू हो गई।

उस समय मजदूरों ने जो शपथ ली वह बड़ी सीधी थी। वह निम्न प्रकार थी—‘जुलाई महीने की तनखावाह में ३५ टके ज्यादा लिए बिना हम मिलों में काम करने नहीं जायेंगे। तालेबन्दी के समय किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करेंगे और पूरी तरह अहिंसा का पालन करेंगे। किसी भी प्रकार का दंगा या लूटमार नहीं करेंगे। मिल मालिकों की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचायेंगे। अपने मुँह से भी किसी प्रकार का असम्भवतापूर्ण शब्द नहीं निकालेंगे और हद दर्जे तक शान्ति का पालन करेंगे।

तालेबन्दी के दिनों में गांधीजी और उनके साथी निरन्तर काम में जुटे रहे। उनके साथियों ने मजदूरों के मुद्दों में जाकर उन्हें स्वच्छ और स्वस्थ जीवन का पाठ पढ़ाया। आवश्यक डाक्टरी सहायता भी पहुँचाई जाती थी। मजदूरों में बॉटने के लिए प्रतिदिन शिक्षात्मक पत्रिका प्रकाशित की जाती थी। इसी प्रकार प्रतिदिन सभाएँ की जाती थीं। और उनमें प्रतिदिन के प्रश्न हल किये जाते थे।

ही आधिक सहायता के सम्बन्ध में गांधीजी ने कही नीति अपना रखी थी। पैसे के बल पर चलने वाले आनंदोलन पर उनका विश्वास नहीं है। वे उनको यह उपदेश देते थे कि प्रत्येक आदमी को अपने लिए काम हौँड़ लेना चाहिए और पसीने की कमाई का ही भरोसा रखना चाहिए। उस समय आश्रम बन रहा था, अतः उस काम में बहुत से लोग लगा लिये गये। इसके साथ ही वे मजदूरों को यह आश्रवासन

भी देते थे कि यदि भूखों मरने का ही मौका आया तो उसमें पहिला नम्बर उनका होगा मजदूरों का नहीं।

१५ दिन तक मजदूरों का नैतिक धैर्य बिलकुल बढ़िया रहा। परन्तु कुछ मिल मालिक अपने कुचक चला ही रहे थे। गाँधीजी के सम्बन्ध में अनेक अफवाह उबाई गई। कुछ भी हो १५ दिनों के बाद मजदूरों का नैतिक धैर्य छूटता हुआ दिखाई देने लगा। गाँधीजी ने इस अवसर पर एक ऐसा निश्चय किया जो अपनी एक विशेषता रखता था और जो अभिनव एवं अनपेक्षित भी था। उन्होंने यह बात प्रकट की कि जबतक इन सब बातों का अन्त नहीं होगा न तो वे अच्छा ग्रहण करेंगे न मोटर पर ही चढ़ेंगे।

यदि उनके ही शब्दों में कहें तो— “पॉच-न्दस हजार प्रफुल्हित और हड निश्चय के लेज से चमकने वाले चेहरों के बजाय केवल हजार-दो-हजार थके हुए एवं उद्दिग्न चेहरे सुझे दिखाई दिये। … मैं उन आदमियों में से हूँ जो कहते हैं कि हर हालत में हमें अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। आप अपनी प्रतिज्ञा भंग करे यह बात मैं लग्या भर के लिए भी बरदाशत नहीं कर सकता। जबतक आप सब लोगों को ३२ टके ज्यादा नहीं मिले अथवा जबतक अपने इस आनंदोलन में आप पूरी तरह हार नहीं जाते न तो मैं अच्छा को स्पृश करूँगा न मोटर में ही बैठूँगा।”

इससे सारी परिस्थिति बदल गई। मजदूर फिर हड हो गये। मिल मालिकों पर भी इससे अप्रत्यक्ष दबाव पड़ा। गाँधीजी ने इस सम्बन्ध में स्वीकार किया है कि उस हड तक उनके उपचास में हिसा का अंश था। लेकिन मजदूरों को टूटती हुई ताकत को रोकने का यह एक ही इलाज थे कर सकते थे। इससे वे निरुपाय हो गये।

अन्त में यह तथ्य हुआ कि प्रोफेसर भ्रुव एवं मात्र पंच बनाये जाय। ३ महीनों के बाद प्रोफेसर भ्रुव ने यह फैसला किया कि छुआई के बेतन में मजदूरों को ३२ टके ज्यादा दिये जाय।

इस प्रकार अहमदाबाद में शुरू हुआ यह काम अखण्ड रूप से चलता आ रहा है और अहमदाबाद की मजदूर महाजन यूनियन देश की एक अत्यन्त संगठित संस्था बन गई है। गांधीजी के द्वारा बताये मार्ग पर ही उसका काम-काज चल रहा है।

द्वायकोम सत्याग्रह

वह घटना एक ऐसे सत्याग्रह का उदाहरण है जो कि एक बड़े दुर्घट्ट पूर्व आपदास्पद सामाजिक अन्याय को दूर करवाने के लिए किया गया था।

द्वायकोम एक प्रसिद्ध तीर्थ है। भारत के पश्चिमी किनारे पर मालवाबार या केरल प्रान्त में आवणाकोर रियासत की सीमाएं हैं। यहां शंकरजी का एक प्राचीन मन्दिर है। उसीके कारण इस गांव का महात्व बढ़ गया है। मन्दिर गांव के बीचोबीच है। वह सनातनियों का केन्द्र है। सन् १९२४ के प्रारम्भ में यह सत्याग्रह शुरू हुआ। माधवन कृष्णस्वामी तथा केलप्पन ने उसका प्रारम्भ किया। ब्राह्मण वस्ती तथा मन्दिर के पास से जाने वाले आम रास्तों से एक दिन उन्होंने कुछ हरिजनों को साथ लेकर दूसरी ओर जाने का प्रयत्न किया। भिष्णुकों और ब्राह्मणों ने अपनी पीड़ियों से उस रास्ते से अस्तुप्यों को नहीं जाने दिया था। अपने भाइयों पर लगे हुए इस खुल्मी प्रतिबन्ध को समाप्त करने का निश्चय करके सत्याग्रह के द्वारा मनुष्यमात्र के लिए वह रास्ता खुलवाने के उद्देश्य से उपर्युक्त तीनों सज्जनों ने अपना प्रयत्न आरम्भ किया।

गांधीजी अभी जेल से कूटकर बाहर आये ही थे। उनका स्वास्थ पहिले जैसा नहीं हुआ था। अपेन्डिसइंटीज का जो आपरेशन हुआ था उसका असर भी अभी था। कार्यकर्ताओं ने उनसे सलाह ली। गांधीजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और समय-समय पर मार्गदर्शन का काम भी उन्हें मिला।

आवेदकोर सरकार ने सनातनियों का पहला और रास्ते की रखा के लिए पुलिस की मदद भेजी। इस सत्याग्रह के मूल में मुख्य प्रभाव यह था कि सार्वजनिक रास्ते का उपयोग करने का अधिकार प्राचेक नागरिक को है।

जब पहिले जर्ये ने उस रास्ते से जाने का प्रयत्न किया तो आदानियों और पुजारियों ने उन्हे उरी तरह पीटा। जर्ये के एक स्वर्णकि को गहरी चोट आई। जर्ये में कुछ तो सुधारक थे और कुछ अचूत थे। लेकिन इस मार-पीट के बावजूद भी सुधारक लोग अपने निश्चय पर ढटे रहे। वे मन में न तो कुड़कुड़ाये और न उन्होंने बढ़ाया या हिंसा की कल्पना को ही आने दिया और प्रतिदिन नियमित रूप से अपना कार्यक्रम चालू रखा। उनमें से कितने ही व्यक्तियों को अवधिकार प्रवेश करने के अपराध में गिरफ्तार किया गया और सजाएँ दी गईं।

सत्याग्रह की कल्पना जन-समाज के मन में गहरी उत्तर गई और गिरफ्तार व्यक्तियों का स्थान लेने के लिए दूर-दूर के प्रान्तों से स्वयं-सेवकों के जर्ये आने लगे। अब तो सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करना बन्द करना पड़ा। रास्ते को रोककर उसके आस-पास कुएङ्गल बनाने की आज्ञा पुलिस को दी गई। रुकावटों को दूर करने के बजाय गांधीजी ने उनको उसके सामने रातदिन नम्रतापूर्वक खड़े रहने की सलाह दी। स्वयंसेवकों ने पास ही एक छोटी-नीची कॉपीडी बना ली और छु-छु: घरटों की बारी लगाकर बड़ी धार्मिक भावना के साथ अपना काम जारी रखा। फुरसत के समय वे चर्खा चलाते थे। इस प्रकार सब बातें सुचारू रूप से चल रहीं थीं। रास्ते की रुकावट पहरेदार, सरकारी अफसर अथवा आद्या या भिक्षुकों के विरुद्ध हिंसा का अवलम्बन करने का विचार भी स्वयंसेवकों के मन में नहीं आया।

एक लम्बे असें तक यह कारण ऐसे ही चलता रहा। बाद में बह-सात शुरू हो गई। रास्ते का वह हिस्सा नीचा था; अतः वहां पानी-ही-पानी भर गया। तो भी स्वयंसेवक विचलित नहीं हुए। कितनी ही

बार वे कन्धे-कन्धे पानी में खड़े रहे। उन्होंने तीन-तीन बरसे की बारी शुरू की, लेकिन अपना पहरा सतत चालू रखा। पुलिस को जाव पर अपनी कावनी बनानी पड़ी।

सत्याग्रह की अखण्डता और स्वयंसेवकों के मूक कष्ट-सहन के कारण यह एक समूचे भारत का प्रश्न बन गया। चारों ओर उसका बोलबाला हो गया। और उसपर अनेक लेख लिखे गये। सन् १९२५ के अप्रैल मास में गांधीजी स्वयं वहाँ गये। श्रावणकोर के अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई। गांधीजी ने उनसे आग्रह किया कि केवल पाश्चात्य खल के ऊपर सनातन धर्म की परम्परा मिटाने का प्रयत्न न करें। रास्ते की हकावट और पुलिस का पहरा हटाने के लिए आखिर उन्होंने अधिकारियों को तैयार किया। सत्याग्रह शुरू होने के एक वर्ष बार महीने बाद सन् १९२५ की बातों छातु में रास्ता खोल दिया गया और श्रावणीयों का विरोध भी समाप्त हो गया। अगर सरकारी अधिकारी पुजारियों की मदद करने न दौड़ते तो सम्भव था कि यह प्रभ यहाँ ही हज छोड़ जाता।

इसके बाद श्रावणकोर के महाराज ने सन् १९३७ में एक राजाज्ञा निकाल कर राज्य के सारे सरकारी मन्दिरों को जाति, सम्प्रदाय का भेद विये बिना हिन्दूमात्र के लिए खोल दिया। इस समय गांधीजी हायकोम गये थे। वहाँ १८ जनवरी, १९३७ को अपने भावण में उन्होंने इस सत्याग्रह का उल्लेख करते हुए कहा—“अभी कुछ ही वर्ष पहिले अवर्ण हिन्दुओं को इस रास्ते से जाने देने के लिए एक विकट लडाई लड़नी पड़ी थी। लेकिन आज तो सुद मन्दिर ही सब लोगों के लिए खोल दिये गये हैं।”

नील पुतले का सत्याग्रह

यह सत्याग्रह सन् १९२७ के अन्त में अगस्त से लेकर दिसम्बर महीने के बीच हुआ। विगत शताब्दि के मध्य में मद्रास में नील साहब

की स्मृति में यह पुतला खबा किया गया था। सन् १८२७ के भारतीय स्वातन्त्र्य-संघाम में लखनऊ में विरो हुई सरकारी फौजों को छुड़ाने के लिए बाहर से जो कुमुक आई थी उसीमें नील आया था और वह वही मारा गया था। अंग्रेजी प्रमाणों के आधार पर भी यह सिद्ध हो गया है कि वह एक अत्यन्त क्रूर सिपाही था और अनेक अत्याचारों के लिए जिम्मेदार था। उसके सम्मान में पुतले की स्थापना होने से लोगों को उसके द्वारा उनपर लादी गई अनन्त अवहेलनाएँ और अपमानों का बारबार स्मरण होता था। इस दुःखपूर्ण स्मृति के प्रतीक को मिटाने के लिए आनंदोलन करना स्वाभाविक ही था।

कहुँ लोग अपने हाथों में छेनी और हथैदे लेकर सत्याग्रह करने के लिए पुतले की ओर चले। पुलिस ने पुतले पर पहरा बिठाका दिया और जो सत्याग्रही उसके पास जाते उन्हको गिरफ्तार करना शुरू किया। गांधीजी ने इस आनंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया और साप्ताहिक यंग हिंडिया में स्वयंसेवकों का मार्ग-दर्शन करने वाले कहुँ लेख लिखे। इनमें से एक लेख में उन्होंने लिखा है—“स्वयंसेवकों को जलदबाजी नहीं करना चाहिए। जलदबाजी हिंसा की ही एक अवस्था है। सत्याग्रही को सफलता की तरिक भी चिन्ता नहीं होती। उसके लिए सफलता तो निश्चित है; लेकिन उसे यह भी जानना चाहिए कि वह हँसर की ओर से मिलती है। उसका कर्तव्य तो केवल कष्ट-सहन करते रहना ही है।” उन्होंने उन स्वयंसेवकों की हिंसक प्रवृत्ति की आलोचना की जिन्होंने कुछ विज्ञियों में हिंसक प्रवृत्ति की आलोचना की जिन्होंने कुछ स्थानों में यह कोइं स्थान नहीं है। हमें तो उस मिद्दान्त को मिटाना है जिसे लेकर इस पुतले को खबा किया गया है। हम किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते।”

कितने ही स्वयंसेवकों को सजाएँ दी गई हैं। लेकिन वह सत्याग्रह ज्यादा दिनों तक चला नहीं और यह कहा जा सकता है कि तात्कालिक उद्देश्यों की दृष्टि से वह असफल हो गया। बाद में जब कांग्रेस के

मंत्रिमण्डल ने शासन सम्भाला तब श्रीराजगोपालाचारी ने सबसे पहिला काम यही किया कि उस पुतले को उस सम्माननीय स्थान से हटाकर अजायबघर के एक ऐसे कोने में रखवा दिया जहाँ किसीका ध्यान न जाने पाए ।

बारडोली सत्याग्रह

बारडोली की महान लडाई के समय, किसानों ने जो अग्निपरीक्षा दी उसके मुकाबले में हिन्दुस्तान के उपर्युक्त सत्याग्रह बहुत छोटे प्रतीत होते हैं । बारडोली की लडाई में जो प्रभ निहित थे वे समूची रैयतवारी पद्धति के लिए महत्वपूर्ण हैं । आनंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी और वह उसी समय मुक्ती जब उसने यह जान लिया कि लोगों को कुचलना बिलकुल असम्भव है ।

सन् १९२२ में पहिले असहयोग आनंदोलन के समय यदि सब बातें अच्छी तरह होती रहतीं तो बारडोली तालुके में बड़ी जबरदस्त लडाई हुई होती और असहयोग आनंदोलन के कार्यक्रम के सारे अङ्ग कार्य रूप में परिणत हुए होते । लेकिन चौरा-चौरी के शोचनीय हिंसा-कायदे ने बारडोली को इस सौभाग्य से बंचित कर दिया । करबन्दी आनंदोलन एक अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया । लेकिन बाद में सन् १९२८ में सन् १९२२ की अपेक्षा कहीं अधिक अपापक रूप से तालुके ने अपना काम करके दिखा दिया । उस ऐतिहासिक लडाई के अन्त में अधिकारी सरोजिनी नायडू ने गांधीजी को लिखा “बारडोली में आदर्श सत्याग्रह बरना आपका एक स्वप्न था । आपने एक विशेष रास्ते से उसे पूर्णता तक पहुंचा कर बारडोली में विशेष अर्थ में आपका स्वप्न संवर्धा कर दिया है ।”

प्रति ३० वर्ष के बाद बम्बई सरकार प्रत्येक तालुके में नया बन्दो-बस्त करती थी और प्रायः बन्दोबस्त का अर्थ ही होता था लगान में

वृद्धि। बारडोली और चौरासी तालुके में ३० प्रतिशत वृद्धि कर दी गई। लोगों के विरोध के परिणामस्वरूप घटाकर यह वृद्धि २२ प्रतिशत कर दी गई। लेकिन किसानों ने सरकार के निर्णय पर भी पतराज किया और उन्होंने यह मांग की कि लगान में किसी भी प्रकार की वृद्धि करने के पहले खुली जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने इस विरोध की कुछ परवाह नहीं की।

अब किसानों ने खूब शान्तिपूर्वक विचार करके आखिरी फैसला कर लिया। उन्होंने एक सम्मेतन का आयोजन किया और उसमें दसका विरोध करने का प्रस्ताव पास करके सरकार को हम आशय का नोटिस दे दिया कि यदि सरकार अपनी जिद पर अदी रही तो हम कर देना बन्द कर देंगे।

वहाँ की कुल जन-संख्या ८८००० थी। और हम नये हिसाब से कुल ६२७०००) लगान देना होता था। गांधीजी ने सारी स्थिति का अध्ययन किया और लडाई को आशीर्वाद दिया। बारडोली के किसानों की प्राधना पर वल्लभभाई ने लडाई का नेतृत्व करना भंजूर कर लिया। वल्लभभाई की बढ़ीलत किसानों का अन्त तक त्याग करने का निश्चय रद्द हो गया। बदे उत्साह के साथ लडाई प्रारम्भ हो गई।

अपनी 'स्टोरी आफ बारडोली' नामक पुस्तक में स्व० महादेव-भाई दंसाई ने लडाई का आद्योपान्त वर्णन किया है। हम यहाँ उसकी मोटी महाराष्ट्र घटनाएँ दे रहे हैं ताकि पाठकों को साधारणतः उसकी कल्पना हो जाय।

सरदार वल्लभभाई पेटेल ने तालुके का विधिवत् संगठन किया। कितने ही वर्षों से तालुके के विभिन्न भागों में समाज-सेवा के ४-८ केन्द्र चलाये जाते थे। लडाई के समय सुविधाजनक स्थानों पर १६ शिविर खोले गये। वहाँ लगभग २४० स्वर्यसेवकों के जिए प्रबन्ध किया गया। प्रत्येक स्वर्यसेवक को एक निश्चित काम सौंप दिया गया। तालुके का सारा चातावरण एक फौजी छावनी के रूप में बदल गया।

बहाई, स्थाग, निर्भयता, प्रतिकार आदि शब्द ही लोगों की जबाब पर थे। प्रतिदिन खबरें और सूचना देने वाली दोनों प्रकार की पत्रिकाएँ निकाली जाने लगीं।

किसानों ने यह कठोर प्रतिज्ञा ली कि वे पूरी तरह अहिंसक रहेंगे, हद दर्जे का कष्ट-सहन करेंगे और हँसते-हँसते सर्वस्व चलिदान करने की तैयारी रखेंगे। बारडोली में प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ और उसमें यह अनित्य निर्णय किया गया कि सरकार ने लगान की जो दुबारा जाँच की है वह मनमानी, अन्याय और जुलमी है। उसमें सारे किसानों को यह आदेश दिया गया कि जब तक सरकार पुराने हिसाब से लगान लेने के लिए तैयार नहीं होती अथवा जबतक भौंके पर जाकर के लगान का प्रश्न निर्णय करने के लिए एक निष्पक्ष जाँच कमेटी नहीं बैठाई जाती वे लगान देने से हनकार कर दें। यह परिषद् १२ फरवरी १९२८ के दिन हुई।

सरदार बलभट्टाई पटेल द्वारा बुलाई हुई सभाओं में उन स्त्री, पुरुषों और बच्चों की भीड़ इकट्ठो होने लगी जो किसी भी प्रकार का स्थाग करने के लिए तैयार थे। थोड़े-से ही समय में सारे तालुकों में मानो बिजली दौड़ गई। ऐसा लगने लगा कि वही सन् १९२८ का पुराना जमाना आ गया है।

लगान बसूल करने के लिए सरकार ने हद दर्जे की सख्ती करने का प्रयत्न किया। उसने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। खुशामद, रिश्वत, घमकी, जुर्माना, कैद, जल्दी और लाठी-चार्ज आदि सारे उपाय करके देख लिये। उसने जातियों में फूट ढालने का प्रयत्न किया। बड़ी-बड़ी स्टेटें जब्त कर ली गईं और जब कोई स्थानीय उम्हे लेने वाला नहीं मिला तो वे पानी के मोल बाहर बालों को बेच दी गईं। लगभग १४०० एकड़ जम.न पर कढ़ाव करके उसे नीलाम किया गया। लोगों को ढराने-घमकाने के लिये ४० पठान रखे गये और एक भय का बातावरण निर्माण कर दिया गया। लेकिन हस सबका यही नतीजा निकला कि

सारा ताल्लुका और भी ज्यादा संगठित हो गया। जाति-संस्थाएँ मजबूत बन गईं, सारे सरकारी नौकरों तथा नीलाम में जबतशुदा माल खरीदने वालों का कड़ा सार्वाजिक बहिष्कार किया गया। अलबत्ता विरोधी की शारीरिक आवश्यकताओं के लिए अवश्य सुविधाएँ दी गईं।

समूचे भारतवर्ष ने इस लड़ाई के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित की और बारडोली के योद्धाओं की प्रशंसा की; क्योंकि स्त्रियों ने भी पुरुषों की ही भाँति लड़ाई का भार उठाया था। सरकार की दमन-नीति के विरोध में असंबली के कहूं सदस्यों ने स्त्रीफे दे दिये। पालियामेन्ट में भी इस मामले की चर्चा हुई। किमान विलक्ष टड़ और अहिंसक बने रहे। साडे पाँच महीनों की लड़ाई के बाद सरकार मुक्ती। गवर्नर ने एक जाँच कमेटी बैठाई। जबतशुदा चीजें लौटा दी गईं और गाँव के जिन कर्मचारियों ने स्त्रीफा दे दिया था उन सब लोगों को फिर से नौकरियाँ दी गईं। कमेटी ने बहुत-से अंशों में किसानों की शिकायतें स्वीकार की और २२ प्रतिशत के बजाय क्वल ६॥ प्रतिशत बृद्धि करने की सिफारिश की।

इस रिपोर्ट के द्वारा किसानों की बात पूरी तरह सच्ची सिद्ध हुई और सत्याग्रह शास्त्र की कार्यक्षमता निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गई। उनकी शिकायत न्यायोचित थी। उनका कहना विवादरहित था और उनकी कार्य-पद्धति अहिंसक थी।

मिरशी, सिहापुर और हिरेकेरूर में करबन्दी

सन् १९३१ में कर्नाटक प्रान्त के इन तीन ताल्लुकों में जिस परिस्थिति में करबन्दी आन्दोलन करना पड़ा वह सन् १९१८ की सेह जिले की स्थिति से बहुत कुछ मिलती-जुलती थी। अन्तर हतना ही है कि सन् १९३०-३१ के गाँधी-हरविन पेकट के अनुसार जो जबरदस्त मविनय अवज्ञा आन्दोलन बन्द कर दिया गया उसके साथ यह आन्दोलन भी बन्द कर दिया गया; लेकिन यूँ कि वह आन्दोलन और

सविनय अबज्ञा आनंदोलन साथ-साथ ही चल रहे थे। इससे जनता को हानि पहुँची क्योंकि अधिकारियों ने पहले से ही उस सम्बन्ध में अपने मन दूषित कर लिए थे और वहाँ के कार्यकर्ताओं पर राजनैतिक डहरण रखने का आरोप किया गया था।

सन् १९३१ के प्रारम्भ में ये तीन ताल्लुके आवे अकाल के शिकार हो गये। फसल बहुत ही कमज़ोर हुई। सिरशी एवं सिद्धापुर ताल्लुके की मुख्य व्यापारिक फसल सुपारी की कोमरें काफी गिर गईं। फसल रुपये में चार आने से भी कम आईं। अतः किसानों ने केवल इस वर्ष के लगान को स्थगित कर देने की माँग की। सभा, सम्मेलन, शिष्ट मण्डप प्रार्थना-पत्र किसीसे भी मतलब हल नहीं हुआ। सरकार ने इस आर्थिक आनंदोलन का सम्बन्ध उत्तरी कनारा जिले के अंकोला ताल्लुके के राजनैतिक करवन्दी-आनंदोलन से जोड़ने का प्रयत्न किया। यह बात सच है कि प्रमुख राजनैतिक कार्यकर्ता ही यह आनंदोलन चला रहे थे लेकिन उनकी आर्थिक शिकायतें बिलकुल ठीक थीं और किसानों को छूट मिलना आवश्यक था।

सिरशी और सिद्धापुर उत्तरी कनारा जिले में घाट के ऊपर के ताल्लुके हैं और हिरेकेरु ताल्लुका धारवाढ़ जिले में है। इन तीनों ताल्लुकों के किसानों ने वैधानिक ढंग से धीरे-धीरे आगे बढ़ने की होशियारी प्रदर्शित की थी। वे राजनीतिक फ़गाड़ों में उल्लम्भना नहीं चाहते थे। उन्होंने अर्ज-मारुज की, सम्मेलन खुलाया, प्रस्ताव पास किये और जिले के बड़े अधिकारियों से भेंट की। उनकी शिकायतों से जिन-जिन जोगों का सम्बन्ध या उन सबके सामने उन्होंने अपनी कठिनाइयाँ रखीं और जो कुछ भी बे कर सकते थे वह सब करके उन्होंने देख लिया। कहा जाता है कि सिरशी के अधिकारियों ने तो स्थानगी तौर से यह सिफारिश कर दी थी कि लगान स्थगित कर दिया जाना चाहिए। यहाँ उसका उल्लेख करना असंगत न होगा। पेसा कहा जाता है कि उनसे सिफारिश बापस लेने के लिए कहा गया।

और जब उन्होंने वैसा करने से इन्कार कर दिया तो दूसरे ताल्लुके में तार द्वारा डनकी बदली कर दी गई। कुछ भी हो स्थिति बिराहती गई और प्रत्यक्ष करवन्दी का आन्दोलन शुरू हुआ। सरकार ने मामले के औचित्य-अनौचित्य का विचार करने से इनकार कर दिया और आन्दोलन की बमर तोष देने का विचार किया। सिरशी और सिद्धांत ताल्लुके के किसानों का पच काफी मजबूत था; क्योंकि सन् १९२३ में ही श्री कालिन्द नामक वसूली विभाग के एक बड़े अफसर ने उन दो ताल्लुकों की कसकर जांच की थी और उसने सिकारिश की थी कि इनको लगान में स्थायी छूट दी जाय। लेकिन सरकार ने इन सब बातों की ओर से आँखें मुँद लीं और यह प्रगट करना शुरू कर दिया कि इस आन्दोलन के मूल में राजनीतिक उद्देश्य निहित है।

तीनों ताल्लुकों के किसान अपने सिद्धान्त पर दृढ़ रहे और उन्होंने हजारों जदियां तथा अनेक प्रकार के जुल्मों का मुकाबला किया। उन्होंने बड़े धैर्य और शांति के साथ जमीन ढंगत करने के नोटिसों की सामील की। बहुत-सा जद्युदा सामान बैच दिया गया और कुछ जमीन नीलाम भी कराया दी गई। हाँ, उन्हें खरीदने के लिए कोई भी स्थानीय प्रादृक तैयार नहीं हुए।

तीनों ताल्लुकों में कुल मिलाकर लगभग ७०००-८००० जदियां हुईं और जमीन ढंगत करने के २०० नोटिस जारी हुए; लेकिन इसी समय ४-३-३७ को गांधी-हरिहरन पेटट का समाचार आ घमका।

अंकोला में जो राजनीतिक वरवन्दी-आन्दोलन जनवरी १९३१ से चल रहा था वह स्वभावतः ही वापस ले लिया गया और किसानों को कहा गया कि वे लगान दे दें। उन्होंने लगान दे भी दिया। लेकिन चूंकि इन तीन ताल्लुकों का आन्दोलन आर्थिक कारणों से चलाया गया था। अतः उसे तो चालू रखना पड़ा। गांधीजी को सारी स्थिति से परिचित कराया गया और उन्होंने लकाई चालू रखने की हजाजत दे दी।

इस बीच नीलाम की जगह धरना देने के अपराध में ६था आन्दोलन

से सम्बन्ध रखने वाले अन्य कारणों के लिए अनेक स्वयंसेवकों को सजाएँ दी गई थीं और उनमें से कई लोगों को ताल्लुका छोड़-कर अन्यत्र चले जाने का नोटिस दिया गया था। पुलिस ने भारवाह और बेलगांव में अनेक तलाशियाँ ली थीं और उसके आघार पर पुलिस अधिकारी आनंदोलन के सूत्रधार माने जाने वाले लोगों पर घट्यन्त्र के मामले चलाने का विचार कर रहे थे। लेकिन अन्त में अधिकारियों को विश्वास हो गया कि यह आनंदोलन सचमुच आर्थिक शिकायतों को ही लेकर चल रहा है। कहा जाता है कि स्थानीय अधिकारियों के मुकने के पहिले गांधीजी को सारी बातें जारी हरविन के सामने रखनी पड़ी थीं। मई सन् १९३१ में रेवेन्यू कमिशनर तथा कार्यकर्ताओं में समझौता हो गया। हिरेकेरूर ताल्लुके की दैत्यत को काफी छूट मिली। उनका एक वर्ष का लगान स्थगित कर दिया गया। सिरशी और सिद्धापुर ताल्लुके के लिए सरकार ने यह वचन दिया कि यदि लोग व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेंगे तो उनकी वसूली मुल्तवी कर दी जायगी। लेकिन हमेशा की भाँति स्थानीय अधिकारियों ने हस धारा का अर्थ ध्यापकता से नहीं लगाया और गरीब जनता को फिर से कष्ट सहने पड़े। समझौते के बाद वे लोग मुक्त कर दिये गये जो कि सजा भुगत रहे थे और जो नोटिस पुर्व मामले चलाये जाने वाले थे वे भी वापस ले लिये गये। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि फौरन ही आनंदोलन भी बन्द कर दिया गया।

बाद में सन् १९३१ के नवम्बर मास में सिरशी और सिद्धापुर ताल्लुकों को सरकार ने सन् १९२३ में श्रीकालिन्स द्वारा सिफारिश की हुई कुछ सुविधाएँ दी। इनमें से एक थी लगान में १०००० रुपये वार्षिक की स्थायी छूट। यद्यपि यह काम बहुत देर से हुआ फिर भी इससे जनता को कुछ तसली हुई। यह स्पष्ट ही है कि अधिकारियों की यह हक्का थी कि जनता यह अनुभव करे कि उसे ये सुविधाएँ सरकार की उदात्ता के परिणामस्वरूप मिली हैं न कि आनंदोलन की बदौलत।

: १८ :

दूसरे लोगों के द्वारा किये गये सत्याग्रह

इस अध्याय में कुछ ऐसे सत्याग्रह-आनंदोलनों का वर्णन किया जा रहा है जो गांधीजी की गैरहाजिरी में हुए और जिनको उनके आशीर्वाद मिलने का मौका या सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका।

पहाड़ी जाति के लोगों का सत्याग्रह

शिमला के उत्तर में हिमालय में कोटगिरी या कोटगढ़ नामक एक पहाड़ी जिला है। वह हिन्दुस्थान से तिक्कन जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। वहाँ बेगार या जबरदस्ती मजदूरी करवाने की कुप्रथा प्रचलित थी। केवल सरकारी अधिकारी ही नहीं बल्कि शिकार या सैर के लिए जाने वाले यूरोपियन भी उस अधिकार के नाम पर वहाँ के ग्रामीणों को परेशान करते थे। बेगार का अर्थ है किसी भी समय कम-से-कम दर पर जबरदस्ती काम करवा लेने की प्रथा। कई बार किसानों को नाम-मात्र की मजदूरी पर चुला लिया जाता था। जिससे उनकी खेती को बहुत नुकसान होता था। इतना ही नहीं उनको साहबों के बंगलों पर अपनी गार्दु ले जानी पड़ती थीं और वहाँ उन्हें दुह कर उनको रुस्ते दाम में दूध देना पड़ता था।

यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही थी। लेकिन हावर कुछ दिनों में गरीब किसानों में जाग्रति हुई और उन्होंने इस कुप्रथा का विरोध करके अधिकारियों से दाद-फरियाद की परन्तु उनकी शिकायत मिटाना तो दूर उल्टे कपूरसिंह नामक एक स्थानीय नेता को जेल में ढाक दिया गया। जनता पर दमन का दौर-दौरा हो गया। शिमला से पुक्किस बुजाई गई। दूसरे और कोनों को पकड़ा गया या मशीनगन, काला पानी, या जन्म केंद्र आदि का भय दिखा कर छोड़ दिया गया।

ऐसी ही परिस्थिति में कपूरसिंह के खिलाफ कुछ सबूत हटाका किया गया और उसे सजा दे दी गई। यह बात है सन् १९२१ की जब कि सारे देश में असहयोग की गूँज हो रही थी।

कुछ समय के बाद भी है, एस. स्टोक्स नामक एक यूरोपियन सज्जन ने जो कि वहां रहकर बाग-बगीचे का धन्धा करते थे, इस प्रश्न को अपने हाथों में लिया और इस पुराने अन्याय का कसकर प्रतिकार करने के लिए एक आवश्यक संगठन लगा किया। उन्होंने एक कमेटी बनाई और लोगों से यह प्रतिज्ञा करवाई कि वे शब्दशः कमेटी की आहा का पालन करेंगे और कमेटी के द्वारा ही अपनी बात करेंगे।

इसके बाद अपनी मांग का एक मसविदा अस्यन्त नये-तुले शब्दों में तैयार करके जिला कमिश्नर के पास भेजा गया। उसने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरे अधिकारियों से भी मिला गया; लेकिन उसका भी कोई फल नहीं हुआ। वह प्रश्न चालू ही रही। वहां के ब्रिटिश अधिकारियों की सुख-सुविधा और ऐश-आराम हस्ती प्रथा पर अवलम्बित थे। यही कारण था कि वे इस प्रश्न पर ध्यान देना नहीं चाहते थे। इसके बाद पंचायत ने यह प्रकट किया कि यदि एक निश्चिन्त समय में बेगार बन्द नहीं की गई तो हजारों की बस्ती वाला यह जिला किसी भी प्रकार का काम करने से इन्द्रार कर देगा।

नतीजा यह हुआ कि शिमला के कमिश्नर को वहाँ तक आना पड़ा। उसने गांव और लोगों में फूट डालने का पुराना रास्ता अविलम्बित किया। कही करवाई करने की घमकी दी। उसने कहूँ लोगों को बुलाया। लेकिन कोई भी इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। सब ने पंचायत की ओर संकेत किया। लोगों ने पूरी तरह अहिंसक बातावरण बनाये रखा। उन्होंने किसी भी सरकारी अफसर अथवा उस भाग में प्रवास करने वाले यूरोपियन को अनाज देने या किसी भी प्रकार का काम करने से इन्द्रार कर दिया। उन्होंने एक स्वर से कहा कि “सबसे पहिले इस अन्यायपूर्ण प्रथा का

अन्त हो जाना चाहिए।” कुछ महीनों तक लड़ाई चलती रही। कमिशनर के आ जाने पर थोड़े ही दिन में ग्रामीणों की मांगें मंजूर कर ली गईं। सरे मुख्य-मुख्य रास्तों पर छपे हुए सरकारी परिपत्र लगाये गये। ग्रामीणों से करवाये जाने वाले काम काफी मर्यादित कर दिये गये और उनकी ठीक-ठीक मजदूरी भी निश्चित कर दी गई। इस प्रकार ग्रामीणों को उनकी सहनशीलता, पैक्यता, स्थाग करने की तैयारी और विशेषकर अहिंसक वृत्ति के कारण सफलता प्राप्त हो गई।

२१-७-१९२१ के दिन इयिडया में गांधीजी ने इस सम्बन्ध में एक लेख लिखा। उसमें वे कहते हैं कि “आज मिस्टर स्टोक्स की भाँति दूसरा कोई भी भारतीय सरकार से लड़ाई करता हुआ दिखाई नहीं देता। वे उन पहाड़ी लोगों के एक सच्चे मार्गदर्शक, तत्वज्ञ और मित्र बन गये हैं। पाठकों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शिमला की छाया में खुद बाहसराय की आँखों के सामने बेगार ली जा रही है। …… लोगों को कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन एकनिष्ठ रहकर और अधिकारियों का गुस्सा मोल लेकर भी उसकी (कपूरसिंह) भाँति जेल में जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।”

सिरशी का गाढ़ीबन्दी आनंदोलन

कोटिगिरी के आनंदोलन की ही भाँति कर्णाटक के कारवार जिले में भी एक आनंदोलन हुआ जिससे उसी तरह के अन्याय का अन्त हुआ। वे भी खूम-धाम के ही दिन थे। असहयोग के मन्त्र से सारा बालवरण गूँज रहा था। बम्बाई प्रान्त के दलिती भाग के तरकाकीन रेवेन्यू कमिशनर श्री कौटेल सन् १९२१ के प्रारम्भ में सिरशी पधारे। सरकारी अफसरों के उपरोग के लिए गाढ़ीबान की आवश्यकता या सुविधा-असुविधा का ख्याल न रखते हुए कम-से-कम पैसों में जबरदस्ती गाड़ियाँ बेगार में पकड़ने की प्रथा उन दिनों सारे जिले में प्रचलित थी। कितनी ही बार तो गाढ़ी कहं दिनों के लिए ले जाई जाती थी

और हस्ते खेती के काम में बहुत नुकसान होता था। गाड़ी का अर्थ है—गाड़ी, बैल-जोड़ी तथा साथ ही गाड़ीवान भी। सारा कारबाह जिला-जंगलों में बसा था और दो-लिहाझे से अधिक भाग पहाड़ी था। वहाँ एक मील भर भी रेलगाड़ी का रास्ता नहीं था, अतः जाने-आने का एकमात्र साधन बैलगाड़ी ही था। सन् १९२१ में न तो भोटर थी न लाही। अतः सारा आवागमन बैलगाड़ी पर ही निर्भर था।

ऐसी परिस्थिति में एक प्रामीण ने कमिशनर के आदमियों को अपनी गाड़ी देने से इन्कार कर दिया। साहब के चपरासी ने दांटदपट तथा ऐसे ही अन्य उपायों से उसे राजी करने का प्रयत्न किया, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। ओडलमने नामक एक व्यापारी हिम्मत के साथ आगे बढ़ा और कहा कि मैं यह दांटदपट नहीं होने दूँगा। वह तथा गाँव के अन्य प्रतिहित लोग अपनी यह शिकायत लेकर कमिशनर साहब के बैगले पर पहुँचे। साहब ने शिकायत सुनना तो दरकिनार, उहटे आगबबूला होकर व्यापारी को घब्के देकर निकाल दिया। व्यापारी ने यह सब बड़े धैर्य के साथ सहन किया। सब लोग दुःखों होकर लौट आये। यह बात आग की तरह चारों ओर फैल गई और नरम पड़ने के बजाय किसान लोग और भी साहसी हो गये। केवल सिरशी ही नहीं सारे जिले में खाली उत्तेजना फैल गई। प्रारम्भ में काफी संगठन नहीं था फिर भी सरकारी नौकरों को गाड़ी न देने की बीमारी सारे जिले में फैल गई। सरकार की समझ में नहीं आया कि क्या किया जाय। कमिशनर के साथ के सब लोगों का बहिष्कार कर दिया गया। कहा जाता है कि यह बहिष्कार उस जिले तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि रत्नागिरी जैसे अन्य जिले में भी उसने कमिशनर का पीछा नहीं की।

लगभग एक महीने के आनंदोलन के बाद सरकार ने स्थानीय नेताओं से समझौता किया और भेट बगैरा की प्रथा बन्द की। और उसकी जगह सरकारी दौरा करने वाले अधिकारियों के उपयोग के

लिए कुछ गाड़ियों को भाषा देने की प्रथा शुरू की । जबाई क्लोटी और थोड़े समय तक हुई और उसका अन्त भी शान्तिपूर्ण एवं संतोषजनक हुआ । कहा जाता है कि जब बाद में धारा सभा में प्रश्न पूछा गया तब कमिशनर ने अपने आवेश के लिए हुःख प्रकट किया । इस प्रकार ग्रामीणों को परेशान करने वाले एक कारण का अन्त हुआ ।

मुलशी पेटा सत्याग्रह

यह सत्याग्रह हायडोइलेक्ट्रिक स्कीम की उस योजना के विरुद्ध किया गया था जिसके अनुसार लगभग ५१ ग्रामों को पानी में डुबोकर शहरों, रेलगाड़ियों तथा बम्बहुं की मिलों में विजली पहुँचाने का प्रयत्न किया गया था ।

पूना शहर से लगभग ३० मील के फासले पर मुलशी पेटा नामक एक पहाड़ी भाग है । सन् १९२० में टाटा पावर कम्पनी ने वहाँ पानी जमा करने की योजना बनाई । इस योजना के अनुसार लगभग ५१ गाँव पानी के नीचे चले जाते और लगभग ११००० आड़मी बेचरबार हो जाते । कम्पनी मुआवजा देने के लिये तैयार थी; लेकिन बाप-दादा के जमाने से चले आने वाले घरबार छोड़कर बाहर जाने वाले हजारों लोगों को चाहे जितना मुआवजा दिया जाय पर्याप्त नहीं होता । उस भाग में रहने वाले मावली लोग वहे परिवर्मी किसान हैं और उनमें से बहुत-से उन बहादुर सिपाहियों की संतान हैं जो शिवाजी की सेना में थे । मावले इससे स्वभावतः ही बेहून हुए । उन्होंने पूना के कौंघे सी नेताओं से सलाह-मशावरा किया । ये भी असहयोग आनंदोदयन की ही धूम-धाम के दिन थे । कौंघे सी नेताओं ने निश्चित किया कि यदि मावले उसके सारे नवीजे भोगने को तैयार हों तो सत्याग्रह शुरू किया जा सकता है । १३०० मावलों ने इस आशय के एक प्रतिज्ञा-पत्र पर दस्तखत किये कि या तो अपनी जमीन को बचा लेंगे या उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे । इस प्रश्न को लेकर सारे महाराष्ट्र में जागरूकी गई । ता० १६-४-१९२१ को रामनवमी के दिन विधिवत्

लकड़ाई शुरू हुई। कुल मिलाकर १२०० स्वी-पुरुष और बच्चे तथा महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख नेता उस जगह बैठ रहे जहाँ बाँब बनाया जा रहा था। बाँब बनाने में लगभग ४००० मजदूर लगे हुए थे। उस सब ने भी काम बन्द कर दिया। एक महीने भर तक यही कार्यक्रम चालू रहा। प्रत्येक बात अहिंसक ढंग से हुई। कम्पनी ने कुछ समय के लिए पूरी तरह काम बन्द कर दिया। अतः लकड़ाई का तात्कालिक उद्देश्य पूरा हो गया। इसके बाद बरसात शुरू हो गई।

हिन्दुसाम के अन्य किसानों की भाँति मावले भी साहूकारों के कर्जे के बोझ से पिस रहे थे। साहूकारों को कहा कि यदि लकड़ाई इसी प्रकार चलती रही तो सरकार बीच में पढ़ जावनी और उन्हें बदले में बहुत कम मुआवजा मिलेगा। अतः साहूकारों ने सत्याग्रहियों को मालूम न होने देते हुए कम्पनी के इंजिनियर और मैनेजर से बातचीत शुरू कर दी। कम्पनी के मैनेजर ने इस बात का बायदा किया कि यदि फिर दुबारा सत्याग्रह का उत्पात न हो तो वह काफी हजार देने के लिए तैयार है। साहूकारों ने उनको समझाने का प्रयत्न किया लेकिन मावले अपनी जमीन न छोड़ने की मांग पर ठट्टे रहे। लगभग ढाई वर्ष तक लकड़ाई चलती रही। अन्त में लेणदण्ड प्रक्रियजिलान एक्ट के अनुसार सरकार ने जमीन अपने कब्जे में ले ली। अब किसानों को कम्पनी, साहूकार और सरकार तीनों का गुस्सा मोज़ लेना पड़ा। उनमें से कुछ किसान विरोधियों से जा मिले। अतः उनकी कठिनाई और भी बढ़ गई। इसके अलावा महाराष्ट्र के नेताओं में इस लकड़ाई की आवश्यकता के सम्बन्ध में एक भत भी नहीं था।

दिसंबर १९४१ में लकड़ाई की दूसरी लहर उठी। गिरफ्तारी, सजा, घमकी जूलम सब कुछ होते रहे। महाराष्ट्र के बहुत-से नेताओं को जेल जाना पड़ा। कुल मिलाकर १२४ मावले, ४०० स्वयंसेवक, कितने ही नेता तथा अनेक लियों को सजा भोगनी पड़ी। प्रायः सर्वे प्रमुख नेताओं के जेल चले जाने पर साहूकारों को अच्छा मौका मिला

और नेताओं के मतभेद से लाभ उठाकर उन्होंने किसानों को बड़ा हुआ मुआवजा स्वीकार करने के लिए फुसला लिया। इससे लढ़ाई की कमर ढृट गई क्योंकि जिनके फायदे के लिए वह लड़ी जा रही थी वे ही पीछे हट गये।

इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों को अलबत्ता काफी मुआवजा मिला। लेकिन जिन साहूकारों के कर्ज की चक्की में वे पिस रहे थे उन्हींकी जेब में मुआवजे का बहुत बड़ा हिस्सा चला गया। किसानों के सन्तोष के लिए करीब-करीब कोई स्थान नहीं रहा।

बोरसद सत्याग्रह

सारे ताल्लुके पर बतौर सजा के लगाये गये जुर्माने के लिलाए यह सत्याग्रह किया गया और अन्त में इसमें यह साबित हुआ कि लोगों के बजाय पुलिस ही ताल्लुके की बदमाशी के लिए उत्तरदायी थी।

गुजरात प्रान्त के सूरत जिले में बोरसद एक ताल्लुका है। सन् १९२२ में गांधीजी को सजा हो गई। इसके बाद मार्च के मध्य में कुछ विचित्र परिस्थिति में सत्याग्रह की यह लोटी-सी लढ़ाई चलाने के लिए घरदार वल्लभभाई पटेल को बहाँ बुलाया गया। देवर बाबा नाम के ढाकू की लूट में गुप रूप से समिलित होने का मुठा आरोप लगाकर बोरसद ताल्लुके के निवासियों पर सरकार ने उन्हें सजा देने के लिए दण्ड-कर लगा दिया। शासन करने के लिए ताल्लुके में बड़ोदा तथा अंग्रेजी हजारों की ज्यादा पुलिस बिठा दी गई और उसका खच्च भी बेचारे निरपराध किसानों पर लाद दिया गया।

कुछ समय तक देवर बाबा ने ढाके ढालने, धनबानों को उड़ा ले जाने और बदले में उनसे भारी रकमें बसूल करने का तांता लगा दिया था। यह सिलसिला लगभग एक महीने तक चलता रहा। इसके बाद एक प्रतिस्पर्धी मुसलमान ढाकू उठ खड़ा हुआ और उसने उसी ताल्लुके में वे ही सब बातें शुरू कर दीं। उन दोनों के विरुद्ध किसी

भी प्रकार पुलिस की दाढ़ नहीं गजाती थी। बोरसद ताल्लुका बड़ोदा की सीमा से जगा हुआ था अतः वहाँ की पुलिस का भी इस मामले पर हतना ही ज्याद था लेकिन दोनों के संयुक्त प्रयत्न भी असफल सिद्ध हुए।

बाद में वहे अधिकारियों को बताये बिना ही गुस्सी से पुलिस तथा रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों ने यदि उनके ही शब्दों में कहें तो कॉटि-से-कॉटा निकालने की तरकीब चकाई। देवर बाबा को पकड़ने के लिए उस मुसलमान डाकू की सहायता ली गई। उसने यह स्वीकार कर लिया कि यदि उसे काफी शक्ष और योद्धे-से पुलिस के सिपाही भी दिये जायं तो वह जरूर मदद करेगा।

योजना तो अस्यन्त आकर्षक थी। लेकिन उस चतुर डाकू ने पुलिस की सहायित और संरक्षण से जाभ उठाकर पकड़ लिए जाने तक अपना ही मतलब साधा। उसने पुलिस को खूब मचाया। डाके बढ़ने लगे। ऐसी स्थिति में सरकार ने उल्टे ग्रामीणों पर ही यह आरोप लगाया कि वे डाकुओं की मदद कर रहे हैं और इस बजह से ताल्लुके में अतिरिक्त पुलिस बैठा दी गई।

इस बीच सरदार बलभट्टाई पटेल को पुलिस तथा मुसलमान डाकू के इस समझौते की स्थित लाग गई। सारी स्थिति का अध्ययन करके उन्होंने लोगों को आशा दी कि वे ज्यादा कर न दें। ग्रामों में गश्त लगाने के लिए उन्होंने २०० स्वयंसेवकों के जर्यों का संगठन किया। उन्होंने लोगों को निर्भय होकर मकान के दरवाजे खुले रखने के लिए तैयार करने में काफी सफलता प्राप्त की। नहीं तो डाकुओं के दर से वे बेचारे रात-दिन अपने को तालों में बन्द रखते थे।

फोटो की सहायता से इस प्रकार के प्रमाण प्रक्रिया किये गये कि ताल्लुके में नियुक्त किये हुए पुलिस के सिपाही ही डाकुओं के दर से अपने घर के दरवाजे भीतर बाहर लाले जागकर बन्द रखते थे। इसी

प्रकाश एक आदमी के लगी हुई गोली से वह भी सिद्ध हो गया कि वह पुलिस की ही गोली है। अतः इससे यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया कि डाकू अपने काम के लिए पुलिस के ही दास गोले का प्रयोग कर रहे थे। इस बात के प्रकट होते ही बड़ोदा की पुलिस ने बड़ी जश्नी अपना हाथ वहाँ से हटा लिया। लेकिन लोगों के प्रतिकार की कोई परवाह न करके विदिशा पुलिस ने अज्ञाता ज्यादा कर बसूल करना और उसके न देने पर सम्पत्ति जस करना चालू रखा।

बम्बई के टक्कालीन गवर्नर सर लेस्ली विल्सन ने जब ये सब बातें सुनी तो उन्होंने स्थिति की जांच के लिए गृहमन्त्री को भेजा। जब उनके घ्याल में सब्दी बात आई तो उन्होंने उसी समय वहाँ से ज्यादा पुलिस हटा दी और वह कर भी रह कर दिया। इस बीच सरदार पटेल द्वारा संगठित २०० स्वयंसेवकों के डर से देवर बाबा भी वहाँ से भाग गया।

गुरु का बाग सत्याग्रह

सिक्ख एक बहादुर और सैनिक जाति है जो पंजाब में रहती है। हिन्दुस्तान के आधुनिक इतिहास के कितने ही पन्ने उनकी शूरवीरता से भरे पढ़े हैं। आजकल वे साठ लाख की तादाद में हैं। उनके धर्म पन्थ की स्थापना सोलहवीं शताब्दि में गुरु नानक ने की। जब मुसलमान लोग उन्हें सताने लगे तो गुरु गोविन्दसिंह ने उनको एक जबरदस्त लड़ाकू जाति बना दिया। अंग्रेजों की हुक्मत के पहिले कुछ बर्षों तक वे पंजाब पर राज्य कर रहे थे।

सिक्खों में उदासी, अकाली आदि भिज्ज-भिज्ज दल हैं। इनमें अकाली दल सुधारक माना जाता है। वे सबके शूर और स्वार्थस्थानी हैं। सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए वे अपने समाजनी भाईयों के साथ अनेक अहिंसक लड़ाइयाँ लड़ते आये हैं।

सिक्खों के धर्म-ग्रन्थ साहब कहे जाते हैं। गुरुद्वारों में उनकी

पूजा की जाती है। इन गुरुद्वारों पर वहाँ सार्वजनिक स्वामित्व कायम करने का महत्वपूर्ण एवं विवादाप्रस्त मुद्दा उपस्थित हुआ। बहुत-सी जगह गुरुद्वारों पर महन्तों का अधिकार था और वह करीब-करीब उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति ही हो गया था। इसके अलावा बहुत-से महन्त आचार-अष्ट भी हो गये थे। अकाली पन्थ के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने ये सब मन्दिर सार्वजनिक ट्रस्टियों के हाथों में सौंपने का प्रयत्न प्रारम्भ किया। कानून और रुदि महन्तों के पक्ष में ये और सरकार ने भी उनका ही पक्ष लिया। जब कानूनी तथा मत परिवर्तन करने के प्रयत्न असफल हुए तो सत्याग्रह एवं जनमत के दबाव से अकाली दलने मन्दिरों पर कड़ा करने का निश्चय किया। नीचे पक्ष ऐसी ही वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन किया जा रहा है जो कि आदर्श सत्याग्रहियों हारा लड़ो गई थी।

‘गुरु का बाग’ का शाब्दिक अर्थ है गुरु का बगीचा। हुआ यह कि वहाँ के महन्त ने मन्दिर एवं उसके आसपास के बगीचे पर भी अपना कड़ा बताया। उसने कानूनी भद्र ली और पुलिस का संरक्षण प्राप्त कर लिया। सारे अकालियों को वहाँ जाने की मनाई कर दी गई। वहाँ प्रतिदिन अकाली लोगों का बलिदान होना शुरू हो गया। यह अगस्त सन् १९२२ की बात है। इसपर लगभग पक्ष हजार आदमियों ने मन्दिर के पास ही अपना डेरा ढाल दिया और लगभग ४ हजार लोगों ने वहाँ से १० मील के फासले पर अमृतसर के मन्दिर के आंगन में सुकाम किया। मनाही की अझा और पुलिस के पहुंचे की कोई परवाह न करके अकालियों के जर्ये गुरु के बाग की ओर बढ़े। उनके साथ अत्यन्त कूरता, निर्व्यता और पशुतापूर्ण व्यवहार किया गया। अकाली पूरी तरह अहिंसक बने रहे और जबतक वे बेहोश न हुए तबतक बिना किसी शिकायत के सब कुछ सहन करते रहे।

हर रोज अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर में रहने वाले लोगों में से १०० तथा गुरु के बाग के मन्दिर के पास डेरा ढालकर रहने वालों में से

२५ व्यक्ति बड़ी शान और गम्भीरतापूर्वक इस दद निश्चय के साथ मोर्चे पर आगे बढ़ते थे कि चाहे कितनी ही मुसीबतों का सामना क्यों न करना पड़े वे गुरु का बाग लेकर ही रहेंगे। सब के काढ़े साफ़ों पर सफेद फूल की मालाएँ लिपटी रहती थीं। प्रत्येक व्यक्ति अहिंसा की शपथ लेता था। इसके बाद वह दल बाग के पास बाले पुल के पास तक जाता था। पुल केऊपर लोहे की नोक लगे हुए छण्डे लिप्य धूरोपियन तथा हिन्दुस्तानी सिपाहियों का पहरा रहता था। सत्याग्रहियों की टुकड़ी शान्तिपूर्वक आकर पुलिस के पहरे से एक गज के कासले पर खड़ी होती और मुक्त प्रार्थना करने लगती। इसके बाद 'सत श्री अकाल' का गगनभेदी नारा लगाकर बड़े धैर्य के साथ आगे बढ़ते थे। उस समय वहाँ विलच्छण रोमाञ्चकारी घटना होती थी। सत्याग्रहियों के कोमल शरीरों पर लोहा लगे हुए बेतों की मार पहने लगती और उनके शरीर से लाल-लाल गरम रक्त की धारा बहने लगती। यहाँ तक कि वे बेहोश हो जाते थे। उन्हें उसी हालत में शिविरों में ले जाया जाता था और दोनों पक्षों का उस दिन का कार्यक्रम समाप्त हो जाता था।

दीनबन्धु एन्ड जू ने उस दश्य को स्वयं अपनी आँखों से देखकर अपने उद्गार इस प्रकार प्रकट किये हैं—“‘चू’ तक किये बिना या अपनी आँखें तक ऊँची न किये बिना शान्ति के साथ दुःख की प्रत्यक्ष खाई में जाने वाले हन अहिंसक योद्धाओं को देखकर मुझे ऐसा लगा मानो मैं प्रत्यक्ष क्रूस का दश्य देख रहा हूँ। कितने ही दिनों तक यह मिलसिला जारी रहा और हजार से भी ज्यादा स्वयंसेवक खालगी अस्पताल में पहुँच गये।” तत्कालीन पुलिस सुपरिनेटेन्डेन्ट श्री मेकफरसन ने कुछ दिनों के बाद अपनी लाठी-चार्ज विषय पर लिखी हुई पुस्तक में निम्नलिखित बातें स्वीकार की हैं—“हम्मी टूट जाने वाली चोटें लगना बहुत संभव है। सब लोग पूरी तरह अहिंसक थे। अतः जर्ये के लोगों ने पुलिस का किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं किया न उनको बदले में मारा ही। सम्भव है कि कुछ जखमी लोग बेहोश हो गये हों। ३६३

जखमी बीमारों का वर्गीकरण हस प्रकाश किया गया है—१६६ जखम कमर के ऊपर, ३०० शरीर के सामने, ७४ सिर के, ६० जननेन्द्रिय के, १५ गुदा के, ७ दौलों के, १५८ मुँहों की मार के, ८ तेज जखम, २ फटे हुए जखम, ४० मूत्रपिण्ड या मूत्राशय में, ६ हड्डी ढूटने के और २ जोड़ ढूट जाने के थे।'

विरोधी पक्ष की हस सभी के आधार पर यह कल्पना सहज ही की जा सकती है कि स्वामित्व तथा कानून और सुव्यवस्था के नाम पर अहिंसक अकालियों के साथ किन्तु पाश्चात्य दृग से व्यवहार किया गया।

इसके पश्चात् पाश्चात्य शक्ति के बज पर स्वयंसेवकों को तितर-वितर करने के नियंत्रण के छोड़कर उसके बजाय गिरफ्तारी शुरू की गई। लगभग २१० आदमी पकड़े गये। एक ही ऑनरेटी मजिस्ट्रेट ने चार बैठकों में कुच मिलाकर १२७००० रुपये के जुमाने की सजा दी। कैदियों की संख्या आखिर में करीब कर्कीब एक हजार तक पहुँच गई।

हस सब का अन्त एक समझौते के रूप में हुआ। जिस जमीन के लिए कहांहा हो रहा था उसे सर गंगाराम ने नवम्बर के मध्य में पहुँचे पर ले ली और बाग के पेड़ों के काटने पर किसी प्रकार का एतराज नहीं किया। लेकिन मार्च १९२३ तक कैदियों को जेल में ही पहुँचे रहना पड़ा। बाद में जनमत के दबाव एवं पञ्जाब असेम्बली में पास हो जाने वाले एक प्रस्ताव के द्वारा उनको थोड़ा-थोड़ा करके छोड़ दिया गया।

बाद में कुछ बर्षों तक जब तक गुरु हङ्गारा कानून पास नहीं हुआ और गुरुद्वारों के कम्जे का प्रश्न स्थायी रूप से नहीं मिटा अकालियों को प्रतीक्षा करते रहना पड़ा।

भरेडा सत्याग्रह

यदि भरेडा राष्ट्र की हुज्जत का प्रतीक न हो और जो लोग उसकी हुज्जत करते हैं वे यदि अपने त्याग और चलिदान के द्वारा उस पर पवित्रता का सेज न चढ़ावे तो उसकी कोमत एक साधारण कपड़े

से ज्यादा नहीं हो सकती। हमारे तिरंगे राष्ट्रीय झण्डे ने अपनी हज़रत की रक्षा के लिए अनेक बार अपने हिन्दुस्तानी सुपुत्रों को पुकारा है और उन्होंने कभी भी उसकी पुकार खाली नहीं जाने दी है। इसीलिए हिन्दुस्तानियों की सर्वोच्च भावना एवं अपार त्याग के छागे हमारे इस झण्डे के आस-पास गुथे हुए हैं।

नागपुर झण्डा सत्याग्रह के बहाने जब विदेशी सरकार ने झण्डे के ऊपर स्वेच्छाचारी पूर्व उद्घाट पाबन्दियां लगाईं तब राष्ट्रीय झण्डे की हज़रत की रक्षा करने का अवसर आया। किन्हीं आकस्मिक घटनाओं के कारण नागपुर में झण्डा सत्याग्रह हुआ। मध्यप्रान्त की राजधानी नागपुर में तिरंगे झण्डे लिए हुए कांग्रेस का एक जुलूस सिविल लाइन्स की ओर जा रहा था। १-५-२३ के दिन पुलिस ने जुलूस को रोका और दफा १४४ लगा दी।

जिन लोगों के ऊपर जुलूस की खिम्मेदारी थी उन्होंने झण्डा लेकर आगे जाने का आग्रह किया। उन्हें पकड़ लिया गया और अलग-अलग अवधि की सजाई दे दी गई। इसपर सारे हिन्दुस्तान का ध्यान उस और आकर्षित हो गया। राष्ट्रीय झण्डे की हज़रत की रक्षा के लिए स्वयंसेवकों के दल नागपुर आने लगे। एक 'नागपुर सत्याग्रह समिति' बनाई गई उसके हारा लड़ाई प्रारम्भ कर दी गई। प्रतिदिन गिरफ्तार होने के लिए छोटी-छोटी टुकड़ियां भेजी जाने लगीं। कुछ दिनों तक कांग्रेस वर्किङ कमेटी के एक सदस्य सेठ जमनालालजी बजाज के हाथ में लड़ाई के सूत्र रहे। वर्किङ कमेटी ने लड़ाई का समर्थन किया और जो लोग उसके लिए काटसहन कर रहे थे उनका अभिनन्दन किया। ८, ९, १० जुलाई को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठकें नागपुर में हुईं उनमें भी इस लड़ाई का समर्थन किया गया। जमनालालजी की गिरफ्तारी के बाद लड़ाई का नेतृत्व सरदार वल्लभभाई पटेल के सुपुर्दं किया गया। वह घोषणा की गई कि १८ जुलाई के दिन सारे हिन्दुस्तान भर में झण्डा-दिवस मनाया जाय। उस दिन

सारी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों अपने अपने जीवों के प्रमुख शहरों में झण्डे के जुलूस निकालने वाली थी। उनसे यह भी अपेक्षा की गई थी कि वे नागपुर भी कुछ स्वर्यसेवक भेजेंगी। उस समय तक जागभग १००० से अधिक स्वर्यसेवकों ने पहिले ही वहाँ जाकर सत्याग्रह किया था और वे प्रान्त की भिज-भिज जेलों में कष्ट उठा रहे थे।

दूसरी जगहों की भाँति नागपुर में भी १८ जुलाई को झण्डे के जुलूस का बड़ा भारी कार्यक्रम बनाया गया था। जुलूसबन्दी की आज्ञा जागू थी। किर भी पुलिस ने १८ जुलाई के जुलूस में न कोई बाधा ढाली न जुलूस निकालने वालों के विरुद्ध ही कोई कारंवाई की। किसी तरह की हजाजत न लेने पर भी उन्होंने जुलूस निकलने दिया। आम रास्ते पर झण्डा लेकर चलने वाले हजारों द्यक्षियों को गिरफ्तार करने की मूर्खता सरकार में ध्यान के आ गई।

सितम्बर १९२३ में दिल्ली में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ उसमें अपने दिव्य स्वाग के द्वारा राष्ट्रीय झण्डे की शान बनाये रखने वाले स्वर्यसेवकों को बधाई दी गई।

सामाजिक अन्याय

गांधीजी सदैव ही बहुत जोर देकर इस बात का प्रतिपादन करते थे कि सत्याग्रह एक ऐसा शब्द है कि जीवन के किसी भी दोष में तथा भिन्न और शत्रु, अपने और पराये, एक और अनेक द्यक्षि और संस्था सबके विरुद्ध चलाया जा सकता है। जिस प्रकार 'गुरु का बाग सत्याग्रह' सम्पूर्ण जाति के सुधारकों द्वारा अन्याय और हिंसाद के विरुद्ध किये हुए सत्याग्रह का उदाहरण है उसी प्रकार जाति के छोटे-छोटे समूहों के द्वारा उनसे भी ज्यादा छोटे कारणों के लिए किये हुए सत्याग्रहों के उदाहरण भी जूद हैं।

गुजरात के सेवा जिले में घर्मज नामक एक छोटा-सा ग्राम है। वहाँ के नवयुवकों ने इसी प्रकार का एक सत्याग्रह किया। ग्राम के एक

प्रमुख नागरिक ने अपनी माँ की बारहवीं के दिन बहुत बड़ा जातिभोव देने का आयोजन किया। जाति के नवयुवक इस प्राचीन प्रथा के विरुद्ध थे। उन्होंने उसे समझाने-बुझाने का काफी प्रयत्न किया लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। उन्होंने इस बात की सौगान्ध खाई कि वे परोसे हुए अश्व का स्पर्श नहीं करेंगे, उस समारम्भ में भाग नहीं लेंगे, और विरोध रूप में उस दिन उपवास रखेंगे और जाति के बड़े-बड़े इस सम्बन्ध में उन्हें जो कुछ सजा देंगे या तुरा व्यवहार करेंगे उस सबको वे सुशी-नुशी सहन करेंगे।

अतः उस दिन लगभग २८८ विद्यार्थियों पूर्व छोटे-छोटे बालकों ने उपवास किया। बड़े-बड़े खूब नाराज हुए लेकिन अपने सिद्धान्तों के लिये सुशी-नुशी कष्ट सहने को तैयार रहने वाले अपने ही वज्रों के विरुद्ध वे बेचारे क्या करते? उन नवयुवकों को पत्र लिखकर गाँधीजी ने उनकी त्याग करने की तैयारी की प्रशंसा की और उनको प्रोत्साहन देकर आगे लिखा—‘यदि वे इस प्रकार इह रहे तथा शुद्ध, सुन्दर और प्रेरणाय विद्यार का प्रयोग करते रहे तो समाज की सारी कुप्रयाप्त नहीं हो जायगी।’

विचित्र सफलता

बंगाल के मुंशीगंज में कालीदेवी के सामने हरिजनों ने जो सत्याग्रह किया उसमें बड़े ही विचित्र ढग से सफलता मिली। अन्य हिन्दू उपासकों की भाँति मन्दिर में प्रवेश करने की इजाजत प्राप्त करने के लिए उन्होंने १८ महीनों से अधिक सत्याग्रह किया। अन्त में कुछ व्यक्तियों ने उपवास शुरू किया। हतना होने पर भी केवल उच्चवर्य की स्त्रियों से ही यह सहा नहीं राया। उनमें से २०० स्त्रियों ने अपने हाथों में करवत, कुरहाड़ी, हथोड़े आदि लेकर मन्दिर पर आक्रमण कर दिया और रास्ते की रुकावटें हटाकर देवदर्शन के लिए व्याकुल अपने हरिजन बन्धुओं के लिये मन्दिर का मार्ग खोल दिया। इसपर मनुष्य-समाज भी चुप होकर बैठ गया।

जेल में सत्याग्रह

सन् १९२५ के प्रारंभ में एक दिन यरवदा जेल में १६०० कैदियों ने भोजन करने से हन्कार कर दिया, जेल के सुपरिनेंडेन्ट ने कुछ फूल के पौधे और तुलसी के रोप उखाड़ दिये और उनके चबूतरे तथा शंकर गणपति मारुती आदि हिन्दुओं के पवित्र देवों के भी छोटे-छोटे चबूतरों को खोद डाला। हन्हीं काठियों से कैदियों ने असत्याग किया था। जेल के हिन्दू कैदियों में से कितने ही प्रतिदिन स्नान करने के बाद पौधों में पानी ढालते थे और मूर्तियों की पूजा करते थे। उनका नियम था कि वे बिना पूजा किये अच्छ ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन वे पौधे, देवमूर्तियाँ और उनके चबूतरे जब निष्ठुरतापूर्वक उखाड़ फेंके गये तो उनकी भावनाओं को जबरदस्त घका लगा और उन्होंने उपवास शुरू कर दिया। उन्होंने काम करने से हन्कार नहीं किया। केवल अच्छ ग्रहण करने से हन्कार किया।

यूरोपियन सुपरिनेंडेन्ट को हस बात की कल्पना न थी कि हस बात से कैदियों की भावना को दूरना जबरदस्त घका लगेगा। लेकिन दूरना सब करने के बाद और कुछ करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने योद्धे-से ही पौधे और चबूतरे उखाड़वाये थे, लेकिन दूरना बड़ा विचोभ देखकर उसने पीछे हट जाना ही ठीक समझा। उसने कैदियों के नेताओं को आश्वासन दिया कि देवमूर्तियाँ बापस दे दी जायगीं और चबूतरे फिर से बनवा दिये जायंगे। उसके हस आश्वासन पर कैदियों ने २४ घंटे के बाद अपना उपवास छोड़ दिया और जब उनकी मूर्तियाँ उन्हें बापस मिलीं और चबूतरे भी किर से तैयार हो गये तो उन्हें बहुत खुशी हुई।

इस सम्बन्ध में सुपरिनेंडेन्ट का कहना यह था कि वहाँ हस प्रकार के पौधे, चबूतरे और मूर्तियाँ वही संख्या में बढ़ते जा रहे थे। यह बड़ती किसीके भी क्षयाल में नहीं आई थी। इस तरह से दूसरे घर्म के लोग

भी अपनी-अपनी मूर्तियाँ लाकर सब दूर उनकी प्रतिष्ठा कर देंगे और इसका अन्त भी नहीं आयगा। यह बात सत्य है कि लगभग जेल खुलने के समय से ही तुलसी के रूप लगाना तथा चबूतरे बनाकर उन पर मूर्तियों की प्रतिष्ठा करना कुछ अनुचित हँग से हो रहा था। लेकिन सुपरिनेट्वेन्ट का यह भय बिलकुल निराधार था कि मुसलमान, सिक्ख और हंसाहं भी इसी प्रकार की बातें करेंगे।

सुपरिनेट्वेन्ट को यह सब बातें अच्छी नहीं लगीं। वह किसी-न-किसी प्रकार इन मूर्तियों को हटा देना चाहता था। कुछ ससाह इसी प्रकार बीत गये। इसके बाद सुपरिनेट्वेन्ट ने जेल के भिज-भिज विभागों के हवलदारों को यह आज्ञा दी कि वे चौबीस घन्टे के अन्दर जेल के सारे चबूतरे, मूर्तियाँ और पौधे उखाड़ फेंकें। आज्ञा भिजते ही उन्होंने मूर्तियाँ हटाने का काम शुरू कर दिया। इस बीच जो कुछ ससाह का समय गया उसमें कैदियों को पिछली बार जो तात्कालिक विजय मिली थी उससे उनका भावावेश कम नहीं हुआ था। यह बात सुनते ही उन्होंने इसे सारी जेल में फैला दिया और एक ऐसी गम्भीरता और उदासीनता सारी जेल में फैल गई जो इससे पहिले कभी नहीं देखी गई थी। सैकड़ों कैदियों ने इस बात का निश्चय किया कि जब-तक फिर से उनकी मूर्तियों की स्थापना न हो जायगी तबतक वे अब्ज प्रहृण नहीं करेंगे। उन्होंने अपना काम चालू रखा। केवल जेल अधिकारियों से बोलना और अब प्रहृण करना बन्द कर दिया।

लगभग छद्द घंटों तक उपचास चालू रहा। सारी जेल में एक प्रकार की उदासीनता फैल गई थी। जेल के एक भाग में जिसे 'सेपरेट' कहा जाता था जब हवलदार कुदाली लेकर आया और उसने महार कैदियों से चबूतरा खोद डालने के लिये कहा तो वहाँ के एक प्रमुख हिन्दू कैदी ने महार कैदियों को समझाया कि हमारे ही दूसरे हिन्दू भाइयों को जो बात पवित्र लगती है उसे खोद डालना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। इस बात का असर उनके ऊपर हुआ और उन्होंने चबूतरे खोदने से

इन्कार कर दिया। इसपर हवलदार ने स्वर्य ही वह काम करने का निश्चय किया। लेकिन उस कैदी ने उससे भी इसी प्रकार की प्रार्थना की। “अपनी धर्मभावना के विळकुल विशद् काम करने के लिये ही तुमको सरकार से तनलबाह नहीं मिलती है। मान लो कि यदि सुपरिस्टेन्डेन्ट ने कल तुमसे अपने बच्चों को मारने के लिये कहा तो क्या या इस २६) महीने के लिये तुम उसका कहना मान लोगे? यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो भूखों मरना पसन्द करता, भीख मांग लेता या और कुछ करता लेकिन दिन भर उपवास करने वाले और अपने प्राणों को भी छोड़ने के लिए तैयार रहने वाले अपने ही सैकड़ों भाइयों की धर्मभावना को ढेस न पहुँचाता।” ये उद्भारि सुनते ही हवलदार का मन विचलित हो गया। फिर भी कुदाली को एक और रखने के लिए वह तैयार नहीं हुआ। यह देखकर वही कैदी फिर बोला—“यदि मेरी बात तुम्हारी समझ में न आती हो तो यह देखो मैं तुम्हारे और चबूतरे के बीच में खड़ा होता हूँ। तुम अपनी कुदाली की पहिली चोट मेरे सिर पर पढ़ने दो। मेरी जाता यहाँ विलाकर ही तुम इस हीन काम को कर सकोगे।” हवलदार पर इस बात का बहुत असर पड़ा। दस-बारह कैदी यह सब देख रहे थे। अन्त में हवलदार काम छोड़कर चला गया।

तीसरा दिन आया। अपना-अपना काम करने से परिष्करण के कारण बेहोश हो जाने वाले कितने ही कैदियों को दबालने में ले जाया गया। न तो किसीने एक भी शब्द कहा न गुरुगुराहट की और न किसी ब्रकार की शिकायत ही की। निश्चित समय पर उनको भोजन दिया जाता था। लेकिन वे हन्कार कर देते थे। अब रपाग करने वालों की संख्या ११०० और १२०० के बीच में थी। जो कुछ उन्हें कहना होता था वह वे अपने बैरक के नेता के मार्फत ही कहते थे।

उन लेकलने लगा। उसी समय ‘सेपरेट’ के जिस कैदी ने हवलदार का हृदयपरिष्करण किया था उसने सुपरिस्टेन्डेन्ट को एक स्पेशल घर*

लिखकर यह सूचना भेजी कि वह दूसरे कैदियों की सहानुभूति में उपवास कर रहा है। लेकिन यदि वह सब समाप्त करके शान्ति स्थापित करने का मौका मिले तो उससे मुक्त बहुत खुशी होगी। जगभग दस बजे प्रातःकाल सुपरिन्टेन्डेन्ट उस कैदी के पास गया और उसे सारी परिस्थिति समझाने का प्रयत्न किया। सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उसे बताया कि उसने प्रत्येक स्मानागार के पास $2' \times 2'$ के आकार के नये चबूतरे बनाने का दूसरा दे दिया है और उसके ऊपर मूर्ति की प्रतिष्ठा करने या तुलसी के रोप लगाने की कैदियों को स्वतन्त्रता होगी। उस कैदी को अपने साथ ले जाकर सुपरिन्टेन्डेन्ट ने कुछ बताते हुए चबूतरे भी दिखाये और उसमें शूदा कि इस प्रकार की अवस्था हो जाने पर उपवास छोड़ने में क्या कठिनाई है? इसपर उस कैदी ने कहा कि कुछ सप्ताह पूर्व सुपरिन्टेन्डेन्ट ने जो आश्वासन दिया था उसे पीछे से भंग कर दिया। अतः अब उसी अवस्था में उपवास छोड़ा जा सकता है जब कि सुपरिन्टेन्डेन्ट इस प्रकार की लिखित आशा दें कि अब जो नई अवस्था की जा रही है वह कायम रहेगी।

चबूतरे बनाने का काम चालू था। दोपहर के समय जगभग २ बजे लिखित आशा भी सुना दी गई। हम्पेक्टर जनरल ऑफ ग्रिजन्स अहमदाबाद गया था। वह जैदी ही वहाँ से जौटा और जगभग ४ बजे सायंकाल जैल में आया। कैदियों से वह कहा गया था कि उबतक चबूतरे तैयार नहीं हो जाते और उनपर मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं होती तथा छूल, घूप, केले, नारियल आदि से सौंगोपांग पूजा न हो तबतक वे उपवास न छोड़े। अतः जब आँ० जी० पी० ने कैदियों से पूजा दो उन्होंने पहरे बाहर उसे दे दिया।

मन्त्र में कैदियों की इच्छानुसार सब बातें हो गईं। जो कैदी नियमित रूप से पूजा करते थे उन्होंने दूसरे दिन सुबह स्नान करके अक्षमय ११ बजे सर्वैष की तरह पूजा की। ग्राम: सभी जगह के चबूतरे तैयार हो गये थे और मूर्ति तथा पौधे किर से लगा दिये गये

ये । प्रायोग्यप्रतिष्ठा कराने के लिये बाहर से आमन्य तुलादार गया था । कैदियों को आधे दिन की छुट्टी दी गई । इस प्रकार कैदियों को अपनी शिकायतों में विजय मिली और यह क्षण समाप्त हुआ ।

कुछ दिनों के बाद एक जेलर ने कहा कि मैंने अबतक जितने सत्याग्रह मुने और देखे हैं उनमें यह सब से ज्यादा नियमबद्ध, विलकुल शुद्ध और आदर्श सत्याग्रह था ।

: १६ :

कुछ ऐतिहासिक उदाहरण

श्री रिचर्ड ब्रेग कहते हैं कि—“इतिहासकारों का मुकाबल राजनीति और जड़ाहयों की ओर अधिक रहा है । अत उन्होंने इस दूसरी घटना (अहिंसक प्रतिकार) की तरफ बहुत धोका ध्यान दिया है और उनमें से कई घटनाओं का तो नाम-निशान भी नहीं रहा है ।” इसी सदर्भ से गांधीजी से पूछा गया कि क्या आत्मबद्ध सम्बन्धी कोई ऐतिहासिक उदाहरण है ? इस सम्बन्ध में उन्होंने अपनी ‘हिन्दू स्वराज्य’ नामक पुस्तक के ‘अहिंसक प्रतिकार’ वाले अध्याय में लिखा है कि—“स्थान-स्थान पर उसकी (आत्मवक्ती की) कार्य-प्रवृत्ति का प्रमाण मिलता है । लेकिन यदि इतिहास का अर्थ केवल राजा, महाराजा और उनके काम ही हों तो फिर उस इतिहास में आत्मिक बल का अहिंसक प्रतिकार नहीं मिलेंगे । इतिहास लो वस्तुत प्रेम या आत्मिक शक्ति के अविवत कार्य के मार्ग में आने वाली कठिनतायों का रविस्टर है ।”

किर भी अहिंसक इहिकोष से चारों तरफ देखकर हमें ऐसे उदाहरण इन विकालने का प्रयत्न करना चाहिए जिनके द्वारा इस प्रकार के प्रतिकार की कार्यपद्धति का अध्ययन किया जा सके । कोई यह अहिंसक प्रतिकार सफल हुआ तो नहीं इसका कोई विशेष महत्व

नहीं है। हिसक प्रतिकार भी तो असफल होते हैं। केवल यहाँ नहीं कि असफल होते हैं बल्कि कई बार तो पूरी तरह असफल होते हैं और दोनों पक्षों का विवरण एवं रक्षणात् ही विशेष रहता है। हमें तो हैस बात का अध्ययन करना है कि किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार अहिंसक प्रतिकार का संगठन किया गया और किस प्रकार वह कार्यान्वयित किया गया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि गांधीजी के उद्दय के पूर्व अहिंसक प्रतिकार के शास्त्र और कला की कोई रूपरेखा नहीं बनी थी और तबतक वह किसी योजनाविहीन तन्त्र कथा लात्यिक अधिष्ठान के बिना अध्यवस्थित रूप से प्रचोर में जाया जा रहा था। फिर भी उपर्युक्त बातों में से बहुत-सी बातें उसमें अन्तर्भूत रहती ही थीं। हां, तत्कालीन परिस्थिति में से ही उसका निर्माण हुआ था।

अखण्ड इकत्तरे अहिंसक क्रान्ति की पद्धति का समर्थन करता है क्योंकि उसका यह विश्वास है कि वही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा सचमुच ही हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है। पहिले दिविया आफ्रीका की सन् १९०६ से १९१५ तक की लड़ाई का उल्लेख करके वह कहता है—“हम हमें पूरी तरह सफल कह सकते हैं” इसके बाद हिन्दुस्तान के स्वातन्त्र्य-संग्राम का उल्लेख न करके वह सीधे निम्न-लिखित अहिंसक आनंदोलनों का ज़िक्र करता है जो पूरी तरह अथवा किन्तु अंशों में सफल हुए हैं।

फिनलैंड—१९०३ से लेकर १९०८ तक फिनलैंड के निर्वासियों ने रशियन अधिकारियों के विरुद्ध अहिंसक प्रतिकार किया। वह पूरी तरह सफल हुआ और फिनलैंड के ऊपर जो ज़बरदस्ती कौज में भर्ती होने का कालून लाइ गया था वह डाला लिया गया।

जर्मनी—उसने लिखा है कि जर्मनी में विस्मार्क के विरुद्ध अहिंसक प्रतिकार के दी मोर्चे सफल हुए—केयलिकों का बुल्टाकाम्फ (संस्कृत-जा का युद्ध) और मङ्गदूरों का मोर्चा जो सन् १९०१ के

चाह की सोशल एमोकेटिक पार्टी को मान्यता प्राप्त करावे के लिए जाहा गया था।

हंसलैड—उसने एक उदाहरण देकर बताया है कि किस प्रकार ब्रिटिश मज़बूरों ने अहिंसक असहयोग की घटनाकी देकर हंसलैड और रूस के युद्ध को टाला दिया था। यह घटना सन् १८२० की है। ६ अगस्त १८२० के दिन जिस कौमिल आफ ऐक्षण का निर्माण मुआ उसने सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार रूस पर आक्रमण करने के लिए पोलैश में ब्रिटिश सेनाएँ भेजने की बोलना कार्यान्वित करने का आग्रह करेगी तो आम हड़ताल कर दी जायगी। मज़बूर लोग सेना या शास्त्रात्मकों को आना-जो जाना बन्द कर देंगे और उस युद्ध का ज़बरदस्त अहिंसकार किया जायगा। मज़बूरों की ओर से यह अन्तिम सूचना पाकर जायड जार्ज के मन्त्रीमण्डल ने रूस पर आक्रमण करने का इरादा छोड़ दिया। अल्फ्रेड हस्सले हारा उस्तेसित उदाहरणों के अलावा कुछ अन्य उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

हंगेरी—सम्पूर्ण राष्ट्र के हारा सामूहिक रूप से अहिंसक प्रतिकार करने का उदाहरण १२ वीं शताब्दी के मध्य में हंगेरी में मिलता है। इस लक्ष्य के दो भाग किये जा सकते हैं। पहिला भाग सन् १८३६ से १८४८ तक का और दूसरा भाग सन् १८४८ से १८६७ तक का।

सन् १७२० में या उसके आसपास आस्ट्रिया और हंगेरी ने अपने संयुक्त प्रयत्न के हारा दूसरों के अधिकार से अपने प्रदेश मुक्त करवा दिये। उन्होंने स्वतन्त्र एवं समान दर्जे के राष्ट्र के रूप में एक ही राज-सत्ता के आधीन एकसाथ मिलाजुल कर रहने का निर्णय किया। विएना में राजदरबार भरने लगा और हंगेरियन सरदारों की राष्ट्रीय भावना धीरे-धीरे कमज़ोर की गई। केविन कुछ निषादान् एवं कहर लोगों के मन में यह भावना समाई रही कि हंगेरी एक राष्ट्र है। सन् १८२८ के आसपास जब आस्ट्रिया के राजा ने हंगेरी के लोगों को सेना में भर्ती होने की आज्ञा दी तो उन्होंने भर्ती होने से इन्कार कर

दिया। उन्होंने कहा कि हंगेरी की पार्लियामेन्ट को ही सैनिक भर्ती करने का अधिकार है। पाव वर्षों के फ़गड़े के बाद सन् १८४३ में हंगेरी की पार्लियामेन्ट खुलाई गई और उसके पहिले अधिवेशन में ही हंगेरियन भाषा में भाषण देकर कौट फेचेनी ने सब लोगों को आश्रय दिया। इससे छुछ लोगों को बड़ा खड़ा लगा। इसके बाद 'हम असहाय हैं, अत हमको आस्ट्रिया के सामने मुकरे रहना चाहिए' इस प्रकार की शिक्षा देने वाले नरमदली लोगों को सम्बोधित करते हुए कौन्सिल डीक नामक एक आदर्शवादी और कमेंट नेता ने कहा— "तुम्हारे कानून पैरों तक कुचले जा रहे हैं फिर भी तुम्हारे मुँह में ताले पढ़े हुए हैं। अपने अधिकारों पर हमला होते हुए देखकर भी जो राष्ट्र उसका मुकाबला नहीं करता उसे धिकार है। इस प्रकार की मन्त्रमुग्धता से तो हम अपनी गुलामी की जंजीर मज़बूत ही कर रहे हैं। जो राष्ट्र अन्याय और जुहम को चुपचाप सहन कर रहा है उसका विनाश निश्चित है।"

उस समय तक फ़गड़ा चलता रहा जबतक कि सन् १८४८ में हंगेरी में जलता के प्रति उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं हो गई। इस नई सरकार में डीक स्वयं न्याय विभाग का मन्त्री बना। लेकिन यह विजय ज्यादा दिनों तक नहीं ठिकी। हंगेरी को अपने कुछ जैसे में कर लेने के विचार आस्ट्रिया के दिमाग में लगातार घूमते ही रहते थे। उचित मौका मिलते ही आस्ट्रिया की सेना ने हंगेरी के प्रदेश को घेर लिया। हंगेरी के विधान को छता बता दी गई। पार्लियामेन्ट कुछ दी गई। राष्ट्रीय संस्थाएँ तोड़ डाली गईं। हंगेरियन भाषा का गला छोट दिया गया। कौन्सिल कौन्सिलस (स्थानीय संस्था) उठा दी गई और सैनिक इह से देश का विभाजन करके उसे आस्ट्रिया के हाथ में सौंप दिया गया। छुछ समय तक कहाँ भी आशा का कोई चिह्न खिलाई नहीं दिया।

यूरोप के राजनीतिज्ञों ने कहा कि हंगेरी मर गया है। लेकिन

अपनी 'रीसेटराम आफ हंगेरी' नामक गुलक में आयर अिकियस ने लिखा है—“झाँसिस ढीक आज भी जीवित है और उसके जीवन में ही हंगेरी का जीवन समाया हुआ है।”

बब हंगेरी के स्वातन्त्र्य युद्ध का दूसरा दौर शुरू हुआ। अपने को राजनैतिक कार्य करने में असमर्थ देखकर ढीक ने लिखा और 'उच्चोग-घन्तों की राहीय योजनाएँ बढ़े जोर-जोर के साथ प्रस्तुत कीं। सन् १८८७ तक हंगेरी की प्रगति विष्णु दरबार के लिए भय का विषय हो गई। आस्ट्रिया के राजा ने हंगेरी को मनाने के भिन्न-भिन्न उपाय किये। जूस, अधिकार, घमकी सब कुछ देकर देख लिया; लेकिन ढीक अविचल रहा। ढीक ने लोगों को आदेश दिया कि जबतक हंगेरी की पार्लियमेन्ट स्वतन्त्र सरकार के रूप में मन्त्रूर न कर दी जाय तबतक आस्ट्रिया के हारा शुरू किये हुए किसी भी काम में सहयोग न दिया जाय। जब आस्ट्रिया के राजा ने हंगेरी का दौरा किया तो उसका बहिकार किया गया। इसी तरह आस्ट्रियन माल का भी बहिकार किया गया।

ढीक ने लोगों को जो उपदेश दिया उनके मुख्य सूत्र इस प्रकार थे—“किसी भी प्रकार के हिंसाकारण के प्रबोधन में भत फँसो और न कानून की मर्दादा ही छोड़ो। यही एक सुरक्षित रास्ता है जिसके द्वारा हम निःशब्द होने पर भी सरकार शक्तियों के विरुद्ध ठिक सकते हैं। यदि मुसीबतें उठानी पड़ें तो वे जैर्य के साथ उठाओ। उसने लोकणा की—‘हिंसा के अतिरिक्त सब तरीकों से प्रतिकार करो।’

हंगेरी की जनता ने आस्ट्रिया के लोगों को कर देने से साफ इन्कार कर दिया। आस्ट्रियन अधिकारियों ने धन-सम्पत्ति पर कब्जा कर दिया लेकिन उसे खरीदने-बेचने के लिये कोई भी हंगेरियम तैयार नहीं हुआ। सरकार ने अनुभव किया कि कर लगाने की अपेक्षा माल जबत करने में अधिक लार्या होता है। बाद में कुछ दिनों तक आस्ट्रिया के सैनिकों को हंगेरी के घरों में रेखने की व्यवस्था की गई। लोगों ने शारीरिक

प्रतिकार भर्ही किया लेकिन असहयोग की जीति अपना थी। जब जनता ने किसी भी प्रकार की मदद करने से शान्तिपूर्वक हन्कार कर दिया तो आस्ट्रियन सैनिकों की स्थिति असदा हो गई। सरकार ने आस्ट्रियन माल का अहिंसकर गैरकानूनी करार दे दिया। लेकिन हंगेरियन पीछे नहीं हटे। सारी जेबें भर गए। आस्ट्रिया की पार्लियामेंट में एक भी प्रतिनिधि भेजने से हंगेरी ने इन्कार कर दिया। कौन्टी कौन्सिल्स ने भी आस्ट्रिया की देखरेख में काम करने से इन्कार कर दिया। इसपर फ्रान्सिस जोपफ ने समझौते के लिए प्रयत्न किया। कैदियों को मुक्त कर दिया गया और थोड़ा-बहुत स्वायत्त शासन दिया गया। लेकिन हंगेरियनों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनको सम्पूर्ण अधिकार मिलने चाहिए। राजा ने गुस्से में आकर जबरदस्ती सैनिक भर्ती करने की आज्ञा निकाली। लेकिन नता ने इस आज्ञा को मानने से इन्कार कर दिया।

अन्त में आस्ट्रिया को झुकना पड़ा। ता० १८-२-१८६७ को हंगेरी को शासन-विधान के सम्पूर्ण अधिकार मिल गये।

इंग्लैण्ड की आम हड़ताल

कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों की मांगों का समर्थन करने के लिए मर्हे सन् १८२६ में ब्रेटिशेन में जो महान् आम हड़ताल हुई वह यथापि सदोष नेतृत्व एवं अनुग्रह कर्ते कारणों से असफल हुई तथापि हम उसको सामूहिक अहिंसक प्रतिकार का एक अच्छा उदाहरण कह सकते हैं। यथापि सरकार ने हिंसा को भवकाने का प्रयत्न किया तथापि साधारण हड़ताली मजदूरों ने हड़ताल के लगभग ६ दिनों तक पूरी तरह अपने भाषण और कार्य में अहिंसा और अनु-शासन का पालन किया और उन्होंने हत्ती खिडाई तृती, हत्ती एक-निष्ठा, सुसंगठन और दृढ़ता का परिचय दिया कि आमर्य होता था। हड़ताल में लगभग ३० हजार मजदूर शामिल हुए थे। सन् १८२५ के

खुलाई भास में ही ब्रिटेन की द्वेष यूनियन कॉम्पोस ने हडताल को मान्यता दी थी। लेबर कॉम्पोस की जनरल कॉमिश्न को हडताल के सब अधिकार सौंप दिये गये थे। लेकिन यह कहा जा सकता है कि हडताल से उत्पत्त होने वाली स्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी नहीं की गई थी। कौन्सिल तो उल्टे हडताल को टालने की ही कोशिश कर रही थी। नेताओं की यह छृष्टि ही अन्त में हडताल की असफलता का कारण बनी।

दूसरी और सरकार पूरी तरह तैयार थी और उसने शुरू से ही यह पुकार मचाई थी कि हडताल के मूल में कोई आर्थिक कारण नहीं है बलिक वह तो ब्रिटेन के शासन-विधान और सरकार को उल्लंघन को एक क्रान्तिकारी प्रयत्न है। सरकार ने रेलगाड़ी तथा यातायात के अन्य साधन चलाने के लिए भव्यम वर्ग के बहुत-से लोग इकट्ठे कर लिये। वस्तुतः यह आरोप बिलकुल ग़ालत था कि हडताल क्रान्ति का एक प्रयत्न था।

हडताल के तीसरे दिन सर जान सायमन ने हाउस आफ कॉमन्स में भावण देते हुए यह घोषित किया कि यह आम हडताल गैरकानूनी है और हडताल में भाग लेने वाले मजदूर संघों के रूपये-पैसे जाह हो सकते हैं। प्रत्येक हडताली मजदूर ने नौकरी के बायदे को भंग किया है, अतः उससे हराना भी वसूल किया जा सकता है। पांच दिनों के बाद न्यायाधीश ऑशवरी ने जो फैसला दिया उसमें उन्होंने सर सायमन के मत को ग्रहण किया था।

इस हडताल में पूर्व तैयारी, परस्पर सहयोग और केन्द्रीयकरण का अभाव था। इसके अलावा पूर्वोक्त फैसले का भी असर मजदूरों के मन पर पड़ा था। इससे जनरल कौन्सिल का मुँह सूख गया। दूसरे दिन जिनके समर्थन से हडताल शुरू हुई थी उन खानों के मजदूरों तथा अन्य हडताली मजदूरों से विचार-विनियम किये जिन्होंने हडताल कौपिल ने प्रधान मन्त्री से मुकाबल करके जिना शर्त आम समर्पण

कर दिया और हड्डाल वापस ले जी। एकाएक किये हुए इस विश्वासघात से मजदूर चक्कर में पड़ गये। उनके सुनके हूट गये और वे प्रशुब्द भी हुए। इसके बाद तो कहाँ मजदूर जूहम के शिकार हुए और मजदूर संघ भी अपनी प्रतिष्ठा, कानूनी अधिकार और खासकर आत्मसम्मान लो बैठे।

अपनी 'दी पावर आफ नान झायलेस' नामक पुस्तक में श्री श्रेग ने हड्डाल की असफलता का नीचे लिखे अनुसार विवेचन किया है—
 “साधारण मजदूरों की दृष्टि से देखें तो यथापि यह आम हड्डाल लगभग पूरी तरह अहिंसक थी तथापि नेताओं का इवहार वास्तविक अर्थ में अहिंसक नहीं था। वे न तो एकदिल ही थे न उनका निश्चय ही पक्षा था। अधिकारों में या तो वे व्यक्तिगत सुखों का स्वाग करने के लिए तैयार नहीं थे या हड्डाल करने के अधिकार के लिए जेल जाने को तैयार नहीं थे। मजदूर संघों ने समाजार पत्रों के प्रकाशन को चालू रखने की मांग ठुकरा दी। इससे सत्य के प्रचार के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा अटक गया और हड्डाल के विरोधी जो कुछ कहते अथवा साधारण जनता उसके प्रति जो आदर व्यक्त करती वह सब रुक गया। इसी प्रकार साधारण मजदूर भी मानो अन्धेरे में ही रख दिये गये। इससे मजदूरों के लिए मध्यम वर्ग का संगठित समर्थन भी प्राप्त नहीं किया जा सका। स्थान के मजदूरों के एक नेता ने अपने एक भाषण में गलतब तों कहीं और कुछ समयोचित घटनाओं की जानकारी देने का प्रयत्न किया। उनके भाषणों से यह दिखाई देता था कि उनकी अन्तःप्रवृत्ति प्रचोभ, तिरस्कार व शृणा से भर गई थी। जनरल कॉन्सिल के वक़फ़य में भी असीर-असीर में कुछ बातें छिपा ली गई थीं। जनरल कॉन्सिल ने हृदय से प्रतिकार नहीं किया। उसमें सो अनिष्टा से की हुई एक दम-दिलासा थी। सच्चे अहिंसक प्रतिकार की सार वस्तु उसमें नहीं थी।”

यदि यह उपर्युक्त विवेचन ठीक है तो यह इसका सब से अच्छा

स्पष्टीकरण है कि अहिंसक प्रतिकार निश्चित रूप से कैसा होना आहिए और कैसा नहीं। कोई व्यक्ति यह कहेगा कि यदि सबी अहिंसा का पालन किया गया होता और हड़ताल सफल होती तो कितना अच्छा होता। इससे उन्हें अहिंसक गति शास्त्र का स्पष्ट रूप से दर्शन हो जाता।

पेक्ष की खानों के मजदूरों की हड़ताल

१९२६ की हंगमैयड की आम हड़ताल अहिंसक प्रतिकार में—खासकर नेताओं में मूलभूत कमियाँ रह जाने के कारण असफल हुई थेकिन हंगेरी में पेक्ष की हड़ताल ने तथा उसे अन्त में जो सफलता मिली उसने एक बात सिद्ध कर दी कि यदि कुछ इने—गिने इनिशियटी लोग सही स्थिति प्राप्त कर लें और अन्त तक उसपर ढटे रहें तो जो चाहें वही करके दिखा सकते हैं।

हड़ताल का सीधा-सा कारण था आर्थिक। सन् १९३४ में पेक्ष के १२०० मजदूरों ने अपनी मांग ज्यादा काम और एक सहाह के १५ शिलिंग बेतन के लिये हड़ताल कर दी। मन्दी के कारण उनको सहाह में केवल तीन दिन काम मिलता था। मजदूरी किलकुल अपर्याप्त होती थी। उसमें भी उनकी तनक्की में से आठ प्रतिशत काट लिया जाता था।

जब मजदूर लोग खानों में ये तभी हड़ताल की घोषणा कर दी गई। वे वहीं बैठ गये और जबतक उनकी मांग मंजूर न हो तबतक ऊपर आने से हन्कार कर दिया। दो दिन के बाद उनमें से ४४ व्यक्तियों की हालत खराब हो जाने से उनको ऊपर लाना पड़ा। भूख-प्यास और थकावट से वे बेहाल हो गये थे। उनमें से कुछ लोग तो बेहोश हो गये थे। कितने ही बचपन सरकार ने यह जाहिर किया कि पेक्ष के आसपास के बेत्र में खतरा पैदा हो गया है और वहां सेवाएँ लैवात कर दीं।

खान के मजदूरों से जो समझौते की बातचीत हुई उससे कोई नक्तीजा नहीं निकला।

खान के अम्बदर से मजदूरों ने सदेशा भेज दिया कि “जबतक आप हमारी सारी माँगें अभी भंजूर करने का वचन नहीं देते तबतक आते बातचीत करना व्यर्थ है। ऊपर आकर भूखों मरने के बाबाय हम यहाँ दम छुटकर मर जाना पसन्द करते हैं। हम हंगेरियन हैं और हमें आशा है कि खान के गर्त में से और हमारे पीछित हृदय में से जो कहण चीखकार उठ रही है वह हमारे देशवासियों तक अवश्य पहुँचेगी। जब हम युद्ध के सैनिक ये तब हमें सरदार्या प्राप्त था। आज हम उत्पादन के सैनिक हैं अतः हमारा दावा है कि हमें अब भी उसी प्रकार का सरदार्या मिलना चाहिए।” इसके बाद उन्होंने ३४५ शब्द-पेटियाँ भेजने की प्रार्थना की और सन्देशा दिया कि हमने मृत्यु को अपना लेने का निश्चय कर लिया है। हमारी याद भुजा दीजिये। बाल-बच्चों को हमारा अन्तिम आशीर्वाद।

तीसरे दिन खानों के मालिकों ने दूसरे ३००० मजदूरों के लिए तालिकन्दी कर दी। इससे खान विभाग के ४०००० लोगों में और कहुला फैल गई। शहरों पर सेना की गश्त शुरू हो गई। हड़ताल से सहानुभूति रखने वाले और ये सब बातें अपने सामने देखने वाले दो व्यक्ति समझौते का प्रयत्न करने के लिए मजदूरों के पास गये। सोशल डेमोक्रेटिक इका का पार्लियामेन्ट का सदस्य चालसंपेअर कहता है—“मैंने कहं उम हड़तालें देखी हैं लेकिन पेक्स की हड़ताल में मैंने जितना जबरदस्त रुद्ध निश्चय देखा है उसका मुकाबला किसीसे भी नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार हंगेरियन पार्लियामेन्ट के डेमोक्रेटिक-सोशलिस्ट सदस्य जनरल जेमास इस्टर जेलोस ने खानों के गर्भ में ऐसे मजदूरों को देखा जिनको उनके मित्रों ने इसलिए खम्भों से बाँध दिया था कि कहाँ वे आधमहस्या न कर सें। वहाँ उसे भूख, घकाघट, सामूहिक उम्माद साकार रूप में दिखाई दिये। उसने इस घटना का—‘मेरे

जीवन का एक भयंकर दर्शन कहकर बच्चे न किया है। वह आगे कहता है—काफी थककर उस जबरदस्त गर्भ में खान के गर्भ की उस मैली जमीन पर कोयलों के ढेलों का लकिया बनाकर वे लोग इधर-उधर पढ़े हुए हैं।

चार दिनों के बाद समझौता करने के लिए उनको लैबार किया गया। सरकारी रेलों ने कम्पनी से ज्यादा कोयला खरीदना स्वीकार कर लिया। सरकार ने यह जाहिर किया कि वह वेतन काटने के बारे में जाँच करेगी। कम्पनी ने बायदा किया कि वह किंडी भी मजदूर को हड़ताल करने के लिए परेशान नहीं करेगी और उसने थोड़ा-सा बोगस् भी दिया।

लेकिन जब हड़तालियों की हालत सुधरी तब उनके समाधान का कोई कारण नहीं दिखाई है दिया। उनका कहना था कि जब उन्होंने शर्तें मजूर कीं तब उनका मन अत्यन्त दुर्बल हो गया था और वे अच्छी तरह नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। चार दिनों तक खानों में रहने के कारण वे हृतने थक गये थे कि उनका अपने विमाग पर कोई कावू नहीं रहा था।

साढ़े तीन महीनों के बाद पेक्स के ६६८ खान के मजदूरों ने उस फीसदी मजदूरी बढ़ाने के लिए फिर हड़ताल कर दी। ताकेबान्दी और सेनाओं का ग्रदर्शन तो सदा की भाँति हुआ ही; परन्तु २६ घंटों में ही व्यवस्थापकों ने उनकी माँग मंजूर कर ली और हड़ताल करने के लिये मजदूरों को कोई तकलीफ न देना भी मंजूर कर लिया।

इस हड़ताल के बारे में श्री ग्रेग ने अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त किये हैं—“हड़ताल के कुछ काम और उसके कुछ मजदूरों की अन्तःप्रवृत्ति यथापि हिस्त की फिर भी उनकी तीव्र निराकाश, कहसहन, पैदलयता और सहनशीलता, अल्पाय के सम्बन्ध में स्पष्टता वे सब बातें इतनी विचित्र थीं कि संसार की जापरवाही और अज्ञान पृष्ठदर्श नह

हो गया। दूसरी इच्छाल में मालिकों को मजदूरों की सब भाँगें मंजूर करनी पड़ी।

दुखोबार

दुखोबार काकेशास के किसानों की एक ईसाई जाति थी। दुखोबार का ठीक अर्थ है—आत्मबल के द्वारा जाहाई करने वाले। अपने पीटरहौरे-जियन नामक नेता को वे देवता की तरह मानते थे। उसके कहने पर सन् १८४६ में उन्होंने सेना में भर्ती होने से इन्कार कर दिया। कोम्लक सेना का उनपर हमला हुआ और उनको निर्दयता के साथ मारा। सन् १८५६ के आगस्त मास में कैदियों की टुकड़ी में उस मारपीट के परिणामस्वरूप भर जाने के कारण एक आदमी का बलिदान हो गया। इसके बाद तो सैकड़ों लोगों को ऐसी जगह देश-मिकाला दिया जहाँ की जलवायु खराब थी और सर्दी पड़ती थी और न काम मिलता था न खाना। इससे अन्त को वे मौत के शिकार हो गये।

इस सत्यव्रत और परिषद्मी किसान-जाति को बाद में बहुत परेशान किया गया और सेना में भर्ती होने से इन्कार करने के अपराध में मुकदमे चलाये गये।

सन् १८५६ के दिसम्बर मास में उनका^१ समर्थन करते हुए विरुद्धकोङ्क, टेपु बोङ्क और चट्टकोङ्क ने 'धावा' नाम का एक पत्र प्रकाशित करवाया। टाल्सटाय ने भी इसका समर्थन किया। इसपर पहिले दो को तो निर्वासित कर दिया गया और तीसरे को देशस्थान करने की आज्ञा दी गई।

सन् १८५८ के आस-पास दुखोबारों को देश छोड़ने की इच्छाल मिल गई और १ अक्टूबर १८५८ के दिन खिलकोङ्क व आयरमोड उनके पहिले दो कुदुम्बों को कलापा ले गये। सेना में भर्ती होने का उन्होंने जो विरोध किया उसे वहाँ स्वीकार कर लिया गया और वे

शास्त्रिय नागरिक माने जाने लगे। रथिया से कानडा जाने के लिए
४३६३ दुखोवारों को सुविधाएँ प्रदान की गईं।

उच्ची आपनी कुछ भारिक अन्वय अदाएँ थीं। अतः वे कानडा के
जिवासियों के साथ जुलमिल न सके। वे किसी भी प्रकार के सरकारी
नियन्त्रण को आपडा नहीं समझते थे। अतः उन्होंने जन्म-सूत्र दर्ज
करवाने से भी इनकार कर दिया।

अच्छे कारीगर किसान और बागबाब के रूप में उन्होंने काफी
रुपाति प्राप्त की। हेरीजिय भी उनके साथ कानडा का बाधिन्दा
हो गया।

कारबार का अहिंसक प्रतिकार

बिटिश आक्रमण के प्रारम्भिक काल में कारबार जिले के जिवासियों
में बिटिश लोगों का मुकाबला जिस प्रकार किया वह भीषे बताया
जा रहा है।

आज कर्नाटक प्रान्त में उत्तर कानडा और दक्षिण कानडा नामक
दो जिले हैं जेकिन सन् १८६१ के पहिले इन दोनों को मिलाकर एक
ही जिला था और वह मद्रास इलाके के अन्तर्गत था। सन् १८६२ में
उसके दो हिस्से करके उत्तर कानडा यो बनाई इलाके में मिला, दिला
गया और दक्षिण कानडा मद्रास इलाके में। बिटिश प्रभुत्व के पहिले,
कानडा मैसूर राज्य में था। सन् १८६६ में मैसूर की ज़दाई में अंग्रेजों
ने टीपू सुलतान को हराकर उसके सारे राज्य पर कब्जा कर लिया,
और उसी समय सर टामस सुनरो ने कानडा जिले पर अधिकार जमाया।

कानडा के लोगों ने वये शासकों के सम्मने सहज ही में सिर नहीं
मुक़या। टामस सुनरो के जिले में प्रवेश करते ही लोगों ने उसका
कड़ा अहिंसक प्रतिकार किया। सर टामस सुनरो ने जो पत्र लिखा
उससे इसकी पूरी कल्पना हो जाती है।

एर्पे असहयोग, राजनीतिक पूर्व सामाजिक बहिकार तथा

आवश्यकता पड़ने पर गाँव-के-गाँव छोड़कर चले जाने का रास्ता ही उन्होंने अपनाया था । सर मुनरो चाहता था कि जोग विठ्ठा शासन को स्वीकार करें और इसके लिए उसने नवे बन्दोबस्त का प्रखोभन दिया; लेकिन जमीन के मालिकों ने जमीन का पुराना हिसाब दिखाने से साक इन्कार कर दिया । कहा जाता है कि मौका आने पर वे बहुतेहे कागज भी जला देते थे । तब सर मुनरो ने मनमाने और जालिमाना ठंग से जमीन के हिस्से करना शुरू किया । जमीदार और किसान के विरोधी हितों से जाभ उठाकर उसने उनमें फूट डाल दी । इस प्रकार कुछ बर्षों तक बद्यन्त्र और जबरदस्ती के बल से वह अपना अधिकार बमाये रहा ।

सर मुनरो के पक्ष के निम्नलिखित उद्धरण से अपने आप इस बात पर प्रकाश पड़ता है ।

२० दिसम्बर १९११ को हलदीपुर (उत्तरी कानपुर) से लिखे हुए सर टामस मुनरो के पक्ष का उद्धरण —

“यहां की रेयत उच्छृङ्खल और सिरजोर है ज्योही उनको मेरा हरादा मालूम हुआ उन्होंने मुझे चक्कर में ढाकने की कार्रवाई शुरू की उन्होंने कच्चहरियों में आने से इन्कार कर दिया मैंने जिन अधिकारियों को भेजा उनको आग और पानी तक नहीं दिया और, उनको करीब-करीब भूखों मरना पहा । मैं किसी गाँव में जाता तो जोग दूसरे गाँव चले जाते । इससे कितने ही सप्ताहों तक मैं जिस जिले में गया वहां मुझे एक भी आदमी नहीं मिला यदि क्राम्सीसियों की भाँति बगावत किये जिना अथवा अपने अधिकारों की समर्द्दि भेजे जिना वे कच्चहरी में आकर विभिन्न ग्रामों की फसल और जमीन के सम्बन्ध में चर्चा करते हो आज की अपेक्षा अधिक सही जगत बैठा होता और मुझे वसूल करने में तथा उनको जमा करने में काफी सुविधा होती मालिक वे दबंग और मजबूत हैं । और

उनको बीच के दबालों के ऊपर अवधारित रखने के तुम्हारे प्रयत्न के दुकरा देंगे ।”

२६ अगस्त सन् १८०० को कुन्दापुर [दण्डिण कानडा] से सर मुमरो ने जो पत्र लिखा उसका उद्दरण—

“कारबार का सत्ताधीश बनने के बजाय मैं अच्छी जलवायु के प्रदेश में एक साधारण सिपाही की तमझवाह में दिन गुजारना ज्यादा पसन्द करूँगा ।”

: २० :

रौलट एक्ट सत्याग्रह

आगे के अध्यायों में उन सत्याग्रह आन्दोलनों का संलिङ्ग वृत्तान्त दिया जा रहा है जो गांधीजी ने राष्ट्रव्यापी ऐमाने पर शुरू किये थे। ये सभी आन्दोलन वहे महस्त के हैं अतः प्रथेक आन्दोलन का वर्णन स्वतन्त्र अध्यायों में किया जा रहा है। अप्रैल सन् १९११ का रौलट एक्ट सत्याग्रह इनमें सबसे पहिला है।

चंपारन (१९१७) और खेड़ा (१९१८) के छोटे-छोटे सत्याग्रह के बाद जब ३-६-१६ को रौलट विजय पर कानून की मुहर लग गई तो गांधीजी को राष्ट्रव्यापी आन्दोलन करने का मौका अचानक मिल गया।

पहिले महायुद्ध का अन्त नवम्बर सन् १९१८ में हुआ और विजय की माला मिश्राद्वारों के गले में पड़ी। विजय प्राप्ति के युद्ध में हीला-हवाला न करते हुए हिन्दुस्तान ने अपना पाठ अच्छी तरह अदा किया था। उसने स्वेच्छापूर्वक अपना रक्त बहाया था और तिजोरियां खाली कर दी थीं। स्वभावतः ही हिन्दुस्तान को यह आशा थी कि यदि पूर्ण स्वराज्य नहीं तो कम-से-कम स्वराज्य का अधिकांश भाग थो-

उसे लिखेगा ही। लेकिन भूखे हिन्दुओंनियों के मुँह पर राजनीतिक अधिकारों का छोटा-सा टुकड़ा फेंकने के पहिले ही उनके नागरिक अधिकारों को कुचल देने वाला रौलट एक्ट पास कर दिया गया। सरकार ने राजद्रोह का नाम-निशान तक मिटा देना तय किया और इस कानून के द्वारा भारत रक्षा कानून अधिका आर्डिनेन्सों के समान सरकारी जांच करने के अधिकार सरकार ने इस कानून के द्वारा अपने हाथ में ले लिये।

हिन्दुस्तान के क्रान्तिकारी अपराध और राजद्रोह-सम्बन्धी रौलट रिपोर्ट १६-१-१६१६ को प्रकाशित की गई। ६-२-१६ को बही धारासभा में रौलट बिल पेश किया गया। गांधीजी ने २४-२-१६१६ को यह घोषित किया कि यदि यह बिल कानून बन गया तो मैं इसके विरुद्ध सत्याग्रह आनंदोलन शुरू करूँगा। बिल नं० २ तो रोक दिया गया था लेकिन बिल नं० १ जिसका नाम 'क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट' था ३ मार्च को पास हो गया। जिन दिनों धारासभाओं में इस बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी उन्हीं दिनों गांधीजी ने देश भर का दौरा किया और उस कानून के खिलाफ वक्तव्य दिये। दक्षिण भारत में तो उन्हें बहुत उत्साह दिखाई दिया। १८ मार्च १६१६ को उन्होंने सत्याग्रह के लिए एक प्रतिज्ञापत्र प्रकाशित करवाया। यह सब अभी नई स्थापित की हुई सत्याग्रह समिति के नाम से ही किया गया। मद्रास से यह सूचना भेजी गई कि ३० मार्च सत्याग्रह के पहिले दिन के रूप में मनाया जाय। लेकिन बाद में इसे बदलकर ६ अप्रैल कर दिया गया। यह नई सूचना दिल्ली तथा अन्य कुछ स्थानों पर न पहुँच सकी और वहाँ ३० मार्च को ही सत्याग्रह दिवस मनाया गया।

प्रतिज्ञापत्र में रौलट एक्ट का वर्णन “अन्यायपूर्ण तथा न्याय और स्वाधीनता के सिद्धान्तों के लिए धातक और व्यक्ति के उन मौखिक अधिकारों को हानि पहुँचाने वाला जिनपर भारत और स्वयं राजकी रक्षा अवलम्बित है” कहकर किया गया था।

२८ फरवरी १९१६ को जो चोबणापत्र प्रकाशित किया गया उसमें गांधीजी कहते हैं—“आज हम जो कदम डाल रहे हैं वह हिन्दुस्तान के इतिहास में सबसे उयादा महत्वपूर्ण गिना जायगा। ज्यादा-से-ज्यादा कष्टसहन करने का निश्चय करके तथा सरकार के प्रति किसी भी प्रकार की द्वेषभावना मन में न आने देते हुए प्रतिज्ञाकद सत्याग्रही सरकार से अनितम प्रार्थना करता है। अपनी शिकायतों को दूर करवाने के साधन के रूप में जो हिसाकी कियाशीलता में अद्वा रखते हैं उन्हें सत्याग्रह प्रक अमोब उपाय बताता है। इसके अलावा जो इस उपाय को अपनाता है और जिसके विरुद्ध इसे अपनाया जाता है उन दोनों के ही लिए यह कल्पायकारी है। यह अन्याय अत्यन्त भयक्षर है और इसे मिटाने के सारे सोम्य उपाय असफल सिद्ध हो गये हैं। सत्याग्रही इस बात का निश्चय पहिले ही कर लेता है।”

सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में सत्याग्रह दिवस किस प्रकार मनाया जाय दूसरे सम्बन्ध में गांधीजी ने अपने २३ मार्च के वक्तव्य में कहा—“सत्याग्रह स्वास्कर प्रक धार्मिक आनंदोलन है। वह तपस्या और आत्मशुद्धि का ही एक मार्ग है। सत्याग्रह कष्टसहन के द्वारा अन्याय को मिटाने का सुधार करने का प्रयत्न करता है। ६ अप्रैल का दिन हमारे अपमान और उसके निवारण के लिए प्रार्थना दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। (उस समय तक बाहसराय इस प्रकट पर अपनी स्वीकृति दे जुके होंगे)।” सत्याग्रह दिवस के लिए उन्होंने निम्नलिखित कार्यक्रम सुझाया—

(१) चौबीस घण्टों का उपवास किया जाय। लेकिन वह भूल हड्डताल की तरह सरकार पर दबाव ढाकने के लिए न हो। चलिक सविनय कानून भग के लिए एक योग्य सत्याग्रही बनाने वाले आवश्यक अनुशासन के साधन के रूप में हो। जिसने सत्याग्रह की प्रतिज्ञा नहीं ली है उन्हें भी अपनी जलमी भावनाओं की तीव्रता के प्रतीक के रूप में उपवास करना चाहिए।

(२) उस दिन सब जगह हड्डताल रखी जाय ।

(३) आम सभाओं का आयोजन करके उनमें रौजट एकट बापस खे लेने का प्रस्ताव पास किया जाय ।

यह कार्यक्रम आम जनता के लिए था । लेकिन प्रतिज्ञावद सत्याग्रही के लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाया गया था । अकेले बम्हई में ही प्रतिज्ञावद सत्याग्रहियों की संख्या ६०० थी । उन्हें सत्याग्रह समिति की ओर से जबत साहित्य तथा अखबारों के रजिस्ट्रेशन के कानून को सविनय भंग करने की सूचना दी गई थी । दूसरी बातों के साथ ही उन्हें इस बात की भी सविस्तार सूचना दी गई थी कि सजा जुर्माना, तख्ती आदि के लिए कोर्ट में कोई बचाव न करते हुए किस प्रकार निर्भयतापूर्वक उनका मुकाबला किया जाय ।

सारे हिन्दुस्तान से हस आन्दोलन का बहुत जोरदार समर्थन किया गया । बहुत-से स्थानों पर शान्तिपूर्ण हड्डताल, उपवास, प्रार्थना और विशाल आम सभाएँ आदि कार्यक्रम हुए । उनमें लाखों लोगों ने भाग लिया । लेकिन दुर्भाग्य से कहीं-कहीं जनता ने ज़रूरत से ज्यादा उत्साह दिखाया । पुलिस ने भी परिस्थिति को सहानुभूति और चतुरता से सम्भालने का प्रयत्न नहीं किया । देहली में ३० मार्च को ही यह दिन मनाया गया । वहाँ पुलिस ने गोली चलाई । इसमें ५ व्यक्ति मारे गये और कितने ही जख्मी हो गये । दूसरे स्थानों पर भी सरकार ने दम्भन-चक्र चलाया । कांग्रेस के आगामी अधिवेशन की तैयारी करने के लिए डा० किच्चन् और डा० सत्यपाल अस्तुतसर गये थे । वहाँ उनको गिरफ्तार करके अशात स्थान में ले जाया गया । सरकारी अफसर के प्रष्ठोभजनक व्यवहार के कारण गुजरानवाला व कसूर के लोगों ने हिंसा का अवलम्बन किया । इस प्रकार पंजाब की स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई । गांधीजी को जलदी ही वहाँ भुलाया गया । अतः वे वहाँ जाने के लिए रवाना भी हो गये । लेकिन पंजाब सरकार ने उनको रास्ते में ही रोककर पुलिस के पहरे में बापस बम्हई पहुँचा दिया ।

इस बात से अहमदाबाद और बीरभ गांव की जनता ने हिंसा का अवलम्बन करके जानमाल पर आक्रमण कर दिया।

इसके बाद जलियानवाला बाग में तो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की हड़ ही हो गई। वहाँ जनरल डाक्टर ने जो गोली चलवाई उससे ही सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ४०० निःशर्ख और असहाय लोग उसके शिकाई हुए और लगभग १००० व्यक्ति घायल हुए। इसके साथ फौजी कानून लगा दिया गया जिसके द्वारा मुख्की और फौजी अधिकारियों ने जनता पर मनमाने अत्याचार किये। कुलेश्वाम कोडे लगाना, कतार बांधकर चलाना, जल्दी ही मुकदमा चलाकर सजा देना आदि बातें चलूँ रहीं। कितने ही महीनों तक पंजाब पर मानो शैतान के रात्य की काली छाया फैली रही। वे कृत्य विद्यशासन पर ऐसे कलङ्क हैं जो कभी भी मिट नहीं सकेंगे मानो ये सब काफी न हों इसलिए अकेले पंजाब में ही ८१ व्यक्तियों को फौसी की सजा दी गई और लगभग २०० व्यक्तियों को जम्बी-जम्बी सजाएँ दी गईं। कई लोगों को देश-निकाला दिया गया। इनमें से कुछ घटनाओं से तो गांधीजी तिलमिला उठे। किसीको सत्याग्रह के नाम पर कलङ्क लगाने का मौका न मिले यह विचारकर उन्होंने १८ अप्रैल १९१६ को आनंदोलन स्थगित कर दिया। कारण कुछ भी क्यों न हो लेकिन उन्होंने यह अनुभव कर लिया था कि लोग सामुदायिक हिंसा करने पर आमादा हो जाते हैं। जनता द्वारा किये हुए हिसक कार्यों की आड़ लेकर सरकार ने जो कूर दमनचक चलाया था वे उसे रोक देना चाहते थे। उस समय के एक बक्टरी में वे कहते हैं—“आज सत्याग्रह पर मेरी अद्वा पहिले से भी ज्यादा दृढ़ हो गई है। यह मेरा सत्याग्रह-शास्त्र का दर्शन ही है जिसके कारण मुझे यह आनंदोलन बन्द करना पड़ रहा है।……… मैं हिसक प्रवृत्ति के अस्तित्व से परिचित हूँ……… अहमदाबाद और बीरभ गांव में जो हिंसा हुई है उसका सत्याग्रह से तनिक भी सम्बन्ध नहीं है……… उस हिंसा से सत्याग्रह का योक्ता-

सा भी कार्यकारण-सम्बन्ध नहीं है। यदि कुछ है तो सत्याग्रह ने उसे रोकने में ही मदद की है……पंजाब की छटनाओं से सत्याग्रह का सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता। हमें इस अपराध करने की प्रहृति का अन्त करके शान्ति प्रस्थापित करने के मार्ग में सरकार की जितनी भी हो सके मदद करनी चाहिए। एक सत्याग्रही के नाते आज हमारा यही कर्तव्य है। हमें निर्भयता से सध्य और अहिंसा के सिद्धान्तों का समर्थन करते रहना चाहिए। जब ऐसा होगा तभी हम सामूहिक सत्याग्रह के मार्ग पर चलने के योग्य हो सकेंगे।

२१-७-१९५६ को एक वक्तव्य निकालकर गांधीजी ने उसमें यह चात स्पष्ट कर दी कि सरकारी नीति में वाच्छनीय परिवर्तन के चिह्न दिखाई देने के कारण अनेक मित्रों और हितचिन्तकों की सखाह के अनुसार वे सविनय कानून भंग प्रारम्भ नहीं करेंगे। क्योंकि वे सरकार को परेशान नहीं करना चाहते। उन्होंने सारे सत्याग्रहियों को शुद्ध स्वदेशी तथा हिन्दू-मुस्लिम प्रेक्ष्य का प्रचार करने की आज्ञा दी।

कुछ भी हो जिस रौलट एकट को वापस लेने के लिए सत्याग्रह प्रारम्भ किया था उसका भविष्य निश्चित हो गया था। एक भी बिल कानून नहीं बन सका और जिसपर कानून की मुहर लगी वह कभी भी लागू नहीं किया जा सका। वह कानून कागजों में ही रहा।

जितने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह हुए उनमें यह पहिली राष्ट्रव्यापी लड़ाई थी। सारा भरतखण्ड इस लड़ाई की समर-भूमि था। यह सत्याग्रह बहुत दिनों तक नहीं चला। केवल ६ अप्रैल से १८ अप्रैल तक ही यह आन्दोलन चालू रहा। इस युद्ध में एक ओर हिन्दुस्तान की सरकार और दूसरी ओर आम जनता थी। लड़ाई का कारण था नागरिकों की स्वतंत्रता पर पदाधात करने वाले अन्यायपूर्ण और प्रशोभक कानूनों का जनता पर लादा जाना और सत्याग्रह का स्वरूप था सत्याग्रह समिति द्वारा उने हुए कुछ अनुचित कानूनों का सविनय भंग करना। शान्तिपूर्ण हड्डाल, उपचास, प्रार्थना तथा आम सभा का

कायंकम जनता के सामने रखा गया। दुर्भाग्य से कई जगह सामूहिक हिंसाकाशड शुरू हो गये और सरकार ने भी अत्यन्त निर्देशतापूर्वक उसका दमन करना शुरू कर दिया। अन्त में सत्याग्रह का मूल उद्देश्य—रौलट एकट को बेजान बना देना—सफल हो गया।

: २१ :

अर्हिसात्मक असहयोग

यदि यह मान लें कि रौलट ऐकट जैसे किसी विशेष अन्याय के विरुद्ध चुने हुए सत्याग्रहियों द्वारा किसी विशेष कानून को सविनय भंग करना पहिले राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का मुख्य लक्षण था तो यह भानना पड़ेगा कि खासकर पंजाब और खिलाफत के मामलों के विरुद्ध तथा उसी सिलसिले में स्वराज्य के लिये सारे सरकारी तन्त्र से असहयोग करना दूसरे राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का प्रमुख और महत्त्वपूर्ण अङ्ग है।

२१-११ के दिन गांधीजी ने घोषित किया कि हम फिर जहाँ ही सत्याग्रह शुरू नहीं करेंगे। इसका यह मतलब नहीं कि सब बातें ठीक ढंग से हो रही थीं। गांधीजी ने बाद में यह बात स्वीकार की थी कि हिंसक प्रवृत्ति का पूरा अन्दाज लाया बिना आन्दोलन शुरू करके उन्होंने हिमालय जैसी भूल की है। लेकिन जनता के जश्वरदस्त असन्तोष के कारण अब भी मिटे नहीं थे और ऐसे नये-नये कार्य सरकार कर रही थी जिससे जनता का छोम बढ़े।

सरकारी दमन एवं हिन्दुस्तान में राजनैतिक सुधार न करने में सरकार ने जिस निर्लंज नीति को अपनाया उससे दूसरे राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह के लिए जनता में अधिकाधिक उत्साह पैदा हो रहा था। पंजाब के जलियानवाला बाग तथा दूसरी जगहों के काले कारनामों के लिए जो अधिकारी उत्तरदायी थे उन्होंने गोकी चलाने में समझदारी

से काम नहीं किया। इस बात को स्वीकार करके भी सरकार ने उन्हें उनकी ईमालदारी के लिए प्रमाणपत्र दिये और उनके अपराधों पर पर्दा ढाल दिया। यूरोपीय जाति ने जनरल डायर को विभूति का स्थान दिया और २०००० पौंड की एक तलबार उसे भेट की। पश्चात के अस्थाचार की जांच करने के लिए सरकार ने हंटर-कमेटी बैठाई। लेकिन उसने वहाँ के कारनामों पर लीपा-पोती करने का ही काम किया। कमेटी के सामने महस्वपूर्ण राजबंदियों को गवाही देने की इजाजत नहीं दी गई। इसपर कांग्रेस ने कमेटी से असहयोग किया। कमेटी के हिन्दुस्तानी सदस्यों ने अपना भिजा मत लिखा। लेकिन सरकार ने इसकी परवाह न करके मई १९२० के अन्त में कमेटी के बहुमत की रिपोर्ट मंजूर कर ली। इसी बीच कांग्रेस ने अपनी गैरसरकारी कमेटी बैठाई। इस कमेटी ने २५-३-१९२० को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। लेकिन सरकार ने उसे उसी समय जब्त कर लिया।

इस सारे अन्याय के साथ खिलाफत-सम्बन्धी अन्याय भी खुद गया जिससे हिन्दुस्तान का सारा मुसलमान-समाज बिगड़ गया। लड़ाई के समय बिटेन के प्रधान मन्त्री ने तुर्किस्तान के सामने सहानुभूतिपूर्ण संघिय की शर्तें रखने का आभिवचन दिया था। तदनुसार यह बात स्वीकार की गई थी कि अरबस्तान और मध्य पूर्व के मुसलमानी प्रदेश गैरमुसलमानों की सत्ता में न जाने दिये जायेंगे और खिलाफत को धक्का न लगाने दिया जायगा। तुर्की की गैरमुसलिम जनता को आवश्यक संरक्षण देना स्वीकार करके मुसलमानों ने यह मांग की थी कि तुर्किस्तान में खलीफा की सत्ता अवाधित रूप में कायम रहे और यदि अरबों की इच्छा हो तो अरबस्तान तथा अन्य धार्मिक सेत्रों पर खिलाफत की हुक्मत इस प्रकार कायम कर दी जाय जिससे उनकी स्वतन्त्रता पर कोई आवात न हो। और जब १४-५-१९२० को तुर्किस्तान पर जादी हुई संघि की शर्तें प्रकाशित की गईं तब दिखाई देने लगा कि पहिले जो बायदे किये गये थे उन सबको धूत में मिला दिया

गया है। लेकिन बाह्यराय ने हिन्दुस्तान के मुसलमानों से पुक विजयि निकालकर अपील की कि वे अब हम बातों पर कोई ध्यान न दें। लेकिन मुसलमान जनता में उत्तरोत्तर असंतोष बढ़ता जा रहा था। जब मुसलमानों को यह अनुभव हुआ कि बिटिश सरकार से प्रारंभन करना अर्थ है तो उन्होंने सशस्त्र बगावत करने के बजाय गांधीजी के नेतृत्व में असहयोग का एकमात्र मार्ग स्वीकार किया।

इस प्रकार पञ्चाब के अत्याचार, खिलाफत-सम्बन्धी अन्याय तथा इसके साथ ही सत्ता त्याग करने की सरकार की अनिच्छा आदि बातों से लोगों का असंतोष बढ़ता जा रहा था और वे उन्हें भीतर-ही भीतर उकसा रही थीं।

इसके साथ ही जनता के हृदय पर गांधीजी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। जब उनपर से पञ्चाब-प्रवेश का प्रतिबन्ध उठा लिया गया तो १७ अक्टूबर १९१६ को वे पञ्चाब गये। उनके आगमन से भयभीत पञ्चाबी जनता को बड़ा धीरज बंधा। इसके बाद असृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वहां गांधीजी ने जनता को सौम्यनीति तथा प्रतियोगी सहयोग का मार्ग बताया। उस समय वे आज जितने उम्र नहीं थे। कांग्रेस ने उनकी अधिकांश बातें स्वीकार कर दीं। उन्होंने सरकारी अत्याचार को उतनी ही निन्दा की जितनी जनता की हिंसक वृत्ति की। उन्होंने कहा कि—“यदि आप पागलपन का मुकाबला पागलपन से न करके विवेक से करेंगे तो परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेंगे।”

१० मार्च १९२० तक खिलाफत के सम्बन्ध में सरकार का जो रुख रहा उससे गांधीजी बिलकुल निराश हो चुके थे। उस दिन उन्होंने जो घोषणापत्र प्रकाशित किया उससे स्पष्टतः असहयोग की सूचना मिलती है। “आहये संघेष में इस बात पर विचार करें कि यदि हमारी मार्गें मंजूर न हुईं तो हम क्या करेंगे। सशस्त्र बढ़ाई चाहे वह गुप्त रूप से हो चाहे वह प्रकट रूप से बर्बरता का ही मार्ग

है। भले ही इस कारण से क्यों न हो कि वह अध्यवहार्य है अभी उसका विचार छोड़ देना चाहिए।.....अतः अब केवल असहयोग का ही मार्ग शेष रहता है। यदि हम पूरी तरह हिंसा से अविसर रह सकें तो यह मार्ग बितना विशुद्ध है उनका ही अस्थन्त परिणामकारक भी है। स्वेच्छा से सरकार के साथ असहयोग करना ही जनता के असंतोष को ब्यक्त करने की एकमात्र कसौटी है।”

इसपैल से १३ अप्रैल तक सारे भारतवर्ष में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। सप्ताह का प्रारम्भ उपवास और प्रार्थना से हुआ। इस सप्ताह में तीन सभाएँ करनी थीं। पहिली रौजाठ एकठ को वापस लेने के लिए प्रार्थना करने के लिए, दूसरी पञ्चाव के अस्थाचारों को दूर करने के लिए और तीसरी विजाफत के अन्याय का निवारण करने के लिए। यह सूचित कर दिया गया था कि हड्डतालें न की जाय। जनता को सत्य और अहिंसा का यथार्थ अर्थ समझकर आगामी सप्ताह की तैयारी करने का आदेश दिया गया था।

इस बीच गांधीजी अखिल भारतीय होमरूप लीग के अध्यक्ष बन गये थे। लीग का नाम बदलकर ‘स्वराज्य सभा’ कर दिया गया था। इस सभा की ओर से रचनात्मक कार्यक्रम की चतुःसूत्री का जनता में प्रसार किया गया। हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य, चरखे के साथ-साथ स्वदेशी प्रचार, राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दुसूत्रों का प्रसार तथा भाषाओं के आधार पर प्रान्तों की रचना यही चतुःसूत्री कार्यक्रम था।

इन्हीं दिनों उन्होंने निर्भयतापूर्वक घोषित किया—“मेरा इस विश्वास है कि देश के राजनैतिक जीवन में विशुद्ध सत्य और प्रसाधारिका लाना विलक्ष्ण संभवनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि जबतक मेरी शिरा में रक्त का एक भी बूँद रहेगा तबतक मैं सत्य और अहिंसा को राष्ट्र के सारे आन्दोलनों का आधार बनाने का प्रयत्न करता रहूँगा।

मुसलमानों का जो शिष्टमण्डल हैलैंड के तत्कालीन प्रधान मन्त्री

खाँपड़ जार्ज के पास गया वह निराश होकर ही छौटा। उन्होंने इस बात पर जोर देना शुरू किया कि गांधीजी द्वारा प्रवीत अहिंसक असहयोग जैसे कदे रास्ते का ही अवलम्बन करना चाहिए। १४ मई १९२० को वे सनिधि-शर्ते प्रकाशित हुईं जो तुकिस्तान पर जावी थीं। २८ मई १९२० को लिखाफत समिति की बैठक हुई और उसमें यह निष्ठय किया गया कि असहयोग का अवलम्बन किया जाय।

पञ्चायत के अस्त्याचारों पर लीपापोती करने वाली हट्टर-कमेटी की रिपोर्ट २८ मई को प्रकाशित हुई। उसी महीने की ३० तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और उसमें यह निष्ठय किया गया कि सितम्बर के मध्य में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाय।

गांधीजी ने घोषणा की कि १ अगस्त १९२० को अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ किया जायगा। लिखाफत कमेटी ने तो इस सम्बन्ध में जून में ही प्रस्ताव पास कर दिया था। इस दूसरे राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आन्दोलन के सम्बन्ध में गांधीजी यंग इण्डिया (८८-७-२०) में लिखते हैं—“विगत वर्ष ६ अप्रैल जितना महस्त-पूर्ण सिद्ध हुआ इतिहास में उतना ही महस्तपूर्ण १ अगस्त भी होगा। ६ अप्रैल के दिन रौलट प्रॅट को गाढ़ देने का श्रीगणेश हुआ.....जो सरकार सत्ता नहीं सौंपना चाहती उससे न्याय प्राप्त करने की यदि कोई शक्ति है तो वह सत्याग्रह ही है, फिर उस सत्याग्रह को चाहे सविनय कानून भंग चाहे असहयोग कहे।पहिले की ही भाँति यह छाड़ाई उपबास और प्रार्थना से शुरू की जाय। आम हड़ताल की जाय। सनिधि की शर्तों पर पुनर्विचार करने और पञ्चायत के अन्यायों के लिए न्याय की मांग करने तथा जबतक न्याय न मिले तबतक असहयोग की भावना का प्रचार करने के लिए आम सभाएँ की जाय। इस दिन सरकारी पदवियों को छोड़ना शुरू किया जाय। लेकिन सब से ज्यादा महस्त की बात यह है कि जनता में अनुशासन और

अधिकृतता लाने का प्रयत्न किया जाय।” साथ-ही-साथ उन्होंने सम्पूर्ण अर्हिंसा की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

४ सितम्बर १९२० को कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव १८८६ के विरुद्ध दद्ध मतों से पास हो गया। इस प्रस्ताव का मुक्य उद्देश्य था पञ्चायत के अस्थाचार और सिलाफत-सम्बन्धी अन्याय के लिए न्याय प्राप्त करना तथा स्वराज्य की स्थापना करना। दिसम्बर १९२० में नागपुर में कांग्रेस का विशाल अधिवेशन हुआ। उनमें से १०५० मुसल्ल-मान और १६६ खियां थी। अतीव उत्साह के बातावरण में कांग्रेस ने असहयोग का प्रस्ताव पास किया। कलकत्ता में जिन लोगों ने प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया था अब उनका मत-परिवर्त्तन हो गया था। श्री० देशबन्धुदास ने प्रस्ताव उपस्थित किया और लाला लाजपतराय ने इसका समर्थन किया।

यह आनंदोलन ‘प्रगतिशील अर्हिंसात्मक असहयोग’ के नाम से पुकारा जाने लगा। इस कार्यक्रम में पदवियों व उपाधियों, चुनाव व धारासभा, स्कूल व कालेज, कोर्ट व कचहरी तथा विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का पहिला कार्यक्रम था। इसके साथ ही रचनात्मक कार्यक्रम भी जोड़ दिया गया था। वह था राष्ट्रीय स्कूल व कालेजों की स्थापना करना, न्याय पञ्चायत व ग्राम पञ्चायत कायम करना तथा चर्चे के द्वारा स्वदेशी का प्रचार करना। इसी प्रकार दरबार तथा सरकारी व अर्ध-सरकारी समारंभों का बहिष्कार करना तथा शान्तिपूर्ण धरने के द्वारा शराब आदि मादक द्रव्यों की बन्दी करना भी इस कार्यक्रम में शामिल था। जनता से यह भी कहा गया कि वह मुख्की था। फौजी नौकरी में भर्ती न हो।

सन् १९२१-२२ के महान परिवर्तनशील वर्ष में हिन्दुस्तान में अभूतपूर्व जाग्रति, उत्साह, पेक्ष्यता और निश्चय दिखाई देने लगा। हिन्दू-मुस्लिम समाज मानो एकरूप हो गये थे। यह आनंदोलन जो

कि प्रार्थना व उपवास के कार्यक्रम से प्रारम्भ हुआ दावानल की तरह चारों ओर फैल गया। जनता ने स्वयं स्कूर्टिं से शराब-बन्दी का काम अपने हाथ में लिया। हाँ, कुछ अवसरों पर कहीं-कहीं भीष ने हिंसा का अवलम्बन भी कर डाला लेकिन यह कहा जा सकता है कि कुछ मिलाकर यह आनंदोलन जितना जोरदार और प्रभावशाली था उतना ही अहिंसक भी था। इन दिनों सैकड़ों राष्ट्रीय स्कूल खोले गये। अ० भा० कॉ० कमेटी की बेजवाहा की बैठक में कौंप्रेस के सदस्यों की संख्या १०००००० तक बढ़ा लेने का संकल्प किया गया। तिथक स्वराज्य फण्ड की रकम भी जितनी निश्चित की गई थी उससे ज्यादा जमा हो गई और वह १ करोड़ १५ लाख हो गई। हिन्दुस्तान में लगभग २००००० चरखे चलने लगे।

देश में एक बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हो रही थीं। इसमें प्रमुख कार्यकर्ता बचे नहीं थे। हिन्दुस्तान की सरकार ने सन् १९२० के नवम्बर मास में यह बात प्रकट की कि जिन लोगों ने आनंदोलन के मूल संगठन-कर्त्ताओं के आदेश से आगे बढ़कर अपने भाषण अथवा लेखों के द्वारा जनता को हिंसा के लिए उत्सेजित किया और फौज व पुलिस को भड़काने का प्रयत्न किया उन्हीं लोगों पर मुकदमे चलाने का आदेश प्रान्तीय सरकार को दिया गया है।

लेकिन मालूम होता है कि प्रान्तीय सरकार ने इस तारतम्य का ध्यान नहीं रखा। अन्यथा धारवाह आदि स्थानों में गोली चलाने का मौका न आता। धारवाह की सामूहिक गिरफ्तारी और बनावटी मुकदमे भी केन्द्रीय सरकार की हिदायतों से बेमेल थे। प्रायः सभी प्रान्तों के प्रमुख कौंप्रेस कार्यकर्त्ताओं को सजाएँ दी गईं और अनेक की नागरिक स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। बेजवाहा में स्वीकृत कार्यक्रम की सफलता, प्रिन्स आफ बेल्स के दौरे का सफल बहिप्राकार आदि अनेक कारणों से सरकार आगबूला हो गई थी। जिन कौंप्रेसी कार्य-कर्त्ताओं पर मुकदमे चल रहे थे उनमें से प्रायः सभी ने अपनी ओर से अदालत में पैरवी करवाने से इन्कार कर दिया अतः उनमें से बहुतों

को वर्ष के अन्त तक लेल में जाना पड़ा। दिसम्बर तक किमिनल अमेन्डमेन्ट लॉ जारी कर दिया जिसके अनुसार सरकार किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता को पकड़ सकती थी। सरकार ने संयुक्तप्रान्त और बंगाल के स्वयंसेवक संघठनों को गैर कानूनी ठहरा दिया। इससे उस सविनय अवज्ञा आन्दोलन को प्रारम्भ करने का घर बैठे भौका मिल गया जो अभी तक कॉर्प्रेस के साधारण कार्यक्रम का अंग न बन पाया था। सरकार ने दमनचक चलाकर यह रास्ता दिखा दिया। धीरे-धीरे राजवन्दियों की संख्या बढ़ते-बढ़ते दिसम्बर के अन्त तक ३०००० तक पहुँच गई। हाँ, सरकार का लाठीराज उस समय तक अलवक्ता कहीं भी शुरू नहीं हुआ था।

अत्यन्त प्रशुद्ध वातावरण में कॉर्प्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में शुरू हुआ। वहाँ उम्र कार्यक्रम की माँग की गई। नागपुर कॉर्प्रेस से एकदम आगे बढ़कर यहाँ यह आदेश दिया गया कि जहाँ अनुकूल वातावरण हो व्यक्तिगत के साथ-साथ सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन भी शुरू कर दिया जाय। स्वयंसेवकों के ऊपर जो सामूहिक सुकरमे चल रहे थे उनका उत्तर देने के लिए कॉर्प्रेस ने अहिंसा की शपथ लेने वाले ५०००० स्वयंसेवकों को भर्ती करने का निश्चय किया।

कॉर्प्रेस के सामूहिक सविनय कानून भंग शुरू करने के निश्चय के अनुमान गांधीजी ने सूरत जिले के बारडोली तालुके में करबन्दी का जबरदस्त आन्दोलन शुरू करने की योजना बनाई। ३१ जनवरी १९२२ को ताल्सुका कान्केन्स ने एक प्रस्ताव पास किया जिसका आशय यह था कि वह आन्दोलन के लिए तैयार है अतः अखिल भारतीय कॉर्प्रेस कमेटी की ओर से उसे इसकी इजाजत दी जाय। गांधीजी ने १-२-२२ को वह विस्तृत पत्र वाहसराय को लिखा कि चूँकि शिकायतें दूर करवाने के दूसरे रास्ते असफल सिद्ध हो गये हैं अतः हम बारडोली तालुके में करबन्दी आन्दोलन शुरू कर रहे हैं। वाहसराय ने जहाँ वही जवाब देकर अपनी दमन-नीति का समर्थन किया और गांधीजी

को चेतावनी दी कि वे करबन्दी आनंदोलन शुरू न करें।

लेकिन एक ऐसी हुःखद घटना हुई जिससे पांसा कॉप्रेस के विरुद्ध पढ़ गया। युक्तप्राप्त में गोरखपुर जिले के एक कोने में वह से हुए चौराजौरी गाँव में कुछ कॉप्रेसी स्वर्यसेवकों ने झोख में पागल होकर बीस सिपाहियों और एक सवाहम्सपेक्टर को मार डाला। इस घटना से गांधीजी का सारा कार्यक्रम बिगड़ गया। नवम्बर १९२१ के तीसरे सप्ताह में बम्बई में जो साम्प्रदायिक दंगा हुआ वैसा ही किन्तु उससे कुटे पैमाने पर १३ जनवरी १९२२ को मद्रास में उस समय हुआ जब कि प्रिंस आफ वेलम वहाँ दौरा कर रहे थे। इस प्रकार के हिंसात्मक वातावरण में सविनय अवज्ञा आनंदोलन चालू रखना गांधीजी को अनुचित लगा। अतः यथापि बिंग कमेटी तैयार नहीं थी तो भी गांधीजी ने सामूहिक अवज्ञा आनंदोलन वापस लेने के लिए उसको राजी कर लिया। अवज्ञा आनंदोलन के स्थान पर कमेटी ने रचनात्मक कार्यक्रम की एक विस्तृत योजना तैयार की। देहली में इसी महीने की २४ तारीख को अ० भा० क०० कमेटी की बैठक हुई जिसमें बिंग कमेटी का निर्णय स्वीकार कर लिया गया। अलबत्ता आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की स्वतन्त्रता अवश्य दी गई।

१० मार्च को गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये और १८ मार्च को उन्हें ६ वर्ष की जेल की सजा दे दी गई। सविनय अवज्ञा आनंदोलन कमेटी ने नवम्बर १९२२ में अपनी रिपोर्ट दी। उसने इस रिपोर्ट में अपना यह अभिभाय व्यक्त किया कि देश की वर्तमान स्थिति में सविनय अवज्ञा आनंदोलन चालू रखना व्यावहारिक नहीं है। कौनिसल-प्रवेश के कार्यक्रम की—इवा उस समय भी बहने लगी थी। लेकिन कौनिसल-वादी दल के यह कहने पर भी कि वे 'अन्दर से असहयोग' करें उन्हें एक वर्ष तक कॉप्रेस का बालाहा समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। हीं, सविनय कानून भी उस समय तक ठंडा हो गया था। इसी तरह अहिंसात्मक असहयोग भी ढीका पड़ता जा रहा था।

सत्याग्रह की दूसरी लड़ाई । अगस्त १९२० को खिलाफ़ के समिति की ओर से शुरू की गई । ४ सितम्बर १९२० को कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में उसका समर्थन किया गया और उसे विस्तृत कर दिया गया । दिसंबर १९२० में नागपुर कॉम्मिटी से उसे पूरी तरह स्वीकार किया और अखिल भारतीय आनंदोलन शुरू कर दिया । दिसंबर १९२१ के अहमदाबाद अधिवेशन के बाद सविनय अवज्ञा आनंदोलन, करवन्दी और किसिनल जा अमेन्डमेन्ट एक्ट का प्रतिकार आदि बातें कार्यक्रम में शामिल की गईं लेकिन १२-२-१९२२ को वर्किंग कमेटी ने अधिकृत रूप से सविनय अवज्ञा आनंदोलन वापस ले लिया । संघेप में यह कह सकते हैं कि १ अगस्त १९२० से १२ फरवरी १९२२ तक सत्याग्रह आनंदोलन पूरे जोर पर था ।

इस आनंदोलन ने समूचे देश की जड़ हिला दी । सब जातियों और जमातों ने इसमें भाग लिया । विद्यार्थियों ने इस समय बड़ा महारथपूर्ण कान किया । उनमें अपूर्व जाग्रति थी ।

अनेक कॉम्मिटी स्वयंसेवकों के हाथों बिना चाहे ही ऐसे काम हो गये जिनका अनुसास से कोई मेल नहीं था और साधारणतः बातारण लड़ाई के अनुकूल नहीं था । अतः आनंदोलन वापस लेना पड़ा । इससे आनंदोलन का तत्कालिक ढहेश्य पूरा न हो सका । लेकिन अप्रस्थल रूप से दहेश्य कायदे भी हुए । सितम्बर १९२२ में जब यरवदा जेल में हस आनंदोलन की उपयोगिता पर प्रश्न किये गये तो गांधीजी ने छाती ढोककर कहा—“इस आनंदोलन के द्वारा देश कम-से-कम ३० वर्ष आगे बढ़ गया है । बम्बई के तत्कालीन गवर्नर ने इस आनंदोलन के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा था—‘यह आनंदोलन करीब-करीब सफलता के द्वार तक पहुँच गया था ।’”

: २२ :

स्वराज्य के लिये सविनय क्रान्ति भंग

चार मार्च १९३० को गांधीजी ने बाहसराय को जो पत्र लिखा उसमें सविनय क्रान्ति भंग का उद्देश्य हिन्दुखान के लिए पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना बताया गया था ।

आहये आनंदोलन की प्रत्यक्ष जानकारी करने के पहिले उसकी पृष्ठभूमि को थोड़े में समझ लें। मार्च १९२२ में जब गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये तो सविनय क्रान्ति भंग आनंदोलन का संचालन करने वाली कमेटी ने देश भर का दौरा किया और कुछ सिफारिशों की। नवम्बर १९२२ के अन्तिम सहाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उन सिफारिशों को पूरी तरह भंग कर लिया। सामूहिक क्रान्ति भंग स्थगित कर दिया गया। इस बैठक के सामने कौमिल प्रवेश का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। यद्यपि उस समय उस पर विचार करना स्थगित कर दिया गया फिर भी देश में धीरे-धीरे इस विचारधारा के अनुकूल बातावरण बन रहा था। ८ फरवरी १९२२ को अपेन्डिसाह-टीज के आपरेशन के लिए गांधीजी जेल से छुटे। इस बीच स्वराज्य पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। इतना ही नहीं कांग्रेस की अनुमति से उसका कामकाज भी शुरू हो गया था। गांधीजी को स्वराज्य पार्टी को कुचल देना अच्छा नहीं लगा। इसके बजाय उन्होंने उन्हें अपने रास्ते पर चलने की इजाजत दे दी और अपना कार्यसेवा मर्यादित करके केवल बड़े पैमाने पर रचनात्मक कार्यक्रम को सफल बनाकर दिखाने का निश्चय किया। संसेप में यह कि सन् १९२४ से सन् १९२६

तक का समय तुहरे कार्यक्रम—रचनात्मक तथा कौन्सिल के कार्यक्रम—का ज्ञानाना था ।

कांग्रेस के अधीर वृत्ति के लोग चुपचाप नहीं बैठ रहे । सन् १९२७ तक मुक्तिमिल आजादी की कल्पना हिन्दुस्तानी लोगों में—खासकर हिन्दुस्तानी युवकों में घर कर चुकी थी । औपनिवेशिक स्वराज्य तथा उससे मिलने वाले फायदों के जो गीत गाये जाते थे उनसे उनका जी डब डठा था । पं० जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस, श्रीनिवास आयंगर, सांबमूर्ति आदि कुछ लोग इस नये विचार के प्रधान समर्थक थे । सन् १९२७ के दिसम्बर में मद्रास में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें यह प्रस्ताव पास हुआ कि—“हिन्दुस्तानी जनता का ध्येय पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करना है ।” सन् १९२८ की लाहौर कांग्रेस में तो कांग्रेस का ध्येय ही पूर्ण स्वराज्य घोषित कर दिया गया । एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना के कारण या यों कहिये कि विट्ठि सरकार की जबरदस्त भूल के कारण इस समय लोगों में इतनी पैक्य भावना फैल गई थी जितनी सन् १९२१ के बाद कभी भी नहीं हुई थी । वह घटना यी सायमन कमीशन, जिसे हिन्दुस्तान के राजनैतिक सुधारों की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था और जिसमें सब गोरे लोग ही थे । यह कमीशन ३-२-२८ को बम्बई आया । देशव्यापी हड़ताल एवं विरोधी समाजों के द्वारा इसका स्वागत किया गया । कमीशन का विरोध करने के मामले में हिन्दुस्तान के जगभग सभी पक्ष पूरी तरह एकमत थे । इतना ही नहीं सभी ने उसके साथ असहयोग किया । बहिष्कार के कारण अकेले ही अपना काम पूरा करके १४-४-१९२८ को कमीशन वापस विज्ञाप्त कीट गया । जिन दिनों वह यहाँ रहा उसने बड़े-बड़े शहरों का दौरा किया और जगभग सभी जगह जनता द्वारा जबरदस्त विरोधी प्रदर्शन किये गये । मद्रास, लाहौर, कलकत्ता आदि जगहों में प्रदर्शनकारियों पर जाठी-चार्ज किया गया । कहीं-कहीं पुक्की भी चलाई ।

इस कमीशन की नियुक्ति ने यह प्रकट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार हिन्दुस्तानी लोकमत की उपेक्षा करती थी। जब हिन्दुस्तानियों की राजनीतिक आकांक्षाओं के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की इच्छनी उदासीनता प्रकट हो गई तो कांग्रेस ने सीधे हमले के कार्यक्रम को अपनाने का लिख्य किया। इस बीच कांग्रेस ने पं० मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हिन्दुस्तान में औपनिवेशिक स्वराज्य के दृग पर विधान तैयार करने के लिए एक कमेटी की नियुक्ति की। सप्र० और जयकर जैसे प्रसिद्ध उदासदली नेता भी इस कमेटी में थे। सन् १९२८ के अन्त में लखनऊ में जो सर्वदल सम्मेलन हुआ उसमें इस समिति की रिपोर्ट पास कर ली गई। इस वर्ष कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में यह तथा हुआ कि सर्वदल सम्मेलन द्वारा स्वीकृत विधान यदि पार्लियामेन्ट ने ३१ दिसम्बर १९३१ के पहिले ज्यों-कास्त्रों मंजूर कर लिया तो कांग्रेस उसे मंजूर कर लेगी। इसके साथ ही यह भी घोषित किया गया कि यदि पार्लियामेन्ट ने हस्ते मंजूर नहीं किया तो असहयोग आनंदोलन शुरू करने के लिए बल्कि करबन्दी तक को अपनाने के लिए अथवा अन्य तरह से सविनय कानून भंग करने के लिए कांग्रेस स्वतन्त्र रहेगी। सन् १९३० के आनंदोलन के बीज बोने की शुरुआत इस प्रकार हुई।

सरकार ने इस प्रस्ताव पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इसी वर्ष सायमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। ब्रिटिश सरकार अपनी नीति पर कायम रही। ता० २३-२-२६ को अर्थात् ज्यों-मोतीलाल नेहरू को मिलने के लिए बुलाया। इस मुलाकात की बातचीत में गांधीजी की हळ्डा औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रश्न पर कोई समझौता कर लेने की थी। गांधीजी ने बाह्यसराय से स्पष्ट रूप से पूछा था कि क्या आगामी गोलमेज-परिषद् का उद्देश्य हिन्दुस्तान को निश्चित रूप से तुरन्त औपनिवेशिक स्वराज्य देना है? लेकिन बाह्यसराय

गोद्वीली को किसी प्रकार का भी बचन न दे सके। इस सम्बन्ध में सरकार ने जो गोलमोहर घोषणा पहिले की थी, वाहसराय उससे आगे नहीं आ सके। इससे यह स्पष्ट हो गया कि विदिशा राजनेता इस प्रदर्श के सम्बन्ध में टालमटोल कर रहे हैं। अतः स्वभावतः ही लाहौर अधिकेशन में मुख्य प्रस्ताव पूर्ण स्वतन्त्रता पर ही केन्द्रित हो गया था। ३१ दिसम्बर १९२६ को कांग्रेस के घोषण में 'स्वराज्य' के स्थान पर 'पूर्ण स्वराज्य' रख दिया गया। स्वातन्त्र्य संग्राम की पूर्व तैयारी करने के लिए धारा-सभाओं के कांग्रेसी सदस्यों को आवेदा दिया गया कि वे उसकी सदस्यता से त्यागपत्र दे दें और लोगों से कहा गया कि वे चुनावों में भाग न लें। उसी प्रस्ताव में आगे कहा गया—“यह कांग्रेस जनता से अपील करती है कि वह रचनात्मक कार्यक्रम को निष्ठापूर्वक पूरा करे। जब उचित हो तब करवान्दी सहित सविनय कानून भंग करने का अधिकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को दिया जाता है।……” इस प्रकार सन् १९३० के सविनय कानून भंग आनंदोलन का विषयित प्रारम्भ हुआ।

नई वर्किङ्ग कमेटी की बैठक २ जनवरी १९३० को हुई। केन्द्रीय असेम्बली के २१ तथा कौन्सिल आफ स्टेट के ६ सदस्यों ने स्तीके दे दिये। ग्रान्टीय धारा सभाओं के १७२ सदस्यों ने भी अपने स्तीके दे दिये। समर्थन के रूप में यह प्रतिक्रिया सम्मोहनक थी। वर्किङ्ग कमेटी ने निश्चय किया २६ जनवरी १९३० को सारे देश में स्वतन्त्रता दिवस मनाया जाय। उस दिन के लिए एक प्रतिज्ञा तैयार की गई और उसकी प्रतियाँ सब घर बाँटी गईं।

२६ जनवरी १९३० को वाहसराय ने केन्द्रीय धारासभा में जो भाषण दिया उसमें अनेक मुद्दों को स्पष्ट किया गया। उन्होंने बताया कि बद्यपि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि औपनिवेशिक स्वराज्य दिनुकान का अन्तिम घ्येय है लेकिन उसे आज ही अमल में लाने का सरकार का ह्रादा नहीं है। इससे कांग्रेस ने जो नीति अपनाई वह

और भी समर्थनीय सिद्ध हो गई। गांधीजी ने अपनी ११ शर्तें पेश कीं और कहा कि ये शर्तें स्वतन्त्रता का सार है। उन्होंने कहा कि यदि ये मांगें मंजूर कर ली जाती हैं तो अवश्य आनंदोलन का प्रश्न ही नहीं उठेगा। लेकिन यदि ये सावारणा-सी बिन्दु महावपूर्ण मांगें मंजूर न की गईं तो कानून भंग का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, यह बात भी उन्होंने कह दी। उन्होंने यह जाहिर किया कि दूसरे राष्ट्रों के लिए भिन्न-भिन्न मार्ग हो सकते हैं लेकिन हिन्दुस्तान के सामने तो केवल एक अहिंसात्मक असदृयोग का ही मार्ग है।

अपार उत्साह के बातावरण में सारे हिन्दुस्तान में स्वतन्त्रता-दिवस मनाया गया। इससे गांधीजी को देश की असीम सुस शक्ति की कल्पना हुई। १४ फरवरी १९३० को सावरमटी में बर्किङ्ग कमेटी की जो बैठक हुई उसमें गांधीजी को यह अधिकार दिया गया कि वे जो ठीक समझे उस रास्ते से सत्याग्रह आनंदोलन शुरू कर दें। बर्किङ्ग कमेटी ने इस समय एक महावपूर्ण सिद्धान्त सामने रखा। उन्होंने निश्चय किया कि अहिंसा जिसकी जीवन-निधा बन गई है उन्हींके हाथ में पूर्ण स्वराज्य के लिए किये जाने वाले आनंदोलन के सूत्र दिये जायें। थोड़े ही दिनों बाद मार्च १९३० में अहमदाबाद में ४० भा० कां० कमेटी की बैठक हुई और उसमें कानून भंग आनंदोलन करने का प्रस्ताव पास हुआ। इस समय तक गांधीजी अपने जूने हुए आश्वमवासियों के साथ दायड़ी के आधे रास्ते पर पहुँच जुके थे।

फरवरी में जब बर्किङ्ग कमेटी की बैठक हो रही थी तभी गांधीजी के मन में देश के लिए कलंक-रूप कानून को तोड़ने का विचार घूम रहा था। २ मार्च को गांधीजी ने अपना ऐतिहासिक एवं बाह्सराय के पास भेजा। इसमें उन्होंने हिन्दुस्तान के स्वराज्य का पृष्ठ पूरी तरह उपलिख्त किया था और आगामी युद्ध की पार्श्वभूमि पर विस्तारपूर्वक प्रकाश ढाका था। बाह्सराय की ओर से जल्दी ही गांधीजी को उच्चर भेजा गया लेकिन उसमें उन्होंने गांधीजी के रास्ते के प्रति अपनी

नापसन्दगी जाहिर की थी। किन्तु यह तो निश्चित-सा ही था। ७५ उने हुए अनुयायियों को लेकर सूरत झिले के दाखड़ी स्थान में पैदल जाने के लिए गांधीजी १२-३-३० को सावरमती से निकले। सावरमती से दाखड़ी २०० भीज है। इस अन्तर को २४ दिन में पूरा करके ६ अप्रैल के पहिले वहाँ पहुंच जाना था। ६ अप्रैल को गांधीजी प्रदर्शन के साथ नमक-कानून तोड़ने वाले थे। इसके पहिले किसीको भी उसे नहीं तोड़ना था; लेकिन इसके बाद तो यह अपेक्षा की जाती थी कि उसे सभी को तोड़ना चाहिए।

जैसे-जैसे दिन बीतने लगे और गांधीजी अपने मुकाम के पास पहुंचने लगे वैसे-वैसे देश में जाग्रति बढ़ने लगी और हजारों लोग शीघ्र ही आने वाले कष्ट, संकट और स्थान की तैयारी करने लगे। ८ अप्रैल १९३० को गांधीजी दाखड़ी पहुंचे। दूसरे दिन उन्होंने एक मुहीम नमक उठाया और नमक-कानून भंग किया। बस फिर तो हिन्दुस्तान में लाखों लोगों ने उस दिन से नमक-कानून तोड़ना प्रारम्भ किया और उसके लिए उन्हें जो कुछ सज्जाएँ मिलीं उसे उन्होंने हँसते-हँसते सहन किया। दमन तो पहिले ही शुरू हो चुका था। अब तो लाठी और आर्डीनेन्स का राज्य शुरू होने वाला था। मार्च के पहिले सप्ताह में सरदार बहुभाई पटेल को गिरफ्तार करके तीन मास की सज्जा दी गई। गांधीजी के दाखड़ी पहुंचने के पहिले बगाल के सेनगुप्त पकड़ लिये गये। मेरठ-पठ्ठन्नप्प का लम्बा मामला भी कई दिनों से बढ़कता आ रहा था। राजदोही भाषण और लेखों के लिए कितने ही लोग पकड़े जा चुके थे। स्वयं गांधीजी का भी यही रुखाल था कि वे भी न जाने कब पकड़ लिये जायेंगे। इसीलिए उन्होंने हमेशा की भाँति 'मैं गिरफ्तार हो गया तो?' नामक लेख लिखकर लोगों को पहिले ही सारी सूचना दे दी थी। उन्होंने लोगों से प्रारंभ की थी कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन इसी प्रकार चालू रखा जाय और चाहे कुछ भी क्यों न हो अहिंसा को न छोड़ा जाय। उनकी यात्रा चालू

रहते ही गांवों के लगभग २०० पटेलों ने अपने स्वामपत्र दे दिये।

सरकार का मानसिक सम्मुख्य बिगड़ता जा रहा था। राष्ट्रीय समाज के दिनों पेरावर, मद्रास तथा अन्य कुछ स्थानों पर गोली चलाई गई। रत्नागिरी, पटना, शिरोका, कलकत्ता, सोलापुर तथा और भी कितनी ही जगह पुलिस ने पाश्चात्यी व्यवहार किया। मद्रास इलाके में तो उन्होंने लोगों को पीटा। इसका यह अर्थ था कि कायदे-कानून को ताक में रखकर जो मन में आए वे पाश्चात्यी कृत्य खाड़ीचार्ज और विना कायदे-कानून लोगों को सताने के काम में सरकार आगाधी लोकों सोचने वाली नहीं थी। २३-४-३० को बंगाल आईनिस की अवधि फिर बढ़ा दी गई। सन् १९३० का प्रेस एक्ट प्रेस आईनिस निकाल कर फिर से शुरू कर दिया गया। गांधीजी का पत्र 'यंग इण्डिया' सायक्लोस्टाइल पर छपने लगा। गांधीजी ने लिखा कि आज सारे हिन्दुस्तान में एक तरह का फौजी शासन कायम हो गया है और सारा देश माझो एक बड़ा जेलखाना-सा बन गया है।

कारण कुछ भी हो केकिन गांधीजी काफी असे तक गिरफ्तार नहीं किये गये। अतः कराई में डेरा डाल्कर गांवों में खुलेआम नमक-कानून तोड़ने का प्रचार किया। इसके बाद उन्होंने बाह्सराय को पत्र लिखकर यह बताया कि वे भारासना की नमक की खानों पर आक्रमण करके उसपर क्रब्जा करने वाले हैं। इस सम्बन्ध में उनका यह कहना था कि वह जनता की सम्पत्ति है। अतः नमक पर कर लगाने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। उनका विचार था कि लोगों को नमक मुफ्त मिलना चाहिए। उन्होंने लोगों को ताकी के पेह काटने की भी हजाजत दी और उन्होंने स्वर्य ताकी के पेह पर कुलहाड़ी का पहिला प्रहार किया। लोगों को यह कार्यक्रम खूब आकर्षक मालूम हुआ। कर्नाटक जैसे हुँडु भागों में तो आगे चलकर वह नित्य का कार्यक्रम हो गया।

बाद में ४ मई १९३० को भार्वी रात के समय उन्हें अचानक ही बरबाद जेल में के जाया गया। जबतक ८ बातीख को वे उसकी चार-दीवारी में सुरक्षित न पहुँचे तबतक बहुत कम लोगों को यह बात मालूम हुई। जातेन्जाते उन्होंने यह सन्देश दिया—“दूसरों को बिना भारे मरो” यही उनका अन्तिम सन्देश था।

पूर्व योजना के अनुसार अब्बास तैयाबजी ने जड़ाई का नेतृत्व स्वीकार किया और काम चालू रखा। लेकिन १२ मई को उन्हें पकड़ लिया गया। उनका स्थान सरोजिनी देवी ने लिया।

गुजरात, बन्दर्ह, महाराष्ट्र और कर्नाटक की क्रमशः धारासना, बड़ाला, शिरोडा, सार्थीकट्टा की नमक की खानों पर आक्रमण किये जा रहे थे। खासकर धारासना के आक्रमण तो विदेशी संचावदाताओं तथा निष्पत्ति हिन्दुस्तानी निरीक्षकों ने प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं। वहां के स्वर्यसेवकों ने अपने रक्त से इतिहास के नये पृष्ठ लिखे हैं। धारासना और बड़ाला के अहिंसक आक्रमणों में स्वर्यसेवकों ने जो अद्वितीय सहनशक्ति और अनुशासन दिखाया उसकी ब्रेस्सफोर्ड, और स्लोकोंव जैसे प्रसिद्ध विदेशियों ने भी मुक्कक्षण से प्रशंसा की है। २१ मई को २५०० स्वर्यसेवकों ने धारासना की नमक की खानों पह आक्रमण किया। वहाँ जाठीचार्ज में २६० व्यक्ति घायल हुए। इनमें से दो व्यक्ति कुछ दिनों के बाद मर गये। स्वर्यसेवक तथा अन्य लोगों ने मिलकर जिनकी सरक्या १५००० थी बड़ाला पर आक्रमण किया। इसमें जाठी-चार्ज से जगभग १५० व्यक्ति घायल हुए। सार्थीकट्टा में १० से १५ हजार व्यक्तियों की भीड़ ने नमक की खानों पर आक्रमण किया और सैकड़ों मन नमुक पर कड़ा कर लिया। लेकिन इन सत्याग्रही आक्रमणों में महस्त्र इस बात का नहीं है कि उन्होंने कितनी चीजें अपने कब्जे में की बल्कि सच्चा महस्त्र तो इस बात का है कि जनता ने हिंसा या प्रतिहिंसा का प्रयोग किये बिना यह जानते हुए कि इसमें अपार कह

सहन करने होंगे अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए निर्देशापूर्वक शुल्काम प्रतिकार किया।

‘न्यू फ्री मेन’ पत्र के भी वेबमिलर ने आरासना के बारे में लिखा-
किखिल बातें लिखी हैं—“‘अपने १८ वर्ष के संवाददाता-जीवन में मैंने आरासना जैसे हृदयहारी चरण नहीं देखे। कितनी ही बार तो वह हृष्ट
इतना तुःखद होता था कि मुझे उसकी ओर पीठ करनी पड़ती थी।
इन सब घटनाओं में आश्वर्यजनक विशेषता थी स्वयंसेवकों का आनुशासन पालन। मांधीजी का अहिंसा का सिद्धान्त उनके रोम-रोम में समाचा
हुआ दिखाई दिया।’’ किसी प्रत्यावात या प्रतिहिंसा का ही नहीं बल्कि
गाली-गलौज करने की भी कोई घटना नहीं हुई और वह सब छगलतार
चलता रहा।

यद्यपि लोगों ने आदर्श संघर्ष का परिचय दिया और पूरी तरह अहिंसा का आचरण किया फिर भी स्वाग करने और मालूमूलि के लिए अपना लून देने के लिए तैयार रहने वाले हजारों निश्चयी छो-पुलियों के साथ पुलिस और फौज ने बढ़ा पाशबी व्यवहार किया। कितनी ही बार तो निरपराध दर्शकों के कपर भी जबरदस्त मार पड़ती थी और सैकड़ों लोग जल्मी हो जाते थे। इससे वह रुष्ट हो जाता है कि सरकारी यन्त्र कितने हृदयहीन हो गये, पुलिस और फौजी कितने पाशविक बन गये; अपने ही हाथ-मांस से बने हुए लोगों को सरकार कितनी निष्पुरता से करता कर सकती है और यदि भी स्लोकोंव के शब्दों में कहें तो कितने ‘हास्याप्पद’ एवं ऊटपटांग व्यवहार में वह निर्देशता-पूर्ण हो सकती है। इसके अलावा सरकार ने दस-बारह आर्डीनिस्ट निकाले और उस वर्ष के अन्त तक सैकड़ों कोमेस कमेटियों को गैर-कानूनी करार दे दिया। इस प्रकार जिटिश हुक्मन चल रही थी। सन् १९४० के आनंदोलन की शुरुआत से उसने लाठी-चाँद का एक नया शब्द काम में लाना शुरू कर दिया था। सविनय अवज्ञा करने वाले को कानूनी दृष्टि से यदि कोई सजा हो सकती है तो वह है—जेल में

ढाँड़ देना। लेकिन कानून तोड़ने वालों की संख्या बहुत अच्छी होने के कारण सरकार को इस मार्ग का अवलोकन करना अव्यावहारिक मालूम हुआ। अतः चूंकि दूसरी ओर से तनिक भी पाश्चात्यी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता था, सरकार ने कम-से-कम शक्ति का प्रयोग करने के बहाने लाठों टूट निकाली। लेकिन भजे की बात तो यह थी कि इस 'कम-से-कम' के प्रयोग से ही हर बार सैकड़ों आदमी जखमी हो जाते थे और उनमें से कितने ही लोगों को तो कहुं बार इतनी जोर की चोट लगती थी कि वे बेहोश हो जाते थे। आनंदोलनों में हर जगह लाठी-चांद पुलिस का रोज का काम हो गया था; अतः कुछ लाठी-चांद कितने हुए, इसका कोहुं हिसाब रखना भी अशक्य हो गया था।

भीड़ों पर गोली भी खुलेआम चलाई गई। दो महीनों में जो गोली-बार हुआ और उसमें जितने लोग जखमी हुए, उसके खुद सरकारी आंकड़े इस प्रकार हैं—केन्द्रीय असेम्बली में श्री प.स. सी. मिश्र के प्रभ का उत्तर देते हुए माननीय पंच. डी. हेंग ने एक वक्तव्य पेश किया (ले० अ० डिवेट १४-३-३०; छा० ४ नं० ६, पृष्ठ २३७)। उसमें कहा गया कि केवल अपैल और मई के महीनों में १६ जगहों पर गोली चलाई गई और उसमें १११ व्यक्ति मारे गये तथा ४२२ जखमी हुए। इसपर से पाठकों को इस बात की कल्पना अच्छी तरह हो सकती है कि इस अहिंसक आनंदोलन को बिलकुल कुचलने के लिए कैसे-कैसे मार्ग का अवलोकन किया गया।

अब तटस्थ लोगों ने समझौते के जो प्रयत्न किये उनका उल्लेख किये बिना कानून-भीग-सम्बन्धी यह प्रकरण समाप्त नहीं हो सकता। श्री स्लोकोंव का प्रयत्न बिलकुल असफल मिहूं हुआ। उन्हें गांधीजी से भेट करने की इजाजत मिल गई और वे गांधीजी से कुछ मस्तिष्क लेकर वाहसराय के पास गये लेकिन वाहसराय के रुख से स्लोकोंव को बहुत निराशा हुई। इसके बाद श्रीसप्त और श्रीजयकर ने जून और अगस्त महीनों में समझौतों के प्रयत्न किये। यह सिलसिला बहुत लम्बा

चला। नेहरू (पिता पुत्र) तथा वर्किंग-कमेटी के अन्य सदस्यों को गांधीजी से विचार विनिमय करने के लिए यात्रवडा जाया गया। लेकिन इस सबका कोई परियाम नहीं निकला। और सप्र० को लिखे हुए २३-३-३० के अपने अन्तिम पत्र में बाइसराय ने कहा—“मुझे स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहिए कि (कांग्रेसी नेताओं के) पत्रों की बातों के आधार पर चर्चा करना मुझे असम्भव प्रतीत होता है।” इसके थोड़े ही दिन बाद और होरिस अलक्जैलहर ने बाइसराय और गांधीजी दोनों से मुलाकात की लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला।

लेकिन गोलमेज परिषद् की योजना जोर-शोर से कार्यान्वयन की गई थी। उसकी पहिली बैठक १२-११-३० को लन्डन में हुई। १७ सरकार द्वारा नियुक्त, १६ देशी नरेशों द्वारा नियुक्त और १३ हृष्णेश्वर के अलग-अलग पक्षों के प्रतिनिधियों ने इकट्ठे होकर प्रारम्भिक चर्चा की। यह चर्चा जनवरी के तीसरे सप्ताह तक चालू रही। गोलमेज परिषद् के अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर गांधीजी और उसके करीब-करीब २६ साथी एकाएक २६ जनवरी को मुक्त कर दिये गये। इसके बाद सभाकौटे की बातचीत शुरू हुई जिसका अन्त ४-३-३१ को गांधी-हरविन पैकेट के रूप में हुआ।

गांधीजी के मुक्त होने के थोड़े ही दिन पहिले राजेन्द्र बाबू के सभापतिष्ठ में इलाहाबाद में वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और उसमें ‘अप्रकाशित प्रस्ताव’ पास किया गया। उसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार के लाठी-राज्य का संचेप में इस प्रकार वर्णन किया गया है—“खगभग ७५००० निरपराष छी-पुरुषों की गिरफ्तारी, बिना सोचे-विचार किये हुए अनेक अमानुषिक लाठी-चार्ज, गिरफ्तारी के बाद तुलिस-हवालात तक में दी गई अनेक यातनाएं, गोली-बारी से सैकड़ों लोगों की मृत्यु और अपंगपन, माल-असबाब की लूट, घरबार का अद्वाया जाना, सशस्त्र पुलिस और अंग्रेज शुद्ध सवार सैनिकों का ग्रामों में दौर-दौरा, सभा-जुलूसों को बन्द करके कांप्रेस तथा उसके जैसी

अन्य संस्थाओं को गैरकानूनी करार देना तथा उनकी चाल सम्पति जब्त कर लेना तथा उनके दफ्तरों और घरों पर कठ्ठा करके उनके भाषण-स्वातन्त्र्य व संव-स्वातन्त्र्य के अधिकारों का अपहरण आदि बातें चलाई जा सकती हैं।” यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि जब ये सब बातें हिन्दुस्लान में चल रही थीं तब इग्लैशड में मजदूर-सरकार शासन कर रही थी और श्रीरम्से भेंडालहड उसके प्रधान-मन्त्री थे।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि गांधीजी और इरविन की पारस्परिक प्रेम-भावना के कारण ही यह समझौता सफल हुआ; लेकिन बाद में यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को हिन्दुस्लान को और भी कहों में ढाले बिना सीधे-साथे इस प्रथा का मुलाकाना मंजूर नहीं था। चाहे किसी दल का शासन क्यों न हो, ब्रिटिश सरकार वास्तविक सत्ता छोड़ना नहीं चाहती थी। गांधी-इरविन पैकट कांग्रेस तथा उसके अधिनियमित की नैतिक विजय थी। इससे नमक-कानून तथा देश में कांग्रेस के स्थान के सम्बन्ध में कुछ कानून बने लेकिन उसके अलावा राजनैतिक चैप्टर में हिन्दुस्लान को कोई जाम नहीं लिखने दिया गया। उस्टे इससे ज्यादा प्रतिकूल परिस्थितियों में हिन्दुस्लान पर जलवी ही एक और लड़ाई खाद दी गई।

सारी स्थिति का सिंहावलोकन करके हमें मालूम होता है कि यह आनंदोलन ४-३-३० से ४-३-३१ तक पूरे एक वर्ष चलता रहा। सारे हिन्दुस्लान ने यह जबरदस्त लड़ाई चालू रखी और बढ़ते या प्रतिरिहसा की कल्पना स्वप्न में भी न करके अकथनीय मुसीबतें और हानियाँ हँसते-हँसते सहन की। दूसरी ओर आधुनिक शासाओं से लैस ब्रिटिश सरकार ने अलवता आईनेंस, लाइ-चार्ज तथा दमन के अन्य तरीकों से हिन्दुस्लान की सारी हिम्मत ही कुचल देने का भंसूचा बांधा था। कितने ही मौकों पर सुखिस और फौजी सिपाहियों ने साधारण सौजन्य तक नहीं दिखाया, किर उदारता की तो बात ही क्या? इस लड़ाई में पहिली बार चियों ने वही निर्भयता से और दिल खोलकर भाग

दिया, जिसमें हजारों गिरफ्तार की गई; उनपर खाड़ी-चार्ज किया गया और उन्हें कठोर अवधार का मुकाबला करना पड़ा। उनमें से कहाँ को तो जंगल में खे जाकर कुसमय में वहाँ छोड़ दिया गया।

नमक-कानून को सविनय भंग करना नमक की खानों पर अहिंसक आक्रमण करना, आर्द्धनीन्सों का डलहून करना, हिन्दुस्तान के कुछ हिस्सों में करबन्दी, प्रेस-एक्ट को सविनय भंग करना, विदेशी कपड़े तथा अन्य चीजों का बहिष्कार (उसमें भी विटिश कपड़े तथा अन्य भाल का बहिष्कार) सरकार से आम असहयोग, धारासभाईों का बहिष्कार—ये सब लकड़ी में प्रयुक्त सत्याग्रह के मुख्य स्वरूप थे। इस सम्बन्ध में सरकार की तथा सरकारी दमन के साधनों की जो प्रतिक्रिया हुई वह ऊपर बताई ही जा सकी है। इन सबकी परिणामिति नैतिक विनय में हुई जिसके कारण लोगों के मन में अपने लिए तथा सत्याग्रह-शब्द के सम्बन्ध में विश्वास पैदा हुआ। आनंदोलन के अन्त में जो समझौता हुआ उससे कांग्रेस के लिए गोलमेज परिषद् में शामिल होने का रास्ता खुल गया।

: २३ :

कानून-भंग का पुनरुत्थान

यद्यपि यह चौथा अखिल भारतीय सत्याग्रह था तथापि वास्तव में तो इसे ६ मास की शान्ति के बाद पुनः शुरू होने वाला तीसरा सत्याग्रह ही कहना चाहिए।

यदि हिन्दुस्तान की सरकार के फौलादी पंजे ने और लम्दन के विटिश राजनीतिज्ञों ने २-३-३६ के गांधी-हरविन ऐक्ट का सच्चे हृदय से पालन किया होता तो उसे हिन्दुस्तान के इतिहास में ही नहीं बंसिक सत्याग्रह के इतिहास में एक सहज का स्थान प्राप्त हुआ होता। लेकिन

दुर्भाग्य से होनहार पेसा नहीं था। अभी समझौते की स्थाई सूचने भी न पाई थी कि उसे भंग करने की शुरुआत हो गई।

१७ अप्रैल १९३१ को लाड़ विलिंगडन हिन्दुस्तान के बाह्सराय होकर आये और १८ अप्रैल १९३१ को लाड़ इरविन हिन्दुस्तान से विदा हुए और करीब-करीब उसी समय से जल्दी ही दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें शुरू हो गईं। जहाँ सरकारी कर्मचारी समझौता भंग करते हुए दिखाई दिये वहाँ कॉम्प्रेस के कार्यकर्ताओं ने उच्च अधिकारियों और कॉम्प्रेसी नेताओं के पास शिकायतें कीं। कभी-कभी थोड़ी-बहुत सुनवाई हुई; लेकिन जब स्थानीय अधिकारियों को पेसा लगा कि कॉम्प्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से समझौता भंग किया जा रहा है तो उन्होंने उच्च अधिकारियों या कॉम्प्रेसी नेताओं के पास जाने के बजाय सीधी कानूनी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। यद्यपि कॉम्प्रेस ने अपनी सविनय कानून भंग की तबाह न करके कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार जारी रखा। गन्तव्य, वेदपली और बकापली आदि स्थानों पर लाठी-चार्ज, गोलीबारी आदि बातें भी चल ही रही थीं। विद्रोह या हिंसा की उत्तेजना न देने पर भी बीच-बीच में भाषण और लेखों के लिए मुकदमे चलाये जा रहे थे।

इन सब बातों के होने पर भी बाह्सराय से गांधीजी की जो अन्तिम मुलाकात ४-३-३१ को हुई उसके बाद बारडोली में पुलिस की सहायता से जो ज्यादा कर बसूल करने का आरोप किया गया उसकी जांच का आश्वासन प्राप्त करके गांधीजी कॉम्प्रेस के पक्कमात्र प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज परिषद् में सम्मिलित होने के लिए १६-४-३१ को इंग्लैण्ड रवाना हुए। लेकिन बारडोली के अतिरिक्त और कहीं के भी मामले की जांच करने से बाह्सराय ने इन्कार कर दिया। बस्तुतः गांधीजी ने समय-समय पर उपस्थित होने वाले प्रश्नों को सुछकाने तथा समझौतों का अर्थ लगाने के लिए एक समझौता समिति बना देने

की सूचना कर दी थी। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि गांधी-हरविल पैसद पक्ष समझौता है। अतः यदि उसको किसी भारा का अर्थ लगाने में मतभेद हो जाय या कहीं समझौता भंग हो जाय तो इस प्रश्न को केवल पंच के सामने रखने का उपाय ही बोध रहता है। लेकिन सरकार ने इस भूमिका को मंजूर नहीं किया। कांग्रेस को बराबरी का दर्जा देने के लिए सरकार तैयार नहीं थी। और इस बात को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी कि कांग्रेस सरकार और जनता के बीच का भाग्यम है। सारे प्रश्नों के मूल में यही बात थी। यदि पंच-कैसले की बात मूल समझौते में ही होती तो कितना अच्छा होता।

जांच करने का जो आश्वासन दिया था वह भी आखीर तक पूरा नहीं किया गया क्योंकि सरदार बलभट्टार्ड पटेल ने १३-१२१ से अपना सहयोग उससे हटा लिया। जांच करने के लिए जिस अधिकारी को नियुक्त किया गया था उसने तत्सम्बन्धी आवश्यक कागज-पत्र भंगवाने से इन्कार कर दिया। अत जांच से हट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सरदार बलभट्टार्ड और भूलाभाई देसाई ने ऐसा ही किया।

कांग्रेस की दृष्टि से गोलमेज परिषद् पूरी तरह असफल हुई। परिषद् में न तो स्वतन्त्रता की मांग मंजूर की गई और न कांग्रेस का सारे राष्ट्र की ओर से बोलने का अधिकार ही मान्य किया गया। इसी प्रकार गांधीजी हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न का भी कोई हल नहीं निकाल सके। क्योंकि जबतक सरकार कांग्रेस की अपेक्षा उपादा देने का लालच दिखाने के लिए तैयार थी तबतक गांधीजी करते भी क्या? निराश होकर वे तारीख २८-१२-३१ को छौट आये।

हिन्दुस्तान में भी निराशा ही उनके स्वागत के लिए तैयार बैठी थी। बंगाल में तो आईनिम्स का राज्य शुरू हो गया था। २४ दिसंबर १९३१ को संयुक्तप्रान्त और सीमाप्रान्त में भी आईनिम्स आयी कर

दिये गये। मातों वह वहें दिन की भेट हो। पं० जवाहरलाल नेहरू और सत्तम अन्नुसारकारसां को पकड़ लिया गया था। भिज्ञ-विज्ञ प्राप्तों की सरकारों ने दमन करने के लिए जो-जो योजनाएं बनाई थीं उनका तो वहाँ उल्लेख न करना ही आच्छा है।

जिस दिन गांधीजी ने हिन्दुस्तान में पैर रखा उसी दिन से वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुई और वह ३ जनवरी १९३२ तक चलती रही। ३०-२८-१२-३१ को गांधीजी ने वाइसराय को तार दिया और भिज्ञ-कर बातचीत करने की इजाजत देने के लिए संघेप में प्रार्थना की। हस तार का जो उत्तर भिला वह ज्यादा आशाजनक नहीं था। ३१-१२-३१ को वाइसराय ने जो उत्तर दिया उसका आशय यह था कि आईनेंस शुरू करने के प्रश्न पर पर्दा पढ़ लुका है, ऐसा समझ लिया जाय। हाँ, दूसरी बातों के सम्बन्ध में बातचीत करने की इजाजत दे दी गई। पहिली जनवरी १९३२ को गांधीजी ने वाइसराय को दुचारा तार दे देताया कि भारत सरकार के वर्तमान मनमाने उच्छृङ्खल कृत्यों के सामने घटना-सम्बन्धी प्रश्नों को गौण स्थान प्राप्त हो रहा है। उस तार में उन्होंने यह भी चेताया था कि वाइसराय ने अपने तार पर पुनर्विचार करके आईनेंसों के कुछ कृत्यों के सम्बन्ध में उचित सहूलियत देने की तैयारी नहीं दिखाई है और आगे समझौते के अवसर पर कांग्रेस को अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। इसी प्रकार जबतक पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं भिजती और जबतक देश का शासन जनता के प्रतिनिधियों की सलाह से नहीं आता या जाता तबतक उन्हें देश को फिर से सविनय कानून-भंग शुरू करने की सलाह देनी पड़ेगी।

३१-१२-३१ की रात को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें उपसुक आशय का प्रस्ताव पास किया गया और सरकार द्वारा कांग्रेस की मांगें हुकराई जाने पर राष्ट्र को करबन्दी सहित दूसरे प्रकार के सविनय कानून भंग करने का भी आदेश दिया गया।

अर्हिसा पर सास जोर दिया गया। प्रखाव हस प्रकार है—जबतक जनता को अहिसा का महत्व मालूम नहीं होता और जबतक वह धन-जन एवं आन्ध किसी प्रकार की मुसीबत उठाने के लिए तैयार नहीं होती तबतक कोई भी प्रान्त, जिका, तालुका या गांव सविनय कानून-भंग शुरू नहीं कर सकता। हमारी ज़बाई बदला लेने या अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को पीड़ा देने के लिए नहीं है, बल्कि कट्ट-सहन एवं आत्मशुद्धि के द्वारा उनका हृदय-परिवर्तन करने के उद्देश्य से शुरू हुई है। चाहे सरकार की ओर से भड़काने का कितना ही प्रयत्न क्यों न किया जाय हमें इस बात को समझकर मनसा-वाचा-कर्मणा से अहिसा का पालन करना चाहिए। सरकारी अधिकारी, पुलिस या अराधीय लोगों को प्रेशरण करने के उद्देश्य से उनका सामाजिक बलिष्ठकार न किया जाय। वैसा करना अहिसा की कल्पना से बेमेल होगा।

बाहसराय ने २ जनवरी १९३२ को पत्र का जवाब देकर गांधीजी पर कानून-भंग आन्दोलन शुरू करने की घमकी देने का आरोप लगाया। गांधीजी ने फिर ३ जनवरी को जो उसर दिया उसमें जिका कि प्रामाणिक मत-प्रदर्शन को किसी भी प्रकार घमकी नहीं कहा जा सकता। अवज्ञा आन्दोलन जारी रहते हुए भी दिल्ली में समझौते की बातचीत शुरू हो गई और जब समझौता हो गया तो सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया गया। लेकिन कभी भी वह पूरी तरह बापस नहीं लिया गया। उन्होंने आग्रहपूर्वक इस बात का प्रतिपादन किया कि अपने प्रस्ताव के समय ही मैंने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि विशेष परिस्थितियों में अवज्ञा आन्दोलन फिर से शुरू करना पड़ेगा। फिर भी जिका किसी प्रकार की इकायट के तुम्हें हँस्तैरह जाने की हजाजत के दी गई थी।

लेकिन गांधीजी की वह भूमिका वही भारी गई। दिल्ली में सम्बोधन: पहिले से ही सब तैयारियां थीं। ४ जनवरी के दिन शुरू ह

गोंडीजी और सरदार चल्लभभाई पटेज को गिरफ्तार कर लिया गया। सैकड़ों कांग्रेस कमेटिया, राष्ट्रीय पाठ्यालाइं, किसान कमेटिया, सेवादल तथा हसी प्रकार की अन्य संस्थाएं गैरकानूनी करार दे दी गईं, उनपर कड़ाव कर लिया गया। उनकी बीजें और सम्पत्ति जबत कर ली गईं और बाद में लीकाम कर दी गईं। अनुमान है कि सारे हिन्दुस्तान में जगभग १५००० कांग्रेसियों को नजरबन्द कर दिया गया। उनके आईनेन्स जारी किये गये। किर लाडी-चार्ज और गैरकानूनी कानून, अर्थात् आईनेन्स का राज्य चालू हो गया और यादें ही समय में देश की जेलें खालीख भर गईं। एक जात्र से भी ज्यादा लोग पकड़े गये। उनसे तिगुने या चौगुने लोगों को जांडियों और ढश्डों का प्रसाद मिला होगा। इस प्रकार अहिंसक और सगडित प्रतिकार का प्रयत्न आसफल करने का जी जान से प्रयत्न किया गया। सन् १९३० ई१ की बातों की ही सन् १९३२ ई३ में पुनरावृत्ति हुई। अन्तर हतमा ही था कि इस बार की जड़ाई अधिक तीव्र और गमीर थी। जड़ाई अपने परमोच्च शिखर पर पहुची भी जल्दी ही। गुजरात के रास और कर्नाटक के अकोला और सिहापुर के भागों को जहा कि करबन्दी आनंदोलन शुरू किया गया था काफी कष्ट सहन करना पड़ा। इस बार का दमन सन् १९३० ई१ की अपेक्षा अधिक कूर पक्का सगडित था।

एक प्रकार से १९३२ ई४ का आनंदोलन सन् १९३० ई१ के आनंदोलन का ही एक भाग होने के कारण दोनों आनंदोलनों की कितनी ही बातें समान थीं।

देश की परिस्थिति को नवीन चैतन्य देने वाले सितम्बर १९३२ के गोंडीजी के उपवास की ओर मुख्यतिव होने के पहिले यह देश जैना अधिक उद्बोधक सिद्ध होगा कि सन् १९३० और ३२ का आनंदोलन किस प्रकार चलाया गया और उसमें सत्याग्रह के किस-किस स्वरूप का उपचरण किया गया।

सन् १९३० में पकड़े जाने पर लदाहुं का नेतृत्व अध्यवास तैयारी को सम्पन्न कर गांधीजी ने भावी सूच संचालक नियुक्त करने की जो पदति हुरु की वह अन्त तक चलती रही। यह भी तथ यो गया कि वर्किङ्ग कमेटी के सदस्यों के जेल चले जाने पर वे यह बता दें कि उनकी जगह किसको नियुक्त हिया जाय। इस प्रकार गांधी-इरविन पैकट तक तीन बार बची हुई वर्किङ्ग कमेटी के सदस्यों को शिरस्तार कर दिया गया था। सरकार ने कमेटियों को गैरकानूनी करार देकर, महत्वपूर्ण कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को गिरफ्तार करके कांग्रेस के लघे-पैसे एवं प्रान्त और जिले की ही नहीं ग्रामों की कांग्रेस कमेटियों के आफिस और इमारतों को भी अपने कब्जे में लेकर कांग्रेस के संगठन को नष्ट-भष्ट करने का प्रयत्न करके देख दिया। वर्किङ्ग कमेटी के उदाहरण का अनुकरण सभी जगह के लोगों ने किया। जहाँ-तहाँ सर्वाधिकारियों (डिस्ट्रेटरों) के नाम पहिले से ही निश्चित हो गये थे और एक के गिरफ्तार होते ही कूसरा उसका स्थान लेने के लिए 'आगे आ जाता' था। कितने ही शहरों में तो सर्वाधिकारियों की शृङ्खला १० तक पहुँच गई।

लेकिन एक बात स्पष्ट थी कि नवे व्यक्तियों को कांग्रेस की नीति में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें तो केवल आन्दोखन को चलाते रहना था। नीति निश्चित करने या समझौते की बात-चीत चलाने का अधिकार केवल वास्तविक वर्किङ्ग कमेटी को ही था।

यह या सर्वाधिकारी नियुक्त करने का साधारण तरीका। लेकिन उसका प्रत्यक्ष व्यवहार किस प्रकार होता था? आफिस के लिए स्थान लो था ही नहीं, अतः कितनी ही बार कांग्रेस का सारा दफ्तर व्यक्ति की जेब में रहता था और वह पुलिस के हाथ वही छगता था। अधिकृत खबरें ही प्रकाशित की जाती थीं और जतरा उठाने के लिए तैयार छापाकानों के द्वारा या बहुत हुआ तो साथकालोस्टाइल के द्वारा सूचनाएं प्रकाशित की जाती थीं। पक्कों और तारों पर पुलिस की जगह

रहने से व्यक्तियों के द्वारा संदेश भेजने का ही तरीका अधिक प्रसन्न किया जाता था। अतः कहुँ चापालाने, साथकलोस्टाइल और सन्देश-बाहक रखने पक्षते थे। लेकिन यह सब अपरिहार्य था।

गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद मई १९३० में बर्किङ्ग कमेटी की बैठक हुई और आन्दोलन का लेन अधिक व्यापक कर दिया गया। जनता को विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का आन्दोलन सफल बनाने का आदेश दिया गया। इसी प्रकार करबन्दी और चौकीदारी कर न देने का आदेश भी दिया गया। जङ्गलों के आसपास रहने वाले लोगों के हित की दृष्टि से यह भी निश्चित हुआ कि जङ्गल-सम्बन्धी कानून तोड़े जाय। ब्रिटिश बैंक, नौकानयन व बीमा कर्मचारियों का व्यावहारिक बहिष्कार प्रभावशाली ढग से करने की भी हिदायत दी गई। २७-६-३० को इत्ताहावाद में बर्किङ्ग कमेटी की जो बैठक हुई उसमें सरकारी अधिकारियों एवं राष्ट्रीय आन्दोलन को सुलेश्चाम दबाने का प्रयत्न करने वाले लोगों का कहा सामाजिक बहिष्कार करने का आदेश दिया गया। लेकिन बाद में गांधीजी ने इसपर अपनी नाप्रसन्नगी जाहिर की। जनता से कहा गया कि वह न तो सरकारी बैंड लेवे न नये लगाए। इसी प्रकार कागजी नोट एवं चादी के सिक्कों को स्वीकार न करके जहाँ तक सम्भव हो सोने के द्वारा विनिमय चालू करने को कहा गया। कमेटी ने यह भी घोषित किया कि पुक्किस और सैनिकों का यह कर्तव्य है कि वे जनता के विरुद्ध अन्यायपूर्ण नीति का अवसरम्बन करने में सरकार की मदद न करें।

आखिये, ११-१२-३१ को पास होने वाले बर्किङ्ग कमेटी के उस प्रस्ताव पर नजर ढालें जिसके द्वारा सन् १९३२-३४ का सत्याग्रह शुरू किया गया था। उसमें अहिंसा पर इतना और दिया गया था जितना कि पहिले कभी भी नहीं दिया गया था। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार को बन्धनकारक समझकर शराब तथा अम्ब मात्रक पदार्थों के बहिष्कार पर जोर दिया गया था। आसकर छिपों को इसे सकारा

करके दिखाना था। यह कहा गया कि केवल तुने हुए अथवा ऐसे ही व्यक्तियों को इसमें लिया जाय जो शुल्क अथवा सभा के रोक दिये जाने पर गोदी या लाठी खाने को तैयार हों। शुल्की कानूनों पर्यंत आईनेसों की अन्यायपूर्ण आशा को तोड़ने की सज्जाह दी गई।

इस प्रस्ताव के अनुसार जैसा कि पहिले बताया जा चुका सैकड़ों प्रकार से नमक-कानून तोड़ा गया। सारे आईनेस खुलेआम भर्ग किये गये और उसके लिये जो भी सजा दी गई उसे खुशी-खुशी सहन किया गया। जाप्ता फौजदारी की १४४ घारा जैसी स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाई हुई पाबन्दियाँ तोड़ दी गईं। कुछ स्थानों में तो लगान बन्दी के साथ आय-करबन्दी का आनंदोलन भी शुरू कर दिया गया। कुछ स्थानों में चौकीनारी-कर देने से भी इन्कार कर दिया गया और उसके जुर्माने के रूप में लगाये गये कर देने से भी इन्कार कर दिया गया। बड़े-बड़े समूहों ने जंगल के कानून तोड़े। ताढ़ी के हजारों बृक्ष काट डाले गये। सभाएँ न करने के कानून को तोड़कर साम्राज्य-दिवस, गांधी-दिवस, मोतीलाल-दिवस, शहीद-दिवस, सोलापुर-दिवस, स्वातंत्र्य-दिवस, सीमाप्रान्त-दिवस, गढ़वाल-दिवस तथा हसी प्रकार के अन्य दिवस मनाये गये। नमक-भण्डार तथा सरकार द्वारा कठोर में ले लिये गए कांप्रेस भवनों पर भी आक्रमण किये गये। प्रतिबन्ध लगा दिये जाने पर भी अप्रैल सन् १९३२ में दिल्ली में और अप्रैल १९३३ में कलकत्ता में कांप्रेस के दो अधिवेशन हुए।

आहये, अब आनंदोलन की घटनाओं की ओर मुड़ें। १२-६-३२ को साम्राज्यिक निर्णय के प्रश्न पर आमरण अनशन कर रहे हैं। इस साम्राज्यिक निर्णय के अनुसार १७-६-३२ को हरिजनों को भी पूरक निर्वाचन का अधिकार देने की घोषणा की गई। इस स्वबर ने देश की हजारफल की दिशा ही बदल दी। २०-६-३२ को उपवास शुरू हुआ और पूजा पैकड़ पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद फिर से हरिजनों को

संयुक्त निवाचन में सम्मिलित करके २६ दिनों के बाद वह समाप्त हुआ।

सविनय कानून भंग खल ही रहा था; लेकिन उसके साथ-ही-साथ अस्पृश्यता-निवाचन की ओर कोष्ठेसियों का ध्यान अधिकाधिक आकर्षित होने लगा। ता० ६-४-३३ को एक विश्वित प्रकाशित होने के कारण कोष्ठेस के अस्थायी अध्यक्ष बाबू राजेन्द्रप्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। उस विश्वित में उन्होंने जनता से लड़ाई चालू रखने के लिए कहा था। इसके बाद बहुत समय तक श्री० अर्यो अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे।

इसके बाद मई मास में फिर आत्मशुद्धि के लिए गांधीजी ने २१ दिन का उपवास शुरू किया। सरकार ने उसी समय उन्हें छोड़ दिया। तुरन्त ही छः सप्ताह तक आनंदोलन स्थगित कर दिया गया। बाद में यह अवधि तीन सप्ताह तक और बढ़ा दी गई। अन्त में १२-५-३३ को पूरा में प्रमुख कोष्ठेसी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई जिसमें निश्चित हुआ कि सामूहिक सविनय कानून भंग स्थगित कर दिया जाय और अवक्षिप्त कानून भंग ही शुरू रखा जाय।

उपादा-से-उपादा त्याग के प्रतीक के रूप में गांधीजी ने अपना आत्म छोड़ दिया और अवक्षिप्त सत्याग्रह करने के लिए ३४ तुने हुए आत्मसंसियों को साथ लेकर सप्त नामक ग्राम की ओर प्रस्थान करने का विचार प्रकट किया। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उस गांव को छोड़ देने की पाबन्दी लगाकर छोड़ दिया गया। लेकिन जब उन्होंने इस पाबन्दी को मानने से इन्कार कर दिया तो उसी समय उन्हें फिर पकड़ लिया गया और पृक वर्ष की सजा दे दी गई, जब जेल में हरिजन-कार्य चलाने के लिए उन्हें कुछ सहूलियतें देने से इन्कार कर दिया गया तो उन्होंने उपवास शुरू कर दिया। इससे अगस्त के तीसरे सप्ताह में उन्हें छोड़ा गया। जैसे ही वे जेल से छूटे उन्होंने सजा को शेष अवधि में अपनी इच्छा से ही राजनीति में भाग न लेने का

निश्चय किया और अवस्थर लक दरिजन-कार्ड के लिए हिन्दुस्तान का दौरा किया।

अन्त में ७ अप्रैल १९३४ को गांधीजी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आनंदोलन भी स्थगित करने का निर्णय प्रकट किया। वह अधिकार उन्होंने सिर्फ़ अपने लिए ही सुरक्षित रखा। उस समय तक जनता में किसी भी प्रकार के सविनय अवज्ञा आनंदोलन के लिए उत्साह शेष नहीं रहा था। १८ मई १९३४ को पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधीजी के निर्णय को स्वीकार कर लिया गया। उसी समय स्वराज्यदल का पुनःसङ्गठन करके केन्द्रीय घासा-सभा के तुनाव लड़ने का निश्चय किया गया। इस प्रकार अबतक सन् १९४० में फिर से सविनय अवज्ञा आनंदोलन शुरू नहीं हुआ तब-तक कांग्रेस की शक्ति रचनात्मक कार्यक्रम पूर्व घासासभा के काम पर ही केन्द्रित रही।

: २४ :

व्यक्तिगत सत्याग्रह

अब हम यह देख चुके हैं कि पहिले चार सत्याग्रहों का उद्देश्य अधिकाधिक व्यापक होता गया। साथ ही उन-उन मौकों और प्रसंगों के अनुसार सत्याग्रह के स्वरूप में भी परिवर्तन होता गया। यदि १९१६ के सत्याग्रह का उद्देश्य एक सास अपमानजनक कानून रद्द करवाना या तो दूसरे आनंदोलन का उद्देश्य या—प्राचीन पूर्व खिलाफत-सम्बंधी अन्याय को दूर करवाना। तीसरे और चौथे सत्याग्रह का—चौथा सत्याग्रह तीसरे का ही पुक था—प्रत्यक्ष घेयपूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का स्वरूप अलवक्षा पूरी तरह स्वतन्त्र था क्योंकि उसे गुण-प्रधान सत्याग्रह कह सकते हैं। इंडियैशन की जीवन-मरण की लकड़ी और सरकार को संकट के समय मुश्तीबत में

न ढालने की काँपेस की साधारण नीति—इन दोनों बातों की सम्मेद्द इसकर इस सत्याग्रह का स्वरूप निश्चित किया गया। इसे व्यक्तिगत सत्याग्रह इसीलिए कहा जाता है कि सत्याग्रह की प्रत्येक बात केवल व्यक्तिगत जुम्मेदारी के साथ की गई। इसे गुणप्रधान सत्याग्रह इसलिए कह सकते हैं कि विशेष गुण वाले व्यक्तियों को ही सत्याग्रह के लिए चुनकर बाकी लोगों को छोड़ दिया गया था। जनता के सारे प्रतिनिधियों को, फिर चाहे वे धारासभा में हों, स्थानीय संस्थाओं में हों, काँपेस कमेटियों में हों, सत्याग्रह करने के लिए कहा गया और उन्होंने वैसा किया भी। अतः इसे 'प्रतिनिधिक सत्याग्रह' भी कहा जा सकता है।

१५-६-४० को अखिल भारतीय काँपेस कमेटी की बैठक में आनंदोलन प्रारम्भ करने के लिए जो प्रस्ताव पास हुआ वह इस प्रकार है—“काँपेस-जनों के मन में ब्रिटिश लोगों के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। सत्याग्रह के मूल में जो क्लपना है वह कोई काम करने से काँपेस को रोकती है। लेकिन यह मर्यादा जो कि काँपेस ने स्वयं अपने लिए बनाई है इस हद तक नहीं जा सकती कि जिससे काँपेस का ही आवधात हो जाय। सम्पूर्ण स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए अहिंसा पर आधारित अपनी नीति का समर्थन काँपेस को दृढ़ता से करना चाहिए। तथापि प्रतिकार की आवश्यकता पड़ने पर जनता के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यकता से अधिक अहिंसक प्रतिकार की व्यापकता फैलाना आज की परिस्थिति में काँपेस नहीं चाहती।”

वह प्रश्न हमेशा किया जाता है कि जो गांधीजी हमेशा ब्रिटेन को कठिनाई में बिल्कुल न ढालने की बात कहते हैं, उन्होंने ही ब्रिटिश लोगों को थोड़ी-बहुत मुसीबत में ढालने वाले इस प्रस्ताव का प्रचार कैसे किया? इस प्रश्न का उत्तर गांधीजी ने बहुवर्षों की अखिल भारतीय काँपेस कमेटी में दिये हुए अपने भाषण में दे रखा है। वे कहते हैं कि राह देखते रहने का गुण ही दुरुःश्य की सीमा तक पहुँचता जा रहा है। ब्रिटिश

सरकार को भिज-भिज मांग सुझाये गये। हिन्दुस्तान को स्वतन्त्र कर देने की घोषणा देने की प्रारंभना की गई। लेकिन सरकार इस प्रश्न को टाकती रही। यह भी कहकर देख लिया गया कि विधान परिषद् के द्वारा बनाया हुआ विधान हिन्दुस्तान में चालू कर दिया जाय। लेकिन इस क्षेत्र का भी मज़ाक उड़ाया गया। पूना में यहाँ तक तैयारी बताई गई कि यदि हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली गई तो हम पूर्ण रूप से सशक्त सहयोग करेंगे। पूना वाले प्रस्ताव को तो पास करके कांग्रेस ने अपने को और आज तक की कसौटी पर खरी उतारी हुई अपनी नीति को तिलाझलि ही दे दी। लेकिन वह मांग भी अस्वीकृत कर दी गई। वस्तुतः आज तक सरकार ने किसी बात की सुनवाई नहीं की। यह ठीक है कि संघम का अवलम्बन अच्छा है लेकिन जिस आत्मशक्ति की सहायता से वह संघम अधिकार में जावा जाता है यदि वह उसीपर आधार करने लगे तो वह सद्गुण नहीं रह जाता। वह दुरुग्राम का रूप धारण कर लेता है। गांधीजी ने आगे अपने भाषण में कहा—“मैं केवल कांग्रेस की ओर से ही नहीं बोल रहा हूँ लेकिन उन सब लोगों की ओर से भी बोल रहा हूँ जो विशुद्ध राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के पक्षपाती। आज यदि मैं यह कहता हुआ बैठा रहूँ कि ‘अंग्रेजों को कठिनाई में मत ढालो’ तो वह उन सबके साथ प्रतारणा करने जैसा होगा और आज के कठिन समय में अपने ऊपर इस प्रकार के बन्धन लाद लेना आत्मघातक सिद्ध होगा।”

इसीलिए इस मौके पर सरकार से एक चौथी मांग की गई। उसमें यह कहा गया था कि “यदि सरकार ने यह घोषित किया कि हिन्दुस्तान के लिए अहिंसात्मक रीति से सुखेआम युद्ध-विरोधी नीति का प्रचार करने की स्वतन्त्रता है और हिन्दुस्तान इस बात के लिए स्वतन्त्र है कि सरकारी युद्ध-प्रयत्नों से असहयोग करने की शिक्षा जनता को दे सकता है तो भी हम सविनय अवश्य आनंदोलन नहीं करेंगे।” लेकिन जब कांग्रेस की इस मांग को भी स्वीकार नहीं किया गया तो

फिर कांग्रेस के लिए कोई कदम उठाने के अतिरिक्त रास्ता नहीं रहा।

हिंसा को उत्तेजना देने के लिए नहीं वृक्षिक के बल रामगढ़ कांग्रेस (१९४०) के युद्ध-विषयक प्रस्ताव को जनता को सविस्तार समझाने के लिए ही देश भर में अनेक लोगों पर मुकदमे चलाये जा रहे थे। गांधीजी ने कहा—“हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। भाषण-स्वतन्त्र्य के अधिकार की स्थापना करने वालों को चुपचाप बैठकर जेल जाते हुए देखना सत्याग्रह नहीं है। यदि हम इसी प्रकार चुपचाप रहे तो कांग्रेस नष्ट हो जायगी और उसके साथ ही देश का साहस नाममात्र के लिए ही रह जायगा।”

मत-स्वतन्त्र्य के अधिकार के लिए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ उसकी उत्पत्ति इस प्रकार हुई। यदि अहिंसा से स्वराज्य प्राप्त करके उसे टिकाये रखना है तो नागरिक स्वतन्त्रता को उसका मूलाधार मानना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में गांधीजी ने जो भाषण दिया उसमें वे कहते हैं—“सरकार यह तो कर ही सकती है। इस अधिकार के लिए कठगड़ा करना हमारा कर्तव्य है। इस अधिकार के लिए यदि सरकार ने विरोध किया और उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ी और सरकार को कठिनाई में पड़ना पड़ा तो फिर यह कहा जायगा कि सरकार ने वह कठिनाई खुद होकर ही मोल ली है।”

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपर्युक्त प्रस्ताव के आधार पर गांधीजी ने २७ और ३० सितम्बर को वाहसराय से मुलाकात की। लेकिन गांधीजी जिस भाषण-स्वतन्त्र्य के अधिकार को मांग रहे थे उसे स्वीकार करने के लिए वाहसराय तैयार नहीं हुए। गांधीजी की मांग अत्यन्त मामूली और स्पष्ट थी। गांधीजी ने युद्ध-नीति को पूर्वतः अहिंसक रूप से प्रचार करने की और चूंकि सारे युद्ध-प्रयत्न अन्धाय-पूर्ण एवं विनाशकारी होते हैं। अतः जनता को यह बात कहने कि ‘युद्ध-प्रयत्नों में मदद मत करो’ स्वतन्त्रता मांगी थी। वाहसराय कुछ

सीमा तक कांग्रेस की मोर्ग स्वीकार करने के लिए तैयार थे; लेकिन कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत की हुई सारी मोर्गों को स्वीकार करने से उसने इन्कार कर दिया।

इंग्लैण्ड में तो अनेक इह से युद्ध का विरोध करने वालों के बहाई के काम में भाग न लेने को सहृदयता मिलती है। हत्ता ही नहीं, उन्हें प्रकट रूप से भी अपने विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता होती है। हाँ, उनको हत्ती सुविधा नहीं दी जाती कि वे युद्ध से अपना समर्थन हटा लेने के लिए कहें अथवा युद्ध-प्रथनों को बन्द करने के लिए दूसरों को प्रबूच करें। वाइसराय ने कहा कि इससे ज्यादा सहृदयता हिन्दुस्तान को नहीं दी जा सकती। लेकिन वे यह बात भूल गये कि हिन्दुस्तान इंग्लैण्ड नहीं है। गांधीजी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हिन्दुस्तान की वर्तमान परिस्थिति में हत्ते भर से काम नहीं चल सकता। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कांग्रेस का अन्त ही होना है तो अपनी निष्ठा प्रकट करते-करते मरना कहीं अच्छा है।

इसके बाद सत्याग्रह आनंदोजन शुरू हुआ। गांधीजी ने सत्याग्रह के लिए कड़े-कड़े नियम बनाये और एक प्रतिज्ञा तैयार की। इस बार उनका ध्यान सत्याग्रही के 'गुणों' पर ज्यादा था। उन्होंने आहिर किया कि इस बार वे स्वयं सत्याग्रह नहीं करेंगे। क्योंकि इससे सरकार अधिक कठिनाई में पड़ सकती है। उन्होंने श्रीविनोदा भावे को प्रथम सत्याग्रही के रूप में खुला। सत्याग्रह की तारोत्तम और जगह लिखित की गई। १७-१०-४० को पवनार में वह सत्याग्रह होने वाला था। वहाँ विनोदाजी एक भाषण देकर लोगों से यह प्रार्थना करने वाले थे कि युद्ध अनेकिक और अनिष्टकारी है; अतः लोगों को युद्ध-प्रथन में मदद नहीं करनी चाहिए। चार दिन तक भाषण देते रहने के बाद वे गिरफ्तार किये गये और उनको ३ महीने की सज्जा दी गई। इसी प्रकार गांधीजी ने कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को युद्ध-सम्बन्धी नीति पर भाषण देते हुए दिल्ली की ओर पैदल जाने की

कहा। अब: सैकड़ों व्यक्ति दिल्ही के लिए रवाना हुए। लेकिन रास्ते में उनके प्रान्त में ही उन्हें पकड़ लिया गया और सजाएं दे दी गई।

पहिले सत्याग्रही के रूप में विनोबा का चुनाव करते समय गांधीजी ने कहा था कि वे आवश्यक सत्याग्रही हैं। उनका वर्णन करते हुए उन्होंने किसा है कि कठाई के सारे लोगों में वे प्रबोधी हैं। वे जिस भाषा में रहते हैं वहाँ से उन्होंने अस्पृश्यता को भरा दिया है। दिन्दू-मुख्यमन्त्री पर उनका अटका विश्वास है। उन्होंने अनेक अनुयायी और कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है और वे मानते हैं कि हमारे राष्ट्र के लिए स्वतन्त्रता की आवश्यकता है। इसी प्रकार खादी की प्रधानता वाले रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा ही स्वतन्त्रता मिल सकती है। इस बात पर उनका पूरा विश्वास है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी विश्वास है कि राजनीतिक कार्यक्रम की भी भावाव अपेक्षा रचनात्मक कार्यक्रम पूर्व सविनय आवश्यकान्दोलन का मिला-जुला कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली है और सबसे ऊदादा महसूव की बात यह है कि वे युद्ध-विरोधी हैं।

“मुझे निर्दोष लड़ाइ लड़नी है, संख्या-बल की अपेक्षा मुझे उच्चतम गुणों की आवश्यकता है।” इस आशय की महत्वपूर्ण सूचना उन्होंने दे रखी थी। इसके बाद गांधीजी ने सत्याग्रहियों को भाषण देने और वक़्फ़ निकालने के बायां इस आशय के नारे लगाने के लिए कहा कि ब्रिटिशों को युद्ध-प्रयत्न में धन या जन की मदद करना गलत है और सारे लोगों के प्रतिकार का सर्वोत्तम उपाय अहिंसा ही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नारे लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार हो जाना चाहिए।

इस प्रश्न पर लगभग ३०००० लोगों ने जेल-जीवन अपनाया और ६ लाख रुपये जुर्माने के रूप में बसूख किये गये। सत्याग्रही स्थानीय मणिस्ट्रोट को सत्याग्रह का समय, स्थान और रूप की

विधिवत नोटिस देते थे। प्रारम्भ में कुछ लोगों ने युद्ध-कमेटी के सदस्यों को पत्र लिखकर उनसे स्थानपत्र देने की प्रारंभिका की। कुछ लोगों ने भाषण दिये लेकिन बाद में सुखविरोधी नारे लगाता ही एकमात्र कार्यक्रम निश्चित किया गया।

यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य है कि प्रान्तीय पूर्व केन्द्रीय धारासभा, जोकल बोर्ड व म्युनिसिपैलिटियां, कांग्रेस कमेटी एवं अन्य सार्वजनिक लोगों के बहुत-से प्रतिनिधि इस आन्दोलन में जेल गये। इसके अंकड़े इस प्रकार हैं—११ कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी के सदस्य, १७६ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, २६ भूतपूर्व मन्त्री, २२ केन्द्रीय धारासभा के सदस्य और ४०० प्रान्तीय धारासभा के सदस्य। इस दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है कि यह सत्याग्रह सबसे ज्यादा प्रतिनिधिक था।

१६४१-४२ में जब कुछ सत्याग्रही जेल से छूटे तो गांधीजी ने उनसे कहा कि वे आन्दोलन शुरू रहने तक बार-बार सत्याग्रह करते रहे। मध्यप्रान्त के एक एम. एल. ए. श्री जकातदार का उदाहरण ऐसा है कि बाद में तो सरकार ने उनको जेल न भेजकर जुर्माना करना शुरू कर दिया। फिर भी उन्होंने पाँच बार सत्याग्रह किया। उनके जुर्माने की कुल रकम करीब-करीब १० हजार रुपये हो गईं। दो बार सत्याग्रह करने वाले तो सैकड़ों ही थे।

फिर भी इस सत्याग्रह के समय पुलिस या सरकार ने बहुत अनुचित व्यवहार किया, ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसका कारण तो यही है कि सरकार को वह अद्भुत हो गया कि परिस्थिति अत्यन्त 'सुरक्षित' है। सरकार को विश्वास था कि इस आन्दोलन से उसकी सत्ता को कोई खतरा नहीं हो सकता। पूर्व सूचना करने वाले सत्याग्रही प्रस्ताव मुख से व्याप्त-पीठ पर चढ़कर लिखित नारे लगाते और उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। सैकड़ों लोग उनके आसपास जमा हो जाते और उनको इस प्रकार भूमध्य से विदाई देते जाना वे हथा-

बदलने के ही लिए जा रहे हैं। भय, आशंका या कदुता का कहीं भी नाम-विशाल नहीं था।

१९४१ के अन्त तक यह सिखसिखा चलता रहा। उस समय तक जनता का उत्साह कम हो गया। इस बीच वाहसराय के कार्यकारी मण्डल में अधिक हिन्दुस्तानियों को लिया गया। कांग्रेस ने अपनी ओर से कोई कदम नहीं उठाया। दूसरे दलों और जनमत के दबाव से सरकार ने सत्याग्रहियों को छोड़ना तय किया। इसके बाद बिना किसी कारण के ही सरकार ने यह मान लिया कि कांग्रेस युद्ध-प्रयत्नों में मदद करेगी। इतना ही नहीं, सरकारी पत्रों में भी इस बात का उल्लेख किया गया। सारे कैदियों को छोड़ देने की नीति के अनुसार ४ दिसम्बर १९४१ को सारे कैदी छोड़ दिये गये।

जनवरी १९४२ में वर्षा में वर्किंग कमेटी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई उसमें फिर से जबाई शुरू करने का आदेश नहीं दिया गया। लेकिन जापान के सम्भावित आक्रमण को ध्यान में रखकर स्वयं पूर्णता और आत्मरक्षा पर जोर दिया गया।

आहवे, अब उस जबरदस्त जबाई की ओर सुधेर जो इसके बाद ए अगस्त १९४२ को बम्बई में होने वाली ३० भा० कां० कमेटी के प्रस्ताव के अनुसार शुरू हुई।

: २५ :

‘भारत छोड़ो’ आन्दोलन

इस समय तक जितने अखिल भारतीय अहिंसक आन्दोलन हुए उनमें यह आन्दोलन अन्तिम है। आज की स्थिति में इस आन्दोलन का संचित वर्णन तक नहीं किया जा सकता। लेकिन जिन घटनाओं के कारण यह आन्दोलन प्रारम्भ हुआ वे ही यहाँ दी जा रही हैं।

दिसम्बर १९४९ में पूर्व की ओर जो घटनाएँ घटीं उनमें सबसे उचाई महस्त की घटना है जापान की मित्रराष्ट्रों के साथ युद्ध-योवशा। इसके बाद १९५२ के प्रारम्भ की महस्तपूर्ण घटना है जापान की अमेरिका और इंडिया पर जक और स्थल के युद्धों में उत्तरोत्तर चिन्ह।, इससे जनता का नीतिवैर्य छूटने लगा और अंग्रेजों का पूर्वी साम्राज्य कैंची में फैप गया। ऐसे ही कठिन समय में २३-३-५२ को सर स्ट्रॉफर्ड किप्स कुछ योजना के कार दिन्हुस्तान आये।

इस सम्बन्ध में लुई फिशर ने किसा है कि गांधीजी ने उस योजना को देखते ही किप्स से पूछा—“आप पहिले ही वायुयान से इंडिया क्यों नहीं जाते ?” गांधीजी को वह योजना अस्यन्त निराशाजनक लगी और उन्होंने उसे मुहूर्ती हुश्वी (Post-dated Cheque) कहा। उनका कहना था कि आज तो हिन्हुस्तान भूख से ब्याकुल है। ऐसी स्थिति में उसे जल्दी ही मुहूर्ती भर अब और चुल्ल भर पानी न देते हुए अविष्य में पांचों पकवान परोस देने के आश्वासन देने से क्या लाभ है ? किप्स से बातचीत करने के लिए कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति मौजाना अबुलकलाम आज़ाद और पं० जबाहरखाल नेहरू को प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया। उन्होंने काफी दिनों तक बातचीत की। अन्त में उनको भी निराश होना पढ़ा। ऐसा कहा जाता है कि प्रारम्भ में किप्स ने इंडिया जैसा मन्त्रीमण्डल बनाने की बात कही थी; लेकिन बाद में वह बदल गया और बाह्यसराय के विशेष अधिकारों पर ही उसने जोर दिया। इससे मौजाना साहब कुछ झुठ्ठ हुए और उन्होंने कहा कि यदि जनता के हाथ में तुरन्त वास्तविक सत्ता नहीं जाती तो उस योजना पर विचार करने की जरूरत नहीं।

करीब-करीब प्रचुरण मवःस्थिति में ही सर किप्स अप्रैल के दूसरे सहाह में हिन्हुस्तान से रवाना हुए। केवल कांग्रेस ने ही उस योजना को नहीं हुआराहा। अहिं देश के किसी भी दश ने उसे भव्यतर नहीं किंवा। गांधीजी कहते हैं कि किप्स के प्रभाव के बाद थोड़े ही दिनों

में उनके दिमाग में 'भारत छोड़ो' आनंदोलन का विचार आया। उन्हें पेसा प्रतीत हुआ कि जबतक अंग्रेज दिन्दुस्तान से अपनी सारी सत्ता नहीं उठा लेते तबतक हिन्दुस्तान का किसी प्रकार हितसाधन नहीं हो सकता। यदि युद्धकाल में मिश्र-सेनाएँ भारतवर्ष में रहें और हिन्दुस्तान को युद्ध का अड्डा बनाया जाय तो भी गोंधीजों को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन उनका यह आप्रह था कि यह सब स्वतन्त्र हिन्दुस्तान की सम्मति से होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जबतक हिन्दुस्तान से अंग्रेजी सत्ता का अन्त नहीं होता तबतक हिन्दू-मुस्लिम पैक्य होना असंभव है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जल्दी ही हिन्दुस्तान को आजाद करवाना है; क्योंकि इस और चीन को मदद करने का वही एकमात्र रास्ता है। गुलामी के बन्धन में ज़कड़ा हुआ हिन्दुस्तान न तो युद्ध अपनी रक्षा कर सकता है, न दूसरे राष्ट्रों की ही मदद कर सकता है।

इसके बाद तकानी प्रचार शुरू हुआ और उसके परिणामस्वरूप १४-३-४२ का वर्धा-प्रस्ताव पास हो गया। इस प्रस्ताव के अनुसार अंग्रेजों से भारत छोड़ने की प्रार्थना की गई। उसमें कहा गया था कि यदि यह प्रार्थना अस्तीकार की गई तो कोंप्रेस को मजबूर होकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान की आजादी पूर्वं राजनीतिक अधिकारों की प्रस्थापना के लिए अपनी सारी अहिंसक शक्ति लगा देनी पड़ेगी। यह अत्यन्त ही गम्भीर निर्णय था। अतः इसे ७ और ८ अगस्त बाली बम्बई की अस्थिर भारतीय कोंप्रेस कमेटी की बैठक में रखा गया।

बम्बई की अस्थिर भारतीय कोंप्रेस कमेटी की बैठक में सारी बातें स्पष्ट हो गईं। उस प्रस्ताव का एक अवतरण भीचे दिया जा रहा है—“अतः भारतवर्ष की स्वतन्त्रता के अन्मसिद्ध अधिकारों को स्थापित करने के लिए विगत २२ वर्षों से कानिष्ठदर्दी लड़ाइयों में जो अहिंसक शक्ति प्राप्त की गई है उसका उपयोग उपादा-से-उपादा करे

ऐसा किए पर करके अहिंसक सामूहिक जवाह शुरू करने की चेतावी देने का प्रशंसनीय यह सभा पास कर रही है। इस प्रकार की जवाह गांधीजी के ही नेतृत्व में होनी चाहिए।

गांधीजी ने अपने भाषण में कहा कि वे जवाह लेने की अखदबाजी में न पढ़कर बाहसराय से सुखाकात करेंगे और समझौते की बातचीत खड़ाने का प्रयत्न करेंगे। दूसरा दिन आने के पहिले ही गांधीजी तथा वर्किङ कमेटी के सारे सदस्यों को पकड़ लिया गया। दूसरे ही सप्ताह के भीतर जिन-जिन लोगों का कांपेस में थोड़ा-बहुत स्थान या उन सब को भी बिना तहकीकात जेल में बन्द कर दिया गया। इसके बाद आईनिन्स, लाठी-चार्ज, गोलाबारी, वायुयानों से बमबर्बा आदि का दौर शुरू हुआ। इस शोकजनक काण्ड से कहीं-कहीं के लोग तो बड़े बिगड़े और उन्होंने रेलवे पुलिस स्टेशन आदि पर आक्रमण कर दिया। कोई २००० से अधिक आदमियों को गोली मार दी गई। कोई ६००० द्यक्ति पुलिस और सेना की गोली से जलमी हुए। लाठी-चार्ज से तो हजारों द्यक्ति घायल हुए। लगभग १५०००० द्यक्तियों को जेल में रखा गया। लगभग १५००००० रुपये का सामूहिक जुर्माना किया गया। पुलिस और फौज के घोर झुल्म, मकानों में आग लगाना, लूट-पाट तथा अन्य अत्याचारों की तो सीमा ही नहीं थी।

यह ठीक है कि अगस्त-आन्दोलन के सम्बन्ध में आज ही कुछ कहना या उसपर मत देना ठीक नहीं है, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि उसमें हिन्दुस्तान को जिस अपार जन-जागृति और उठाव का अनुभव हुआ है और जवाह के समय जनता ने जो अहिंसक अवहार रखा वह दुनिया के इतिहास में अभूतपूर्व पूर्व अद्वितीय सिद्ध होगा। यह प्रैष्ठ दूसरा है कि यदि आन्दोलन के सूत्र गांधीजी के हाथ में होते तो आन्दोलन किस दिशा में जाता, लेकिन गांधीजी अथवा किसी दूसरे नेता के नेतृत्व में जनता ने किस प्रकार जवाह

का संचालन किया। यह बात समाजवाद के इतिहास से निरीक्षण करने पर चैसी है उचित है। यदि उन थोड़े-से हिंसक कामों को छोड़ दिया जाय जो अवधिकृत पूर्व सत्याग्रह की परम्परा के विवर कार्य करने वाले समूहों और मुण्डों के द्वारा हुए तो सरकार की अत्यन्त पाश्चात्यी दंग से संगठित हिंसा [का] मुकाबला करने वाले इस सत्याग्रह के मुख्यतः स्वरूप और अहिंसक चीरता और उदारता के अनेक उदाहरणों के कारण सत्याग्रह के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में इस लकाई का सदैव उल्लेख किया जायगा।

परिशिष्ट

: १ :

सत्याग्रह आश्रम के व्रत

सन् १९१२ में गांधीजी ने अहमदाबाद के पास अपने आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य या—मानवभूमि की सेवा करने की शिक्षा प्राप्त करके उसका आचरण करना।

वहां के नियम और अनुशासन इस दृष्टि से बनाये गए थे कि वे सत्याग्रह को जीवनपथ के रूप में स्वीकार करने वाले लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हों।

मूल प्रतिज्ञा के शब्दों को यथासम्भव ज्यों-का-स्यों रखकर उन्हें यहां संचेप में देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

प्रतिज्ञा के दो भाग किये गये हैं—प्रधान और गौण।

प्रधान व्रत

(१) सत्य—साधारणतः सत्य का अवलम्बन न करना ही काफी नहीं है। देश के हित के लिये भी किसी प्रकार छुल-कपट नहीं करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को यह भी जानना चाहिए कि सत्य के लिए माता-पिता एवं पूज्य लोगों से भी विरोध करना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में हमें ग्रहाद का उदाहरण याद रखना चाहिए।

(२) अहिंसा—अहिंसा का अर्थ ‘दूसरे की जान लेना’ ही नहीं है। अहिंसा की प्रतिज्ञा लेने वाले व्यक्ति को गांधीजी के मतानुसार अन्यायी

को भी कह न पहुँचाना चाहिए। विना क्रोध किए उसके साथ प्रेम का ही व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार उसे अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए — फिर चाहे अन्याय माता-पिता करें, सरकार करे अथवा दूसरा कोई करे। लेकिन ऐसा करते हुए अन्यायकर्ता को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए। सत्य और अहिंसा का साधक अन्यायी को प्रेम से जीतता है। वह उसकी इच्छा को नहीं मानता है। लेकिन अस्थाचारी को जीत लेने तक वह उसकी इच्छा में परिवर्तन करने के लिए स्वतः प्राणान्तक कष्टसहन करता है।

(३) ब्रह्मचर्य—ब्रह्मचर्य का पालन किये विना उपर्युक्त दोनों प्रतिज्ञाओं का पालन करना। प्रायः असम्भव है। पर-की की इच्छा न रखने से ही यह प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती; लेकिन उसे अपने पाशांती विकारों पर भी इतना नियन्त्रण रखना चाहिए कि उसका मानसिक अधःपतन भी न हो। यदि वह विवाहित हो तो उसे अपनी पत्नी के प्रति विषयासक्ति न रखनी चाहिए और उसे अपनी जीवनसंगिनी समझकर उनके साथ अत्यन्त पवित्र सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए।

(४) अस्वाद—जिह्वा-जय किये विना ऊपर दिये हुए वतों और खासकर ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन है। अतः जिह्वा-जय एक स्वतन्त्र वत मान लिया गया है। जिसे देशसेवा करना है उसे इतनी अद्वा रखनी चाहिए कि अक्षसेवन की आवश्यकता शरीर को टिकाये रखने के लिए ही है। अतः उसे अपना प्रतिदिन का आहार नियमित एवं शुद्ध रखना चाहिए और पाशांती विकारों को उत्तेजना देने वाले एवं अनावश्यक अन्न को धीरे-धीरे या एकदम छोड़ देना चाहिए।

(५) अस्तेय—साधारणतः जिसे परधन कहा जाता है उसका अपहरण न करना ही अस्तेय-पालन के लिए पर्याप्त नहीं है बल्कि जिस वस्तु की आवश्यकता हमें नहीं है उसे उपयोग में लाना भी चोरी ही है। प्रकृति हमें प्रतिदिन उतनी ही वस्तु देती है जो हमारी आवश्यकताओं के लिए काफी हो।

(६) अपरिग्रह—किसी आवश्यक वस्तु को पास न रखना अथवा उसे अधिक मात्रा में न रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह ऐसी आवश्यक है कि जिस वस्तु को हमें निवासन्त आवश्यकता नहीं है देसी इँहीं भी वस्तु का संप्रदान न करें। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति का काम कुर्सी के बिना चल जाय तो उसे कुर्सी का उपयोग नहीं करना चाहिए। अतः जिन खोगों ने यह प्रतिज्ञा ली है उन्हें उसका सबत विन्दन करना चाहिए और अपना रहन-सहन सीधा-सादा रखना चाहिए।

गौण ब्रत

(७) स्वदेशी—जिस वस्तु में अथवा जिसकी कारीगरी में किसी भी प्रकार की धोखेबाजी का स्थान हो, उपयोग में लाना सत्य से मेल नहीं खाता। अतः सत्य का उपासक मेन्टेस्टर, जर्मनी अथवा हिन्दुस्तान की मिलों में तैयार होने वाला कपड़ा काम में नहीं लाता, क्योंकि उसे इस बात का विश्वास नहीं होता है कि उसके मूल में किसी प्रकार की धोखेबाजी नहीं है। इसके अतिरिक्त मिलों में मजदूरों को वही मुस्किवते उठानी पड़ती हैं। मिलों की आग और धूर्ण से मजदूरों की उच्च तो घटती ही है लेकिन उससे अन्य जीव-जन्माओं का भी नाश होता है। अतः विदेशी अथवा पेचीदा यन्त्र-सामग्री से बनी हुई वस्तु अहिंसा के उपासकों के लिए मना है। यदि इस सम्बन्ध में अधिक विचार करें तो ये सप्रतीत होता है कि इस प्रकार की वस्तुओं के उपयोग से असंग्रह और अपरिग्रह की प्रतिज्ञाएँ भंग होती हैं। अपने स्वर्ण के हाथों बने हुए सादे कपड़े के बजाय हम विदेशी कपड़ों का उपयोग करते हैं; क्योंकि उसे अधिक सुन्दर मानने की प्रथा पढ़ गई है। शरीर को कृत्रिम उड़ से सजाना ब्रह्मचर्य के मार्ग में वाधक है। अतः वह अस्थन्त साक्षी वस्तुओं का ही उपयोग करता है। यही कारण है कि स्वदेशी की प्रतिज्ञा लेने वाले को अस्थन्त सादे कपड़े पहिनने चाहिए और बटन एवं विदेशी

बहु की सिकाई भी छोड़ देनी चाहिए और इसी रीति से जीवन के सारे लोगों में स्वदेशी का अन्तर्भाव करना चाहिए।

(c) निर्भयता—जिसपर भय की सत्ता चल जाती है वह सत्य या अहिंसा का आचरण शायद ही कर सकेगा। अतः आश्रमवासी राजा, जनता, जाति, कुटुम्ब, घोर, डाकू, दोष आदि हिस्त पश्च और साहार मृत्यु के भय से मुक्त होने का प्रयत्न करेगा। वास्तविक निर्भय मनुष्य अपने सत्यबल और आत्मबल के द्वारा दूसरों से अपना वचाव कर सकेगा।

अब कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आगे दी जा रही हैं—

भाषा—अपनी भाषा छोड़ देने से किसी भी राह की वालविक प्रगति नहीं हो सकती। अतः आश्रमवासी अपनी-अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा प्राप्त करेंगे और हिन्दुस्तान के सब हिस्सों के लोगों के साथ हार्दिक सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा रखने के कारण हिन्दुस्तान की मुख्य भाषा हिन्दुस्तानी की भी शिक्षा प्राप्त करेंगे।

शारीरिक श्रम—शारीरिक श्रम हमारा कर्तव्य है जो हमें प्रकृति की ओर से प्राप्त हुआ है। अतः अपने जीवन को कायम रखने और अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की सीमा तक सार्वजनिक हित पर उठि रखकर शारीरिक श्रम का अवलम्बन करना चाहिए। हमारे देश की अधिक-से-अधिक जनसंख्या खेती पर अवलम्बित है, अतः आश्रमवासी अपने समय का कुछ भाग खेत में काम करने में व्यतीत करेंगे और जब यह संभव न होगा तब कोई अन्य शारीरिक श्रम करेंगे।

उच्छोग—हमारे देश की गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है चरखे और करघे का प्रायः पूरी तरह छोप। अतः वह स्वर्य चरखे और करघे पर काम करके उस धन्दे को पुनर्जीवित करने का शक्ति भर प्रयत्न करेगा।

राजनीति—राजनीति, आर्थिक सुधार, आदि जल की स्वतन्त्र दास्ताएँ नहीं समझी जा सकतीं। उन सबका मूल घर्म ही है। अतः राजनीति, आर्थिक समाज-सुधार आदि विषयों को आर्थिक भावना से सीखने का प्रयत्न किया जायगा और यह काम आशमवासी वहे उत्साह और निष्ठा से करेंगे।

प्रसिद्ध आशमवासी विनोद भावे ने इन वर्तों को रजोकरद कर लिया। वह रजोक इस प्रकार है—

✓ अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह
शरीर-अम स्वाद सर्वत्र भयवर्जन ।
सर्वधर्मी समानत्व स्वदेशी स्पर्श-भावना
ही एकादश सेवावी नमृते कृतिशये ॥

: २ :

रचनात्मक कार्यक्रम

सत्याग्रह की दृष्टि से रचनात्मक कार्यक्रम का इतना महत्व है कि अपनी 'रचनात्मक कार्यक्रम' नामक छोटी-सी पुस्तिका में गोवींजी कहते हैं, यदि रचनात्मक कार्यक्रम में सारे देश का सहयोग प्राप्त हो तो शुद्ध अहिंसक मार्ग से सविनय अवश्य। आनंदोलन की आवश्यकता न रहेगी।

अब गोवींजी ने देश के सामने जो पण्डितसूची रचनात्मक कार्यक्रम रखा है वह कमालुसार नीचे दिया जा रहा है। हिन्दुस्तान में भिज-भिज संस्थाएँ उस कार्यक्रम में लग रही हैं—

१. जातीय एकता
२. अस्तूर्यता-निवारण
३. मध्यपाल-निवेद

१. खादी
२. ग्रामोदयीय
३. ग्राम-शवास्थरण
४. नहं तालीम (वर्षा शिक्षा-बोझना)
५. प्रौढ़ शिक्षा और साहरता प्रसार
६. खियों की उच्चति
७. समग्र ग्रामसेवा
८. राष्ट्रभाषा प्रचार
९. मालूमाषा प्रेम
१०. आर्थिक समता
११. आदिवासी-सेवा
१२. विशार्दी किसान एवं भजदूरों की जागृति और संगठन

: ३ :

सत्याग्रह के नियम

सन् १९३० में दायड़ी-याचा के पूर्व गांधीजी ने सत्याग्रहियों के लिए कुछ नियम बनाये। २७-२-३० के यंग हिंदिया में जो नियम और उनकी प्रस्तावना प्रकाशित हुई उसे नीचे दिया जा रहा है।

“प्रेम दूसरों को नहीं जलाता; वह स्वयं को ही जलाता है। अतः सत्याग्रह अर्थात् सविनय कानूनभंग करने वाला प्राणान्तक कष्ट को भी खुशी-खुशी सहन कर लेता है। अतः यह स्पष्ट है कि सविनय कानून भंग करने वाला वर्तमान शासन-स्पष्टवस्था का अन्त करने के लिए जहाँ खून का अन्तिम बूँद तक दे देगा वहाँ किसी भी अंगेज को मनसा-याचा-कर्मणा किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देगा। सत्याग्रही-सम्बन्धी हस्त प्रावश्यक सहित हप्तीकरण से पाठकों को नीचे दिये हुए नियमों का अर्थ और महात्मा समझ में आ जायगा।

अधिकारी नियम

(१) सत्याग्रही अथवा सविनय प्रतिकारक आपने मन में गुस्से को कोई स्थान नहीं देगा ।

(२) वह विरोधियों का क्रोध सहन करेगा ।

(३) ऐसा करते हुए वह विरोधियों के आघात को सहन करेगा; लेकिन बदले में उनके ऊपर हाथ नहीं डालेगा । क्रोधावेश में किये हुए हृष्टम या सजा अथवा हँसी प्रकार के अन्य किसी भय के सामने वह अपना सिर नहीं मुकाबेगा ।

(४) जिस समय कोई अधिकारी सविनय प्रतिकारक को पकड़ने के लिए आएगा वह सब गिरफ्तार हो जायगा और जब अधिकारी उसकी सम्पत्ति लाभ करने अथवा उसे ले जाने के लिये आएंगे तो वह उसका प्रतिकार नहीं करेगा ।

(५) यदि सत्याग्रही किसी सम्पत्ति का दूस्ती है तो उसे सरकार के कब्जे में देने से वह इन्कार कर देगा । फिर चाहे उसकी रक्षा में उसके प्राण ही खतरे में क्यों न पड़ जायि । हाँ, उसके लिए वह उल्ट कर प्रहार कभी भी नहीं करेगा ।

(६) बदला न लेने का अर्थ है न सौगन्ध ढालना न शाप ही देना ।

(७) अतः सविनय प्रतिकारक विरोधियों का भी अपमान नहीं करेगा और न कोई ऐसा नया नारा ही छागायेगा जो अहिंसा की भावना के विरुद्ध हो ।

(८) सविनय प्रतिकारक कभी यूनियन जेक को सजाम नहीं करेगा लेकिन उस मर्डे, अथवा ऑफिज या हिन्दुस्तानी अफसर का अपमान भी नहीं करेगा ।

(९) जाहाँ के समय यदि कोई किसी अधिकारी का अपमान करता है अथवा उसपर आक्रमण करता है तो सविनय प्रतिकारक अपने

प्राणों को संकट में ढाककर भी उस अधिकारी अथवा उन अधिकारियों की उस अपमान से रक्षा करेगा।

कैदियों के लिये नियम

(१०) एक कैदी के रूप में सविनय प्रतिकारक अपने जेल अधिकारियों के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करेगा और जेल के उस सारे अनुशासन का पालन करेगा जिससे उसके स्वाभिमान को धक्का न लगे। उदाहरणार्थे, वह सदा की भाँति अधिकारियों का अभिवादन करेगा, लेकिन वह अपने को नीचे मुकने जैसा कोई भी अपमानजनक काम नहीं करेगा और न 'सरकार की जय हो' अथवा इसी प्रकार के अन्य नारे ही लगायेगा। वह अपने घर्मानुकूल स्वच्छता से बनाया हुआ और स्वच्छता से परोसा हुआ भोजन करेगा; लेकिन अपमानजनक ढंग से अथवा गन्दे बरतनों में परोसा हुआ भोजन स्वीकार नहीं करेगा।

(११) वह अपने और साधारण कैदी के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखेगा। वह अपने को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं समझेगा और न वह कोई ऐसी सुख-सुविधा की मांग ही करेगा जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक न हो। लेकिन उसके शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए जिस सुख-सुविधा की आवश्यकता है उसे मांगने का उसे अधिकार भी है।

(१२) जिन सुख-सुविधाओं के लिए इन्कार कर देने से उसके स्वाभिमान को धक्का नहीं लगता उन सुख-सुविधाओं के लिए उसे उपबास नहीं करना चाहिए।

इकाई के रूप में पालने योग्य नियम

(१३) सत्याग्रही को अपने शिविर के अधिकारी की सब आङ्गों का सुनी से पालन करना चाहिए फिर वाहे वे उसे पसन्द हों या न हों।

(१४) जो आज्ञा दी गई है वहि वह उसे अपमानजनक, हानि-कारक या मूर्खतापूर्ण प्रतीत हो तो पहिले तो वह उसका पालन करेगा। बाद में वहे अधिकारियों से उसकी शिकायत करेगा। संगठन में सम्मिलित होने के पूर्व उसके अनुशासन के औचित्य की जांच करने के लिए वह स्वतन्त्र है; लेकिन एक बार उसमें सम्मिलित हो जाने के बाद फिर उसका अनुशासन उसे कितना ही कष्टदायी रूपों न करे उसका पालन करना ही उसका कर्तव्य हो जाता है। यदि उसे कुछ मिलाकर संगठन का काम अयोग्य या अनैतिक प्रतीत हो तो उसे उससे अपना सम्बल्प-विच्छेद करने का अधिकार होगा। लेकिन जबतक वह सैमिक है तबतक तो उसे वहाँ के अनुशासन को भंग करने का अधिकार नहीं होगा।

(१५) अपने आश्रित खोगों के पालन-पोषण के लिए सविनय प्रतिकारक किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखेगा। यदि उसे हस प्रकार की कोई सुविधा प्राप्त हो जाय तो उसे एक सुयोग ही समझना चाहिए। सत्याग्रही तो अपने आश्रितों के भविष्य को ईश्वर पर छोड़ देता है। साधारण युद्धों में भी जहाँ कि सैकड़ों-हजारों व्यक्ति अपने प्राण देने के लिए तैयार होते हैं वे भी हस प्रकार की कोई सुविधा पहिले से नहीं कर पाते; फिर सत्याग्रही के लिए तो ऐसी परिस्थिति अधिक ही तीव्रता से निर्माण होगी। लेकिन यह प्रतिदिन का अनुभव है कि हस प्रकार भूखों मरने का मौका शायद ही कभी आता है।

साम्राज्यिक दंगों के लिए नियम

(१६) कोई भी सत्याग्रही जान-दूसर कर साम्राज्यिक महादंगों का कारण नहीं बनेगा।

(१७) इस प्रकार का दंगा प्रारम्भ होने पर वह किसीका पह-पात नहीं करेगा। लेकिन स्वास्थ रूप से जिसका पहल न्यायसुक्ष होगा उसीकी मदद करेगा। यदि वह हिन्दू है तो मुसलमानों तथा अन्य

चर्चाविज्ञानियों के साथ उदारताएँ व्यवहार करेगा और अहिन्दुओं को हिन्दुओं के आक्रमण से बचाने के लिए प्राण तक देने को तैयार रहेगा। यदि आक्रमण दूसरी ओर से हुआ है तो वह उसके प्रत्याक्रम में आग नहीं लेगा लेकिन हिन्दुओं को बचाने के लिए अपने प्राणों की जाली लगा देगा।

(१८) सम्प्रदायिक दंगों के अवसर टालने के लिए वह अपने भ्रष्टलों की पराकाशा कर देगा।

(१९) सत्याग्रहियों के जुलूस के समय कोई भी ऐसा काम नहीं किया जायगा, जिससे दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे। और जिस किसी जुलूस में इस प्रकार की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचने की सम्भावना होगी वह उसमें शामिल नहीं होगा।

गांधीजी ने सत्याग्रहियों के लिए जो गुण अत्यन्त आवश्यक माने हैं (इरिजन २५-३-३६) वे नीचे दिये जा रहे हैं—

(१) उसकी हँस्तर में जीवित अद्या होती है; क्योंकि हँस्तर ही उसका आधार होता है।

(२) सैद्धान्तिक दृष्टि से सत्य और अहिंसा में और मनुष्य की स्वामानिक अच्छाई में उसका विश्वास होना चाहिए। कष्टसहन के द्वारा व्यक्तिये हुए सत्य और प्रेम के द्वारा ही उससे उस अच्छाई को जाग्रत करने की अपेक्षा रखनी चाहिए।

(३) उसे अपना जीवन निश्चक्षक रखना चाहिए और अपने ज्येष्ठ के लिए अपना धन और जीवन होम देने की तैयारी रखनी चाहिए।

(४) उसे हमेशा आदतन खादी पहनना चाहिए और सूत कातना चाहिए। हिन्दुस्तान की परिस्थिति में यह आवश्यक है।

(५) उसे मध्यपाल का विरोधी होना चाहिए और अपनी बुद्धि को सदा शुद्ध और मन को स्थिर रखने के लिए उसे अन्य साधक पदार्थों से भी दूर रहना चाहिए।

(६) समय-समय पर बनाये हुए अनुसारात्म के सारे नियम उसे विजा लिखायत छिपे पालन करना चाहिए ।

(७) अवश्यक जेल का कोई नियम लासकर उसके स्वाभिमान को ही अब पहुंचाने के लिए न बनाया जाय उसे सारे नियमों का पालन करना चाहिए ।

इस सूची को पूर्ण न समझा जाय । यह तो केवल उदाहरणात्मक है ।

: ४ :

कुछ प्रतिज्ञाएँ

समय-समय पर सत्याग्रहियों ने जो महस्वपूर्ण प्रतिज्ञाएँ लीं वे नीचे दी जा रही हैं—

खेड़ा करवन्दी-सत्याग्रह १६१८

किसानों की प्रतिज्ञा

“यह जानकर कि हमारे ग्रामों की क़सल चार आने से भी कम आई है, हमने सरकार से प्रार्थना की कि लगान की वसूली अगले वर्ष तक के लिए स्थगित कर दी जाय । लेकिन चूंकि सरकार ने हमारी प्रार्थना अस्वीकार कर दी, अतः हम नीचे दखलद्वारा करने वाले गम्भीरता-पूर्वक यह बात प्रकट करते हैं कि हम अपना पूरा या बाकी लगान नहीं देंगे । लगान वसूल करने के लिए हम सरकार को जैसा वह चाहे जैसा क्रान्तीकारी क्रदम उठाने देंगे और अपने हृन्दकार के लिए हमें जो भी परिणाम भोगना पड़ेगा उसे सुशी-सुशी भोगेंगे । हम अपनी ज़मीनें झटक होने देंगे, लेकिन हम सुद-वसुद लगान देकर अपना स्वाभिमान न जाने देंगे और ऐसा भी कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे हमारे पहले कोई शास्ती बंधे । यदि सरकार जिके भर में लगान की बूसरी

किंतु वसूल करना स्वयंसित कर दे तो हममें से जो खोग वे सकते हैं वे अपना सारा खगान दे देंगे। हममें से जो खोग पैसा होते हुए भी खगान नहीं देते हैं उसका कारण यह है कि इससे शारीर खोग घबरा जायेंगे और खगान देने के लिए अपनी सम्पत्ति बेच दाख़ले जायेंगे अथवा कर्ज़ लेंगे और इससे उनको मुस्तीबतें डालना पड़ेगी।

‘यूसी लिंगिं में हमारा यह विकास है कि जिनमें खगान देने की शक्ति है उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वे शारीरों की मदद करें।’

नोट—सन् १९२८ के बारडोली-सत्याग्रह के समय भी खगभग इसी प्रकार की प्रतिक्रिया थी।

सन् १९१६ का सत्याग्रह (रौलट बिल के सम्बन्ध में)

हमारा यह प्रामाणिक मत है कि इषिडयन किमिनल लॉ (अमेन्हमेन्ट) विल नं० १ सन् १९१६ और किमिनल लॉ (इमज़ैंसी पावर्स) विल नं० २ सन् १९१६ नाम के क्रान्तून अन्यायपूर्ण, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और न्याय पर आधार करने वाले एवं नागरिकों के उन सूखभूत अधिकारों पर प्रहार करनेवाले हैं जिनपर समूर्ण समाज और सुदूर सरकार की सुरक्षिता अवलम्बित है। अतः हम गंभीरतापूर्वक यह निश्चय करते हैं कि यदि ये विल क्रान्तून बन गये तो जबतक वे क्रान्तून चापस नहीं लिए जायेंगे तबतक हम उन्हें और इसके बाद नियुक्त की जाने वाली कमेटी जिनका आदेश देनी उन क्रान्तूनों को मानने से विनायपूर्वक हट्कार कर देंगे। हम यह भी निश्चय करते हैं कि इस लक्ष्य में हम निहार्पूर्वक सत्य का पालन करेंगे और जान-माज की हिसासे से सर्वथा अविसर होंगे।

स्वयंसेवकों की प्रार्थना (अहमदाबाद कांग्रेस)

दिसम्बर १९२१

देशर को साढ़ी मानकर मैं गंभीरतापूर्वक प्रकट करता हूँ कि—
(१) मैं स्वयंसेवक दल में सम्मिलित होना चाहता हूँ।

(२) बबतक मैं दब का सदस्य रहूँगा तबतक काव्य-वाचा अहिंसक रहूँगा और ममसा अहिंसक रहने का प्रयत्न करूँगा। पर्योकि मेरा यह विश्वास है कि हिन्दुस्तान की बत्तमान परिस्थिति में केवल अहिंसा ही लिखाफत और पंजाब की (इन अन्यायों का निवारण करने के लिए) मदद कर सकती है। लवराज्य की प्राहि और हिन्दुस्तान के हिन्दू, मुसलमान, सिंह, परसी, ईसाई अथवा यहूदी आदि सभी जातियों में अहिंसा से ही एकता स्थापित हो सकती है।

(३) इस प्रकार की एकता में मेरा विश्वास है और उसकी सिद्धि के लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहूँगा।

(४) मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्वतन्त्रता के लिए स्वदेशी अरथन्त आवश्यक है। मैं किसी दूसरे कृपयों का उपयोग न करके केवल हाथकरी-हाथबुनी जादी ही यहिन्दूँगा।

(५) मेरा विश्वास है कि एक हिन्दू के रूप में अस्पृश्यता का कलंक मिटाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः जहाँ तक सम्भव होगा। मैं सभी मौकों पर दलितों के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने और उनकी सेवा करने का प्रयत्न करूँगा।

(६) मैं अपने दब अधिकारियों के आदेश पूर्व उन सारे नियमों का पालन करूँगा जो स्वर्यसेवक दब या बर्किङ कमेटी या कांप्रेस के द्वारा स्थापित की हुईं किसी अन्य सत्या की प्रतिक्रिया से विसंगत न हो।

(७) मैं अपने घर्म, देश के लिए जेजा, आकमण और सुखु का भी अन्नतापूर्वक मुकाबला करूँगा।

(८) यदि मुझे जेजा में रहना पड़ा तो मैं अपने परिवार अथवा आनितों के लिए कांप्रेस से कोई मदद की अपेक्षा नहीं रखूँगा।

नोट—सन् १९४०—४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय की प्रतिक्रिया में से अनिवार्य कराई का निष्पत्र लिकाल दें तो वह इसी प्रकार की थी।

खुदाई लिदमतगारों की प्रतिज्ञा

“ नोट—ज्ञान अबदुल्लाहगाफ़ारखाँ के नेतृत्व में पश्चिमोत्तर प्रान्त के पठान स्थानसेवकों को खुदाई लिदमतगार अथवा हँस्तर के सेवक कहते हैं।

हँस्तर के सामने मैं गम्भीरतापूर्वक निश्चय करता हूँ कि—

(१) मैं सखाई और हँमानदारी के साथ अपना नाम खुदाई लिदमतगारों में लिखवा रहा हूँ।

(२) राह की सेवा और देश की स्वतन्त्रता के लिए मैं अबले अद्विकागत सुख, सम्पत्ति और प्राण तक त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा।

(३) मैं न किसी दलबन्दी में भाग लूँगा और न किसीसे महगड़ा या दुर्मनी ही मोक्ष लूँगा। मैं हमेशा आततायियों से पीछिवों की रक्षा करूँगा।

: ५ :

सहायक ग्रन्थ

(नोट—केवल चुनी हुई सूची ही यहाँ दी जा रही है)

१. ‘वंग हंडिया’ की पूरी फाइलें।

२. ‘हरिजन’ की „ „ „ ।

३. ‘दि स्टोरी आव माई प्रस्पेरिमेण्ट्स बिद दूथ’—एम० के० गोष्ठी
(नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद)

४. ‘सत्याग्रह हन साडय अक्रिका’—एम० के० गोष्ठी

(नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद)

५. ‘कंस्ट्रक्टर प्रोग्रैम’—एम० के० गोष्ठी

(नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद)

૧. 'માન-વાયકોન્સ ઇન ગીસ એચેડ વૉર'—પ્રમો કે. ગાંધી.
(નવજીવન કાર્યાલય, અહમદાબાદ)
૨. 'હિન્હ સરાયપ'—પ્રમો કે. ગાંધી
(નવજીવન કાર્યાલય, અહમદાબાદ)
૩. 'પૉર આવ નાન-વાયકોન્સ'—રિચર્ડ બી. પ્રેટ
(નવજીવન કાર્યાલય, અહમદાબાદ)
૪. 'એ ડિસિન્ડિન ફૉર નાન-વાયકોન્સ'—રિચર્ડ બી. પ્રેટ
(નવજીવન કાર્યાલય, અહમદાબાદ)
૫. 'દિ સ્ટોરી આવ ચારલોલી'—મહાદેવ દેસાઈ
(નવજીવન કાર્યાલય, અહમદાબાદ)
૬. 'સત્યાગ્રહ ઇન ગાંધીલી'જ ઓન વર્ડ લ'
(કૌથેલ બ્રેશર નં ૧, એ. આઈ. સી. સી., ઇન્ડાહાબાદ)
૭. 'સેક્ષા સત્યાગ્રહ'—શીકરલાલ પરીક્ષ (ઇન ગુજરાતી)
૮. 'અકાલી સ્ટ્રોગલ'—સી. એ. એચ્. હેણ્ટયૂન્ડ ૧
૯. 'ઘોરોલાયોગાંધી'—ચાવાહરલાલ નેહર (ઝાંનલેન, જાન્ડન)
૧૦. 'મહાત્મા ગાંધી દિ મૈન એચ હિન્હ મિશન'
૧૧. (નટેસન એચ કમ્પની, માનાસ)
૧૨. 'પ્રમો કે. ગાંધી'—ઝોસેન બે. ડોક
(નટેસન એચ કમ્પની, માનાસ)
૧૩. 'મહાત્મા ગાંધી'—રોમર્ડો રોમર્ડો (પેલેન એચ ડલવિન, જાન્ડન)
૧૪. 'કરેસ્પોરેન્સ્સ વિદ મિ. ગાંધી'
(ગલર્નેયટ ઝોવ ઇન્ડિયા એન્ડ કેન્યા)
૧૫. 'હિસ્ટ્રી ઝોવ દિ કૌથેલ'—પાહામિ સીલારસૈન્ય
(એ. આઈ. સી. સી., ઇન્ડાહાબાદ)
૧૬. 'વૉર વિદાન વાયકોન્સ'—ઝીયરાલી (પિલાર ગોલેન્જ)

२१. 'दि भौंस इनिक्कोरेट आैव भौंस'—विशिष्ट खेळ
२२. 'एक्सूस पृष्ठ भीस' अशुस तृप्तसे
(वैद्यु पृष्ठ विन्दूस, लक्ष्मण)
२३. 'जल कुर्चीपरेशन हन औंदर सैक्षण्य'—केनर बाप्ते
२४. 'सेविन भैयूस विद महात्मा गांधी'—हृष्णदास
(एस० गणेशन, मद्रास)
२५. 'महात्मा गांधी, एस० पृष्ठ रिफ्लेक्शन आैन हिङ्ग जाहक
पृष्ठ वर्क'—सर एस० राघवान्नन द्वारा संपादित
(एलन पृष्ठ उचितन, लम्बन, किताबिस्तान, हृष्णदासाद)
२६. 'गोविली [७५ वर्ँ जन्म दिवस अंक]' डॉ० जी० तेन्तुलकर
आदि द्वारा संपादित (कलात्मक प्रेस कम्बर्ट)
२७. 'दि माहरु आैव महात्मा गांधी'—आर० के० प्रभु पृष्ठ चू० आर०
राम (आैसकोडू यूनिवर्सिटी प्रेस, कम्बर्ट)

वोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय
२४५ ५ दिवाक

काल न०

लेखक दिवाकर भी दग्गलाथ

शीर्षक मत्प्रयाह मीभांड

रु ४९९